गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित)

अमृत
Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

नोडल विभाग:
मुख्य नगर एवं ग्रम नियोजक, (नोडल अधिकारी)
नगर एवं ग्रम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
टी. सी. जी/1–ए–वी 5 विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ 226010

Prepared by:
Stesalit System Ltd.

1. विषय–सूची

1 उद्भव एवं विकास 12
1.1 परिचय (स्थिति) 12
1.2 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं क्रमिक विकास 12
1.3 क्षेत्रीय स्थिति और संपर्क 13
1.3.1 सड़क संपर्क 13
1.3.2 रेलवे संपर्क 13
1.3.3 वायु संपर्क 13
1.3.4 लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम 13
1.4 जलवायु 13
2 महायोजना की आवश्यकता 15
2.1 गोरखपुर विकास क्षेत्र 15
2.2 महायोजना 1971–2001 और महायोजना 2001–2021 15
2.3 महायोजना 2021 में प्रस्तावित सड़कें 17
2.4 महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता 21
3 वर्तमान अध्ययन 23
3.1 जनसंख्या 23
3.2 जनसंख्या वृद्धि दर 24
3.3 जनसंख्या घनत्व 24
3.4 जन्म और मृत्यु दर 25
3.5 परिवार एवं आवासीय इकाईयाँ 25
3.6 लिंग अनुपात 26
3.7 साक्षरता दर 27
3.8 श्रमशक्ति रूपरेखा 28
3.8.1 श्रमशक्ति भागीदारी 28
3.8.2 श्रमशक्ति की भागीदारी की प्रवृत्ति 28
3.8.3 महिला कार्यबल की प्रवृत्ति 29
3.9 श्रमशक्ति श्रेणी 29
3.10 श्रमशक्ति का स्वरूप 30
3.10.1 मुख्य कामगार 31

3.10.2 सीमांत कामगार....33
3.11 भौतिक अवसंरचना....35
3.11.1 जल–कार्यशाला और जलाशय....35
3.11.2 जल आपूर्ति संयोजन....36
3.11.3 जल उपचार संयंत्र....36
3.11.4 सीवरेज संजाल और उपचार संयंत्र....37
3.11.5 मलजल उपचार संयंत्र....40
3.11.6 वर्षा जल निकासी और निस्तारण प्रणाली....40
3.11.7 वर्षा जल की स्थिति....41
3.11.8 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सैनिटेरी फिलिंग / साइट काम्पोस्ट प्लांट)....43
3.11.9 एस डब्ल्यू एम (सालिड वेस्ट मनेजमेंट) के मौजूदा परिदृश्य....44
3.11.10 विद्युत (विद्युत केन्द्र और नेटवर्क ग्रिड)....45
3.12 यातायात और परिवहन....45
3.12.1 सड़क संजाल....45
3.12.2 आंतरिक सड़क संजाल....45
3.12.3 शहर में सार्वजनिक परिवहन....46
3.12.4 केंद्रीय और कोर क्षेत्रों की यातायात समस्याएं....47
3.13 सामाजिक आधारभूत संरचना....52
3.13.1 शैक्षिक सुविधाएं....52
3.13.2 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं....52
3.13.3 मनोरंजन सुविधाएं....53
3.13.4 सामाजिक–सांस्कृतिक सुविधाएं....53
3.13.5 अग्निशमन....53
4 पर्यटन प्रोफाइल....55
4.1 पर्यटन....55
4.2 गोरखनाथ मन्दिर....55
4.3 विष्णु मन्दिर....55
4.4 गीता प्रेस....55
4.5 विनोद वन....56

4.6 गीता वाटिका....56
4.7 टेराकोटा....56
4.8 रामगढ़ ताल....56
4.9 इमामबाड़ा....57
4.10 प्राचीन महादेव छाखंडी मन्दिर....57
4.11 मुंशी प्रेमचन्द उद्यान....57
4.12 सूर्यकुण्ड धाम....57
4.13 चौरीचौरा शहीद स्मारक स्थल....57
4.14 पं0 राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्मारक स्थल....57
4.15 डोहरियाकला शहीद स्माारक स्थल....57
4.16 अमर शहीद बन्धू सिंह स्मारक एवं तरकुलहा देवी मंदिर स्थल....57
4.17 जैन मंदिर....57
4.18 सेंट जोसेफ कैथ्रेडल चर्च....58
4.19 काली बाड़ी मंदिर....58
4.20 मुक्तेश्वरनाथ मंदिर....58
4.21 मंजेश्वरनाथ मंदिर....58
5 पर्यावरणीय रूपरेखा....60
5.1 कुश्मी जंगल....60
5.2 राप्तीनदी....60
5.3 आर्द्र भूमि....60
5.4 शहर में प्रदूषण स्तर....60
5.4.1 वायु प्रदूषण....60
5.4.2 ध्वनि प्रदूषण....61
5.4.3 जल प्रदूषण....61
5.5 गोरखपुर में बाढ़ के मुद्दे....62
6 वर्तमान भू-उपयोग एवं महायोजना - 2021 का तुलनात्मक अध्ययन....63
6.1 वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र....63
7. नियोजन की समस्यायें....64
8 महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य....67
8.1 दृष्टि....67
8.2 उद्देश्य....68
9 आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण....69
9.1 जनसंख्या प्रक्षेपण....69
9.2 जनसंख्या घनत्व....69

9.3 जनसंख्या वृद्धि दर 70
9.4 प्रवासन 70
9.5 आवासीय प्रक्षेपण 72
9.6 औद्योगिक मांग 73
9.7 भौतिक आधारभूत संरचना के लिए मानदंड एवं प्रक्षेपण 73
9.7.1 प्रक्षेपित जल आपूर्ति आवश्यकता 74
9.7.2 मलजल उपचार संयंत्र 74
9.8 गोरखपुर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य योजना 75
9.8.1 अपशिष्ट भंडारण डिपोः 75
9.8.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्षेत्रः 76
9.8.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंडः 76
9.8.4 ठोस अपशिष्ट के लिए प्रक्षेपण 77
9.8.5 विद्युत (विद्युत केन्द्र और नेटवर्क ग्रिड) 77
9.9 सामाजिक मूलभूत संरचना 78
9.9.1 प्री–प्राइमरी से माध्यमिक शिक्षा के लिए मानदंड 78
9.9.2 उच्च शिक्षा के लिए मानदंड 78
9.9.3 प्रस्तावित शैक्षिक सुविधाएं 79
9.9.4 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं 80
9.9.5 स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रक्षेपण 80
9.9.6 ग्रामीण क्षेत्र में वांछित स्वास्थ्य सुविधाएं 81
9.9.7 पार्क एवं खुले स्थानों का प्रक्षेपण 81
9.9.8 सामाजिक–सांस्कृतिक सुविधाएं 82
9.10 सार्वजनिक परिवहन सुधार योजना का निर्माण 83
9.10.1 एल.आर.टी.एस. प्रणाली 83
9.10.2 बस प्रणाली 83
9.10.3 सड़क संजाल विकास योजना 85
9.11.4 ज्यामितीय सुधार के लिए प्रस्तावित जंक्शन 87
9.11.5 व्यापक गतिशीलता योजना का विकास 87
9.11.6 बस बुनियादी ढांचा आवश्यकता 87

9.11.7 सड़क संजाल विकास योजना की तैयारी....88
10 भू–उपयोग प्रस्ताव....96
10.1 प्रस्तावित भू–उपयोग 2031....96
10.1.1 आवासीय....97
10.1.2 व्यावसायिक....97
10.1.3 औद्योगिक....97
10.1.4 कार्यालय....97
10.1.5 सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक सुविधायें....97
10.1.6 यातायात और परिवहन....97
10.1.7 पार्क, खुले स्थल और हरित क्षेत्र....97
10.1.8 राजमार्गीय सुविधा जोन....98
10.2 भू–विकास नीतियां....98
10.2.1 निर्मित क्षेत्र....98
10.2.2 निर्मित क्षेत्र के बाहर विकासशील क्षेत्र :....98
10.3 शासकीय नीतियों का अनुपालन....103
10.3.1 आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति....103
10.3.2 एक जिला एक उत्पाद योजना....103
10.3.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन....104
10.3.4 औद्योगिक नीति....104
10.3.5 आईटी स्टार्ट–अप नीति....104
10.3.6 सौर ऊर्जा नीति....104
10.3.7 वर्षा जल संचयन....105
10.3.8 पर्यटन नीति....105
10.3.9 कपड़ा नीति....105
10.3.10 वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी....105
10.3.11 विकास अधिकार का हस्तांतरण....106
10.3.12 फिल्म नीतिः....106
10.3.13 आपदा प्रबन्धन नीतिः....106

10.3.14 अन्य विषयों पर नीति निर्धारणः 107
10.4 नियोजन खण्ड 107
10.5 चरणबद्ध विकास 108
10.6 स्ट्रैटेजिक प्लान एवं वित्त पोषण 108
11 जोनिंग नियम 117
11.1 जोनिंग के उद्देश्य 117
11.2 जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं 117
11.3 विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ 117
11.4 फ्लोटिंग उपयोग 118
11.5 विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज जोन 118
11.6 रेन वाटर हार्वेस्टिंग 118
11.7 प्रभाव शुल्क (Impact Fee) 119
11.8 अनुज्ञा की प्रक्रिया 119
11.9 अन्य अपेक्षाएं 120
11.10 परिभाषाएं 120
12. नगर योजना सुधार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत आवश्यक घटकों का महायोजना में समायोजन समन्वय। 146
12.1 कम्प्रेहेन्सिव मोबिलिटी प्लान (सी.एम.पी.)/ट्रांसपोर्टेशन प्लान 146
12.2 इकोनामिक प्लान 151
12.3 ब्लू –ग्रीन इन्फ्रस्ट्रक्चर 155
12.4 ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान 160
संलग्नक 161

शासनादेश संख्या-आई/475912/2024-8-3099/585/2023

दिनांक 18/01/2024 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत।

18-1-24

(अनिल कुमार मिश्र)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०
मुख्यालय, लखनऊ

18/1/2024

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ०प्र० शासन।

तालिका 1 पुरानी महायोजना भूमि उपयोग....16
तालिका 2 महायोजना 2021 में प्रस्तावित सड़के....17
तालिका 3 महायोजना 2021 में भू–उपयोग प्रस्ताव....21
तालिका 4 गोरखपुर की वर्तमान जनसंख्या एवं विकास दर....23
तालिका 5 गोरखपुर की जनसंख्या....23
तालिका 6 गोरखपुर शहर की जन्म और मृत्यु दरें....25
तालिका 7 गोरखपुर में घरों का वर्गीकरण....26
तालिका 8 घरेलू आकार....26
तालिका 9 लिंग अनुपात....27
तालिका 10 शहर की साक्षरता दर....27
तालिका 11 कुल श्रमिकों और गैर–श्रमिक....28
तालिका 12 श्रमिकों की संख्या....28
तालिका 13 मुख्य और सीमांत कार्यकर्ता....30
तालिका 14 मुख्य कामगार....31
तालिका 15 सीमांत कार्यकर्ता....33
तालिका 16 मौजूदा जल आपूर्ति....36
तालिका 17 पानी की आपूर्ति की मात्रा....36
तालिका 18 ओवरहेड टैंक की संख्या....36
तालिका 19 शहर की जल निकासी व्यवस्था....37..
तालिका 20 शहर के जल निकासी कवरेज क्षेत्र....38
तालिका 21 मौजूदा सीवेज उपचार सुविधाएं....40
तालिका 22 मौजूदा जल निकासी....40
तालिका 23 मौजूदा स्वच्छता की स्थिति....42
तालिका 24 मौजूदा सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय 43
तालिका 25 मौजूदा बिजली की आपूर्ति....45.
तालिका 26 आंतरिक सड़क नेटवर्क....45
तालिका 27 पंजीकृत वाहन....47
तालिका 28 मौजूदा सड़क की लंबाई 52
तालिका 29 रेलवे कनेक्टिविटी....52
तालिका 30 स्कूलों की मौजूदा संख्या....52
तालिका 31 मौजूदा उच्च शैक्षणिक सुविधाएं....52
तालिका 32 शहरी क्षेत्र में मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाएं....52
तालिका 33 शहरी क्षेत्र में मनोरंजन सुविधाएं....52
तालिका 34 मौजूदा सामाजिक–आर्थिक सुविधाएं....53..
तालिका 35 विद्यमान अग्निशमन केन्द्रों का विवरण....54
तालिका 36 शहरी क्षेत्र में आग दुर्घटनाओं की संख्या....59
तालिका 37 तालिका संख्या गोरखपुर में पर्यटकों के आगमन का वर्षवार डेटा....59
तालिका 38 वायु प्रदूषण स्तर....60
तालिका 39 ध्वनि प्रदूषण स्तर मानक....61
तालिका 40 ध्वनि प्रदूषण स्तर....61

तालिका 41 पेयजल मानक....62
तालिका 42 राप्ती नदी के पानी प्रदूषण स्तर नीचे रजाई राजघाट....62
तालिका 43 गोरखपुर का जनसंख्या 69
तालिका 44 गोरखपुर की जनसंख्या वृद्धि दर....70
तालिका 45 गोरखपुर में प्रवासन 70
तालिका 46 प्रवासन के लिए कारण....71
तालिका 47 आवास की मांग....72
तालिका 48 आवश्यक आवास मांग के लिए क्षेत्र....72
तालिका 49 औद्योगिक मांग....73
तालिका 50 शहरी क्षेत्र के लिए अनुमानित भौतिक आधारभूत आवश्यकता....73
तालिका 51 पानी की आपूर्ति के लिए URDPFI मानदंड....73
तालिका 52 शहरी क्षेत्र के लिए अनुमानित जल आपूर्ति आवश्यकता....74
तालिका 53 मौजूदा मलजल उपचार सुविधाएं....74
तालिका 54 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन....75
तालिका 55 अपशिष्ट एकत्र किये जाने की सूची....75
तलिका 56 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानक....77
तालिका 57 शहरी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट उत्पादन का प्रक्षेपण....77.
तालिका 58 ग्रामीण क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट उत्पादन का प्रक्षेपण....77
तालिका 59 विद्युत के मानदंड....78
तालिका 60 शहरी क्षेत्रों के लिए प्रक्षेपण....78
तालिका 61 URDPFI–2014 और उत्तर प्रदेश भवन निर्माण....78
तालिका 62 उच्च शिक्षा सुविधाओं के लिए मानदंड....78
तालिका 63 शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता....79
तालिका 64 ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता....79
तालिका 65 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानदंड....80
तालिका 66 शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता....80
तालिका 67 शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्र की आवश्यकता....81
तालिका 68 ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता....81
तालिका 69 ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की क्षेत्र की आवश्यकता....81
तालिका 70 शहरी क्षेत्र में पार्क एवं खुले स्थानों का प्रक्षेपण....81
तालिका 71 सामाजिक–सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए मानदंड....82
तालिका 72 सामाजिक–आर्थिक सुविधाओं के प्रक्षेपण....82
तालिका 73 ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक सुविधाओं की आवश्यकता....82
तालिका 74 एल.आर.टी.एस गलियारे का विवरण....83
तालिका 75 बस सिस्टम विवरण....84
तालिका 76 सिग्नलिजेशन और ज्यामितीय सुधार के लिए प्रस्तावित जंक्शन....87
तालिका 77 प्रस्तावित इंटर सिटी बस टर्मिनल....88
तालिका 78 प्रस्तावित आरओबी/आरयूबी....91
तालिका 79 अन्तर सुविधा का स्थान....93
तालिका 80 पार्किंग सीन....93

तालिका 81 गोरखपुर शहरीकरण योग्य क्षेत्र और प्रस्तावित भू–उपयोग वितरण.....96
तालिका 82 गोरखपुर में प्रस्तावित जोनिंग.....107
तालिका 83 गोरखपुर की चल रही परियोजनाएं.....108
तालिका 84 गोरखपुर की चल रही सड़क परियोजनाएं.....110

ग्राफ 1 जनसंख्या वृद्धि 24
ग्राफ 2 प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व.....24
ग्राफ 3 जन्म और मृत्यु दर.....25
ग्राफ 4 घरेलू स्थिति 25
ग्राफ 5 स्वामित्व की स्थिति.....26..
ग्राफ 6 लिंग अनुपात.....27
ग्राफ 7 साक्षरता दर (पुरुष बनाम महिला).....27.
ग्राफ 8 कार्यकर्ता और गैर श्रमिक (पुरुष बनाम महिला).....28
ग्राफ 9 कार्यबल भागीदारी की प्रवृत्ति.....29
ग्राफ 10 महिला कार्यबल.....29
ग्राफ 11 मुख्य और सीमांत (पुरुष बनाम महिला) श्रमिक.....30
ग्राफ 12 मुख्य कामगार श्रेणियां.....31
ग्राफ 13 मुख्य श्रमिकों की तुलना पुरुष.....32
ग्राफ 14 मुख्य श्रमिक महिला की तुलना.....32
ग्राफ 15 सीमांत कार्यकर्ता श्रेणियां.....33
ग्राफ 16 सीमांत श्रमिकों की तुलना 2001 और 2011 (पुरुष).....33
ग्राफ 17 सीमांत श्रमिकों की तुलना 2001 और 2011 (महिला).....34.
ग्राफ 19 काम का प्रकार.....34
ग्राफ 20 जल आपूर्ति स्रोत 36
ग्राफ 21 पीने की पानी की गुणवत्ता.....36
ग्राफ 22 जीडीए क्षेत्र में पहचाने गए हॉटस्पॉट बाढ़ क्षेत्र.....41
ग्राफ 23 स्वच्छता सुविधा.....42
ग्राफ 24 गोरखपुर की क्षेत्रीय सड़क कनेक्टिविटी.....46
ग्राफ 25 रामगढ़ताल रोड पर ओडी सर्वेक्षण.....49
ग्राफ 26 बैंक रोड पर ओडी सर्वेक्षण.....50
ग्राफ 27 बक्सिपुर रोड में ओडी सर्वेक्षण.....50.
ग्राफ 28 जेल बाईपास में ओडी सर्वेक्षण.....50
ग्राफ 29 यात्रा का तरीका.....51
ग्राफ 30 वाहन का स्वामित्व.....51
ग्राफ 31 गोरखपुर की जनसंख्या वृद्धि 70
ग्राफ 32 प्रवासी नागरिक.....71
ग्राफ 33 कुल प्रवासियों में पुरुष एवं महिला.....71
ग्राफ 34 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2031.....96

चित्र 1 गोरखनाथ मंदिर.....12
चित्र 2 क्षेत्रीय सेटिंग और कनेक्टिविटी.....14
चित्र 2.1 महायोजना 2021.....22
चित्र 3 मौजूदा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन साइट.....44
चित्र 4 यातायात सर्वेक्षण.....48
चित्र 5 गोरखपुर में डंपिंग साइट.....76
चित्र – 6 प्रस्तावित स्त्जै गलियारा.....83
चित्र 7 गोरखपुर में प्रस्तावित बस गलियारे.....85
चित्र 8 गोरखपुर के लिए प्रस्तावित रिंग रोड और बाईपास....86
चित्र 9 आर्टीरीअल सड़कें.....86
चित्र 10 मुख्य नगरीय मार्ग.....88
चित्र 11 प्रस्तावित 60 मीटर मार्गाधिकार.....89
चित्र 12 प्रस्तावित 45 मीटर मार्गाधिकार.....90
चित्र 13 प्रस्तावित 30 मीटर मार्गाधिकार.....90
चित्र 14 प्रस्तावित आर.ओ.बी/आर.य.बी.....91
चित्र 15 एन.एम.टी /सुविधा योजना.....92
चित्र 16 फ्रेट योजना.....93
चित्र 17 प्रस्तावित पार्किंग स्थान.....94
चित्र 18 यातायात नियंत्रण स्थान.....94

1 उद्भव एवं विकास

1.1 परिचय (स्थिति)

गोरखपुर समुद्र तल से लगभग 73 मीटर की ऊँचाई पर 83º 20' से 83º 27' पूर्वी देशांतर 26º43' से 26º 50' उत्तरी अक्षांश पर एवं राप्ती तथा रोहिन (रोहिणी) नदी के संगम पर स्थित है। बौद्व ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इसका पुराना नाम रामग्राम था, जो रामगढ़ ताल के किनारे स्थित होने के कारण प्रचलित था और रोहिनी नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित यह कोलिया वंश की राजधानी थी कालातंर में कोलिया वंश के पराभव के पश्चात् 12वीं सदी में इस नगर के उत्तरी छोर पर योगी गोरखनाथ द्वारा तपोभूमि बनाने के कारण उनके प्रभाव में इसका नाम गोरक्षपुर पड़ा। यही गोरक्षपुर समय के साथ परिवर्तित होते–होते गोरखपुर के नाम से प्रचलित हो गया। प्राचीन काल में यह नगर रेलवे लाइन के उत्तर में स्थित था। वर्ष 1954 में पूर्वोतर रेलवे जोन के मुख्यालय की यहाँ स्थापना हुई तथा सन् 1969 में नगर पालिका की स्थापना हुई।

प्रदेश के पूर्वोत्तर में स्थित यह शहर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक प्रमुख केंद्र है। गोरखपुर शहर, कोलकाता से 815 किमी., इलाहाबाद से 261 कि.मी., वाराणसी से 211 किमी., राज्य की राजधानी लखनऊ से 262 किमी पूर्व में, स्थित है। यह शहर देश के प्रमुख शहरों से सड़क और रेलवे द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जबकि कोलकाता, मुम्बई, लखनऊ, हैदराबाद एवं देश की राजधानी दिल्ली हवाई मार्गों से जुड़ा हुआ हैं।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं क्रमिक विकास

गोरखपुर शहर का नाम प्रसिद्ध संत गोरक्षनाथ से जुड़ा है, इन्हें गोरखनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो नाथ योगी संप्रदाय के एक गुरु थे। इस संप्रदाय को सिद्ध योगी या अवधूत–योगी संप्रदाय भी कहा जाता है, गुरू गोरक्षनाथ 9वीं शताब्दी ईस्वी में यहां आए थे। तब यहां पश्चिम बंगाल (810-850AD) के राजा देवपाल का शासन था। गुरू ने उस स्थान पर तपस्या करना शुरू कर दी जहां आज उनके नाम का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। प्राचीन काल में यहां एक स्थानीय देवता गोरक्षनाथ का एक मंदिर था, जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में राप्ती नदी के बाएं किनारे पर स्थित था।

चित्र 2 गोरखनाथ मंदिर

महाकाव्य काल के दौरान, यह क्षेत्र वर्तमान गोरखपुर क्षेत्र (बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल) के अन्तर्गत आता था और करुपथ के नाम से जाना जाता था, जो आर्य संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कौशल राज्य का हिस्सा था। उस समय शहर की उत्पत्ति गोरखनाथ वर्तमान मंदिर के पास हुई।

900-950 ईस्वी के दौरान मान सिंह या मदन सिंह इस क्षेत्र के शासक बने और पुराने शहर के दक्षिण में शहर बसाया। अकबर के समय तक गोरखपुर एक बड़ा नगर बन चुका था। उर्दू बाजार, मियां बाजार के आसपास दक्षिणी भाग में इसका विस्तार हुआ और ब्रिटिश राज्य होने तक अवध के सूबे में गोरखपुर सरकार का मुख्यालय बन गया। 1650 में बसंत सिंह ने बसंतपुर मोहल्ला में राप्ती के तट पर एक किला बनवाया था। 1810 में गोरखपुर सैन्य स्टेशन बन गया और शहर के पूर्व में एक छावनी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सैनिकों को फैजाबाद से यहां लाया गया और शीघ्र ही

कुछ अधिकारी कैप्टनगंज से छावनी क्षेत्र में बसने लगे। 7 सितंबर, 1869 को शहर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया और 1891 में यह गोरखपुर मंडल का मुख्यालय बन गया। 1884 में रेलवे की शुरुआत के बाद, रेलवे स्टेशन के पास शहर के उत्तर और पूर्वोत्तर भाग में बौलिया, डेयरी और बिछिया रेलवे कॉलोनियों का विकास हुआ साथ ही कुछ जगहों पर रेलवे कार्यालयों और रेलवे लोको कार्यशालाओं का निर्माण किया गया। वर्तमान में, गोरखपुर शहर का विकास मुख्यतः पूर्व और उत्तर दिशा, उत्तर–पुर्व दिशाओं में हो रहा है, क्योंकि पश्चिम में राप्ती नदी और दक्षिण में निचला और जलभराव क्षेत्र होने के कारण दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में विकास की सम्भावनाएं सीमित है।

1.3 क्षेत्रीय स्थिति और संपर्क

गोरखपुर शहर समुद्र तल से 102 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यह शहर सड़क, रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग–28 पश्चिम दिशा में लखनऊ और दिल्ली को, पूर्व दिशा में बिहार से होते हुए कोलकाता को इस शहर से जोड़ता है। गोरखपुर शहर वाराणसी और इलाहाबाद से राष्ट्रीय राजमार्ग 29 से जुड़ा है।

1.3.1 सड़क संपर्क

गोरखपुर नेपाल सीमा से लगभग 100 किमी, वाराणसी से 193 किमी, पटना से 260 किमी और लखनऊ से 273 किमी दूर स्थित है।

1.3.2 रेलवे संपर्क

गोरखपुर देश के प्रमुख शहरों से रेल नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। गोरखपुर देश की राजधानी को गुवाहाटी और कोलकाता से जोड़ने वाली मुख्य लाईन पर स्थित है। एक अन्य ब्राड–गेज लूप लाइन गोरखपुर को छपरा और सीवान के साथ–साथ भारत–नेपाल सीमा के पास रक्सौल से जोड़ती है।

1.3.3 वायु संपर्क

भारतीय वायु सेना का एक वायु सेना स्टेशन 1963 में गोरखपुर में स्थापित किया गया था जो वर्तमान में सार्वजनिक उपयोग में है और इसे महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसे भारतीय वायु सेना के गोरखपुर वायु सेना स्टेशन में एक सिविल एन्क्लेव के रूप में संचालित करता है।

1.3.4 लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम

गोरखपुर में इंट्रा–सिटी कनेक्टिविटी के लिए प्रस्तावित एलआरटीएस (लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम) में दो कॉरिडोर, श्यामनगर–सुबा बाजार और गुलरहिया–कचेहरी चौराहा प्रस्तावित हैं। दोनों कॉरिडोर के अन्तर्गत एल.आर.टी.एस. 27.41 किमी की दूरी तय करेंगे और दोनों कॉरिडोर में 27 मेट्रो स्टेशन होंगे।

1.4 जलवायु

गोरखपुर नगर हिमालय पर्वत श्रृंखला के निकट तराई क्षेत्र में स्थित है। गोरखपुर की जलवायु आद्र, उपोष्णकटिबंधीय है, जहाँ मई के महिने मे तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस और जनवी के महिने मे लगभग 09 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गोरखपुर शहर का औसत तापमान 25.57 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान 19.34 डिग्री सेल्सियस रहता है। गोरखपुर में औसत 184.7 सेमी. वर्षा होती है।

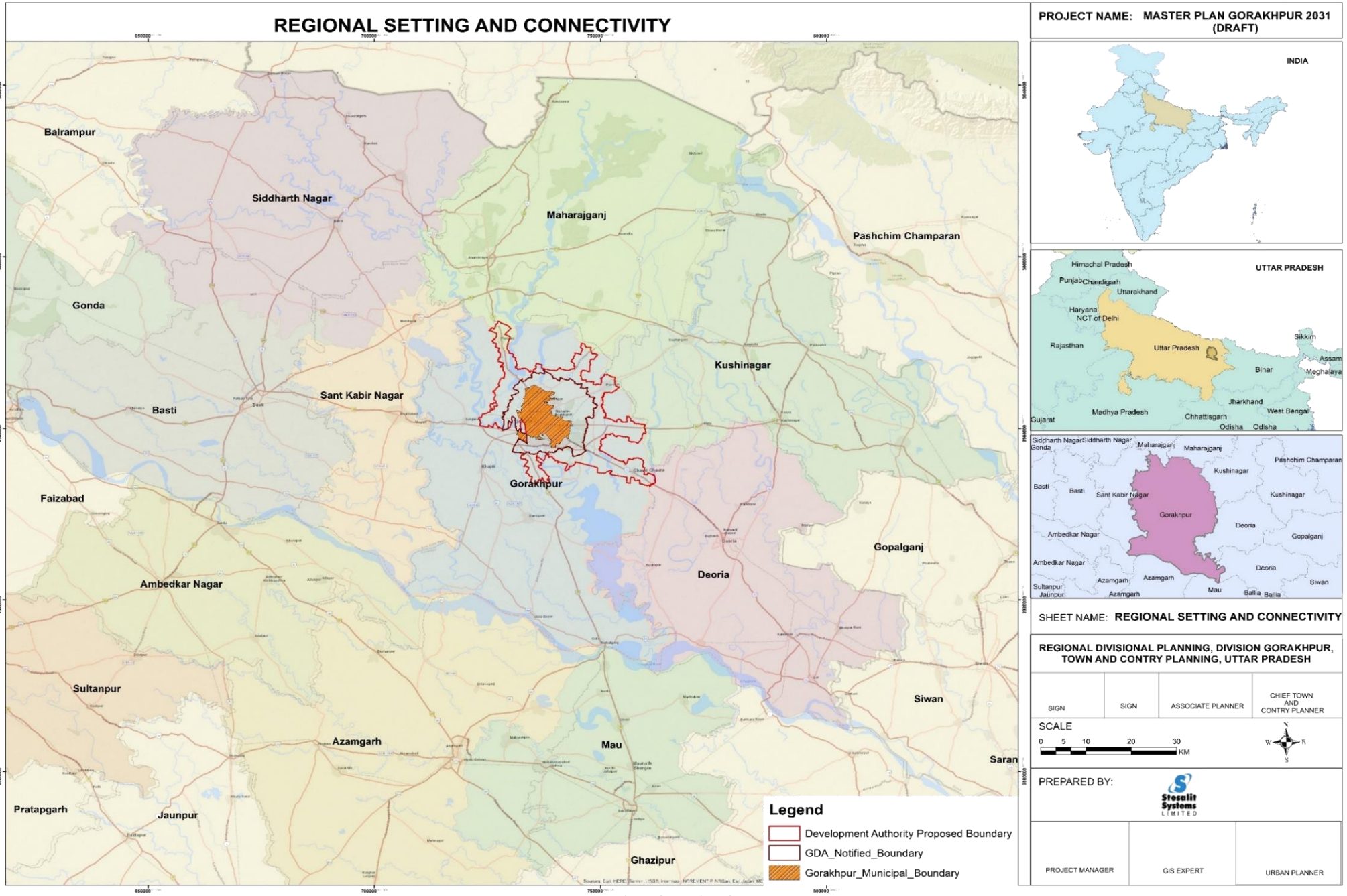

चित्र 2 क्षेत्रीय सेटिंग और कनेक्टिविटी

2 महायोजना की आवश्यकता

2.1 गोरखपुर विकास क्षेत्र

गोरखपुर नगर के सुनियोजित एवं संतुलित विकास हेतु राजकीय अधिसूचना द्वारा गोरखपुर नगरपालिका क्षेत्र तथा गोरखपुर नगर के आस पास के चतुर्दिक 02 किमी. क्षेत्र को मिलाकर गोरखपुर विनियमित क्षेत्र प्रख्यापित किया गया था। पुनः 1965 मे विनियमित क्षेत्र की सीमा बढ़ाकर नगर के चतुर्दिक 08 किमी. क्षेत्र तक शासन द्वारा प्रख्यापित कर दी गई थी। नगर के विकास की तीव्र गति के फलस्वरूप पुनः राजकीय अधिसूचना सं० 1809/37–3–44 नि०का०वि० 73 दिनांक 29 अक्टूबर 1975 द्वारा गोरखपुर विनियमित क्षेत्र की सीमा को बढ़ाकर इसके अन्तर्गत गोरखपुर नगर पालिका क्षेत्र तथा इसके चतुर्दिक गोरखपुर जनपद के गोरखपुर तहसील के अन्तर्गत आने वाले 180 ग्रामों के सम्पूर्ण क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र की सीमा मे सम्मिलित कर दिया गया। तत्पश्चात राजकीय अधिसूचना सं० 7574/37–3–43 डी०ए०//70 दिनांक 05 जनवरी 1977 द्वारा विनियमित क्षेत्र को समाप्त कर गोरखपुर विकास क्षेत्र एवं गोरखपुर विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया गया। गोरखपुर विनियमित क्षेत्र हेतु पूर्व मे तैयार की गई महायोजना 1971–2001 को गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.03.1977 मे यथावत अंगीकृत कर लागू कर दिया गया। पुनः वर्ष 2001 मे पुरानी महायोजना के अवधिकाल के समाप्ति हेतु नई महायोजना की जरूरत थी जो की अगले 20 वर्ष के नियोजन के लिए 22–6–2001 को ग्राम एवं नियोजन विभाग द्वारा बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। वर्ष 2020 में नगर पंचायत पिपराईच, पीपीगंज, मुण्डेरा बाजार तथा 233 राजस्व ग्रामों को विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया एवं वर्तमान में विकास क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 642 वर्ग किमी है जो वर्ष 1977 की तुलना में लगभग सवा दो गुना है।

2.2 महायोजना 1971–2001 और महायोजना 2001–2021

गोरखपुर शहर के लिए अब तक दो महायोजनाएं तैयार की गयी हैं महायोजना 1971–2001 एवं दूसरी महायोजना 2001–2021 है।

<u>महायोजना 2001</u>

- कुल अनुमानित जनसंख्या 6.10 लाख थी और 2011 की जनगणना के अनुसार वास्तविक जनसंख्या 6.22 लाख थी।
- शहर के उत्तरी हिस्से में रामगढ़ताल – देवरिया मार्ग के बीच शहर के विकास की दिशा अनुमानित की गयी थी।

<u>महायोजना 2021</u>

- कुल अनुमानित जनसंख्या 13 लाख थी।
- शहर के विकास की दिशा दक्षिणी क्षेत्र की ओर अनुमानित की गयी थी।

महायोजना 2001 और 2021 का विस्तृत विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:–

तालिका 3 पुरानी महायोजना भूमि उपयोग

		महायोजना 2001	महायोजना 2021	
क्रमांक		**प्रस्तावित उपयोग**	**मौजूदा उपयोग**	**प्रस्तावित उपयोग**
1	जनसंख्या	6-10 लाख	6-22 लाख	13 लाख
2	जोनिंग	5 क्षेत्रों में विभाजित		8 क्षेत्रों में विभाजित
	आवासीय	49%	72.10%	55.93%
	व्यावसायिक	4.06%	3.05%	5.85%
	औद्योगिक	11.40%	7.82%	4.89%
	संस्थागत	7.97%	2.83%	6.66%
	सार्वजनिक सुविधाये	8.07%	7.01%	8.87%
	मनोरंजन और खुली जगह	13.40%	5.12%	10.45%
	परिवहन	3.76%	0.80%	7.35%
	प्रस्तावित विकासशील क्षेत्र		वास्तविक विकसित क्षेत्र	प्रस्तावित विकासशील क्षेत्र
	6128.01 हेक्टे.		5689.12 हेक्टे.	10765.93 हे. (GIS)
3	आधारभूत संरचना			
	जलापूर्ति	755 लाख लीटर / दिन	65% आच्छदित किया गया	25500 किलोलीटर
	मलजल–पद्धति	मलजल हेतु आवश्यक प्रस्तावित भूमि 700 हेक्टेयर है।	22% आच्छादन (55 किलोमीटर)	78% क्षेत्र को आच्छादित करने के लिए सीवेज फार्म का प्रस्ताव दिया गया था।
	बिजली	2650 किलोवाट का प्रस्ताव।	क्षमता 33/11 केवी क्षमता के साथ 14 इलेक्ट्रिक सब स्टेशन।	15000 आबादी के लिए 11 किलोवाट के 72 सब स्टेशन।
	स्वास्थ्य सेवाएं	3820 स्वास्थ्य सेवा इकाई।	3229 स्वास्थ्य सेवा इकाई।	5200 स्वास्थ्य सेवा इकाई।
	आवासीय इकाइयाँ	40000 आवासीय इकाइयों (प्रतिवर्ष 2000 इकाइयां)।	110,000 परिवारों के लिए 99785 आवासीय इकाइयां।	260000 आवासीय इकाइयाँ।
	विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय की संख्या: 327।	प्राथमिक विद्यालय की संख्या: 235।	विचार नहीं किया गया।
		माध्यमक विद्यायल की संख्या: 142 ।	माध्यमिक विद्यालय की संख्या: 42	
			मिडिल स्कूल की संख्या: 218	
			महाविद्यालय–10	
4	अन्य सुविधाएं	**प्रस्तावित भू–उपयोग।**	**मौजूदा भू–उपयोग।**	**प्रस्तावित भू–उपयोग।**
	डाकघर और	विचार नहीं (जोनल	प्रधान डाकघर: 01	प्रधान डाकघर: 12

		महायोजना 2001	महायोजना 2021	
क्रमांक		प्रस्तावित उपयोग	मौजूदा उपयोग	प्रस्तावित उपयोग
	टेलीफोन	प्लान में प्रस्तावित)		
			उप–डाकघर: 57	उप–डाकघर: 73
			प्रमुख दूरसंचार कार्यालय:01	
			उप–दूरसंचार कार्यालय: 10	
	पुलिस थाना	प्रस्तावित भू–उपयोग	मौजूदा भू–उपयोग।	प्रस्तावित भू–उपयोग।
		विचार नहीं (जोनल प्लान में प्रस्तावित)	पुलिस थानों की संख्या: 09	मानकों के अनुसार प्रदान किया जाना है।
			पुलिस चौकी संख्या: 39	
			पुलिस लाइन: 01	
5	संस्थाएं (कार्यालय)	प्रस्तावित भू–उपयोग	मौजूदा भू–उपयोग।	प्रस्तावित भू–उपयोग।
		7.97% भूमि का प्रस्ताव है	केंद्र सरकार के कार्यालयों की संख्या: 45	6.66% भूमि का प्रस्ताव है।
			राज्य सरकार कार्यालयों की संख्या: 183	
			स्थानीय सरकारी कार्यालयों की संख्या: 122	

2.3 महायोजना 2021 में प्रस्तावित सड़कें

तालिका 4 महायोजना 2021 में प्रस्तावित सड़कें

क्र.स.	सड़क का नाम	2001 में प्रस्तावित चौड़ाई	2021 में प्रस्तावित चौड़ाई	भू–उपयोग	
				2001	2021
1	देवरिया बाईपास	45	45	कृषि	सड़क
2	रिंग रोड–रामगढ़ ताल परियोजना	30	30	कृषि	सड़क
3	राष्ट्रीय राजमार्ग–28 से कजाकपुर	30	30	कृषि	सड़क
4	देवरिया मार्ग – प्रान्तीय राजमार्ग संख्या–01 नगर के अन्दर नगर के बाहर	 30 45	 30 60	 सड़क सड़क	 सड़क सड़क
5	देवरिया मार्ग संख्या–01 से देवरिया बाईपास मार्ग तक–उपमार्ग	24	24	कृषि	कृषि
6	राष्ट्रीय राजमर्गा संख्या–28 नगर के अन्दर	 75	 75	 सड़क	 सड़क

क्र.स.	सड़क का नाम	2001 में प्रस्तावित चौड़ाई	2021 में प्रस्तावित चौड़ाई	भू–उपयोग	
				2001	2021
	नगर के बाहर	75	100	सड़क	सड़क
7	रुस्तमपुर ढाला से मझौली कोठी चौराहा मार्ग	18	18	सड़क	सड़क
8	राष्ट्रीय राजमर्गा संख्या–28 पर परिवहन नगर चौराहा से रीड धर्मशाला होते हुए पैडलेगंज चौराहा मार्ग तक	24	24	सड़क	सड़क
9	अलहदादपुर चौराहा से घण्टाघर होते हुए मलौनी बंधा तक	12	12	सड़क	सड़क
10	बैंक रोड चौराहा से बक्शीपुर चौराहा होते हुए घासी कटरा तक	18	18	सड़क	सड़क
11	घासी कटरा चौराहा से रेलवे क्रासिंग होते हुए गोरखनाथ मन्दिर के पश्चिम से नौतनवां मार्ग तक का रुसालपुर मार्ग	12	12	सड़क	सड़क
12	धर्मशाला चौराहा से कसाया मार्ग में मिलने वाला गोलघर मुख्य मार्ग	30	30	सड़क	सड़क
13	गोलघर स्थित गणेश चौराहा से विश्वविद्यालय गोल्फ ग्राउण्ड तक का मार्ग (पार्क रोड)	30	30	सड़क	सड़क
14	धर्मशाला चौराहा से सीसीएस कार्यालय स्टेशन मार्ग	30	30	सड़क	सड़क
15	पैडलेगंज चौराहा से विश्वविद्यालय के पूर्व भाग होकर सीसीएस आफिस के पश्चिम से होते हुए रेलवे वर्कशाप के पूरब से रेलवे रिंग रोड में मिलने वाला मार्ग	30	30	सड़क	सड़क
16	स्टेडियम चौराहा से चारफटक होते हुए असुरन चौराहा पर मिलने वाला मार्ग	30	30	सड़क	सड़क
17	धर्मशाला बाजार से असुरन चौराहा होते हुए खजांची चौराहा तक महराजगंज मार्ग	30	30	सड़क	सड़क
18	खजाची चौराहा से झुगिया गेट तक महराजगंज मार्ग	36	36	सड़क	सड़क
19	झुगिया गेट से प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा होते हुए आगे महराजगंज मार्ग	45	60	सड़क	सड़क
20	धर्मशाला चौराहा से गोरखनाथ ओवर ब्रिज होते हुए रसूलपुर मार्ग तिराहा तक सोनौली मार्ग	24	30	सड़क	सड़क

क्र.स.	सड़क का नाम	2001 में प्रस्तावित चौड़ाई	2021 में प्रस्तावित चौड़ाई	भू–उपयोग	
				2001	2021
21	रसूलपुर मार्ग तिराहा से डीआर केमिकल चौराहा तक सोनौली मार्ग	30	30	सड़क	सड़क
22	डीआर केमिकल चौराहा से मोहरीपुर से उत्तर मिलने वाले बाईपास तक सोनौली मार्ग	36	36	सड़क	सड़क
23	एनएच –28 से मलौनी बन्धा होते हुए से इलाहीबाग के दक्षित से रेलवे क्रॉसिंग होकर मोहरीपुर बाजार पर सोनौली मार्ग से मिलने वाला बाईपास मार्ग	45	45	बांध	बांध मार्ग
24	तरंग क्रॉसिंग से बशारतपुर होते हुए महराजगंज मार्ग पर एच.एन. सिंह चौराहा तक मिलने वाला मार्ग	18	24	सड़क	सड़क
25	सोनौली मार्ग के बाईपास मार्ग से निकल कर औद्योगिक क्षेत्र होते हुए नकहा जंगल होकर खजांची चौराहे से आगे पिपराईच मार्ग पर पादरी बाजार से मिलने वाला बाईपास मार्ग	36	36	कृषि	सड़क
26	वर्तमान सोनौली बाईपास मार्ग नकहा जंगल ग्राम के आबादी के पूर्वीभाग होकर भारतीय उर्वरक निगम के पूर्वी द्वार तक	24	24	कृषि	खुली क्षेत्र
27	पदारी बाजार के पूर्वी भाग से निकल कर एनएच 28 पर अपरिभाषीत क्षेत्र के पूर्वी सीमा होते हुए देवरिया मार्ग तक	45	45	कृषि	कृषि
28	झुंगिया बाजार–मेडिकल कॉलेज के उत्तरी भाग से प्रारम्भ होकर भारतीय उर्वरक निगम तक जाने वाला मार्ग	30	30	सड़क	सड़क
29	मेडिकल कॉलेज के उत्तर प्रस्तावित सामान्य व्यवसायिक भू–उपयोग से उत्तर महराजगंज मार्ग का प्रस्तावित बाईपास मार्ग जो पिपराइच मार्ग पर मिलता है	30	30	कृषि	कृषि
30	प्रस्तावित उप बाईपास मार्ग से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर मेडिकल कॉलेज से दक्षिण प्रस्तावित मार्ग पर मिलने वाला मार्ग	–	24	–	कृषि
31	मेडिकल कॉलेज से दक्षिण महराजगंज मार्ग से प्रारम्भ होकर पिपराइच मार्ग पर प्रस्तावित	–	30	–	कृषि

क्र.स.	सड़क का नाम	2001 में प्रस्तावित चौड़ाई	2021 में प्रस्तावित चौड़ाई	भू–उपयोग	
				2001	2021
	सामुदायिक सुविधा भू–उपयोग से पश्चिम सटे पिपराईच मार्ग पर मिलने वाला मार्ग				
32	पादरी बाजार से दक्षिण पिपराइच मार्ग से निकल कर एयरफोर्स कॉलोनी तक का मार्ग	–	24	–	कृषि
33	असुरन चौराहा से पिपराइच–कप्तानगंज मार्ग नगर के अन्दर नगर के बाहर	 18 30	 30 60	 सड़क सड़क	 सड़क सड़क
34	खजांची चौराहा से पिपराईच मार्ग के मध्य प्रस्तावित मंडलीय केन्द्र के दक्षिण–पूर्व पिपराइच मार्ग से प्रारम्भ होकर उत्तर–पूर्व में महराजगंज मार्ग–पिपराईच मार्ग को मिलाने वाले बाईपास मार्ग तक	–	18	–	कृषि
35	पिपराइच मार्ग–खजांची चौराहा मार्ग पर प्रस्तावित मडलीय केन्द्र के पश्चिम में मार्ग से प्रारम्भ होकर उत्तर में मेडिकल कॉलेज के दक्षिणी में प्रस्तावित उपमार्ग तक	–	24	–	कृषि
36	मेडिकल कालेज उपमार्ग पर उत्तर में प्रस्तावित क्षेत्रीय पार्क के पूरब, दक्षिण से प्रारम्भ होकर महराजगंज मार्ग–एनएच–28 तक प्रस्तावित बाईपास मार्ग तक	–	24	–	कृषि
37	मेडिकल कालेज उपमार्ग से प्रारम्भ होकर मेडिकल कालेज से पूरब सटे प्रस्तावित कार्यालय भू–उपयोग से पूरब होकर महराजगंज मार्ग से एनएच–28 तक प्रस्तावित बाईपास मार्ग तक	–	24	–	कृषि
38	वाह्य रिंग रोड–राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नगर के दक्षिणी भाग से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–28 का प्रस्तावित बाईपास मार्ग का विस्तार करते हुए सम्पूर्ण नगर हेतु एक वाह्य रिंग रोड	–	100	–	कृषि

*तालिका 3 महायोजना **2021** में भू–उपयोग प्रस्ताव*

भूमि उपयोग	2001	(कुल का %)	2021	(कुल का %)	वृद्धि %
आवासीय	3023	49.3	5339	55.94	76.61
व्यावसायिक	249	4.1	408	4.27	63.86
औद्योगिक	699	11.4	466	4.88	-33.33
सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक	983	16	1483	15.54	50.86
हरित क्षेत्र और खुले स्थान	944	15.4	998	10.46	5.72
यातायात और परिवहन	230	3.8	701	7.34	204.8
मिश्रित	0	0	150	1.57	
कुल	6128	100-0	9545	100-00	55-76

विद्यमान सड़कों की कुल संख्या 27 है एवं प्रस्तावित की कुल संख्या 12 हैं।

2.4 महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता

गोरखपुर की प्रथम महायोजना 1971–2001 की समयावधि के लिए तैयार की गयी थी और विकास प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर व्यवस्थित विकास को सुनियोजित करने के लिए महायोजना 2001–2021 तैयार की गयी थी। वर्ष 2021 के लिए महायोजना तैयार की गयी है, जिसे अब बढ़ती जरूरतों और मांग को पूरा करने के साथ–साथ प्रस्तावित भू–उपयोग के अनुसार उचित विकास सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है। पुनरीक्षित महायोजना में मौजूदा महायोजना के सभी विचलन और बदलावों को ध्यान मे रखा गया है । गोरखपुर विकास प्राधिकरण का क्षेत्रफल बढ़ाकर 643 वर्ग किमी कर दिया गया है, जिसमें गोरखपुर नगर निगम, पीपीगंज नगर पंचायत, पिपराइच नगर पंचायत, मुंडेरा बाजार नगर पंचायत और 319 गांव शामिल हैं।

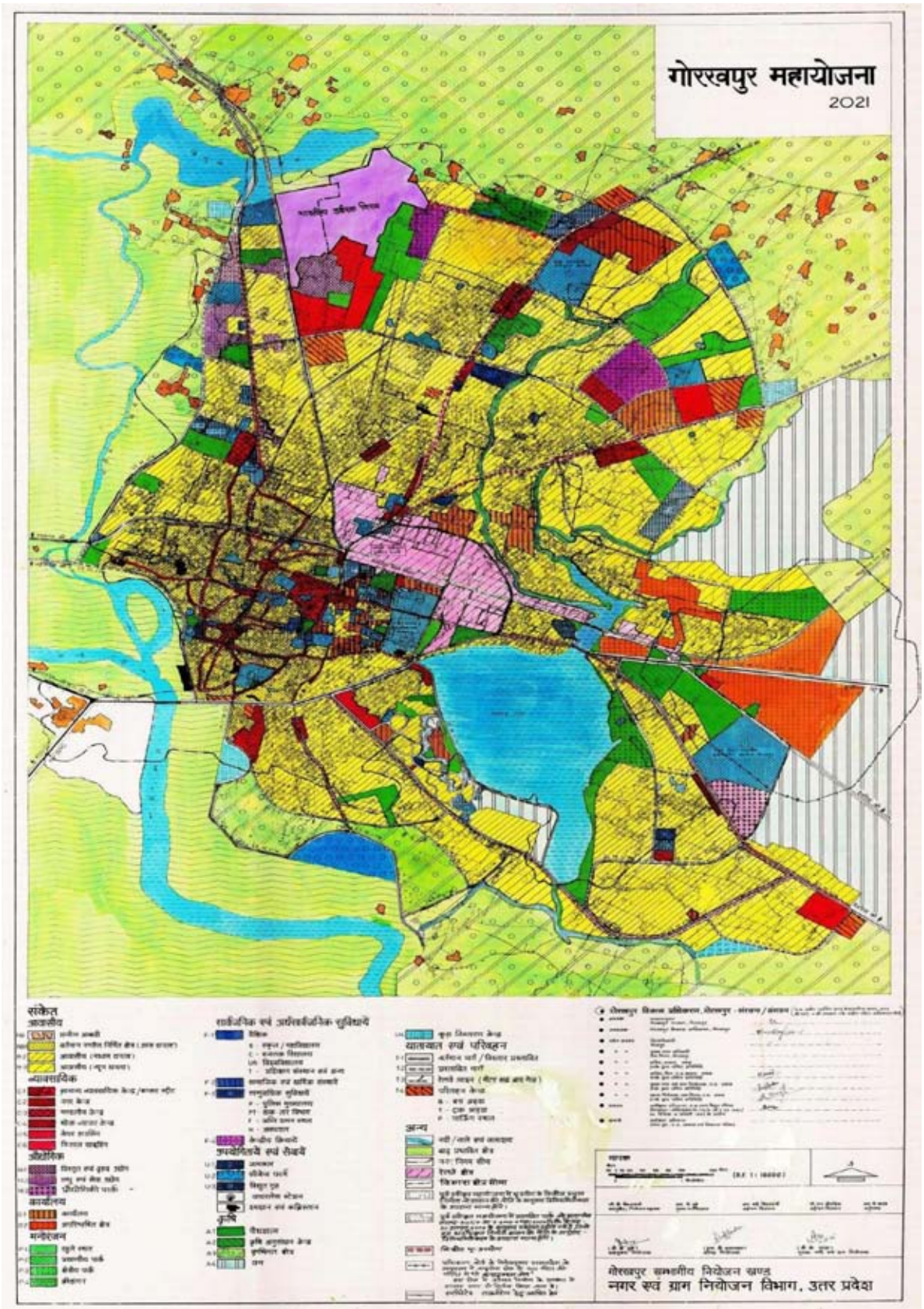

गोरखपुर महायोजना
2021
संकेत
आवासीय
व्यावसायिक
औद्योगिक
कार्यालय
मनोरंजन
सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधायें
उपयोगितायें एवं सेवायें
कृषि
यातायात एवं परिवहन
अन्य
गोरखपुर सम्भागीय नियोजन खण्ड
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

चित्र 2.1 महायोजना

3 वर्तमान अध्ययन

3.1 जनसंख्या

मनुष्य की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओ का आकलन एवं तदनुसार सुविधाओ के निर्धारण के लिए किसी नगर की महायोजना बनाने में उस क्षेत्र की विद्यमान जनसंख्या की विशिष्टताओं का अध्ययन एवं जनसंख्या प्रक्षेपण अति आवश्यक है। महायोजना तैयार करते समय गोरखपुर नगर की जनसंख्या से सम्बन्धित विस्तृत अध्ययन किया गया है तथा योजना काल में नगर की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है।

तालिका 4 गोरखपुर की वर्तमान जनसंख्या एवं विकास दर

शहर का नाम	वर्ष					
	1961	1971	1981	1991	2001	2011
गोरखपुर	180255	230911	307501	505566	622701	673446
वृद्धि दर		28.17%	33.17%	64.41%	23.17%	8.50%

स्रोत: गोरखपुर की जनगणना 2011

महायोजना के क्षेत्र में गोरखपुर नगर निगम, पीपीगंज नगर पंचायत, पिपराइच नगर पंचायत, मुंडेरा बाजार नगर पंचायत और 319 राजस्व ग्रमों को सम्मिलित किया गया है, इन 319 राजस्व ग्रमों को आगे शहरीकरण योग्य ग्रमों, राजमार्गों से सटे ग्रमों और शेष ग्रमों के रूप में चिन्हित किया गया है, इनकी जनसंख्या को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:–

तालिका 5 गोरखपुर की जनसंख्या

क्र.स.	श्रेणी	वर्ष		
		1991	**2001**	**2011**
1.	गोरखपुर नगर निगम	505566	622701	673446
2.	नगर निगम सीमा में शामिल 31 गांव	33285	51152	101104
3.	प्रस्तावित शहरीकरण योग्य गांव	56627	89274	151016
4.	पिपीगंज नगर पंचायत	8341	11398	13517
5.	प्रस्तावित शहरीकरण योग्य गांव	17183	22911	28457
6.	मुंडेरा बाजार नगर पंचायत	9951	11228	10818
7.	प्रस्तावित शहरीकरण योग्य गांव	4197	14417	16596
8.	पिपराइच नगर पंचायत	12315	14829	15621
9.	प्रस्तावित शहरीकरण योग्य गांव	4041	13399	15886
10.	राजमार्गों के किनारे के गांव	169226	274940	328670
11.	बाकी गांव	109455	109392	136676
योग		930187	1235641	1491807

3.2 जनसंख्या वृद्धि दर

जनसंख्या वृद्धि दर का अध्ययन महोयोजना तैयार करते समय अति महत्वपूर्ण है क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशकों में शहर के विकास की प्रवृत्ति को दर्शाती है। गोरखपुर शहर पुर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों मे सम्मिलित है। किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि मुख्यतः निम्न कारकों पर निर्भर करती है:

- जन्म दर में वृद्धि
- मृत्यु दर में कमी
- प्रवासन दर में वृद्धि/कमी
- क्षेत्र के विलय/विभाजन के कारण वृद्धि या कमी

गोरखपुर शहर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का मुख्य कारण गोरखपुर शहर में स्थापित उद्योग है। गोरखपुर शहरी क्षेत्र की दशकिय जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:–

ग्राफ 10 जनसंख्या वृद्धि

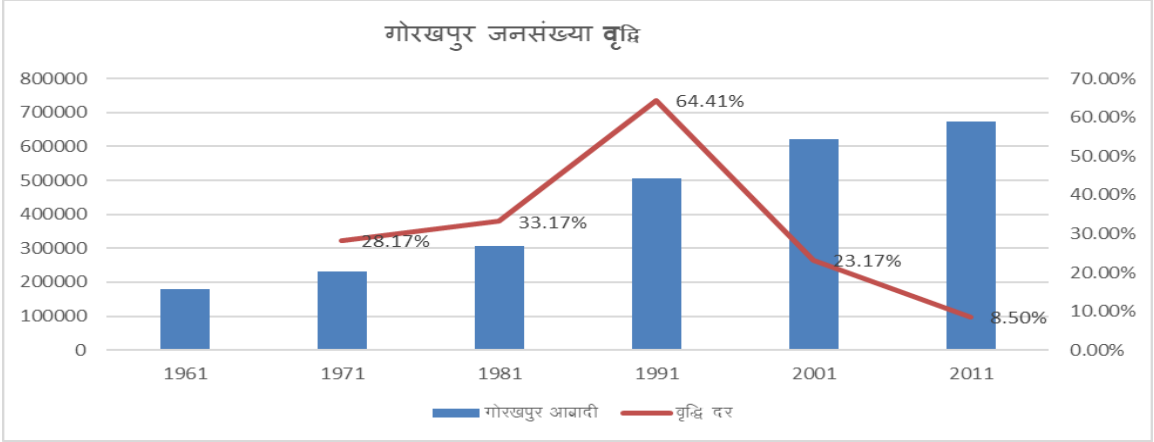

3.3 जनसंख्या घनत्व

2011 की जनगणना के अनुसार गोरखपुर नगर निगम में जनसंख्या घनत्व 48 व्यक्ति प्रति ह्रेक्टेयर है, नगर पंचायत पीपीगंज में जनसंख्या घनत्व 23 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है, नगर पंचायत पिपराइच में जनसंख्या घनत्व है 20 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर एवं नगर पंचायत मुंडेर बाजार में जनसंख्या घनत्व 18 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। संपूर्ण योजना क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 56 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। गोरखपुर जिले का जनसंख्या घनत्व 13 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है।

ग्राफ 11 प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व

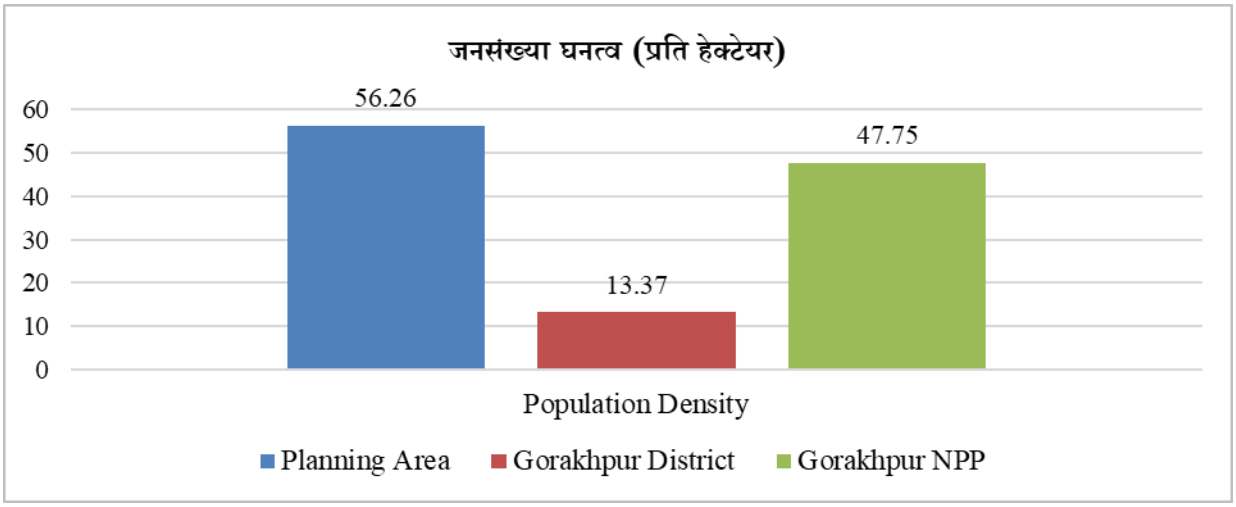

उपरोक्तानुसार ज्ञात होता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गोरखपुर शहर का जनसंख्या घनत्व 48 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है, जो कि URDPFI दिशा निर्देशों के अनुसार अनुमन्य सीमा के अन्दर है।

3.4 जन्म और मृत्यु दर

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण प्रत्येक व्यक्ति के आधिकारिक अस्तित्व के प्रमाण के रूप में महत्वपूर्ण है जिसकी सहायता से सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ आम नागरिक तक पहुँचाया जाता है। जन्म और मृत्यु दर के डेटा संकलन से किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या के आकार की गणना में सहायता मिलती है। जन्म और मृत्यु के डेटा का संकलन नगरिय निकाय एवं नगर पंचायत द्वारा किया जाता है।

तालिका 6 गोरखपुर शहर की जन्म और मृत्यु दरें

क्रमांक	वर्ष	जन्म की संख्या	जन्म दर (%)	मृत्यु की संख्या	मृत्यु दर (%)
1	2014	19006	28.22	5064	7.51
2	2015	23110	34.31	5564	8.26
3	2016	20655	30.67	5744	8.52
4	2017	8273	12.28	3518	5.22
5	2018	22569	33.51	6648	9.87
6	2019	25766	38.25	6080	9.02
	Total	119379		32618	

स्रोत: नगर निगम गोरखपुर 2020 जन्म और मृत्यु दर

ग्राफ 12 जन्म और मृत्यु दर

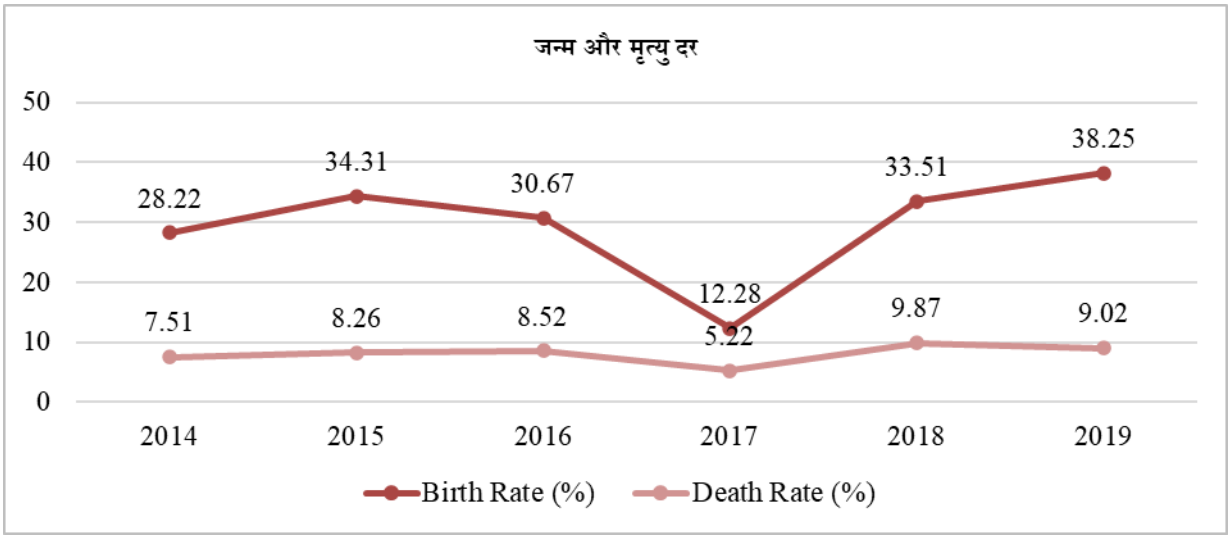

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि गोरखपुर में मृत्यु–दर तो नीचे आयी है, लेकिन जन्म–दर में ह्रास मंद से गति हो रही है। जन्म–दर की तुलना में मृत्यु–दर में कमी के निम्न कारण हैं–शहर में मलेरिया, हैजा, चेचक, प्लेग जैसी महामारियों को नियंत्रित कर लिया गया है। नई और प्रभावशाली ओषधियों का निर्माण व उपयोग किया जा रहा है। मृत्यु–दर का घटने का मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार है। शिक्षा के प्रसार ने भी मृत्युदर को कम करने में सहायता की है क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरुक हैं।

3.5 परिवार एवं आवासीय इकाईयाँ

एक आवास इकाई एक बड़ी आवास संरचना के भीतर एक एकल इकाई है जहां एक व्यक्ति या परिवार इसका उपयोग खाने, सोने और रहने के लिए करता है। हमारे देश में परिवार संरचना को एक व्यक्ति से लेकर पाँच व्यक्तियों वाले परिवारों के रूप में देखा जा सकता है। विवाह, वंशावली, स्वामित्व और शासनाधिकार के विभिन्न रूपों के आधार पर परिवारों के विभिन्न रूप और प्रकार हो जाते हैं।

तालिका 7 गोरखपुर में घरों का वर्गीकरण

2011 की जनगणना के अनुसार घरों का वर्गीकरण			
जनगणना परिवार	अच्छा	रहने योग्य	जीर्ण–शीर्ण
112241	76324	32550	3367

ग्राफ 13 घरेलू स्थिति

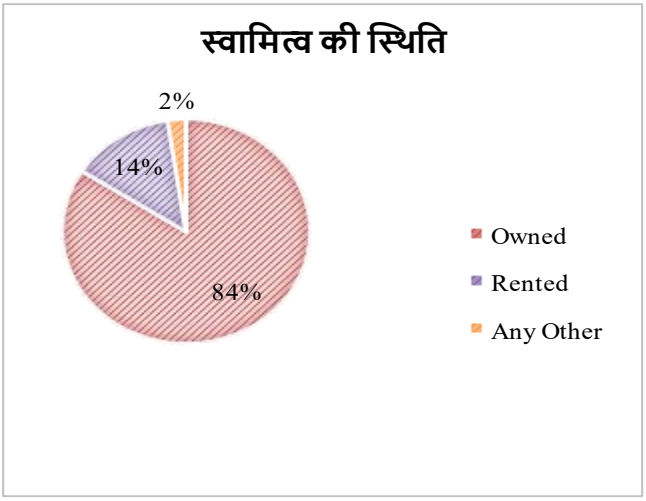

ग्राफ 14 स्वामित्व की स्थिति

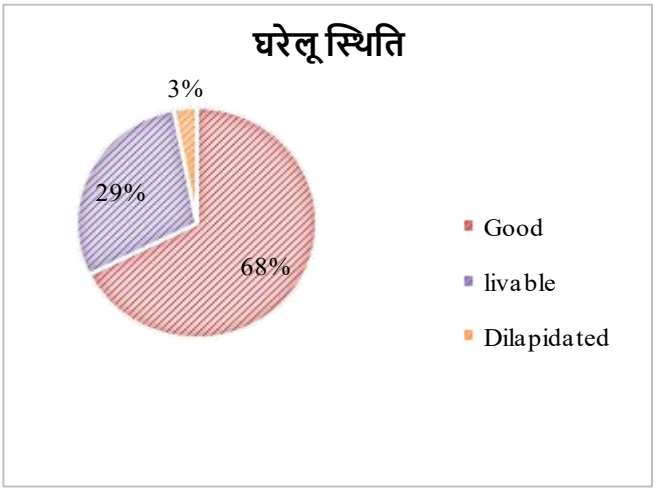

गोरखपुर न.नि. में 3% घर जीर्ण–शीर्ण, रहने योग्य 29% और 68% घर अच्छी स्थिति में हैं।

तालिका 8 घरेलू आकार

वर्ष	शहरी आबादी	परिवार का आकार (%)							घरेलू विकास दर (%)	जनसंख्या वृद्धि दर (%)
		1	2	3	4	5	6.8	9		
2011	673446	1.9	4.6	7.7	17.1	19.7	34.3	14.8	20.22%	0.15

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

2001-2011 के दशक के दौरान, घरेलू वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक थी। यह शायद समाज में एकल परिवारों की संख्या अधिक होने का संकेत है।

तलिका में घरेलू आकार के विभिन्न श्रेणियों को दर्शाया गया है। ऊपर दिए गए डेटा को एकल, युगल और विस्तारित घरों में सारणीबद्ध किया गया है। इसलिए यह देखा जा सकता है कि गोरखपुर नगर निगम में 34.3% घर हैं जिनमें 6.8 सदस्य हैं, अर्थात 38161 घर हैं और 14.8% नौ से अधिक सदस्यों वाले घर है यानी 15713 घर है।

3.6 लिंग अनुपात

जनसंख्या का लिंगानुपात जन्म, मृत्यु, आप्रवास और उत्प्रवास दर को प्रभावित करता है और इनसे प्रभावित भी होता है। यह एक लिंग के व्यक्तियों की संख्या के दूसरे लिंग के व्यक्तियों की संख्या अनुपात के रूप में या प्रत्येक में आवंटन के अनुपात के रूप में मापा जाता है। नीचे दी गई तालिका शहर के लिंगानुपात को दर्शाती है।

तालिका 9 लिंग अनुपात

लिंगानुपात			
	1991	2001	2011
गोरखपुर न.नि.	856	888	903
उत्तर प्रदेश (शहरी)	879	912	894

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

ग्राफ 15 लिंग अनुपात

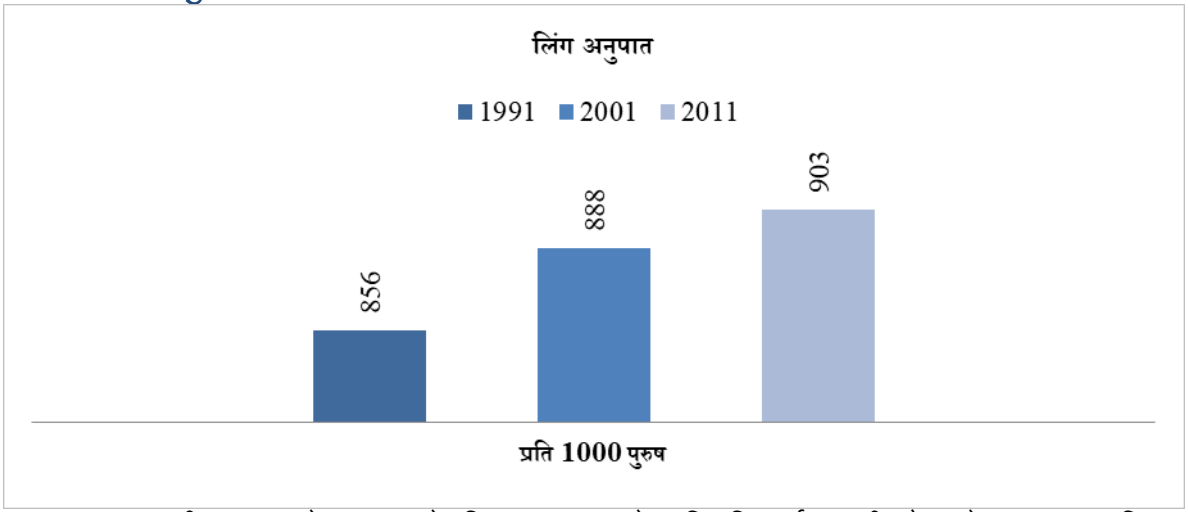

2001 की तुलना में 2011 में लिंग अनुपात में वृद्वि दिखाई पड़ती है। गोरखपुर का लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र के लिंग अनुपात से अधिक है। इसका मुख्य कारण महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधाओं में किये गये सुधार को दिया जा सकता है।

3.7 साक्षरता दर

2011 की जनगणना के अनुसार गोरखपुर की साक्षरता निम्नानुसार है :–

तालिका 10 शहर की साक्षरता दर

शहर का नाम	साक्षरों की संख्या			अशिक्षितो की संख्या			साक्षरता (प्रतिशत में)		
	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला
गोरखपुर	5,06,694	2,81,118	2,25,576	166752	72789	93953	75	55.5	44.5

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

ग्राफ 16 साक्षरता दर (पुरुष बनाम महिला)

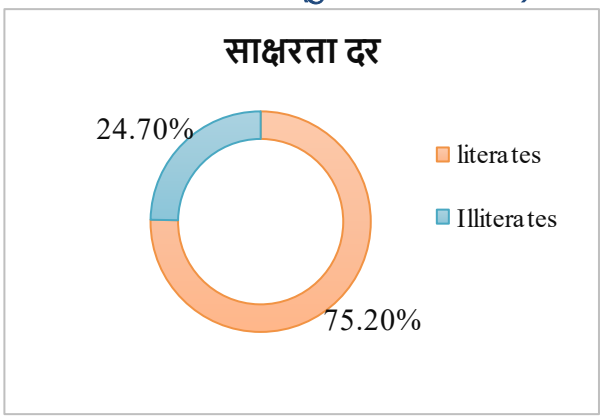

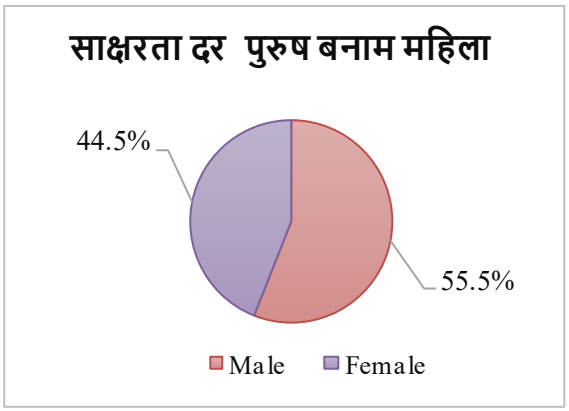

उक्त पाई चार्ट से ज्ञात होता है कि गोरखपुर की साक्षरता दर 75.2% है, जो उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र की औसत साक्षरता दर के बराबर है।

3.8 श्रमशक्ति रूपरेखा

विकासशील देशों में श्रम बल में परिवर्तनों के विश्लेषण में जनसांख्यिकीय और गैर–जनसांख्यिकीय कारक महत्वपूर्ण होते हैं। जनसांख्यिकीय कारकों के अधीन जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर सीधे कार्य भागीदारी दरों को प्रभावित करती है। दूसरी ओर, अर्थव्यवस्था को विकसित करने के प्रारंभिक प्रयास, स्कूलों में नामांकन का विस्तार, स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं में सुधार, शहरीकरण में वृद्धि के कारण बेरोजगारी दर में गिरावट हो सकती है।

3.8.1 श्रमशक्ति भागीदारी

2011 की जनगणना के अनुसार गोरखपुर शहरी क्षेत्र में श्रमशक्ति 31% है।

तालिका 11 कुल श्रमिकों और गैर–श्रमिक

शहर का नाम	कुल कामगार			गैर कामगार		
	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला
गोरखपुर	2,08,555	1,66,300	42,255	4,64,891	1,87,607	2,77,284

ग्राफ 17 कार्यकर्ता और गैर श्रमिक (पुरुष बनाम महिला)

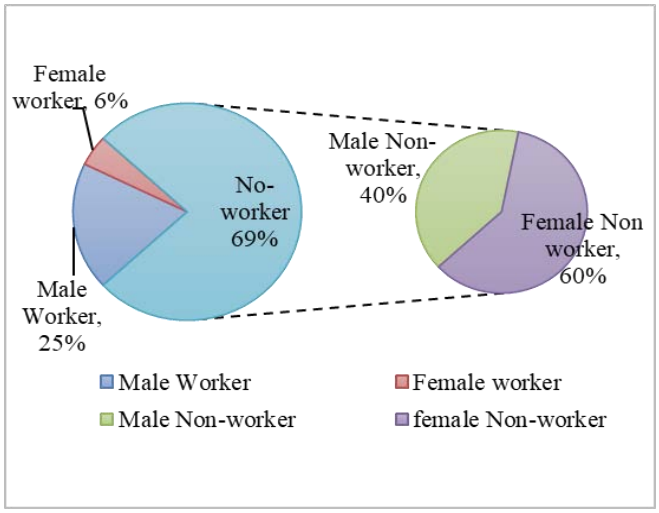

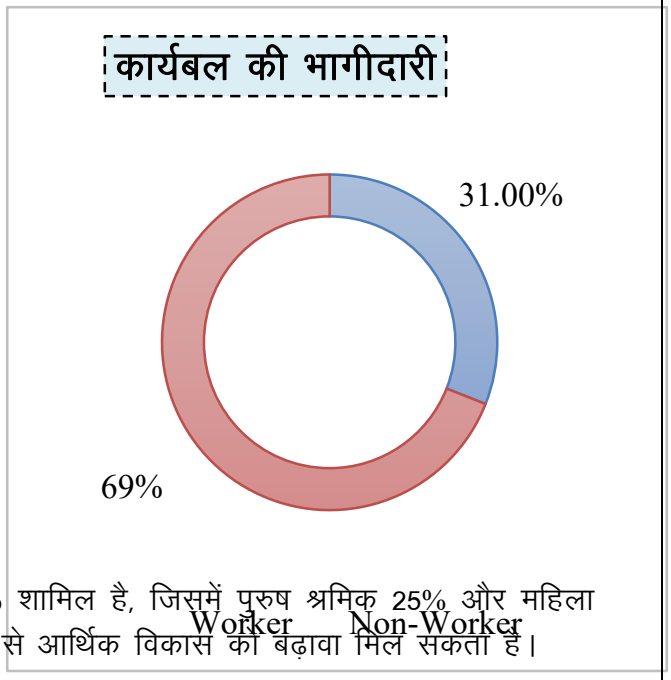

स्रोत भारत की जनगणना 2011

गोरखपुर के श्रमशक्ति में कुल जनसंख्या का 31% शामिल है, जिसमें पुरुष श्रमिक 25% और महिला श्रमिक केवल 6% हैं। महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

3.8.2 श्रमशक्ति की भागीदारी की प्रवृत्ति

शहर में कार्यबल की भागीदारी की प्रवृत्ति को समझने के लिए पिछले कार्यबल भागीदारी विश्लेषण और तुलना की आवश्यकता है। इसलिए नीचे दी गई तालिका भारत की जनगणना के अनुसार 1991, 2001 एवं 2011 में शहर में श्रमिकों की संख्या दर्शाती है ।

तालिका 12 श्रमिकों की संख्या

श्रमिकों की कुल संख्या									
	2011			2001			1991		
	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला
गोरखपुर	208555	1,66,300	42,255	142619	129719	12900	120486	111689	8797

स्रोत: गोरखपुर 2001 की जनगणना

ग्राफ 18 कार्यबल भागीदारी की प्रवृत्ति

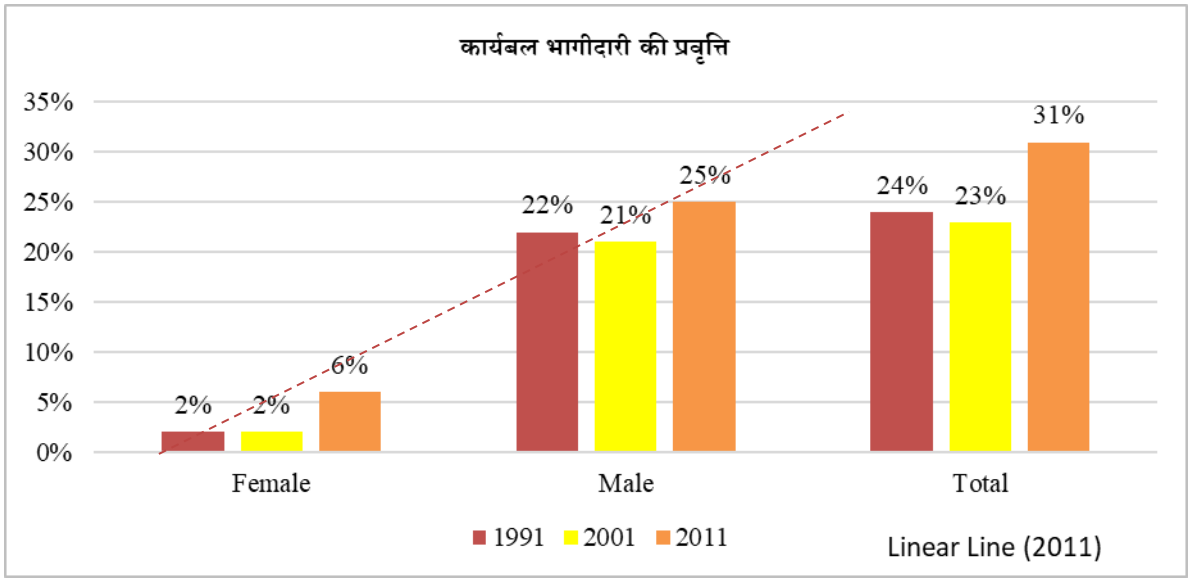

ऊपर दिए गए चार्ट के अनुसार यह देखा जाता है कि 2011 में कुल जनसंख्या में श्रमिकों की संख्या केवल 31% है, जो 2001 में 23% से अधिक है। यह शायद बढ़े हुए प्रवासन या रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण है। जबकि 2001–2011 के दौरान पुरुषों में कार्य भागीदारी दर 21% से मामूली रूप से बढ़कर 25% हुई महिलाओं में यह इसी अवधि के दौरान 2% से 6% तक थोड़ा सुधार हुआ।

3.8.3 महिला कार्यबल की प्रवृत्ति

महिला कार्यबल की प्रवृत्ति दर महिला रोजगार, शिक्षा, लिंग संबंधी नीतियों, सामाजिक मानदंडों और रोजगार सृजन की प्रकृति जैसे कई कारकों से प्रेरित होता है। नीचे दिया गया ग्राफ 2001 और 2011 में महिला श्रमिकों की संख्या दर्शाता है।

ग्राफ 10 महिला कार्यबल

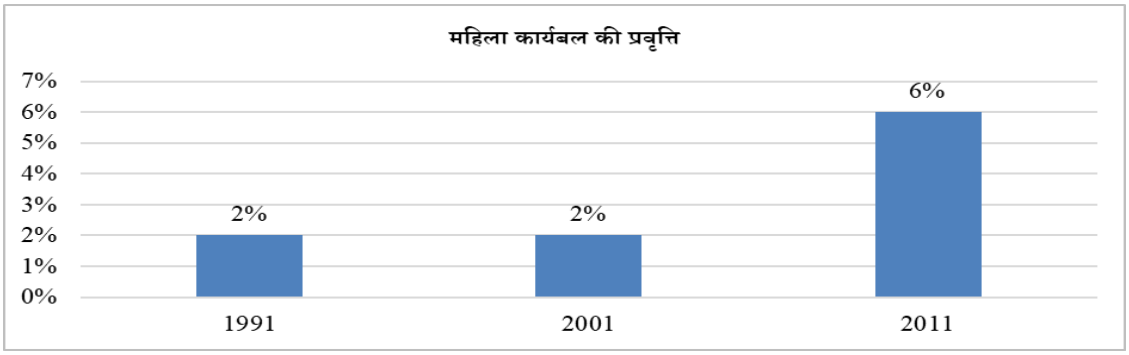

उपरोक्त ग्राफ से, यह पता चलता है कि 1991-2001 की अवधि के दौरान महिला कार्य भागीदारी दर स्थिर थी, जबकि 2001 में यह 2% से 2011 में 6% हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाएं महत्वपूर्ण और उत्पादक हैं लेकिन उनकी रोजगार की स्थिति संकटपूर्ण है क्योंकि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। भूमि, ऋण, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल जैसे उत्पादक संसाधनों की असमान पहुंच, नियंत्रण और स्वामित्व काम का असमान बोझ घर के भीतर उपभोग संसाधनों का असमान वितरण महिलाओं को पुरुषों से अलग करने वाले प्रमुख कारक हैं। रोजगार में वृद्धि और आर्थिक और अन्य उत्पादक सम्पदाओ तक पहुंच महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सोपान हैं।

3.9 श्रमशक्ति श्रेणी

2011 की जनगणना के अनुसार, कामगारों की रूपरेखा को तीन श्रेणियों में बांटा गया है जैसे मुख्य कामगार, सीमांत कामगार और गैर कामगार मुख्य कामगार वे थे जिन्होंने गणना की तारीख से पहले वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम किया था, अर्थात वर्ष के दौरान 183 दिनों (या छह महीने) या उससे अधिक के लिए किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में लगे हुए थे। सीमांत कामगार वे थे जिन्होंने गणना से

पहले के वर्ष में किसी भी समय काम किया था, लेकिन वर्ष के एक बड़े हिस्से के लिए काम नहीं किया, यानी जिन्होंने 183 दिनों (या छह महीने) से कम समय तक काम किया और दूसरे स्थान पर प्रवास भी किया। गैर–कामगार वे थे जिन्होंने गणना की तारीख से पहले के वर्ष में कभी भी काम नहीं किया था। इन श्रेणियों को फिर चार उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे कि कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू उद्योग के कामगार और अन्य कामगार।

तालिका 13 मुख्य और सीमांत कार्यकर्ता

शहर का नाम	मुख्य कामगार			सीमांत कामगार		
	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला
गोरखपुर	1,57,624	1,32,967	24,657	50,931	33,333	17,598

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

ग्राफ 11 मुख्य और सीमांत (पुरुष बनाम महिला) श्रमिक

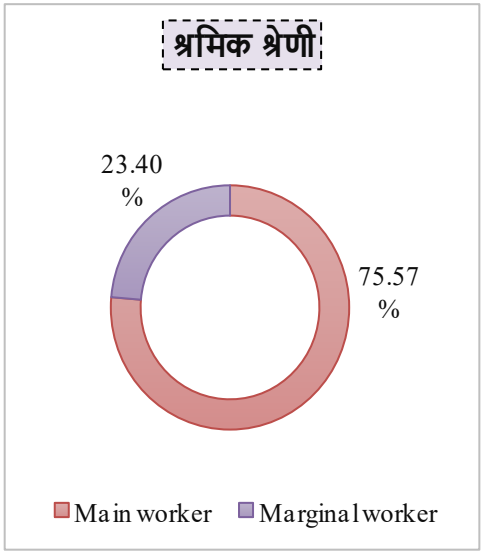

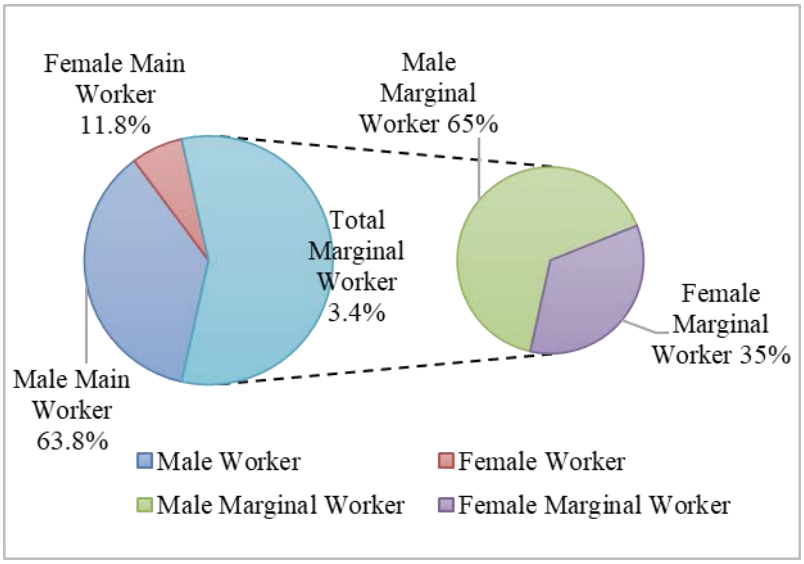

ऊपर दिया गया ग्राफ दिखाता है कि शहर में मुख्य कामगार कुल कामगारों का 75.5% है। मुख्य पुरुष कामगारों की कुल संख्या 63.7% हैं, 11.8% महिलाएं हैं, और सीमांत कामगार केवल 24.3% हैं।

3.10 श्रमशक्ति का स्वरूप

हमने देखा है कि पाई चार्ट में गोरखपुर में मुख्य और सीमांत कामगार क्रमशः 75.5% और 23.4% हैं। इसके अलावा, मुख्य और सीमांत कामगारों दोनों को कृषक, खेतिहर मजदूर, घरेलू उद्योग कामगार और अन्य में वर्गीकृत किया गया है। जनगणना के अनुसार, आर्थिक गतिविधियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया हैं।

काश्तकारों को उस व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो सरकार स्वामित्व वाली अथवा सरकार से धारित या निजी व्यक्तियों या संस्थानों से धारित भूमि में पैसे, वस्तु या हिस्सेदारी के भुगतान के लिए खेती में लगे हुए हैं। खेती में खेती में प्रभावी पर्यवेक्षण या दिशा निर्देश शामिल है। उस व्यक्ति को काश्तकार नहीं माना जाता है जिसने अपनी जमीन किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या संस्था (संस्थाओं) को धन, वस्तु या फसल में हिस्सेदारी के लिए खेती करने हेतु दी है और जो जमीन पर खेती का पर्यवेक्षण या निर्देशन भी नहीं करता है।

मजदूर: वह व्यक्ति जो धन या वस्तु या हिस्सेदारी में किसी अन्य व्यक्ति की जमीन पर मजदूरी करता है, उसे खेतिहर मजदूर माना जाता है। उसे खेती में कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता है, बल्कि वह मजदूरी के लिए दूसरे व्यक्ति की जमीन पर काम करता है। एक खेतिहर मजदूर को उस जमीन पर पट्टे या अनुबंध का कोई अधिकार नहीं है जिस पर वह काम करता है।

घरेलू उद्योग कामगार: घरेलू उद्योग को घर के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर या गांव के भीतर और शहरी क्षेत्रों में केवल उस घर के परिसर के भीतर संचालित उद्योग के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां परिवार रहता है। घरेलू उद्योग में कामगार बड़े अनुपात में घर के सदस्य ही होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी घरेलू उद्योग का मुख्य मानदंड एक परिवार के एक या अधिक सदस्यों की भागीदारी है। यदि उद्योग वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर स्थित नहीं है, तो भी घर के सदस्यों के भाग लेने की अधिक संभावना है, भले ही वह गाँव की सीमा के भीतर कहीं भी स्थित हो। शहरी क्षेत्रों में, जहां संगठित उद्योग अधिक प्रमुख होते है। घरेलू उद्योग उस घर के परिसर तक ही सीमित होना चाहिए जहां वह रहते हैं।

अन्य कामगार: ऊपर वर्णित में खेती करने वाले खेतिहर मजदूर अथवा घरेलू उद्योग के कामगारों के अलावा अन्य कामगार, (ओडब्ल्यू) वह कहलाते हैं जो सरकारी कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, कारखाने के कर्मचारी, बागान श्रमिक, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य में लगे लोग, पुजारी, मनोरंजन क्षेत्र के कलाकार आदि होते हैं।

3.10.1 मुख्य कामगार

गोरखपुर शहर में कामगारों का विवरण निम्नवत है :-

तालिका 14 मुख्य कामगार

क्रमांक	शहर का नाम	मुख्य कामगार	किसान		कृषि मजदूर		घरेलू उद्योग के कामगार		अन्य कामगार	
1	गोरखपुर	1,57,624	2,541		5,134		8,991		1,40,958	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
			1985	556	4230	904	7005	1986	1,19,747	1,19ए747

ग्राफ 12 मुख्य कामगार श्रेणियां

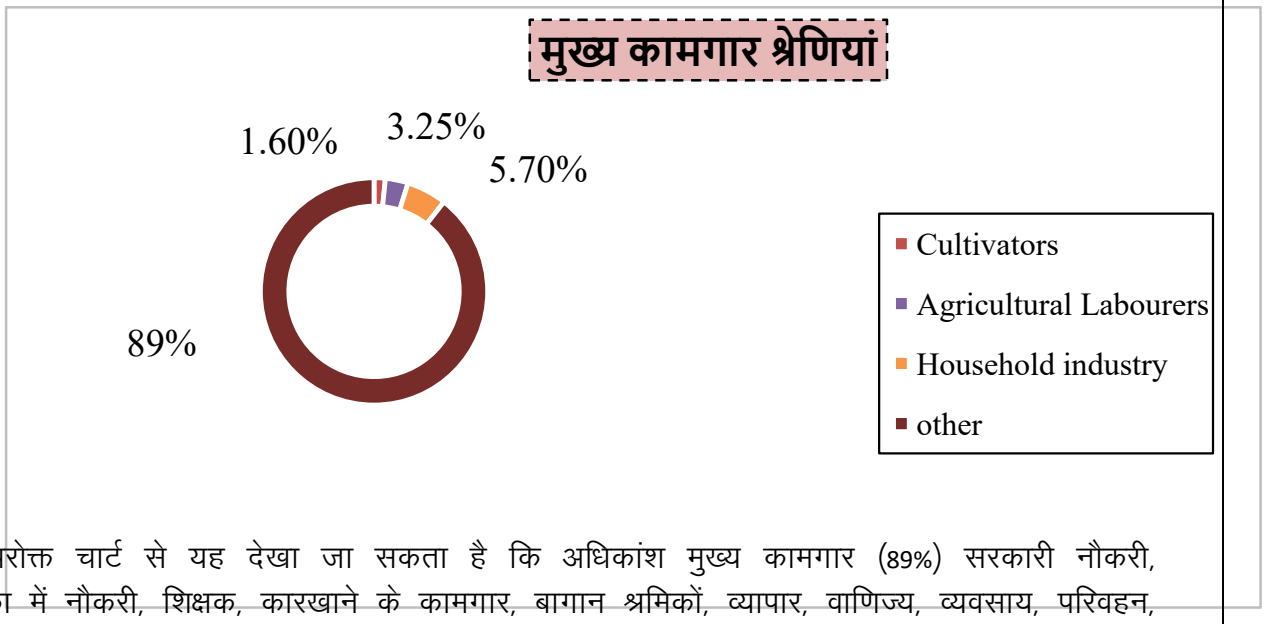

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश मुख्य कामगार (89%) सरकारी नौकरी, नगरपालिका में नौकरी, शिक्षक, कारखाने के कामगार, बागान श्रमिकों, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, पुजारी, मनोरंजन कलाकार आदि में लगे हुए हैं। मुख्य कामगार खेतिहर मजदूरी और खेती करने वाले कम से कम हैं। यह देखा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, खेतिहर मजदूर केवल 3.25% हैं और खेती करने वाले कुल कामकाजी आबादी का केवल 2.08% हैं।

ग्राफ 13 मुख्य श्रमिकों की तुलना पुरुष

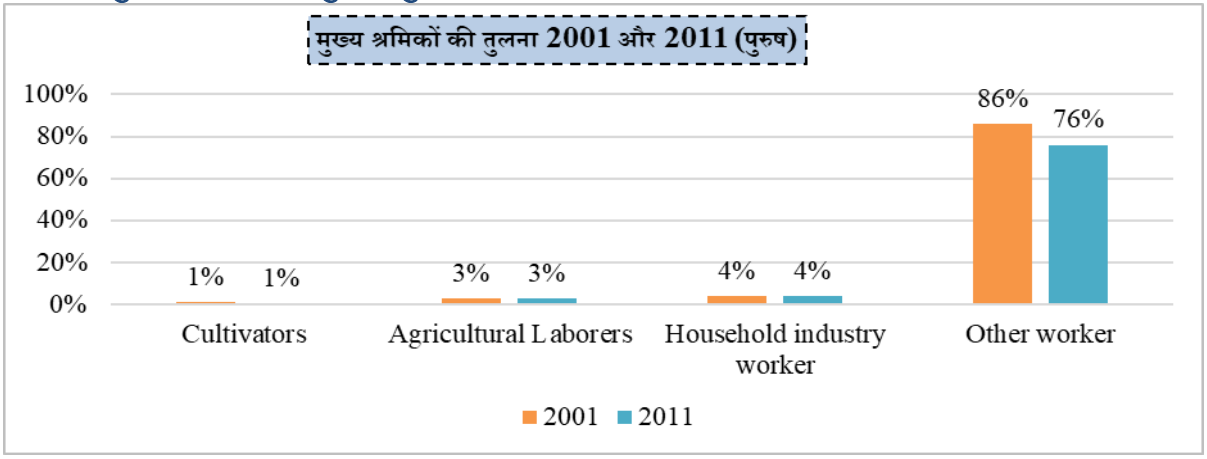

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि 2001-2011 की अवधि में सभी क्षेत्रों में पुरुष श्रमिकों की संख्या में कमी आई है। यह शहर की विकास दर में गिरावट के मुख्य कारणों में से एक हो सकता है। इसलिए शहर में आर्थिक अवसरों को पुर्नजीवित किया जाना चाहिए।

ग्राफ 14 मुख्य श्रमिक महिला की तुलना

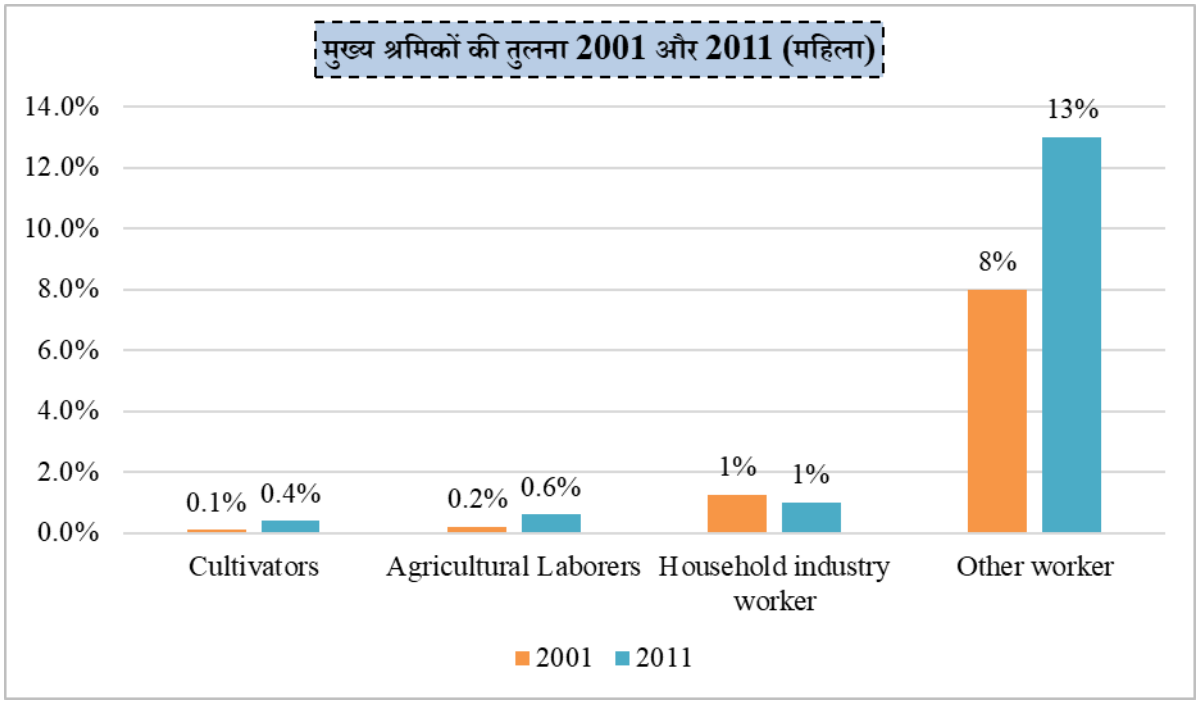

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि 2011 में 2001 की तुलना में खेती करने वाले खेतिहर मजदूरों और घरेलू उद्योग के कामगारों में महिला कामगारों (मुख्य) की संख्या में वृद्धि हुई है। जबकि अन्य कामगार श्रेणी में बड़ी वृद्धि देखी जाती है जिसमें सरकारी कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, कारखाने के कर्मचारी, बागान श्रमिक, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य में लगे लोग, पुजारी, मनोरंजन कलाकार, आदि सम्मिलित है। यह आत्मनिर्भर होने के लिए महिलाओं के बीच बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है।

3.10.2 सीमांत कामगार

गोरखपुर शहर में सीमांत कामगारों का विवरण निम्नवत है :-

तालिका 15 सीमांत कार्यकर्ता

शहर का नाम	सीमांत कामगार	किसान		कृषि मजदूर		घरेलु उद्योग कामगार		अन्य कामगार	
गोरखपुर	50931	1285		4371		4636		40639	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	**महिला**
		834	451	3366	1005	2427	2209	26706	13933

ग्राफ 15 सीमांत कार्यकर्ता श्रेणियां

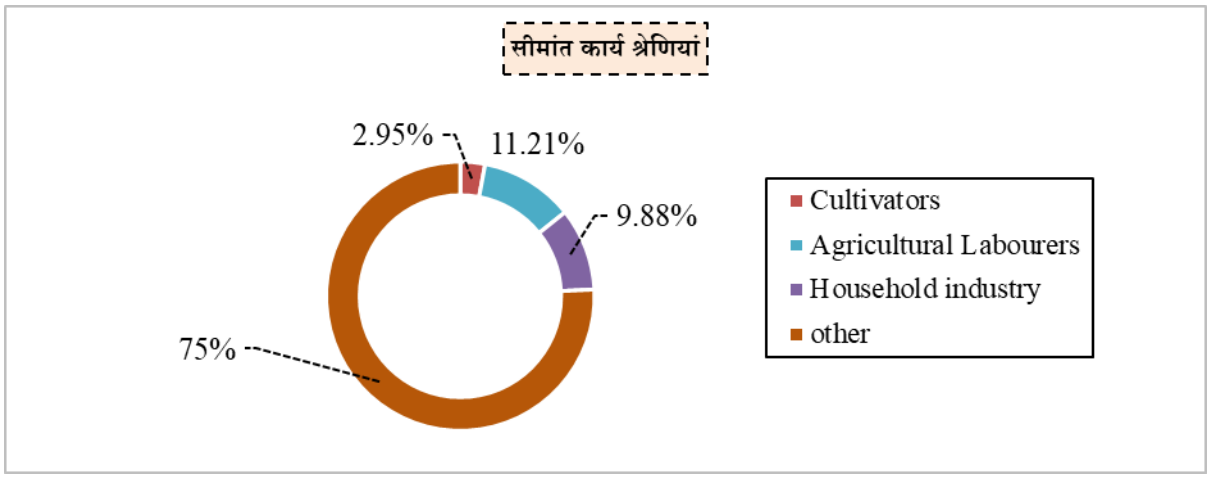

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश सीमांत कामगार अर्थात, 75% सरकारी नौकरी, नगरपालिका कर्मचारियों, शिक्षकों, कारखाने के श्रमिकों, बागान श्रमिकों, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, पुजारी के कार्य, मनोरंजन कलाकार के कार्य, आदि से संबंद्ध हैं। बहुत कम संख्या में सीमांत कामगार कृषक, खेतिहर मजदूर और घरेलू उद्योग के कामगार हैं। लगभग 11.21% सीमांत कामगार खेतिहर मजदूर हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गोरखपुर की अधिकांश कामकाजी आबादी विभिन्न कार्य क्षेत्रों से सम्बद्ध है जबकि बहुत कम आबादी कृषि क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि सीमांत श्रमिक मुख्य रूप से खेतिहर मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं।

ग्राफ 16 सीमांत श्रमिकों की तुलना 2001 और 2011 (पुरुष)

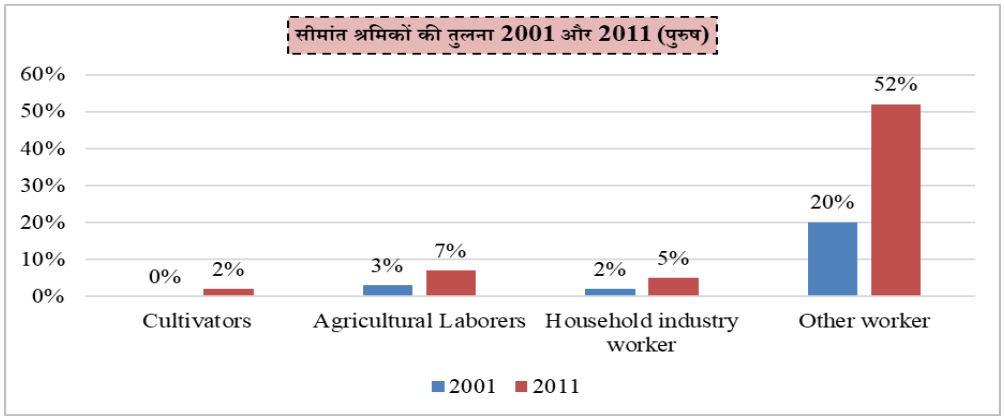

ग्राफ से, यह देखा जा सकता है कि 2001 की तुलना में 2011 में सभी कार्य क्षेत्रों में पुरुष सीमांत कामगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन सर्वाधिक वृद्धि सरकारी नौकरी, नगर निगम के कर्मचारियों, शिक्षकों, कारखाने के श्रमिकों, बागान श्रमिकों, व्यापार, वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, पुजारी, मनोरंजन कलाकारों आदि में हुई है।

ग्राफ 17 सीमांत श्रमिकों की तुलना 2001 और 2011 (महिला)

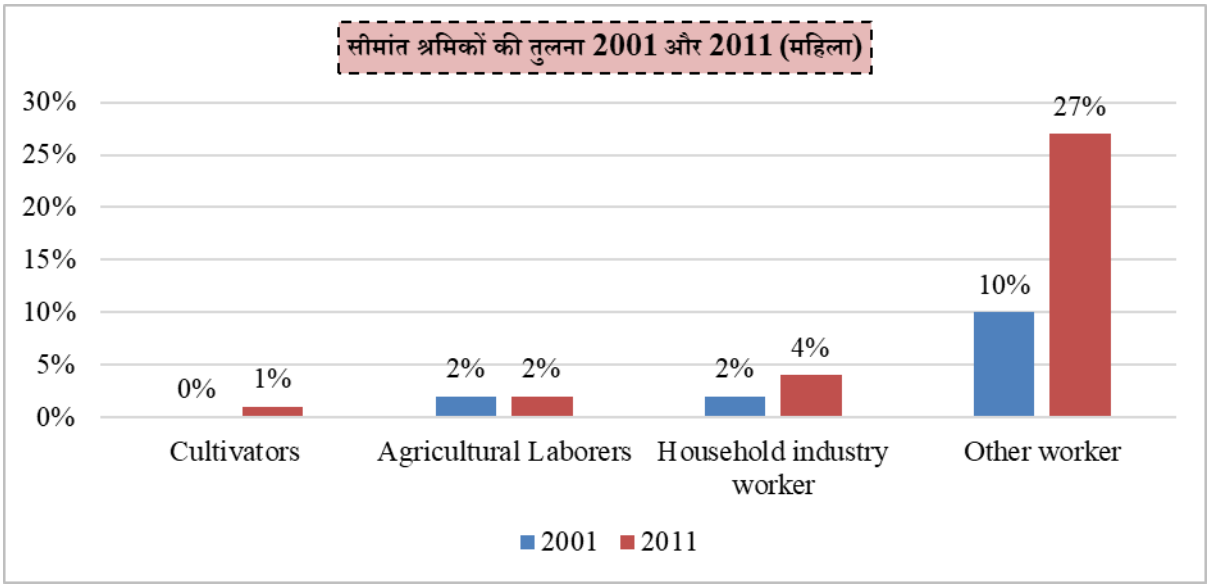

ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि 2001-2011 के दशक में महिला सीमांत कामगारों में अन्य कामगार वर्ग में प्रमुख रूप से वृद्धि हुई है।.

ग्राफ 18 मासिक आय

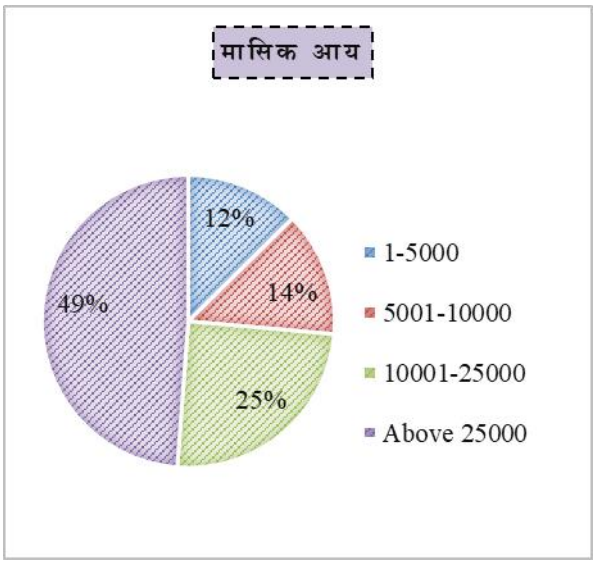

ग्राफ 19 काम का प्रकार

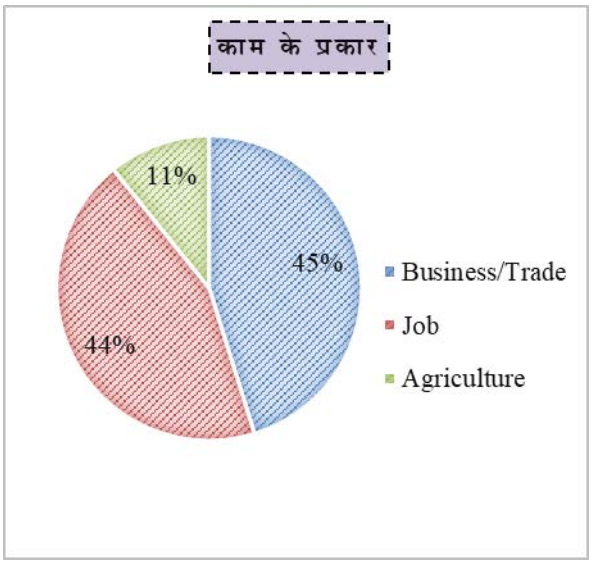

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण– 2020

निष्कर्ष

गोरखपुर में कामगार कृषि या घरेलू उद्योगों की तुलना में नौकरियों में संख्या अधिक हैं। कृषि एवं घरेलू उद्योग क्षेत्रों को छोड़कर गोरखपुर की महिला कामगार, मुख्य और सीमांत दोनों ही सरकारी नौकरी, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, कारखाने के कर्मचारी, बागान श्रमिक, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, मनोरंजन कलाकार, आदि के काम में लगी हुई हैं,

इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार महिला श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के कारण कार्यबल की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार शहरी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए गोरखपुर में अधिक संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है।

3.11 भौतिक अवसंरचना

आधारभूत संरचना शहर की वह प्रणाली होती है जिस पर शहर का उत्पादन और विकास निर्भर करता है । इसमे तकनीकी क्रियान्वयन और उनके प्रबंधन हेतु संस्थान सम्मिलित है, जो नगर के आर्थिक वृद्धि और विकास हेतु आवश्यक है । जल आपूर्ति, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली, परिवहन, और संचार, भौतिक आधारभूत संरचना के महत्वपूर्ण अंग होते है ।

3.11.1 जल–कार्यशाला और जलाशय

पर्यावरण सुरक्षा और उनके दीर्घकालीन वहन के लिए समाज और पर्यावरण के बीच एक ताल–मेल होना अवशयक हैं। इसमे जल संचय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

गरीबी उन्मूलन के लिए बेहतर जल संसाधन, सुरक्षित जल और स्वच्छता अनिवार्य है। साथ ही दीर्घकालीन विकास के लिए जल संचय और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता अनिवार्य है। पीने के पानी की सुरक्षा और उपलब्धता एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि मानव जीवन और उसके कल्याण के लिए पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति आवश्यक है। हाल के दशकों में, पीने के सुरक्षित पानी उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

शहर के स्तर पर, उ.प्र. जल निगम संजाल व उपचार संयत्रों सहित जल आपूर्ति, सीवरेज, और जल निकासी प्रणालियों के डिजाइन और निर्माण के लिए उत्तरदायी है, गोरखपुर नगर निगम अपने क्षेत्रों में जल संचालन प्रणाली के रख रखाव की देख रेख करता है। गोरखपुर नगर निगम का जल कल विभाग शहर में पानी की आपूर्ति, उपचार और वितरण के साथ–साथ सामान्य रख रखाव और शुल्क का संग्रह भी करता है।

गोरखपुर नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग सीवर नालियों की आवधिक सफाई करवाता है। इसके अलावा, गोरखपुर नगर निगम में खासकर मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण तथा उनके संचालन और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व वहन करता है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण तथा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में जल आपूर्ति और सफाई प्रणाली उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेवार हैं। और फिर संचालन तथा अनुरक्षण के लिए कालोनियों को गोरखपुर नगर निगम को सौप देना होता है । वर्तमान में जलापूर्ति/सीवरेज/जल निकासी के लिए तदर्थ प्रावधान हैं। उपरोक्त संस्थानों के अलावा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सुडा) कई योजनाओं यथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी., जे.एन.एन.यू. आर.एम., एन.एम.एस.एच., आई.एच.एस.डी.पी. आदि को प्रचलित करने वाली नोडल एजेंसी है।

वर्तमान में, 70 में से 48 वार्डों को आच्छादित करने वाले 21 जल आपूर्ति जोन पाइप लाइनों से जुड़े हुए हैं। शेष क्षेत्र में, सार्वजनिक उपयोग के लिए इंडिया मार्क II हैंडपंप लगाये गए हुए हैं। निवासियों ने अपने भूखंडों के भीतर अपने हैंडपंप भी लगाये हुए हैं। कुल 13 वार्डों को आच्छादित करने वाले चार नए जल आपूर्ति जोन, आपूर्ति विस्तार योजना के तहत शामिल किए जाने वाले हैं। इस के लिए यूआईडीएसएमटी से 19.8 करोड़ ($3.80 मिलियन) का कुल वित्त पोषण किया गया है।(स्रोत: सिटी कंसल्टेशन)

इस योजना में 90 नए ओवर हेडटैंक, 22 ट्यूबवेलों की स्थापना और 115 किमी लंबी पाइप लाइनों को बिछाना शामिल है। विकास योजना में दिए गए अनुमानों के मुताबिक, 2021 तक शहर की आबादी 1.3 मिलियन तक पहुंच जाएगी और प्रतिदिन 12,000 किलोलीटर की वर्तमान क्षमता के मुकाबले पानी की आवश्यकता प्रतिदिन 25,500 किलोलीटर तक पहुंच जाएगी। जल भराव और उच्च भूजल स्तर के कारण, भूजल की पहली सतह दूषित हो गया है। सोख्ता गड्ढे, कच्चे शौचालच और हैंड पंपों और नालियों के बीच निकटता जल दूषित करने के अन्य स्त्रोत हैं।

3.11.2 जल आपूर्ति संयोजन

गोरखपुर शहर में जल संचयन की स्थिति निम्नानुसार है :–

तालिका 16 मौजूदा जल आपूर्ति

नल का जल	हैंड पंप	कुआं//ट्यूबेल	टैंकर	नहर	अन्य
536	4174	208	19	65	NA

स्रोत: जलकल विभाग, गोरखपुर 2020

तालिका 17 पानी की आपूर्ति की मात्रा

जल आपूर्ति की मात्रा	प्रति दिन आपूर्ति	संयोजनों की संख्या	आच्छादित क्षेत्र	हासिल की गई मीटरिंग
129-63 MLD	2 बार	80060	145-5 sqkm	NA

स्रोत : जलकल विभाग, गोरखपुर 2020

एकत्रित द्वितीयक डेटा के अनुसार शहर में पानी की आपूर्ति 129.63 मिलियन लीटर प्रति दिन है, शहर में 30 मिलियन लीटर पानी प्रति दिन की कमी है।

तालिका 18 ओवरहेड टैंक की संख्या

ओवरहेड टैंकों की संख्या	क्षमता
31	29790 kilo liters

3.11.3 जल उपचार संयंत्र

वर्तमान में गोरखपुर में कोई जल उपचार संयंत्र नहीं है, पानी की आपूर्ति का स्रोत भूजल है। भूजल केवल क्लोरीनीकरण प्रक्रिया द्वारा उपचारित किया जाता है और इसे पूरे शहर में पंपिंग स्टेशनों के माध्यम से वितरित किया जाता है। (स्रोत: जलकल विभाग, गोरखपुर 2020)। पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए जनसंख्या में वृद्धि के कारण जल उपचार संयंत्र की आवश्यकता होगी।

ग्राफ 20 जल आपूर्ति स्रोत

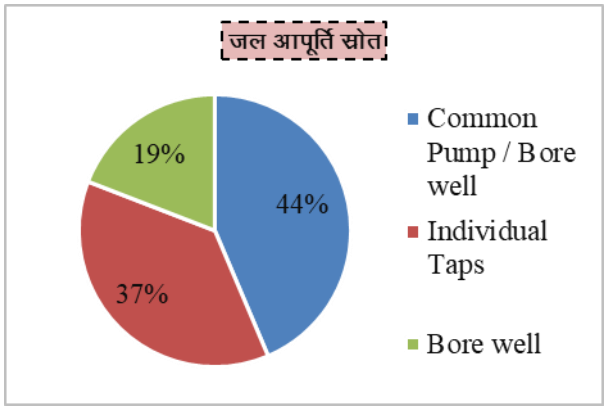

ग्राफ 21 पीने की पानी की गुणवत्ता

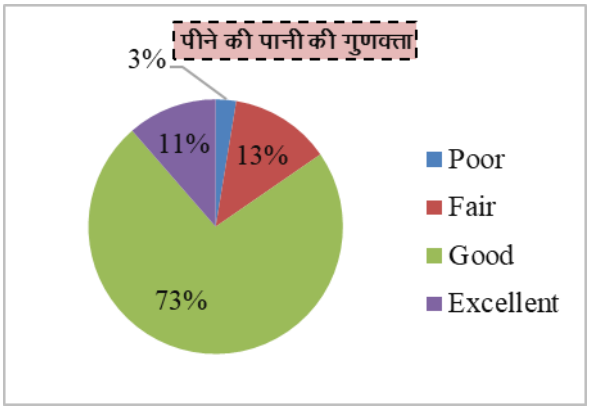

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण–2020

वर्तमान में गोरखपुर के कुछ राजस्व ग्रामों यथा लोहरपुरवा, ब्रह्मपुर, अल्गतपुर, धनुराखुर्द, रामपुर बघोरा, पालीखास, अतरौलिया, मेहेद्दिनपुर, रामपुरखुर्द, घसकी, पाकारी, सारायगुलरिया, गोपाल बाजार और नैयापर में जल आपूर्ति योजनाएं लागू की गयी हैं।

3.11.4 सीवरेज संजाल और उपचार संयंत्र

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर जल निकासी, अक्सर उच्च प्राथमिकता पर होती है। मलजल पानी में बहने वाला कचरा होता है। इसे अपशिष्ट जल प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है। आवास, संस्थान, अस्पताल वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान मलजल उत्पन्न करते हैं। कच्चे मलजल में शौचालय, स्नानघर, शावर, रसोई, सिंक इत्यादि वाला घरेलू तरल अपशिष्ट शामिल होते है। सीवर के माध्यम से इसका निस्तारण किया जाता है। कई क्षेत्रों में, मलजल में उद्योग और वाणिज्य से उत्पन्न तरल अपशिष्ट भी शामिल होते है। सीवेज उपचार संयंत्र एक बुनियादी उपचार प्रक्रियाओं के अनुरूप होते हैं हालांकि वे अपशिष्ट प्रकृति को देखते हुए भिन्न हो सकते है।

शहर में मात्र 22% सीवर लाइनों (55 किमी) की सुविधा है। शेष शहर 229 खुली नालियों के भरोसे हैं, जिनमें न केवल वर्ष जल, बल्कि घरों का मलजल बहता हैं। शहर की तलरूप प्रभावी जल निकासी प्रणाली का निर्माण को अवोधित करता है। (स्रोत: जलकल विभाग, गोरखपुर 2020)

शहर में विचार विमर्श से पता चला कि शहर की जल निकासी सुविधा को विस्तारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 8 करोड़ (रूपये 80 मिलियन) की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसमें पांच कच्चे नालों का चौड़ीकरण सम्मिलित है।

पांच पंपिंग स्टेशनों के माध्यम से राप्ती और रामगढ़ताल (झील) में 90 एम.एल.डी. उपचारित किए गए अपशिष्ट जल को निस्तारित किया जाता है। यूपी जल निगम ने शहर में सीवरेज प्रणाली के विस्तार के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। (स्रोत: नगर निगम मे परामर्श)

मास्टरप्लान के अनुसार, शहर में मलजल निस्तारण के लिए मालौनी–बंध रोड पर एक सीवरेज फार्म का प्रस्ताव है। इसके अलावा, भारत सरकार का झील संरक्षण विभाग रामगढ़ताल के सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए एक परियोजना को लागू कर रहा है। इसे आंशिक रूप से केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों के माध्यम से 124.32 करोड़ रुपये (70:30) की लागत से वित्त पोषित किया जा रहा है । परियोजना के हिस्से के रूप में, दो मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी) (30 +15 एम.एल.डी) रामगढ़ताल में छह नालों द्वारा प्रवाहित पानी के उपचार के लिए स्थापित किए गये हैं।

गोरखपुर शहर में मौजूदा नाले राप्ती/रोहिणी नदी में या रामगढ़ताल में गिरते हैं। ये नाले कचरे के साथ–साथ मलजल को भी प्रवाहित करते है। मलजल उपचार संयोजन होने से रामगढ़ताल में गिरने वाले नालों को छोड़कर शेष नालों का मलजल पंप द्वारा नदियों में बहाया जाता हैं।

तालिका 19 शहर की जल निकासी व्यवस्था

क्रमांक	जलग्रहण क्षेत्र/नाले का नाम	पम्पिंग/गुरुत्वाकर्षण	क्षेत्र
1	डोमिनगढ़	पम्पिंग	धर्मशाला, तिवारीपुर, अंधियारीबाग
2	चक्सा हुसैन	पम्पिंग	हुमायूंपुर, चक्सा हुसैन, हसनपुर, सुभाष नगर जटेपुर
3	मिर्जापुर लाल दिग्गी	पम्पिंग	मिर्जापुर, लालदिग्गी, नखासी
4	बसंतपुर घसियारी	पम्पिंग	बसंतपुर, घसियारी, हंसुपुर
5	बसंतपुर नरकटिया	पम्पिंग	बसंतपुर, नरकटिया, रहमतपुर।
6	चक्र राजघाट	पम्पिंग	राजघाट, चक्र, तुर्कमानपुर
7	मिर्जापुर महेवा	पम्पिंग	महेवा और मिर्जापुर
8	माधोपुर	पम्पिंग	माधोपुर, सूर्य विहार
9	इलाहीबाग	पम्पिंग	पुरदिलपुर, अलीनगर, घासीकटारा, दीवान बाजार उछवा, जफरा बाजार, बड़ा काजीपुर, इलाहीबाग तिवारीपुर, नरसिंहपुर,
10	मिर्जापुर रुस्तमपुर	पम्पिंग	मिर्जापुर, रुस्तमपुर, आजाद नगर।

क्रमांक	जलग्रहण क्षेत्र/नाले का नाम	पम्पिंग/गुरुत्वाकर्षण	क्षेत्र
11	तारा मंडल	पम्पिंग	अलहददपुर, सब्जी मंडी, महेवा, आजाद नगर, तारा मंडल कॉलोनी, बेतिहाता
12	मजार	पम्पिंग	रामजानकी नगर
13	सिविल लाइंस	गुरुत्वाकर्षण	बेतियाहाता, अल्हददपुर, सिविल लाईसं, इंद्रा नगर, मोहद्दीपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय दंडपुर, बिलंदपुर
14	गोरधैया नाला	गुरुत्वाकर्षण	मेडिकल कॉलेज, बशारतपुर, राप्ती नगर, सुभाष नगर, अशोक नगर, कृष्णा नगर, फातिमा अस्पताल, शाहपुर, असुरन, श्योपुर, शबाजगंज, संत हुसैन नगर।
15	सैनिक विहार	गुरुत्वाकर्षण	नंदा नगर
16	झारखण्डी	गुरुत्वाकर्षण	झारखंडी, बिशुनपुरवा, गोरधर गंज, दिव्य नगर, महादेवपुरा, वीर बहादुरपुर
17	माधोपुर	गुरुत्वाकर्षण	राजेंद्र नगर, शास्त्री नगर, महावीरपुरी, बरगदवा, गोरखनाथ औद्योगिक क्षेत्र।
18	तुर्रा नाला	गुरुत्वाकर्षण	इंजीनियरिंग कॉलेज, खले–टोला

स्रोत: नगर निगम गोरखपुर 2020

तालिका 20 शहर के जल निकासी कवरेज क्षेत्र

क्रमांक	नाले का नाम	आच्छादित क्षेत्र	वार्ड कवरेज	निस्तारण बिंदु
1	डोमिनगढ़ नाला	धर्मशाला, दिलेपाकपुर, दुर्गाबाड़ी, हुमायूंपुर उत्तर, जटेपुर उत्तर, चक्सा हुसैन, जनप्रिय विहार, अंधियारी बाग दक्षिण, गोरखपुर रेलवे जंक्शन का कुछ भाग	11 (100%), 12(70%), 22 (100%), 23(30%), 29 (20%), 32 (20%), 38 (15%), 39 (10%), 41 (10%), 49 (10%), 61 (30%), 64(100%), 68 (30%), 69 (15%)	राप्ती नदी में मिलने वाली नालियाँ
2	बहरामपुर नाला	बहरामपुर, इलाहीबाग	45 (100%), 58(100%)	
3	इलाहीबाग नाला	रोडवेज स्टेशन, पुलिस लाइन, पुरदिलपुर, मियाबाजार, गोलघर, अलीनगर, जाफरा बाजार, घासीकतरा, नरसिंहपुर	26 (100%), 42(100%), 38 (85%), 39 (90%), 40(100%), 41(90%), 49 (90%), 51(100%), 52 (100%), 61(70%), 63 (80%), 69 (85%)	
4	मिर्जापुर नाला	मिर्जापुर वार्ड और साहबगंज के कुछ हिस्से	35 (60%), 63 (20%), 66 (90%), 67 (90%)	
5	घसियारी नाला	घसियारी कॉलोनी	35 (20%)	

क्रमांक	नाले का नाम	आच्छादित क्षेत्र	वार्ड कवरेज	निस्तारण बिंदु
6	बसंतपुर नाला	बसंतपुर, मिर्जापुर	35 (20%), 67 (10%)	
7	हंसुपुरनाला	हंसुपुर, बरफखानारोड	59 (100%)	
8	ट्रांसपोर्ट नगर नाला	ट्रांसपोर्ट नगर	30 (30%)	
9	कटानियाध्महेवा नाला	महुईसुधरपुर, रुस्तमपुर, महेवा वार्ड	30 (70%), 60 (40%), 65 (95%)	
10	बंसियाडीह नाला	पुराना गोरखपुर, रसोलपुर, अंधियारीबाग, सूरजकुंड कॉलोनी, न्यू माधोपुर कॉलोनी	23 (70%), 32 (40%), 33 (15%), 48 (25%), 56 (50%), 68 (20%)	रोहिणी नदी में मिलने वाली नालियां
11	माधोपुर गेट नं. 2 नल्ला		32 (40%)	
12	नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी नाले	रसूलपुर भट्टा, नेताजी सुभाष चंद्र बोश कॉलोनी, अब्दुल्लानगर	33 (20%), 48 (75%), 56 (50%)	
13	स्टेपिंग स्टोन ड्रेन	बिलंदपुर गांव	33 (20%)	
14	ग्रीन सिटी फेज–II ड्रेन	बनकटवा, मालिन हेमलेट के पास की कॉलोनियां, ग्रीन सिटी फेज– II	10 (5%), 33 (15%)	
15	बरगदवा नाला	गोरखनाथ अस्पताल से बरगदवा विकास नगर कॉलोनियों तवे और देवपोखर रोड, औद्योगिक इस्टेट तक	10 (50%), 16 (100%), 33 (20%), 43 (10%), 50 (80%), 68 (40%), 70 (30%)	
16	महेसरा मोहरीपुर नाला	बरगदवा बी.एन. टायर्स से महेवा ग्राम कालोनियों	8 (100%), 50 (20%)	रामगढ़ताली में शामिल होने वाली नालियां
17	गोरधैया नाला	शाहपुर, पादरी बाजार, मेडिकल कॉलेज, शक्तिनगर कॉलोनी	22,3,11,15,26,2,59,31, 38,9,7	निस्तारण बिंदु
18	कुर्नाघाट नाला	महादेव झारखंडी और गिरधरगंज	20,48,8,18,1	
19	मोहम्मदपुर पावर हाउस ड्रेन	मोहद्दीपुर	44	
20	रफी अहमद किदवई नाला		34,52	
21	गोल्फ ग्राउंड ड्रेन		42	
22	पेडलेगंज नाला	साहबगंज, बेतियाहाटा, अल्लाहदादपुर, दाउदपुर, काजीपुर खुर्द	23,35,54,68	

स्रोत: नगर निगम गोरखपुर 2020

3.11.5 मलजल उपचार संयंत्र

गोरखपुर नगर निगम में 15 एम.एल.डी. और 30 एम.एल.डी. क्षमता वाले दो मलजल उपचार संयंत्र हैं।

तालिका 21 मौजूदा सीवेज उपचार सुविधाएं

उपचारित मात्रा	मलजल उपचार संयंत्रों की संख्या	मौजूदा लंबाई (किमी में)	चालू परियोजना
15 mld	1	57.245	गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए–1 अपर पार्ट (लंबाई 55.77 किमी)
30 mld	1		गोरखपुर सीवरेज योजना जोन ए–1 अपर पार्ट (लंबाई 80.27 किमी)

स्रोत: गोरखपुर नगर निगम

3.11.6 वर्षा जल निकासी और निस्तारण प्रणाली

वर्षा अवधि के दौरान, बड़ी मात्रा में ऐसे जल प्रवाह हो सकता है जो जमीन की सतह सोखता नहीं है और इसमें से अधिकांश, अतिरिक्त ओवर लैंड प्रवाह या सतह रनऑफ बन जाता है। इस प्रवाह की मात्रा और विधिक विविधताओं का विश्लेषण करने के लिए कई योगदान कारक घटक होते हैं इनमें भू, गर्मीय रचना तलरुप, भूगोल, वर्षा की तीव्रता और प्रवृत्ति और भू-उपयोग प्रकार शामिल है। इस तरह के अपवाह का सीवरों तक पहुंचने का अनुमान, वर्षा की अवधि और जल प्रवाह तीव्रता, सहायक क्षेत्र की विशेषताओं और सीवर तक पहुंचने के लिए इस तरह के प्रवाह पर निर्भर करता है। इसलिए क्षेत्र को जलमग्न भराव किए बिना इस प्रवाह को सीवर तक पहुचाने के लिए एक यथोचित जल निकासी संजाल की आवश्यकता होगी।

तालिका 22 मौजूदा जल निकासी

शहर	खुली नाली	ढकी नाली	भूमिगत सीवेज
गोरखपुर	हां	हां	कार्य प्रगति पर है

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

गोरखपुर में खुली और बंद दोनों प्रकार की जल निकासी प्रणालियां हैं। इसके अलावा, यह देखा गया कि भूमिगत जल निकासी की परियोजना प्रगति पर है।

3.11.7 वर्षा जल की स्थिति

गोरखपुर शहर अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण विकास के दबाव से जूझता है– यह जिला और मंडल मुख्यालय है, इसमें आर्थिक अवसरों, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों का प्रवासन होता रहता है। 1981-2001 (गोरखपुर महायोजना, 2021) के दौरान शहर में आवासीय इकाइयां दोगुनी हो गई थीं। गोरखपुर महायोजना 2021 के अनुसार, शहर में आवासीय क्षेत्रों के लगभग 111 हेक्टेयर (3%) क्षेत्र एक अनधिकृत तरीके से निर्माण किए गये हैं, खास कर परिधी क्षेत्र कृषि भूमि/खुले/ हरित स्थानों के लिए निर्धारित भूमि पर।

महायोजना 2001 की तुलना में 943.94 हेक्टेयर के प्रावधान में से, शहर में केवल 291.20 हेक्टेयर पर पार्क / क्रीड़ागन विकसित किए गए। 1950 के दशक में शहर में 103 छोटे और बड़े जल निकाय / झीलें थी जब कि वर्तमान में केवल 20-25 ही रह गये हैं। ये भी सिलटींग के जमाव, ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल के निस्तारण के कारण खतरे में पड़ गये हैं।

स्रोत: GEAG –ACCCRN

चित्र 3 प्राकृतिक जल निकायों और नालियों

इस क्षेत्र में गोरखपुर रेसिलियनस रणनीति (जीआरएस) द्वारा पहचाने गए वर्तमान जोखिम इस प्रकार हैं:

- जल्दी–जल्दी बाढ़ आना।
- शहर में नालियों और जल निकायों पर अतिक्रमण और उनकी पूर्ण प्राप्ति।
- विकास के दबाव के कारण शहर में खुले हरित क्षेत्रों का अभाव।
- भू–जल स्तर में गिरावट।

ग्राफ 22 जीडीए क्षेत्र में पहचाने गए हॉटस्पॉट बाढ़ क्षेत्र

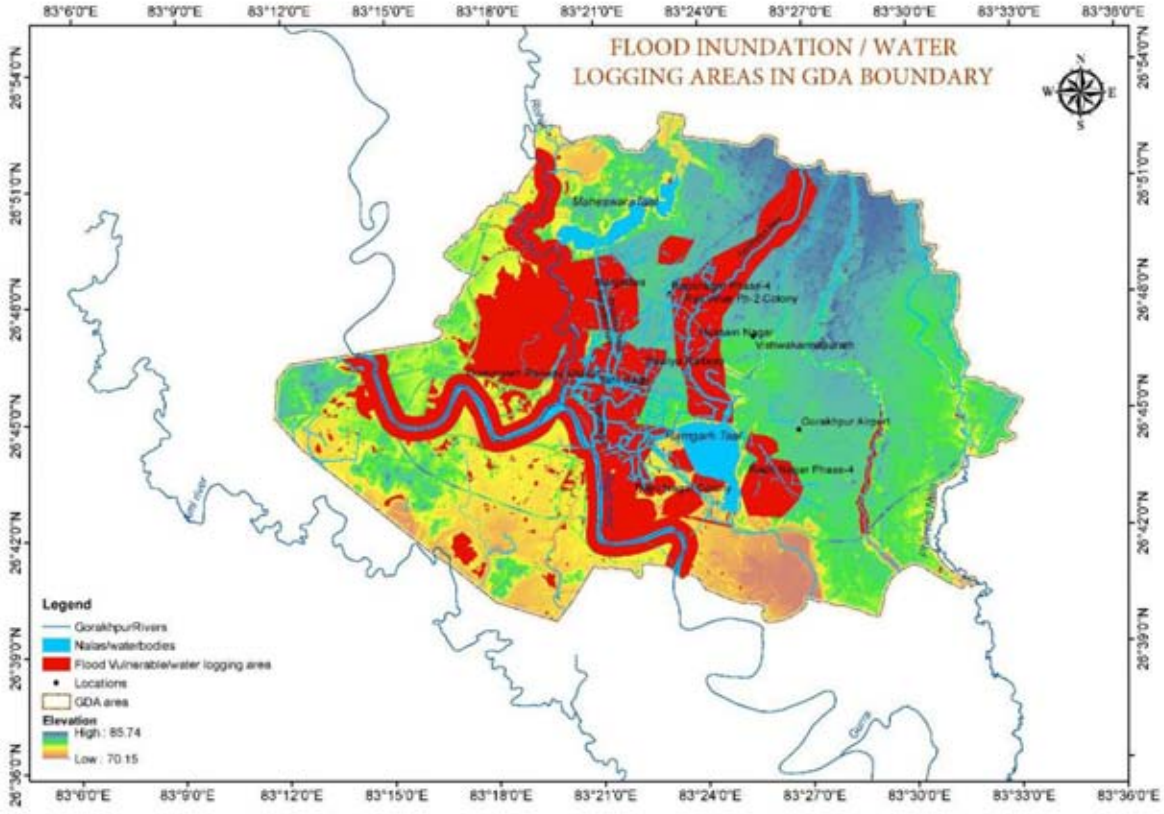

स्वच्छता

गोरखपुर शहर में सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा है, साथ ही साथ लगभग 95% आबादी को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधाएं प्राप्त हैं। शहर में खुले में शौच शून्य है। पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं, स्वच्छता की बेहतर स्थिति, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है।

तालिका 23 मौजूदा स्वच्छता की स्थिति

शहर	शौचघर			गढ्ढे वाले शौचालय	अन्य शौचालय फ्लश	कोई शौचालय नहीं
	पाइप वाली सीवर प्रणाली	सेप्टिक टैंक	पाइप वाली सीवर प्रणाली			
गोरखपुर	-	-	-	5600	33672	-

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

ग्राफ 23 स्वच्छता सुविधा

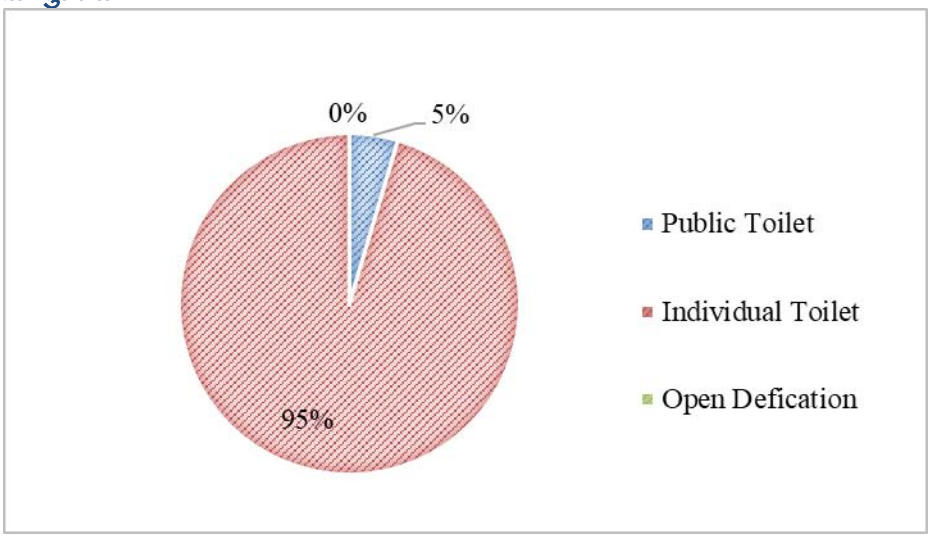

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

वर्ष 2031 के बढ़ती आबादी के कारण, स्वच्छता जरूरतों में भी वृद्धि होगी और संबंधित प्राधिकरण को सुविधाएं प्रदान करनी होगी। गोरखपुर न.नि. में मौजूदा स्वच्छता सुविधाएं पर्याप्त हैं और जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करती हैं।

सार्वजनिक शौचालय :

सामुदायिक शौचालय (सीटी) सुविधा एक साझा सुविधा है जो निर्धारित निवासियों के समूह या संपूर्ण समुदाय के लिए प्रदान की जाती है। यह आमतौर पर सामुदायिक क्षेत्र में या उसके पास स्थित होता है और समुदाय के ज्यादातर सदस्यों द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, जबकि बाजार, ट्रेन स्टेशनों या अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे स्थानों में गतिशील आबादी / आम जनता के लिए सार्वजनिक शौचालय (पीटी) सुविधा प्रदान की जाती है और ज्यादातर अनिश्चित उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल की जाती है। (सार्वजनिक और सामुदायिक सलाह, 2018)

सामुदायिक शौचालयों के उपयोग की प्रवृति सार्वजनिक शौचालयों से थोड़ी अलग होती है। सामुदायिक शौचालयों में, अधिकांश श्रमिक और महिला सदस्य पूर्वाह्न 5 से 10 बजे के बीच शौचालयों का उपयोग करते हैं। दोपहर में महिलाएं शौच और कपड़े धोने के लिए शौचालय का उपयोग करती हैं। शाम को और रात में इनका कम उपयोग होता है। सार्वजनिक शौचालच के मामले में ऐसे शौचालयों के उपयोग की प्रवृति कफी बदलती रहती है। रेलवे स्टेशन पर स्थित सार्वजनिक शौचालय देर शाम तक लगभग पूरे दिन का

इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह, अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों में स्थित ऐसे शौचालय पूरे 24 घंटों प्रयोग किये जाते हैं। जबकि पार्क/चिड़िया घर में स्थित, सार्वजनिक शौचालय ऐसे संस्थानों के संचालन के आधिकारिक समय के दौरान ही प्रयुक्त होते हैं। (सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों, पर सलाह 2018)

सामुदायिक जागरूकता सार्वजनिक शौचालय के संचालन और रख रखाव का अभिन्न अंग होना चाहिए। यह उपयोग के लिए भुगतान में संचालकों की आय बढ़ाएगा, और समुदाय के सदस्यों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक भी बनायेगा। (सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों, पर सलाह 2018)

नीचे दी गई तालिका गोरखपुर शहरी क्षेत्र में समुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की संख्या दिखाती है:

तालिका 24 मौजूदा सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालय

शौचालय का प्रकार	कुल संख्या	सीट की संख्या		कुल संख्या सीट
		पुरुष	स्त्री	
सामुदायिक शौचालय	58	582	1002	1002
सार्वजनिक शौचालय	70	654	911	911

स्रोत: नगर निगम, गोरखपुर 2020

ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है कि सामुदायिक शौचालयों की कुल संख्या 58 है जबकि कुल 70 सार्वजनिक शौचालय हैं।

3.11.8 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सैनिटेरी फिलिंग/साइट काम्पोस्ट प्लांट)

शहरी क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने और स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के बेहतर मानकों को सुनिश्चित करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सबसे आवश्यक सेवाओं में से एक है। भारत में यह सेवा वांछित स्तर से कम है, क्योंकि जो सिस्टम अपनाए गए वह कलग्रस्त और अक्षम हैं। संस्थागत कमजोरी, मानव और वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रौद्योगिकी की अनुचित पसंद, अपर्याप्त कवरेज और लघु और दीर्घकालिक योजना की कमी सेवाओं की अपर्याप्त के लिए जिम्मेदार है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा की दक्षता और प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए इस समस्या को व्यवस्थित रूप से और सभी पहलुओं से निपटने कि अवस्यकता है और लागत प्रभावी प्रणाली तैयार करने की जो सभी वर्गों को एसडब्ल्यूएम सेवाओं के पर्याप्त स्तर से सुनिश्चित कर सके ।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर अपशिष्ट पदार्थों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के मूलरूप से छह कार्यात्मक घटक हैं:

अपशिष्ट पीढ़ी: ऐसी सामग्रियों की पहचान करना जो अब उपयोग में नहीं हैं और या तो व्यवस्थित निपटारे के लिए इकट्ठा किए जाते हैं या फेंक दिए जाते हैं।

ऑनसाइट हैंडलिंग, स्टोरेज और प्रोसेसिंग: ये आसान संग्रह की सुविधा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए: –वेस्ट डिब्बे उन साइटों पर रखे जाते हैं जो पर्याप्त अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।

अपशिष्ट संग्रह: अपशिष्ट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण चरण में अपशिष्ट संग्रह डिब्बे डालने, उन डिब्बे से अपशिष्ट एकत्र करना और उस स्थान पर कचरा जमा करना जहां संग्रह वाहनोंको खाली कर दिया जाता है। हालांकि संग्रह चरणमें परिवहन शामिल है, यह आमतौर पर अपशिष्ट परिवहन का मुख्यचरण नहीं है।

अपशिष्ट हस्तांतरण और परिवहन : स्थानीय अपशिष्ट संग्रह स्थानों से बड़े अपशिष्ट परिवहन वाहनों में क्षेत्रीय अपशिष्ट निपटान स्थल पर अपशिष्ट को स्थानांतरित करने में शामिल गतिविधियां हैं।

अपशिष्ट प्रसंस्करण और वसूली: प्रयोज्य सामग्रियों को पुन: प्रयोज्य करने और अपशिष्ट प्रबंधन के अन्य कार्यात्मक तत्वों की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए दोनों को नियोजित सुविधाओं, उपकरणों और तकनीकों का संदर्भ ।

निपटान: अपशिष्ट प्रबंधन का अंतिम चरण है। इस में लैंड फिल या अपशिष्ट–से–ऊर्जा सुविधाओं जैसे स्थानों में अपशिष्ट पदार्थों के व्यवस्थित निपटारे के उद्देश्य से गतिविधियों को शामिल किया गया है।.

3.11.9 एस डब्ल्यू एम (सालिड वेस्ट मनेजमेंट) के मौजूदा परिदृश्य

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट गोरखपुर के शहरी स्थानीय निकाय की है, जिसमें जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 6,73,466 की आबादी के साथ 70 वार्ड शामिल हैं। चित्र गोरखपुर यूएलबी का नक्शा दिखाता है।

चित्र 3 मौजूदा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन साइट

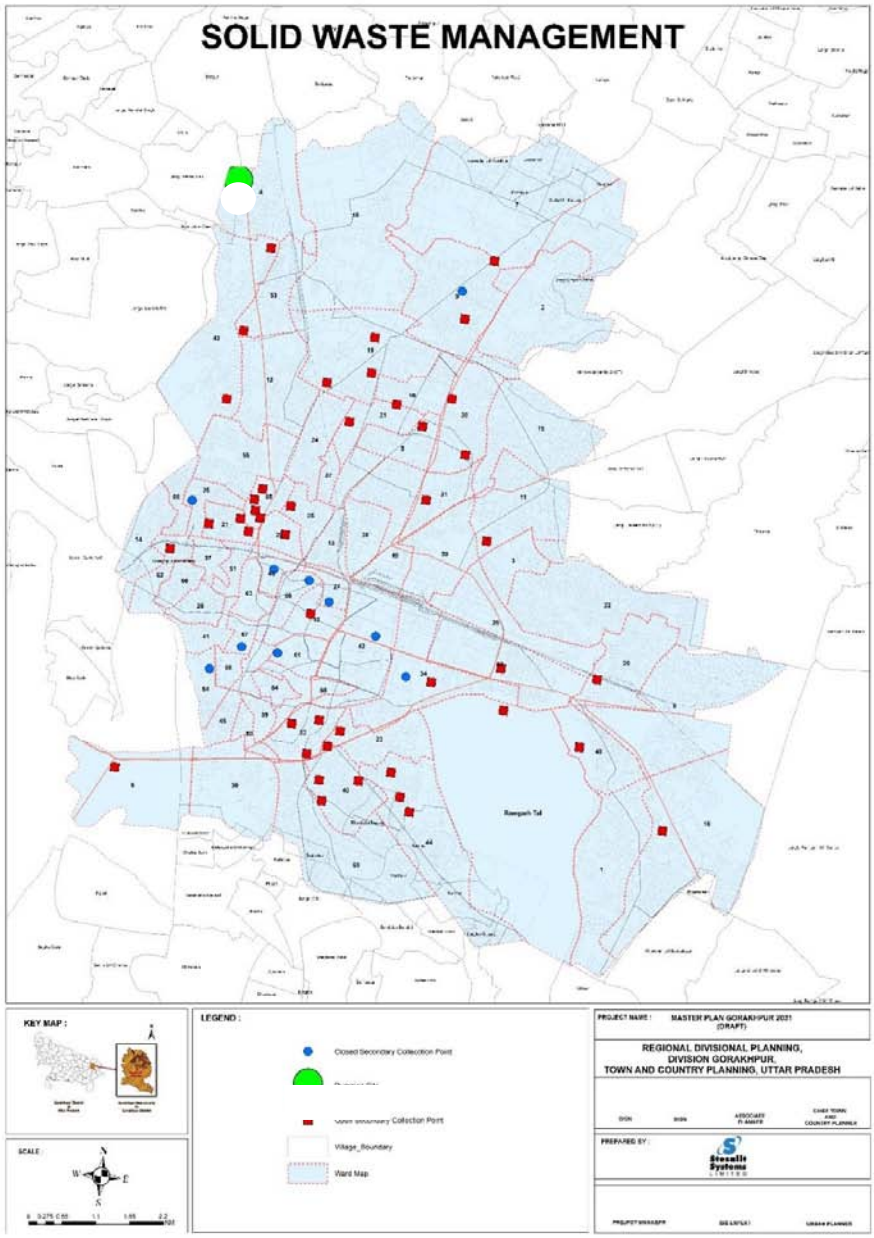

स्रोत: गोरखपुर नगर निगम

3.11.10 विद्युत (विद्युत केन्द्र और नेटवर्क ग्रिड)

विद्युत मनुष्यों की मूल आवश्यकता में से एक है विकास के साथ शहरी क्षेत्रों में बिजली की मांग में वृद्धि भी देखी जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार शहर में विद्युत संयोजनों की संख्या निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 25 मौजूदा बिजली की आपूर्ति

प्रकार	आवासीय	व्यावसायिक	औद्योगिक	कृषि	अन्य
संयोजनों की संख्या	26764	2925	66	0	1487
बिजली की खपत (किलोवाट/घंटा)	4132112	599605	58421	0	1578347

स्रोत: विद्युत विभाग, गोरखपुर 2020

3.12 यातायात और परिवहन

सड़क संजाल का नियोजन और विकास एक सतत प्रक्रिया है। गतिशीलता की जरूरत और सामुदायिक आकांक्षाएं हमेशा ही बढ़ती रहती हैं। सड़क विकास का लक्ष्य समय पर मांगों को पूरा करना होना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सड़क प्रणाली के नियोजन और विकास में परिवहन से संबंधी मांग को सही ढंग से समझा जाए और उस मांग को पूरा करने के पर्याप्त प्रावधान किए जाये हैं। मौजूदा संजाल (सड़के, रेलवे, हवाईअड्डे, जल मार्ग), परिवहन साधनों के विभाजन और यात्रा की प्रवृति और महत्वपूर्ण कारकों का विश्लेषण)

3.12.1 सड़क संजाल

गोरखपुर सड़क संजाल द्वारा देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शहर में पांच प्रमुख सड़के हैं जो क्षेत्रीय सम्पर्क के काम आती।

- राष्ट्रीय राजमार्ग –28 (दिल्ली – मोकामा) शहर के दक्षिणी छोर से गुजरता है और पश्चिम में लखनऊ और पूर्व की ओर बिहार को जोड़ता है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग –29 (गोरखपुर – वाराणसी) शहर के दक्षिण–पश्चिम भाग से गुजरता है और वाराणंसी से जुड़ता है।
- राजकीय राजमार्ग –1 (गोरखपुर – गोलाबाजार) शहर के मध्य से गुजरता है और पूर्व में देवरिया और उत्तर में नेपाल सीमा के पास सानौली को जोड़ता है।
- राजकीय राजमार्ग –81 (गोरखपुर – महाराजगंज) शहर के उत्तर पूर्व भाग से गुजरता है और महाराजगंज से जुड़ता है।
- गोरखपुर–कप्तानगंज रोड शहर के पूर्वी हिस्से से गुजरता है और पिपराइच को जोड़ती है।

3.12.2 आंतरिक सड़क संजाल

गोरखपुर का मौजूदा आंतरिक सड़क संजाल, संकीर्ण सड़कों वाला हैं जो बढ़ते वाहन यातायात को वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। शहर में सभी सड़कों की चौड़ाई 12 मीटर से 30 मीटर तक है। खराब ज्यामिति वाली संकीर्ण सड़के और फुटपाथ सीमा का अभाव यातायात को संभालने की संजाल क्षमता को सीमित करती है। शहर की प्रमुख सड़क और उनकी चौड़ाई निम्नत निम्न तालिका में दी गयी है–

तालिका 26 आंतरिक सड़क नेटवर्क

क्रमांक	प्रमुख सड़कों का नाम	मौजूदा चौड़ाई (मीटर)
1.	फर्टिलाइजर से झुंगिया रोड	16
2.	फर्टिलाइजर से राप्तीनगर खजांची जक्शन	24
3.	खजांची जंक्शन से पादरी बाजार रोड	24
4.	असुरन से मोहद्दीपुर	30
5.	तरंग रेलवे क्रॉसिंग से एच.एन. सिंह जंक्शन रोड	24
6.	एचएन सिंह जंक्शन से धरमपुर तिराहा	12
7.	तरंग क्रॉसिंग–बक्शीपुर–घंटाघर रोड	9

क्रमांक	प्रमुख सड़कों का नाम	मौजूदा चौड़ाई (मीटर)
8.	रेलवे स्टेशन–धर्मशाला बाजार–आर्य नगर रोड	12
9.	रेलवे स्टेशन–गोलघर–कचेहरी–बेतियाहाटा रोड	30
10.	घंटाघर–रायगंज रोड–धर्मशाला रोड	12
11.	घंटाघर–हलसीगंज–राजघाट रोड	9
12.	आर्य नगर–गोलघर–पार्क रोड–मोहद्दीपुर रोड	24
13.	विजय स्क्वायर–बैंक रोड–बख्शीपुर रोड	16
14.	बख्शीपुर–साहबगंज–लालदिग्गी रोड	12
15.	लालदिग्गी–इलाहीबाग (बंधा रोड)	12
16.	इलाहीबाग–तिवारीपुर रोड	9
17.	तिवारीपुर–तरंग क्रॉसिंग–हाजारीपुर रोड	16
18.	स्पोर्ट कॉलेज तिराहा – शास्त्री नगर रोड	18
19.	रामजानकी नगर रोड	18

स्रोत: गोरखपुर मास्टरप्लान 2021

3.12.3 शहर में सार्वजनिक परिवहन

शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में परिचालित विभिन्न लघु क्षमता के साधन हैं। इन वाहनों द्वारा सार्वजनिक परिवहन संचालन उनके संचालन क्षेत्र द्वारा चिन्हित किये जाते हैं।

ग्राफ 24 गोरखपुर की क्षेत्रीय सड़क कनेक्टिविटी

मुख्य गोरखपुर : मुख्य गोरखपुर में कचहरी, धर्मशाला और गोरखपुर विश्वविद्यालय आदि के क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक परिवहन साधन हरे रंग की पट्टी वाले ऑटो हैं। ये ऑटो पहले से परिकल्पित किए गए मार्गों पर चलते हैं। ये ऑटो मुख्य क्षेत्र के साथ–साथ न्यू गोरखपुर में आने वाले क्षेत्रों में संपर्क उपलब्ध करवाते हैं।

न्यू गोरखपुर: न्यू गोरखपुर क्षेत्र में मुख्य गोरखपुर से परे विकास प्राधिकरण की सीमा तक के क्षेत्र शामिल है। न्यू गोरखपुर क्षेत्र में परिवहन के विभिन्न तरीकों सामील है। जिन्हें उनके द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर निम्नवत विभेदित किया जा सकता है:

- काले ऑटो: ये ऑटो साझा किराया आधार पर चलते हैं और न्यू गोरखपुर के भीतर और गोरखपुर के बाहर 10-15 किमी तक चौरीचौरा, कैथवालिया और सहजनवा को जाते है।
- जीप/टाटा मैजिक: ये साधन भी साझा किराया आधार पर चलते हैं और न्यू गोरखपुर से गोरखपुर के बाहर लगभग 40 किमी दूर तक देवरिया, कैसीया बाजार और कैम्पिरगंज तक सेवा प्रदान करते हैं।
- शहर में टैक्सियों और ऑटो के लिए कोई संगठित स्थान नहीं है। टैक्सी स्टैंड कचहरी बस स्टैंड के निकट तुर्कमानपुर और महाराजगंज रोड में स्थानों पर उपलब्ध होते हैं।

शहरों के बीच उ.प्र.रा.स.प.नि. और कुछ निजी संचालकों द्वारा बस सेवा प्रदान की जाती है। उ.प्र.रा.स.प.नि दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों के लिए बसे सेवा प्रदान करता है। उ.प्र.रा.स.प.नि गोरखपुर शहर के भीतर निम्नलिखित तीन प्रकार की बस सेवाएं प्रदान करता है।

पंजीकृत वाहन:

तालिका 27 पंजीकृत वाहन

क्रमांक	वाहनों के प्रकार	वाहनों की संख्या				
		2020	2019	2018	2017	2016
निजी वाहन						
1.	टू व्हीलर (दुपहिया)	903208	825890	716972	643703	584427
2.	कारें	35243	29602	22614	16833	42319
3.	जीप	23170	21092	18493	16972	15829
4.	ओमनी बसें	103	99	93	86	42
5.	ट्रैक्टर	26686	26484	23978	22497	20976
6.	ट्रेलर	210	209	209	209	209
7.	अन्य	386	363	318	295	245
8.	परिवहन वाहन					
9.	बहुअक्षीय निर्मित वाहन	2296	2175	2004	1929	1871
10.	ट्रक और लॉरी	8788	7716	5111	3361	2454
11.	हल्के मोटर वाहन (माल)	15539	10437	10646	8999	7567
12.	बसें	2871	2535	1891	1676	1364
13.	टैक्सियां	3415	3197	2766	2522	2389
14.	हल्के मोटर वाहन (यात्री)	18923	15246	12333	10992	9040

स्रोत: आरटीओ, गोरखपुर 2020

3.12.4 केंद्रीय और कोर क्षेत्रों की यातायात समस्याएं

- शहर के मुख्य क्षेत्रों के किनारे उच्च घनत्व विकास के कारण भारी यातायात प्रवाह उत्पन्न होता है लेकिन सड़कों की सीमित चौड़ाई और क्षमता के कारण मुख्य क्षेत्रों की सड़कों पर यातायात की भारी भीड़ देखी जाती है।
- शहर के भीतर ऑफ–स्ट्रीट पार्किंग सुविधाओं का अभाव है जिस के कारण शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर आन स्ट्रीट पार्किंग देखी जाती है जो वाहनों के रास्ते का चौड़ाई को कम करती है। इसलिए विशेषरूप से मुख्य क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों पर यातायात अराजकता दिखाई पड़ती है।

- शहर में पैदल यात्रीयों और गैर मोटर चालित यातायात ढांचे। पैदल यात्री बुनियादी ढांचे के मूलभूत घटक फुटपाथ, सड़क के बीच पथ–पट्टियां, सड़क पार करने की सुविधाएं आदि का शहर के सभी महत्वपूर्ण गलियारे में अभाव हैं। सड़क ज्यामिति भी बहुत खराब है।
- अतिक्रमण शहर की गंभीर समस्याओं में से एक है जिसका तुरंत निदान करने की आवश्यकता है। अनौपचारिक वाणिज्यिक गतिविधियों के रूप में अतिक्रमण सभी प्रमुख सड़कों देखा जाता है जो सड़कों की क्षमता को कम करता है और शहर में यातायात जाम के कई कारणों में से एक हैं
- शहर के टर्मिनलों की दशा अच्छी नहीं हैं और यात्रियों के लिए काफी असुविधा जनक हैं। गोरखपुर मुख्य बस स्टैंड और कचहरी बस स्टैंड समेत सभी यात्री टर्मिनल में स्थान कम हैं और ये भीड़ वाले क्षेत्रों में स्थित हैं जहां सामान्यत यातायात जाम रहता हैं।
- परिवहन नगर में विक्रय सामग्री टर्मिनल बहुत ही खराब स्थिति में है। विक्रय सामग्री वाहनों की पार्किंग के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है और मुख्य सड़क और सेवा सड़कों सड़क पर ही पार्किंग होती है। परिवहन नगर की जगह भी उपयुक्त नहीं है जिससे आस पास के क्षेत्र में यातायात अराजकता उत्पन्न होती है।

यातायात सर्वेक्षण

चित्र 4 यातायात सर्वेक्षण

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>धर्मशाला रोब पर यातायात भीड</td><td>बस स्टैन्ड. पर यातायात भीड</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>गोरखनाथ मंदिर पर यातायात भीड़</td><td>गोलघर पर यातायात भीड़</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>गोलघर पर यातायात भीड़</td><td>सड़क पर खड़े वाहनों के कारण देवरिया मार्ग पर यातायात समस्या</td></tr>
</table>

यातायात के वर्तमान मुद्दों को हल करने के लिए यातायात सर्वेक्षण किया जाता है, सड़क विकास और सार्वजनिक परिवहन में सुधार सहित कई उपायों की आवश्यकता है। सभी उपरोक्त उपायों को ध्यान में रखते हुए यातायात सर्वेक्षण विधि चुनी जानी चाहिए। सर्वेक्षण विधि का चुनाव सर्वेक्षण क्षेत्र के शहरीकरण पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए।

- गृह साक्षात्कार सर्वेक्षण (पैदल यात्री सर्वेक्षण)
- यातायात सर्वेक्षण
- सड़क के किनारे ओ.डी सर्वेक्षण
- सड़क के किनारे यातायात आयतन की गणना

प्रारम्भ और गंतव्य विधि: इस विधि में, व्यक्तियों के समूह द्वारा साक्षात्कार स्टेशन पर निर्धारित प्रश्नावली के उत्तर उसी स्थान पर एकत्र किए जाते हैं। एकत्रित जानकारी में यात्रा प्रारम्भ स्थल और गंतव्य, मार्ग, रुकने के स्थान, यात्रा का उद्देश्य, वाहन का प्रकार और प्रत्येक वाहन में यात्रियों की संख्या शामिल होते है। यातायात पर पहले से लगाये गये चेतावनी संकेतों और पुलिस की मदद से निर्धारित लेन के माध्यम से अलग किया जाता है ताकि चयनित प्रत्येक वाहन के चालक का साक्षात्कार किया जा सके।

यातायात आयतन: इसे किसी दिए गए लेन या सड़क मार्ग पर निर्दिष्ट दिशा में जाने वाले वाहनों की ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो समय की निर्दिष्ट इकाई के दौरान किसी दिए गए बिंदु या अनुप्रस्थ अनुभाग से गुजरता है। इसे वाहन प्रतिघंटा अथवा वाहन प्रतिदिन के तौर पर व्यक्त किया जाता है। नीचे दी गई तालिकाएं यातायात सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित डेटा दिखाती हैं और विश्लेषण तद्नुसार दिखाया गया है।

कार्य संबंधी फेरे: शहर में यात्रा की मांग को जानने के लिए कार्य फेरों का अध्ययन किया जाना वांछित होता है और यह प्राथमिक सर्वेक्षण की सहायता से किया जाता है। गतिशीलता, सुगमता अभिगम्यता और यात्रा की मांग की गणना करने के लिए प्रमुख जंक्शनों का चयन किया गया था और यातायात प्रवाह का अध्ययन किया गया था। यातायात सर्वेक्षण का औसत परिणाम नीचे दिया गया है:

ग्राफ 25 रामगढ़ताल रोड पर ओडी सर्वेक्षण

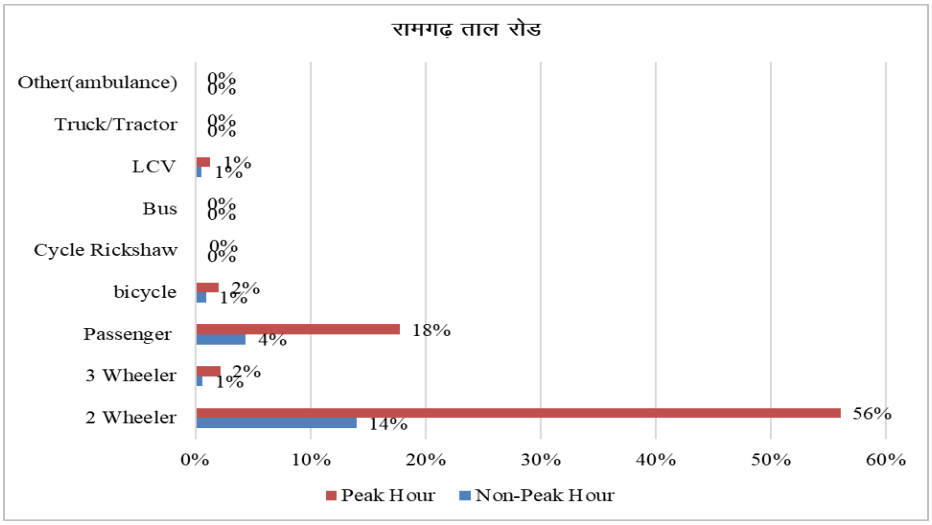

ग्राफ 26 बैंक रोड पर ओडी सर्वेक्षण

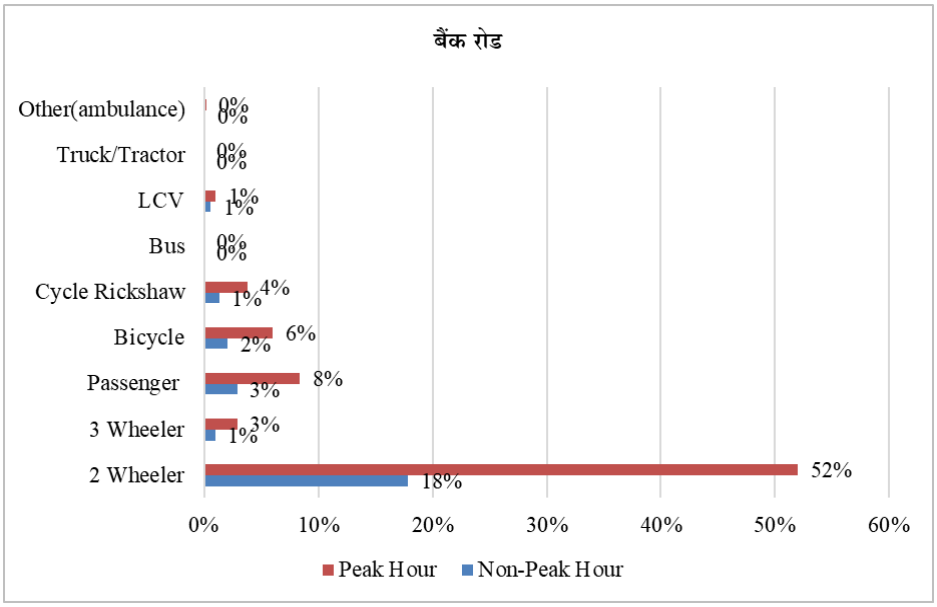

ग्राफ 27 बक्सिपुर रोड में ओडी सर्वेक्षण

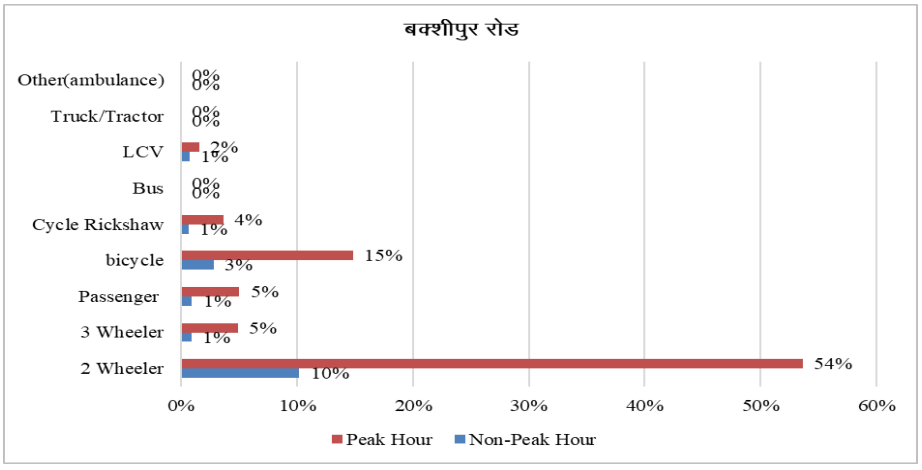

ग्राफ 28 जेल बाईपास में ओडी सर्वेक्षण

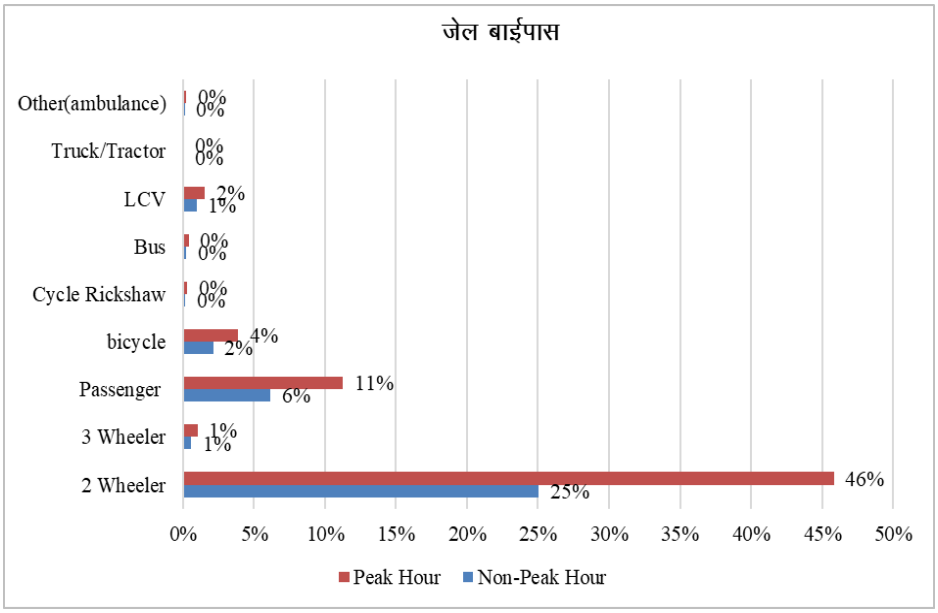

ग्राफ 29 यात्रा का तरीका

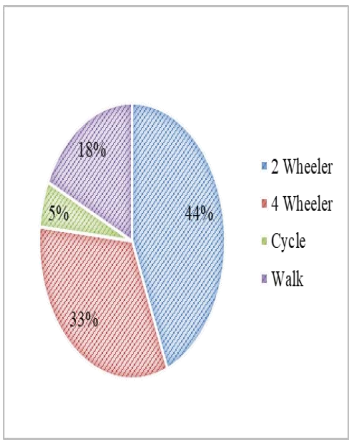

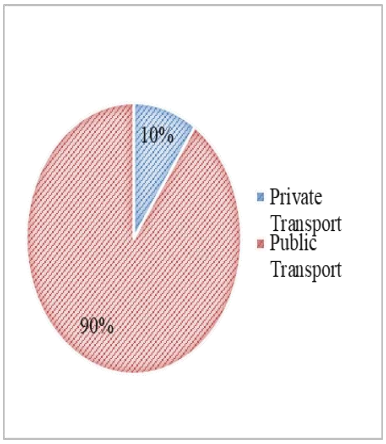

ग्राफ 30 वाहन का स्वामित्व

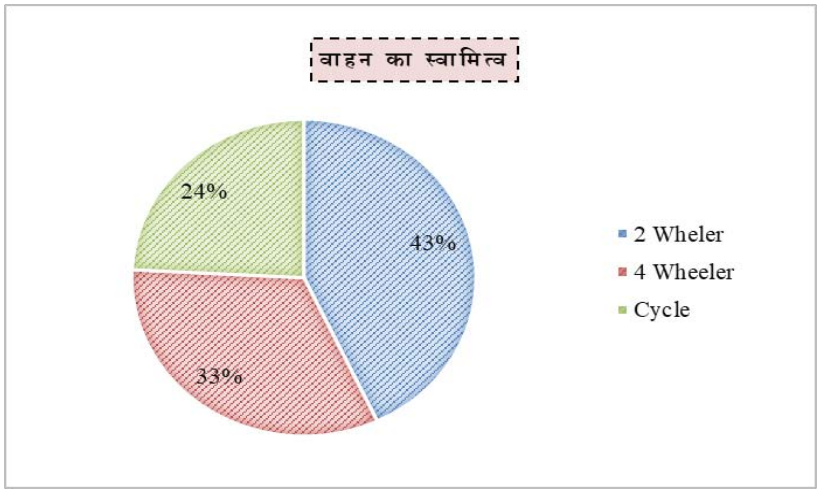

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

उक्त से ज्ञात होता है कि बड़ी संख्या में लोगों की कार्य विषयक यात्राएं कसया रोड, जेल बाईपास रोड, पैडलेगंज, मेडिकल रोड और कचेहरी रोड से होती हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन साधन शहर में यात्रा का अत्यधिक पसंदीदा साधन है। साथ ही यह भी पाया गया कि लगभग 75% यात्राएं कार्य यात्राएं विषयक होती हैं जबकि 25% यात्राएं माल ढुलाई यात्राएं होती है।

अनुमान

द्वितीयक और प्राथमिक डेटा से, यह देखा गया कि लोगों का पसंदीदा यात्रा का साधन दोपहिया और चार–पहिया वाहन है और शहर के भीतर यात्रा का अधिकतम समय 30-45 मिनट होता है। इसके अलावा, यह भी देखा गया था कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है जो मुख्य रूप से कास्या रोड, कचेरी रोड और मेडिकल कॉलेज रोड में चरम समय के दौरान यातायात को जमाव कारण बनता है। यद्यपि यातायात प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए प्रमुख जंक्शनों पर यातायात संकेत हैं और यातायात प्रवाह को व्यवस्थित करने के लिए शक्तिशाली पुलिस बल भी है तथा यातायात को संभालने के लिए यातायात नियम प्रवर्तन की आवश्यकता है। उचित पार्किंग स्थानों की कमी ने पार्किंग की समस्या में वृद्धि की है और शहर में फुटपाथ भी नहीं हैं जिस कारण पार्किंग स्थलों का प्रावधान वांछित है।

सड़क की लंबाई और फुटपाथ:

तालिका 28 मौजूदा सड़क की लंबाई

सतही सड़क की लंबाई (किमी में)	बिना सतह वाली सड़क की लंबाई (किमी में)	सड़क की कुल लंबाई (किमी में)	पैदल पथ	साइकिल ट्रैक
990	390	1380	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

स्रोत: गोरखपुर की जनगणना 2011

रेलवे

तालिका 29 रेलवे कनेक्टिविटी

रेलवे स्टेशनों की संख्या	1
रेल गेज के प्रकार	ब्रॉड गेज
रेलवे नेटवर्क की लंबाई	
प्लेटफार्मों की संख्या	10
यार्ड की संख्या	1

स्रोत: रेलवे विभाग, गोरखपुर 2020

3.13 सामाजिक आधारभूत संरचना

सामाजिक आधारभूत संरचना आर्थिक विकास और समाज के जीवन की गुणवत्ता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक आधारभूत संरचना सामाजिक कल्याण को बढ़ाती है और बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं को प्रदान करके आर्थिक विकास को आगे बढ़ाती है जो व्यवसायों को विकसित होने और फलने–फूलने का अवसर प्रदान करती हैं।

3.13.1 शैक्षिक सुविधाएं

नीचे दी गई तालिका में गोरखपुर में विद्यमान शैक्षिक सुविधाएं दर्शायी गयी है :–

विद्यालय

तालिका 30 स्कूलों की मौजूदा संख्या

शहर का नाम	विद्यालय	इंटर कॉलेज
गोरखपुर	403	28

स्रोत: मूल शिक्षा अधिवारी गोरखपुर 2020

नीचे दी गई तालिका उच्च शैक्षिक सुविधाओं के प्रकार और संख्या को दर्शाती गयी है :–

उच्च शिक्षा सुविधाएं

तालिका 31 मौजूदा उच्च शैक्षणिक सुविधाएं

शहर का नाम	प्रशिक्षण संस्थान	विकलांगों के लिए स्कूल	चिकित्सा महाविद्यालय	इंजीनियरिंग महाविद्यालय
गोरखपुर	3	2	1	1

स्रोत: मूल शिक्षा अधिवारी गोरखपुर 2020

3.13.2 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

वर्तमान स्थिति

तालिका 32 शहरी क्षेत्र में मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाएं

अस्पताल का प्रकार	इकाइयों की संख्या	बिस्तरों की संख्या
अस्पताल	10	100
परिवार कल्याण और मातृत्व केंद्र	7	70
औषधालय (सभी)	15	75
नर्सिंगहोम	30	300
टीबी अस्पताल / क्लिनिक	1	15
पशु चिकित्सा अस्पताल	1	-
दवा की दुकान	210	-

स्रोत: गोरखपुर की जनगणना 2011

3.13.3 मनोरंजन सुविधाएं

मनोरंजन को भावनात्मक स्थिति के पुनर्सृजन और पुनर्स्थापन के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने परिवार और स्वयं के साथ कुछ अच्छा समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि वे अपने कामकाजी जीवन के व्यस्त कार्यक्रम के लिए तैयार रहे। मनोरंजन सुविधाएं तनाव दूर करने में हमारी सहायता तो करती हैं साथ ही साथ मनोरंजन सुविधाएं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का सृजन भी करती हैं जिससे ऐसे स्थानीय लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है।

मनोरंजन सुविधाओं को शहर के निवासियों के बीच सामाजिक बंधन को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे हरित स्थान उपलब्ध करवाने चाहिए जहां वे इकट्ठे हो सके और जीवन में समाजिकता का समावेश हो सके। स्थानिय विकास और प्रसार के लिए मनोरंजन गतिविधियां वांछित है। इमारतों के आस–पास पार्क और निजी तौर पर वृक्षारोपित क्षेत्र शहरी पर्यावरण की गुणवत्ता तथा शहरी जीवन को समृद्ध करने में स्पष्ट रूप से प्रभावी भूमिका निभाते हैं।

इस प्रकार गोरखपुर शहरी क्षेत्र में उपलब्ध पार्कों और खुली जगहों की सूची तालिका में नीचे दिखाया गया है अतएव आंकड़ों से यह पाया गया है कि शहर में मौजूदा पार्कों और खुली स्थानों की कुल संख्या 188 है, जो वर्तमान आबादी के लिए पर्याप्त से अधिक है.

नीचे दी गई तालिका शहरों के भीतर उपलब्ध कुछ मनोरंजक गतिविधियों को दर्शाता है:

तालिका 33 शहरी क्षेत्र में मनोरंजन सुविधाएं

शहर का नाम	स्टेडियम	सिनेमा घर	सभागार	सार्वजनिक पुस्तकालय	वाचनालय
गोरखपुर	3	13	1	3	3

स्रोत: गोरखपुर की जनगणना 2011

3.13.4 सामाजिक–सांस्कृतिक सुविधाएं

समाज को आमतौर पर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सहकारी तरीके से संगठित होता है और एक आम संस्कृति को अपनाता है। समाज एक सामाजिक समूह है, जबकि संस्कृति समाज की सामान्य विरासत की प्रणाली है। संस्कृति के बिना कोई समाज नहीं हो सकता है और समाज के बिना कोई संस्कृति नहीं हो सकती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के रूप में जन्म लेता है वह समाज द्वारा बनाये गये गए कुछ नियमों का पालन करके सामाजिकता प्राप्त करता है और एक सु-संस्कृत व्यक्ति बन जाता है।

तालिका 34 मौजूदा सामाजिक–आर्थिक सुविधाएं

शहर का नाम	अनाथालय	वृद्धाश्रम
गोरखपुर	5	2

स्रोत: गोरखपुर की जनगणना 2011

3.13.5 अग्निशमन

उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज ने 1944 में 8 फायर स्टेशनों और 198 अग्नि सेवा कर्मियों के साथ काम करना शुरू किया और वर्तमान में इसमें 8278 से अधिक अग्नि सेवा कर्मियों के साथ 75 जिलों में 349 अग्निशमन केन्द्र हैं। उत्तर प्रदेश अग्नि सेवाएं वर्तमान में एक हजार से अधिक अग्नि इंजनों से लैस हैं और आग की घटनाओं और आग से संबंधित आपदाओं से उत्पन्न संकटमय स्थितियों में सहायक होती हैं। शहर में वर्तमान में 4 फायर स्टेशन और 107 अग्नि–योद्धा/सुरक्षाकर्मी हैं।

तालिका 35 विद्यमान अग्निशमन केन्द्रों का विवरण

अग्निशमन केन्द्रों की संख्या	4 संचालित
	4 निर्माणाधीन
अग्निशमन वाहनों की संख्या	कुल मिलाकर 15
अग्निशमन वाहनों की क्षमता	4500 लीटर के 8 वाहन
	2000 लीटर के 3 वाहन
	4500 लीटर के घरेलू टेडरों वाले 2 वाहन
	8000 लीटर के वाटर वाऊजर वाले 2 वाहन
कर्मिकों की संख्या	107

प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र का आच्छादित क्षेत्र अग्निशमन केन्द्रों की संख्या	अग्निशमन केन्द्र –गोलघर
	अग्निशमन केन्द्र –गिडा
	अग्निशमन केन्द्र दृगोला अल्गाहा
	अग्निशमन केन्द्र दृसहजनवा

स्रोत: अग्नि विभाग गोरखपुर 2020

शहर में आग से खतरे की सूची नीचे दी गई है

तालिका 36 शहरी क्षेत्र में आग दुर्घटनाओं की संख्या

आग खतरे	
वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
2016	30
2017	34
2018	30
2019	36
2020	18

स्रोत: अग्नि विभाग गोरखपुर 2020

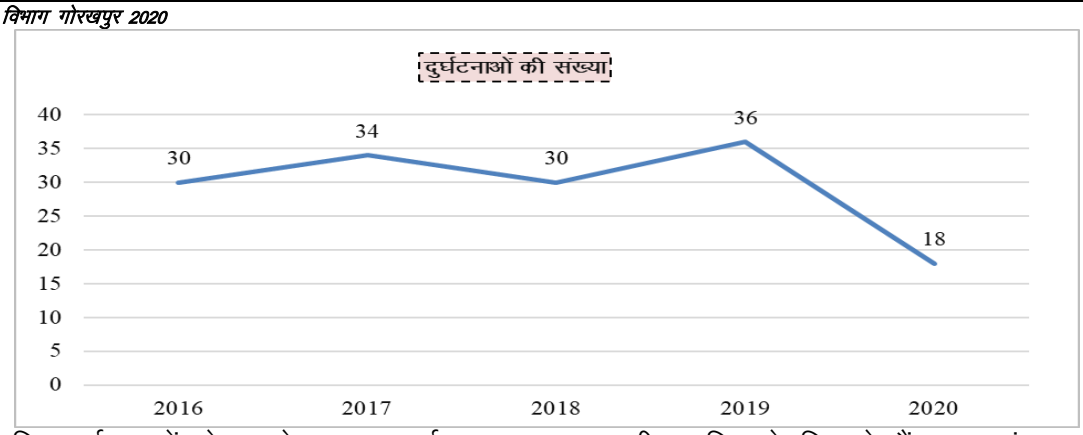

अग्नि दुर्घटनाओं के उपरोक्त ग्राफ वर्ष 2020 तक घटती प्रवृत्ति को दिखाते हैं, यहा संख्या कम होती दिखाई पड़ती है इसलिए आग दुर्घटनाओं की संभावना आने वाले वर्ष के लिए भिन्न हो सकती है। इसके अलावा, आग आपदाओं की बढ़ी हुई संभावनाओं के अनुसार आने वाले वर्षों के लिए एक और अग्निशमन केन्द्र प्रदान किया जा सकता है।

निष्कर्ष

मानदंडों के अनुसार, फायरस्टेशन आपदा साइट तक आसान पहुंच के भीतर स्थित होना चाहिए। एकत्रित आंकड़ों से यह पाया जाता है कि जनसंख्या प्रक्षेपण के अनुसार पांच अग्निशमन केन्द्रों कि आवश्यकता होगी और प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि अग्निस्टेशन की मौजूदा संख्या आग की घटनाओं को कवर करने के लिए पर्याप्त है

4 पर्यटन प्रोफाइल

4.1 पर्यटन

गोरखपुर में राप्ती और रोहिणी नदियों का संगम होता है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में गौतम बुद्व ने सत्य की खेज के लिये जाने से पहले अपने राजसी वस्त्र त्याग दिये थे। बाद में उन्होने मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनारा, जो अब कुशीनगर के नाम से जाना जाता है, पर मल्ल राजा हस्तिपाल बल्ल के आँगन में अपना शरीर त्याग दिया था। कुशीनगर में आज भी इस आशय का एक स्मारक है। यह शहर भगवान बुद्व के समकालीन 24वें जैन तीर्थकर भगवान महावीर की यात्रा के साथ भी जुड़ा है। भगवान महावीर जहाँ पैदा हुए थे वह स्थान गोरखपुर से बहुत दूर नहीं है। बाद में उन्होने पावपुरी में अपने मामा के महल में महानिर्वाण (मोक्ष) प्राप्त किया। यह पावापुरी कुशीनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सभी स्थान प्राचीन भारत के मल्ल वंश की जुड़वा, राजधानियों (16 महाजनपर) के हिस्से थे। इस तरह गोरखपुर में क्षत्रिय गण संघ, जो वर्तमान समय में मल्ल–सैंथवार के रूप में जाना जाता है, का राज्य भी कभी था।

विश्य में जितना अनोखा सुन्दर भारत है, भारत में उतना ही अनोखा व आकर्षक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पुर्वाचंल में गोरखपुर पर्यटन परिक्षेत्र एक विस्तृत भू–भाग मे फैला हुआ है। अनेक पुरातात्विक,आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों को समेटे हुए इस पर्यटन परिक्षेत्र की अपनी विशिष्ट परम्परांए है। सरयू, राप्ती, गंगा, गंण्डक, तमसा, रोहिणी जैसी पावन नदियों के वरदान से अभिसंचित, भगवान बुद्व, तीर्थकर महावीर संत कबीर गुरु गोरखनाथ की तपस्थली सर्वधर्म सम्भाव के संदेश देने वाले विभिन्न धर्म और लंबियों के डी वालों और प्रकृति द्वारा सजा सवेरे नया नाभिराम पक्षी विहार एवं अभयारण्य से परिपूर्ण यह परिक्षेत्र सभी वर्ग के पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है।

4.2 गोरखनाथ मन्दिर

गोरखनाथ मंदिर गोरखनाथ रेलवे स्टेशन से 04 किलोमीटर दूरी पर नेपाल रोड पर स्थित न संप्रदाय के संस्थापक परम सिद्ध गुरु गोरखनाथ का अत्यंत सुंदर भाव मंदिर स्थित है यहां प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी मेला का आयोजन होता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्लेष पर्यटक सम्मिलित होते हैं यह एक माह तक चलता है यहां वर्ष भर देसी विदेशी पर्यटकों का आगमन बना रहता है।

4.3 विष्णु मन्दिर

यहां मेडिकल कॉलेज रोड पर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी शाहपुरा मोहल्ले में स्थित है इस मंदिर में 12वीं शताब्दी की पलकालीन कल कसौटी पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा स्थापित है यहां दशहरा के अवसर पर पारंपरिक रामलीला का आयोजन होता है।

4.4 गीता प्रेस

गीता प्रेस रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर दूरी पर रेती चौक के पास स्थित गीता प्रेस में सफेद संगमरमर की दीवारों पर श्रीमद्भगवदगीता गीता के संपूर्ण 18 अध्याय के श्लोक उत्कीर्ण। गीता प्रेस की दीवारों पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एवं भगवान श्री कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं की चित्रकला

प्रदर्शित है। यहां पर हिंदू धर्म की दुर्लभ पुस्तके, हैंडलूम एवं टेक्सटाइल वस्त्र सस्ते दर पर बेचे जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण का प्रकाशन भी यहीं से किया जाता है।

4.5 विनोद वन

विनोद वन रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर गोरखपुर–कुशीनगर मार्ग पर कुसमी जंगल में अत्यंत सुंदर एवं मनोहारी छटा से पूर्ण मनोरंजन केंद्र (पिकनिक स्पाट) स्थित है, जहाँ बरीहसिंघे व अन्य हिरण, अजगर, खरगोश तथा अन्य वन्य पश–पक्षी विचरण करते हों यहीं पर प्राचीन बुढ़िया माई का स्थान भी है, जो नवररात्रि तथा अन्य अवसरों पर अनेकों श्रद्धालुओ/ पर्यटकों को आकर्षित करती है।

4.6 गीता वाटिका

गोरखपुर–पिपराइच मार्ग पर रेलवे स्टेशन से 03 किलोमीटर दूरी पर स्थित गीता वाटिका में राधा–कृष्ण का भव्य मनमोहनक मंदिर स्थित है। इसकी स्थापना प्रख्यात समाजसेवी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने की थी।

4.7 टेराकोटा

गोरखपुर से 22 किमी. दूर औरंगाबाद गाँव टेराकोटा की वस्तुओं के लिये प्रसिद्ध है।

4.8 रामगढ़ ताल

रामगढ़ ताल गोरखपुर शहर के अंदर स्थित एक विशाल तालाब (ताल) है यह रेलवे स्टेशन से 05 किलोमीटर दूरी पर पूर्व से पश्चिम लगभग 2.7 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लगभग 4.2 किलोमीटर एवं परिधि 14 किलोमीटर विस्तृत भू–भाग में स्थित है। यह पर्यटकों के लिए अत्यंत आकर्षक केंद्र है। यहां जल क्रीड़ा केंद्र, नौकाविहार, बौद्ध संग्रहालय, तारामंडल चंपा देवी पार्क एवं अंबेडकर उद्यान आदि दर्शनीय स्थल है।

4.9 इमामबाड़ा
गोरखपुर नगर के मध्य में रेलवे स्टेशन से 02 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस इमामबाड़े का निर्माण हजरत बाबा रोशनअली शाह की अनुमति से सन् 1777 ई0 में नवाब आसफुद्दौला ने करवाया। उसी समय यहां पर तीन बहुमूल्य ताजियां एक स्वर्ण, दूसरा चांदी एवं तीसरा कांस्य का रखा हुआ है। यहां से मोहर्रम का जुलूस निकलता है।

4.10 प्राचीन महादेव छाखंडी मन्दिर
गोरखपुर शहर से देवरिया मार्ग पर कूड़ाघाट बाजार के निकट शहर से 04 किलोमीटर पर यह प्राचीन शिव स्थल रामगढ़ ताल की पूर्वी भाग पर स्थित है।

4.11 मुंशी प्रेमचन्द उद्यान
गोरखपुर नगर के मध्य में रेलवे स्टेशन से 06 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मनोरम उद्यान प्रख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के नाम पर बना है। इसमें प्रेमचंद के साहित्य से संबंधित एक विशाल पुस्तकालय निर्मित है तथा यह उन दिनों का घोतक है जब मुंशी प्रेमचंद गोरखपुर में एक स्कूल टीचर थे।

4.12 सूर्यकुण्ड धाम
गोरखपुर नगर के एक कोने में रेलवे स्टेशन से 04 किलोमीटर दूरी पर स्थित ताल के मध्य में स्थित इस स्थान में बारे में यह विख्यात है कि भगवान श्री राम ने यहां पर विश्राम किया था, जो कि कालांतर में भव्य सुर्यकुण्ड बना। यह 10 एकड़ में फैला है।

4.13 चौरीचौरा शहीद स्मारक स्थल
गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा की 4 फरवरी 1950 की घटना 1922 की घटना जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई, के बाद चर्चा में आया जब पुलिस अत्याचार से गुस्सा है 2000 लोगों की एक भीड़ ने चोरी चोरा का थाना ही फूँक दिया जिसमें 19 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गयी। आम जनता की इस हिंसा से घबराकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन एकाएक स्थगित कर दिया। शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक भी यहां स्थापित है, जहाँ वर्षभर पर्यटकों का आगमन रहता है।

4.14 पं0 राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्मारक स्थल
गोरखपुर में स्थित चोरा चोरी की 4 फरवरी 1922 की घटना का परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक देशव्यापी प्रमुख क्रांतिकारी दल घटित हुआ जिसने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड करके ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती दी जिसके परिणाम स्वरुप दल के प्रमुख क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय बाग लेने के लिए फांसी दे दी गयी। 19 सितंबर 1927 को बिस्मिल की अंत्येष्टि जहां पर की गयीं वह राजघाट नाम का स्थान गोरखपुर में ही राप्ती नदी के तट पर स्थित है।

4.15 डोहरियाकला शहीद स्माारक स्थल
सहजनवा तहसील के पाली ब्लाक अंतर्गत डोहरिया गांव में 23 अगस्त, 1942 को आयोजित एक विरोध सभा पर ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा बलों ने गोलियाँ चलाई जिसके परिणामस्वरूप अकारण 09लोग माने गए और सैकड़ो घायल हो गये। एक शहीद स्मारक स्थल आज भी उस स्थान पर स्थापित है।

4.16 अमर शहीद बन्धू सिंह स्मारक एवं तरकुलहा देवी मंदिर स्थल
अमर शहीद अमर शहीद बंधू सिंह भारत के ब्रिटिश राज्य के खिलाफ गुरिल्ला पद्धति से लड़ने वाले एक क्रांतिकारी थे। बंन्धू सिंह का जन्म 1 मई, 1833 को डुमरी रियासत के एक जमींदार परिवार में बाबू शिवप्रसाद सिंह क्या हुआ था। शाहिद बंधू सिंह स्मारक व तालाब तरकुलहा देवी मंदिर परिसर में स्थित है।

4.17 जैन मंदिर
गोरखपुर के अलीनगर क्षेत्र में स्थित जैन मंदिर 165 सालों से कईयों इतिहास अपने अंदर समेटे हुए आज भी जस का तस बना हुआ है। हालांकि जीनावलंबियों द्वारा समय–समय पर इनका जीर्णोद्वार कई बार कराया जा चुका है, लेकिन इस मंदिर का ऐतिहासिक अपने आप में अलग है। जैन संप्रदाय के पांच पुरोधाओं द्वारा मंदिर

का निर्माण वर्ष 1854 में किया गया था। आज भी दीवार पर लगे शीलावट्ट व पुराने जमाने की मूर्तियां इसकी कहानी बयां कर रही हैं। इतिहास में भी इस मंदिर के प्रमाण मिलते हैं। लगभग 200 वर्ष पुराना मंदिर है। मुगलों के आतंक के चलते मंदिर के तहखाने में वेदियों को स्थापित किया गया था। आज भी तहखाना में स्थित वेदियों की पूजा होती है।

4.18 सेंट जोसेफ कैथ्रेडल चर्च

गोरखपुर में सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित यह चर्च शहर के सबसे पुराने चर्चो में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1860 में हुई थी। चर्च में लगे 3 घंटे 1896 में लंदन से मंगाए गए थे। 50 किलोग्राम वजनी इस घंटे की मिनट और स्टैंड बैंक ने लंदन से भेजा था सेंट जोसेफ चर्च के शहर को वहां गिरजाघर भी कहा जाता है। सेंट जोसेफ कैथ्रेडल चर्च को पहले लाल गिरजाघर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह चर्च पहले लाल रंग का था चर्च की ओर से समाज सेवा का भी काम किया जाता है। चर्च की ओर से साल में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग शामिल होते हैं।

4.19 काली बाड़ी मंदिर

गोरखपुर शहर के प्राचीनतम मोहल्ले में शुमार रेती चौक की एक पहचान वहां मौजूद कालीबाड़ी मंदिर भी है, जो जिले ही नहीं बल्कि समूचे पूर्वांचल की आस्था का केंद्र है। सवा 200 साल पहले से अधिक पुराना इतिहास रखने वाला यह मंदिर अब पूर्वांचल की धरोहर माना जाने लगा है। जनसूत्रों के मुताबिक इसकी स्थापना मुगल फौजी के सिपहसालार फणींद्र नाथ सान्याल ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की। फणींद्र जब गोरखपुर में बतौर सिपहसालार नियुक्त हुए तो अपनी ड्यूटी के दौरान एक बार उनकी नजर एक पहाड़ एक पाकड़ के पेड़ के नीचे मां काली की प्राचीन मूर्ति पर पड़ी। पुस्तक '**आईने गोरखपुर**' के मुताबिक उन्होंने पकड़ के पेड़ के पास ही 1786 में कालीबाड़ी मंदिर का निर्माण कराया और वहां की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुरातत्वविदों के मुताबिक मंदिर में स्थापित मां काली की मूर्ति पाल वंश के शासनकाल की है।

4.20 मुक्तेश्वरनाथ मंदिर

गोरखपुर शहर में राप्ती नदी के तट पर स्थित मुक्तेश्वर मंदिर शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का मुक्तेश्वर नाम इसके बगल में मुक्तिधाम होने के कारण पड़ा। शिवरात्रि में यहाँ शिव भक्तों का जन सैलाब उमडता है। ऐसी मान्यता है कि लगभग 400 वर्ष पूर्व यहां घना जंगल हुआ करता था। यहां पर वर्ष भर देशी विदेशी पर्यटकों का आगमन होता रहता है।

4.21 मंजेश्वरनाथ मंदिर

गोरखपुर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर भगवापार बाबा मुंडेश्वर नाथ की नगरी है। राजा मुंज द्वारा स्थापित होने के कारण इस मंदिर का नाम मुन्जेश्वरनाथ पड़ा। मान्यता है कि बाबा मुंडेश्वर नाथ ने अपने ऊपर आज तक छत नहीं लगने दिया। कुछ राजाओं ने छत रखने का प्रयास किया, लेकिन वह रात में अपने आप गिर जाती था। उसके बाद प्रयास बंद हो गया। पीपल और बरगद के संयुक्त महाकाय वृक्ष की छाया में बाबा विराजमान है। यहां हर सोमवार, शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है, लेकिन श्रावण मास और महाशिवरात्रि को सबसे ज्यादा पर्यटक यहां आते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण स्थान

- प्रणव मंदिर ओंकार आश्रम (महर्षि ओंकार नाथ द्वारा स्थापित)
- आरोग्य मंदिर
- भारतीय वायु सेना
- राजकीय बौद्ध संग्रहालय
- तारामंडल
- सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम
- गोरखा राइफल्स रेजीमेंट

- जटाशंकर गुरुद्वारा
- मोहद्दीपुर गुरुद्वारा
- शाही जामा मस्जिद
- इंदिरा गांधी बल विहार
- जमा मस्जिद रसूलपुर
- जमा मस्जिद (गोरखनाथ मंदिर के पास)
- नूर मस्जिद (चिल्मापुर रुस्तमपुर)
- मदीना मस्जिद (रेती रोड)
- गया–ए–मस्जिद (मदरसा चौक बसंतपुर)
- रेलवे संग्रहालय

तालिका 37 तालिका संख्या गोरखपुर में पर्यटकों के आगमन का वर्षवार डेटा

वर्ष	देशी पर्यटक	विदेशी पर्यटक	कुल
2017	2405705	36249	2441954
2018	2753546	38715	2792261
2019	3009033	42010	3051043
2020	1468390	8909	1477299
2021	684095	1378	685473
2022	1989546	3242	1992788

स्रोत–क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय गोरखपुर

5 पर्यावरणीय रूपरेखा

शहर के सतत विकास हेतु सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को पर्यावरण और ऊर्जा लक्ष्यो के साथ लागू किय जाना आवश्यक होता है। सतत शहर प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग, पारिस्थितिकीय छापों में कमी और आबादी के रहने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता प्राप्त करते हैं। सतत शहरी विकास पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर आधारित है।

उत्तर प्रदेश मे पर्याप्त मात्रा मे भूमि और उनके सिंचाई हेतु कई नदियों है। ये संसाधन बड़े आर्थिक लाभ का स्रोत हैं और किसी भी प्रकार के उद्योग के लिए उपयोगी हैं।

5.1 कुश्मी जंगल

वन जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन संभावित ऊर्जा स्रोतों में से एक है जो सक्रिय रूप से जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन को पूरा करता है। कुशमीवन, रेलवे जंक्शन के पास स्थित गोरखपुर का एक लोकप्रिय आकर्षण है। इसमें बिक्री और सेक्वॉया पेड़ शामिल हैं और बंदरों, हिरण और लोमड़ी जैसे जानवरों को यहां देखा जा सकता है।

कुशमी वन एक प्रकार का साल वर्चस्व वाले वृक्षारोपण वन है। देवी बुद्धिया माई को समर्पित एक मंदिर भी है।एक चिड़िया घर और विनोद वन नामक एक पार्क भी इस जंगल से जुड़ा हुआ है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर हिस्से में राप्ती नदी के साथ स्थित एक शहर है। यह शहर छोटे जल निकायों में समृद्ध है और अधिकांश कृषि भूमि इन्ही जल निकायों पर निर्भर हैं। ये जल निकाय गोरखपुर शहर के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित हैं।

5.2 राप्तीनदी

उत्तर–पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक फैली राप्ती नदी लगभग 10 किमी चौड़ी पट्टी है। राप्ती नदी इस क्षेत्र के मध्य भाग से बहती है। इसके प्रवाह मार्ग में कई तीखे मोड़, झीले और नदी की बंद धाराएं हैं। राप्तीनदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है और नदी के दोनों ओर के क्षेत्रों मे हर साल बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इस क्षेत्र में राप्ती में शामिल होने वाली कई धाराएं हैं।

5.3 आर्द्र भूमि

रामगढ़ताल गोरखपुर मे स्थित एक झील है। यह लगभग 725 हेक्टेयर मे फैला हुआ है और इसके चारों तरफ बने तटबांध लगभग 18 किमी के है। यह शहर के दक्षिण पूर्व मे स्थित है । रामगढ़ताल में विभिन्न मछलियां होती है। तट पर रहने वाले कई गांवों के लोग न केवल मछली पकड़ने का आनंद लेते हैं साथ ही साथ अपनी जीविका भी कमाते हैं। महेशारा झील मणिराम अपनी सुंदर सुंदरता के लिए भी जाना जाता है और यही कारण है कि अधिकांश भोजपुरी फिल्म प्रोडक्शन हाउस इस स्थान पर शूट करने के लिए पसंद करते हैं।

शहर (तराई क्षेत्र में होने) में 1960 के दशक के दौरान 103 छोटे और बड़े जलनिकाय थे और इन जल निकायों ने जल निकासी प्रणाली में एक प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि, आवास और भूमि की मांग में वृद्धि के कारण, लोगों के उन जल निकायों पर अतिक्रमण किया है। वर्तमान में शहर में इन जल निकायों की संख्या घटकर 43 हो गई है।

5.4 शहर में प्रदूषण स्तर

5.4.1 वायु प्रदूषण

शहरों में वायु प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। जो की समय के साथ बढ़ती आबादी और उनके उपयोग आने वाले मोटर वाहनों के कारण बढ़ता है।

तालिका 38 वायु प्रदूषण स्तर

प्रदूषण का प्रकार	आवासीय	व्यावसायिक	औद्योगिक
SO_2	10 –g/m³	15 –g/m³	28 –g/m³
NO_2	16 –g/m³	30 –g/m³	40 –g/m³
SPM	178 –g/m³	286 –g/m³	328 –g/m³

स्रोत: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर

5.4.2 ध्वनि प्रदूषण

हाल के दिनों में ध्वनि प्रदूषण, दुनिया भर में शहरी इलाकों में जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख परेशानियों में से एक है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और अन्य संचार और परिवहन प्रणालियों में तेजी से वृद्धि के कारण, ध्वनि प्रदूषण परेशान के स्तर तक पहुंच गया है। वर्तमान में, ध्वनि स्रोतों से दूर के निवास और मौन सड़कों के पास बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और बहुत महत्व प्राप्त कर रहे हैं। आम जनता ध्वनि से दूर स्थानों में रहना पसंद करती है।

ध्वनि प्रदूषण को अपने स्रोत और प्रसार विशेषताओं के कारण अन्य प्रदूषण श्रेणियों से अलग किया जाता है, जो शहरी पर्यावरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।एक शहर में ध्वनि प्रदूषण स्तर की पहचान करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दिए गए मानकों के साथ तुलना की जानी चाहिए। नीचे दी गई तालिका ध्वनि प्रदूषण के मानकों को दर्शाती है।

तालिका 39 ध्वनि प्रदूषण स्तर मानक

क्रमांक	श्रेणी नाम	दिन का समय (डीबी)	रात का समय (डीबी)
1	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
2	व्यवसायिक क्षेत्र	65	55
3	आवसीय क्षेत्र	55	45
4	शांत क्षेत्र	50	40

स्रोत: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)।
**दिन का समय प्रात 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक होगा।*
**रात का समय रात्रि 10.00 पीएम से होगा। सुबह 6.00 बजे तक होगा।*
**शांत क्षेत्र एक क्षेत्र है जो अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों, अदालतों, धार्मिक स्थानों या किसी अन्य क्षेत्र के आसपास 100 मीटर से कम नहीं है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया है*
**सक्षम प्राधिकारी द्वारा चार उपर्युक्त श्रेणियों में से एक के रूप में क्षेत्रों की मिश्रित श्रेणियां घोषित की जा सकती हैं।*

तालिका 40 ध्वनि प्रदूषण स्तर

ध्वनि प्रदूषण का स्तर (डीबी)			
आवासीय	व्यावसायिक	संस्थागत	औद्योगिक
68	74	80	83

स्रोत: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर

निष्कर्ष

उपर्युक्त डेटा से यह देखा जा सकता है कि अधिकतम शोर प्रदूषण औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में है। इस प्रकार, शोर प्रदूषण स्तर को सीमा के भीतर लाने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

5.4.3 जल प्रदूषण

जल गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती है जो इक्कीसवीं शताब्दी में प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है। पिछले तीन दशकों में पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों पर वैश्विक चिंता बढ़ी है। प्रदूषण के कारण सभी ज्ञात मानव रोगों का लगभग 25 प्रतिशत रोग पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती हैं। गोरखपुर के वॉटर बॉडी की जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए इसकी तुलना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए मानकों के साथ की जाती है। प्राकृतिक जल निकायों में जल प्रदूषण को विभिन्न मानकों के आधार पर पहचाना जा सकता है, जैसे कि विघटित ऑक्सीजन (डी.ओ), जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बी.ओ.डी), कोलिफॉर्म जीव, पीएच इत्यादि। पानी की गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार, पीने के पानी में ≥ 6 मिली ग्राम/एल और बीओडी स्तर <2 मिली ग्राम/एल होना चाहिए। इसके अलावा, कोलोफॉर्म स्तर पानी में 50 एमपीएन/ 100 मिलीलीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी स्रोत की पानी की गुणवत्ता इन मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रही है, तो पूरे उपचार के बिना पानी को पीने के उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है.

तालिका 41 पेयजल मानक

मापदंड	**मानक** (नदी)
BOD	<3 mg/l
DO	>5 mg/l
pH	6.5–8.5
COD	<10mg/l
TDS	<30 NTU

स्रोत: सीपीसीबी मानदंड

डोमिनगढ़, गोरखपुर के पास राप्ती नदी की उपरी धारा की जल गुणवत्ता।

बी.ओ.डी स्तर	सी.ओ.डी स्तर	कठोरता	कोलिफॉर्म लेवल	पी.एच स्तर
3-2 mg/l	18 mg/l	220 mg/l	27000 MPN/100ml	8.16

स्रोत: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर

राजघाट, गोरखपुर के पास राप्ती नदी अधो धारा की जलगुणवत्ता

तालिका 42 राप्ती नदी के पानी प्रदूषण स्तर नीचे रजाई राजघाट

बी.ओ.डी स्तर	सी.ओ.डी स्तर	कठोरता	कोलिफॉर्म लेवल	पी.एच स्तर
5-0 mg/l	20 mg/l	230 mg/l	26000 MPN/100ml	7.7

स्रोत: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर

5.5 गोरखपुर में बाढ़ के मुद्दे

गोरखपुर में मध्यम से उच्च तीव्रता की बाढ़ देखी जाती है, इसके प्रमुख कारक शहर की कटोरी के आकार की स्थलाकृति के साथ–साथ प्राकृतिक जल निकायों पर अतिक्रमण है। 1998 में बाढ़ का प्रभाव विनाशकारी था जब कई स्थानों पर बाँध टूट गया और 1145 गांव प्रभावित हुए (जिला रिकॉर्ड और स्थानीय सूचना)। 2001 की बाढ़ के बाद तटबंध का निर्माण करके रोहिणी और राप्ती नदियों के किनारे बाढ़ को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए हैं। 2001, 2007 और 2009 में फिर से बाढ़ आई, लेकिन 1998 के पैमाने पर नहीं।

आपदा प्रबंधन एक समग्र योजना है जिसके अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं–बाढ़ सूखा, बे–मौसम वर्षा, ओलावृष्टि, चक्रवात तथा भूकंप एवं भीषण दुर्घटना की स्थिति में प्रशासन को पूर्व तैयारी, प्रतिक्रया तथा जोखिम से सम्बंधित समयबद्ध प्रभावी कदम उठाये जाते हैं।

6 वर्तमान भू-उपयोग एवं महायोजना - 2021 का तुलनात्मक अध्ययन

6.1 वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र

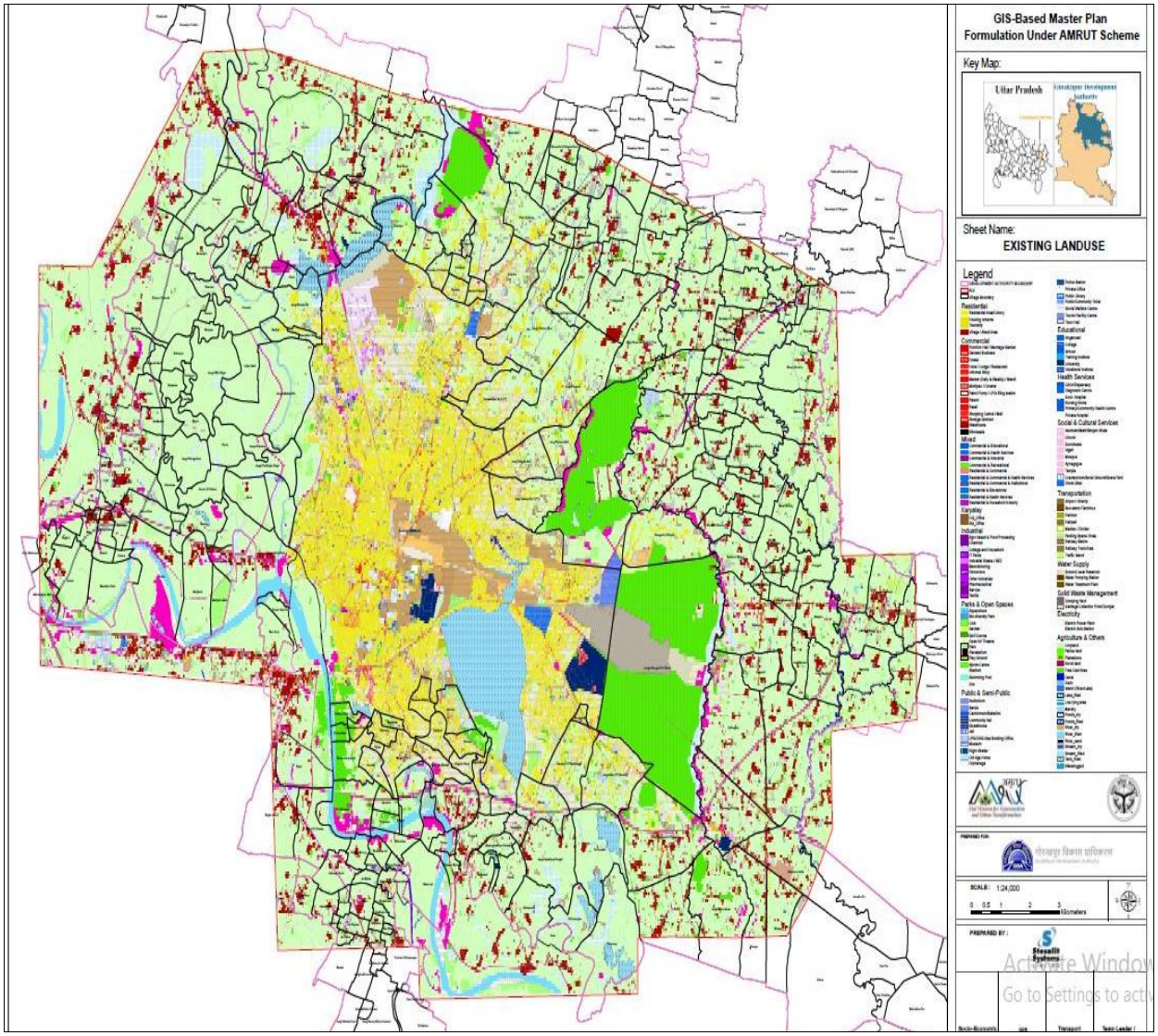

6.2 महायोजना 2021 में विचलन की स्थिति

S.No	प्रस्तावित भू–उपयोग 2021		वर्तमान भू–उपयोग 2020											प्रस्तावित भू–उपयोग के अनुकूल विकास		प्रस्तावित भू–उपयोग के प्रतिकूल विकास		कुल विकसित भूमि	कुल अविकसित भूमि	कुल क्षेत्र
		क्षेत्र फल (हेक्टेर)	आवासीय	व्यावसायिक	मिश्रित	औद्योगिक	कार्यालय	सामुदायिक सुविधाये	मनोरंजन	यातायात परिवहन	अन्य (जलाशय)	रिक्त भूमि	अविकसित भूमि	क्षेत्र	%	क्षेत्र	%			
1	आवासीय	6085.99	2500.99	69.98	102.78	16.84	115.63	196.70	31.90	392.00	47.58	1422.42	1189.16	2972.47	48.84	501.93	8.25	4896.82	1189.17	6085.99
2	व्यावसायिक	691.80	124.88	40.49	28.67	6.21	5.30	13.50	0.11	22.21	4.64	136.21	309.58	67.45	9.75	178.56	25.81	382.22	309.58	691.80
3	औद्योगिक	522.50	50.29	8.40	4.14	155.19	130.22	7.19	0.00	26.03	1.43	119.02	20.58	182.65	34.96	200.24	38.32	501.91	20.58	522.49
4	कार्यालय	693.26	88.28	2.89	1.86	0.00	126.68	94.70	6.49	26.07	1.63	80.11	264.55	160.87	23.20	187.73	27.08	428.71	264.55	693.26
5	सामुदायिक सुविधाये	974.20	129.98	26.83	9.64	5.02	63.17	299.34	7.00	41.70	41.85	171.05	178.62	389.89	40.02	234.64	24.09	795.58	178.62	974.20
6	मनोरंजन	826.79	187.82	10.57	4.28	1.08	29.88	12.67	56.91	40.00	22.60	222.30	238.67	119.51	14.45	246.30	29.79	588.11	238.67	826.78
7	यातायात परिवहन	827.12	177.90	40.08	44.67	4.47	20.26	34.76	9.45	144.56	19.30	155.36	176.30	173.31	20.95	322.14	38.95	650.81	176.30	827.12
	योग	10621.69	3260.14	199.24	196.04	188.81	491.14	658.86	111.86	692.57	139.03	2306.47	2377.49	4066.15	38.28	1871.54	17.62	8244.16	2377.49	10621.70
8	कृषि	40116.31	872.80	86.83	120.82	47.84	187.89	240.50	3.98	10.37	2797.71	1665.73	34081.84	-	-				-	-
	कुल योग	50738.00	4132.94	286.07	316.86	236.65	679.03	899.36	115.84	702.94	2936.74	3972.20	36459.33							

7. नियोजन की समस्यायें

शक्ति

- प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण की जनसंख्या में वृद्धि।
- गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण शहरों से सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 28 सबसे महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्ग है।
- पूर्वोतर रेलवे का मुख्यालय।
- गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में हर घर पहुच कर ठोस अपशिष्ट संग्रह किया जाना।
- गोरखपुर में दो मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्र हैं।
- वर्षा जल संचयन संरचनाएं।
- रामगढ़ताल।

दुर्बलता

- वर्षा जल निकासी की पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं में कमी ।
- चौराहे पर पर्याप्त ज्यामिति की अनुपस्थिति के कारण यातायात सम्बन्धी समस्याएं।
- सघन निर्मित/विकसित क्षेत्रों में समुचित पार्किंग व्यवस्था का अभाव।
- पर्याप्त रोजगार के अवसरों की कमी ।
- जल उपचार संयंत्रों की कमी ।
- फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की कमी।
- अनधिकृत आवासीय उपनिवेशों का विकास।
- जल निकायों में अतिक्रमण।

अवसर

- पर्याप्त प्राकृतिक भू–जल।
- गोरखपुर सामाजिक रूप से सक्रिय शहर है और यह शहर में पर्यटन बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है।
- तकनीकी हब और चिकित्सा सुविधाओं की मांग।
- बेहतर परिवहन संबंधों के कारण छोटे शहरों का विकास।
- कृषि आधारित उद्योगों के साथ–साथ हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज की विकास क्षमता।
- गैर मोटर चालित परिवहन।
- स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन के लिए मास्टर प्लान की तैयारी।
- पार्किंग नीति योजना की तैयारी।

जोखिम

- जल निकायों पर अतिक्रमण के वजह से नीची ढलान वाले क्षेत्रों में जल जमाव और बाढ़ की स्थिति की समस्या।
- जल की गुणवत्ता में गिरावट।
- नगर केन्द्र क्षेत्रों में यातायात की समस्या।
- औद्योगिक प्रदूषण में वृद्धि।

गोरखपुर महायोजना के नियोजन की समस्याएंः

गोरखपुर नगर के निकट ''गोरखपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र'' (गीडा) की स्थापना के फलस्वरूप नगर में नये उद्योगों की स्थापना में कमी आयी है। फलतः महायोजना–2021 में प्रस्तावित औद्योगित क्षेत्र में आवासीय विकास हो रहा है। साथ ही नगर के निर्मित क्षेत्र के केन्द्रीय भाग में अवासीय दबाव के साथ–साथ

व्यावसायिक विकास की तीव्र गति का दबाव भी बढ़ रहा है जिसके कारण नगर की सड़कें अतिक्रमित होकर संकुचित हो गयी है जबकि नगर के सघन विकास के फलस्वरूप यातायात का भार इन मार्गो पर बढ़ गया है। उक्त के अतिरिक्त महायोजना में प्रस्तावित गैर आवासीय भू–उपयोंगो में आवासीय विकास हो रहा है। लगभग सभी गैर आवासीय भू–उपयोंगो में हुए प्रतिकूल विकास में आवासीय विकास का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उक्त धरातलीय समस्याओं का विभिन्न पहलुओं से अध्यन कर शहर के भावी विकास एवं नियोजन हेतु नीति निर्धारण कर समुचित प्रस्ताव दिये जाने आवश्यक है।

नगर विकास के अवरोध एवं दिशा :

अवरोध : गोरखपुर नगर के विकास में कुछ भौतिक अवरोध भी बाधक हैं जो नगर के चतुर्दिक एवं सुनियोजित विकास को सीमित करते हैं, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

1. नगर के पश्चिमी एवं दक्षिण भाग में राप्ती नदी तथा रोहिन नदी स्थित है, जो नगर को पंश्चिम की तरफ विकसित होने से रोकता है।
2. नगर के उत्तरी भाग में गोरखपुर–सोनौली मार्ग पर नगर क सीमा पर स्थित चिलुआ ताल का विस्तृत क्षेत्र इस दिशा में नगर के विकास को सीमित करता है।
3. नगर के पूर्वी सीमा से सटा हुआ वन क्षेत्र एवं वायु सेना का क्षेत्र नगरीय विकास हेतु अवरोधक है।

विकास की दिशा एवं अनुकूल भूमि : इस प्रकार गोरखपुर नगर के विकास हेतु कुछ दिशाओं में ही अनुकूल भूमि की उपलब्धता होने एवं अन्य बाधा न होने के कारण विकास की प्रबल संभावनायें है। जिनके आधार पर महायोजना प्रस्ताव में इन्ही दिशाओं में अधिकतर प्रस्ताव किये गये हैं, वे क्षेत्र/दिशाएँ निम्न हैः–

1. नगर के उत्तरी पूर्वी भाग से होकर गुजरने वाला गोरखपुर–महराजगंज मार्ग पर वर्तमान में मेडिकल कालेज से आगे तक नगर का विकास एवं विस्तार होता जा रहा है और इस तरफ नगर के विकास की तीव्र संभावनाएं है। इस मार्ग पर कई आवासीय विकास प्रारम्भ हो चुका है।
2. इसी प्रकार दक्षिण एवं पूरब–दक्षिण की ओर जाने वाला गोरखपुर–देवरिया मार्ग पर भी नगर का विकास एवं विस्तार कुशीनगर बाईपास मार्ग तक हो चुका है तथा भविष्य मे भी इसी मार्ग पर विकास की सम्भावनाएं विद्यमान हैं। इस कारण इस मार्ग के किनारे के क्षेत्रों में कई आवासीय विकास हो रहा है।
3. नगर के पूर्वी–उत्तरी भाग में पिपराईच मार्ग एवं महराजगंज मार्ग के बीच का क्षेत्र भी विकास हेतु अनुकूल है। इस क्षेत्र में भी विकास तीव्र गति से मूर्त रूप ले रहा है।
4. नगर के दक्षिणी भाग में राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास से दक्षिण विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां एवं भूमि उपलब्ध है। इधर नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले कई ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित है। इन संभावनाओं के कारण इधर भी नगर का विकास हो रहा है।

8 महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य

8.1 दृष्टि

"गोरखपुर शहर को विकास के सदैव बदलते आयामों से स्थिति स्थापक, समावेशी और एक पूरे क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार (*Gateway city*) शहर के रूप मे स्थापित करना "

शहर का विकास बहु आयामी मानदंडों पर टिका होता है उन्मे से सबसे महत्वपूर्ण आयाम शहर मे रहने वाली जनसंख्य होती है। *वर्तमान स्थिति मे गोरखपुर विकास क्षेत्र की जनसंख्य 14 लाख के करीब है और आने वाले भावी 10 वर्षों मे यह जनसंख्या 25 लाख और 2047 तक यह जनसंख्य 50 लाख होने की संभावना है ।* शहर की जनसंख्या मे बढ़ोतरी कई कारको पर निर्भर करती । उन्मे से सबसे महत्वपूर्ण कारक शहर मे होने वाले चतुर्भुजी विकास जो लोगों और उद्यम को उस शहर के प्रति आकर्षित करती है।

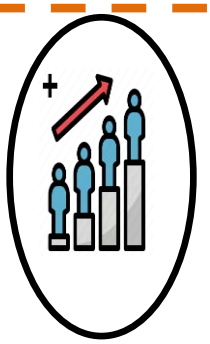

शहर एक पूरे क्षेत्र के लिए इकनॉमिक इंजन के रूप मे काम करता है और उत्तर प्रदेश राज्य के भावी *1 ट्रिल्यन डॉलर ईकानमी के लक्ष्य पूरा करने मे गोरखपुर के साथ साथ पूरा पूर्वांचल क्षेत्र एक अहम भूमिका निभा सकता है । 1 ट्रिल्यन डॉलर ईकानमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमे लघु और माध्यम स्तर के तकनीकी उद्यम को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।* लघु और माध्यम स्तर के तकनीकी उद्यम के लिए लोजिस्टिक एण्ड वैरहाउसिंग एक फाउंडेशन के रूप मे काम करता है और साथ ही साथ यह अपने अप मे एक उद्यम है।

विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन

इसके लिए हमे पर्यावरण और आम जनमानस के बीच एक संबंध स्थापित करना होगा ताकि लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति उत्साह और संवेदनशीलता बढ़े इसमे भूमि विकास और प्रबंधन को नगर नयोजन के माध्यम से और मजबूती देने के आवश्यकता है ।

8.2 उद्देश्य

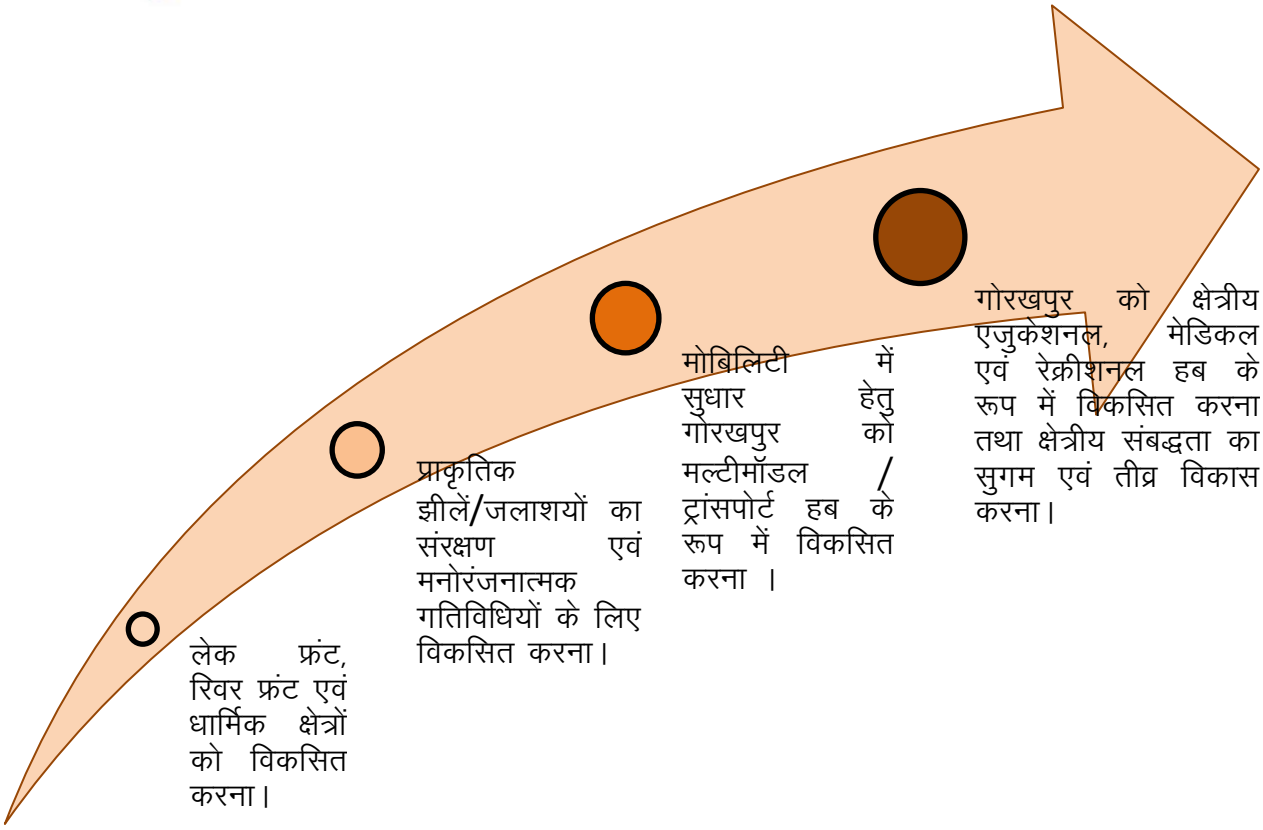
लेक फ्रंट, रिवर फ्रंट एवं धार्मिक क्षेत्रों को विकसित करना।
प्राकृतिक झीलें/जलाशयों का संरक्षण एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए विकसित करना।
मोबिलिटी में सुधार हेतु गोरखपुर को मल्टीमॉडल / ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करना ।
गोरखपुर को क्षेत्रीय एजुकेशनल, मेडिकल एवं रेक्रीशनल हब के रूप में विकसित करना तथा क्षेत्रीय संबद्धता का सुगम एवं तीव्र विकास करना।

9 आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण

9.1 जनसंख्या प्रक्षेपण

शहर की उचित विकास दिशो को समझने के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण की आश्वयकता है। यह निर्धारित अवधि के लिए प्राधिकरण की अनुमानित जनसंख्या पर आधारित है। जनसंख्या का अनुमान अंकगणितीय वृद्धि विधि, ज्यामितीय माध्य विधि और वृद्धिशील वृद्धि विधि का उपयोग करके जनसंख्या प्रक्षेपण किया गया है।

गोरखपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत जनगणना के आकणों का विवरण निम्नवत् है।

तालिका 43 गोरखपुर का जनसंख्या

क्रमांक.	श्रेणी	1991	2001	2011
1	गोरखपुर नगर निगम	505566	622701	673446
2	नगर पालिका सीमा 31 गांव में शामिल	33285	51152	101104
3	प्रस्तावित शहरीकरण योग्य गाँव	56627	89274	151016
4	पिपिगंज नगर पंचायत	8341	11398	13517
5	प्रस्तावित शहरीकरण योग्य गाँव	17183	22911	28457
6	मुंडेरा बाजार नगर पंचायत	9951	11228	10818
7	प्रस्तावित शहरी योग्य गाँव	4197	14417	16596
8	पिपराइच नगर पंचायत	12315	14829	15621
9	प्रस्तावित शहरीकरण योग्य गाँव	4041	13399	15886
10	राजमार्गों के किनारे के गाँव	169226	274940	328670
11	शेष गाँव	109455	109392	136676
	कुल	**930187**	**1235641**	**1491807**

निम्नलिखित तालिका में जनगणना के आकणों के आधार पर जनसंख्या का प्रक्षेपण किया गया है।

वर्ष	वृद्धिशील वृद्धि	ज्यामितीय वृद्धि विधि (औसत)	अंकगणित वृद्धि विधि	ग्राफिकल विधि	औसत	घातीय विकास विधि	औसत	कुल	औसत	अनुमानित जनसंख्या
2021	1154253	1154364	1100107	1100000	1295000	1746745	5180000	6926745	1385349	14,00,000
2031	1382941	1439721	1274648	1300000	1880000	4530608	7520000	12050608	2410122	25,00,000

गोरखपुर शहरी क्षेत्र में गोरखपुर नगर निगम शामिल है, 31नए गांव नगर निगम में शामिल किये गये और 44 शहरीकरण योग्य गांवों इनमें शामिल हैं। 2031 वर्ष के लिए अनुमानित जनसंख्या 25 लाख है।

9.2 जनसंख्या घनत्व

गोरखपुर शहर की कुल अनुमानित जनसंख्या 25,00,000 है एवं जनसंख्या घनत्व 125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है।

9.3 जनसंख्या वृद्धि दर

जनसंख्या वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पिछले दशकों में शहर की वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है, और संभावित अपेक्षित भविष्य के जनसंख्या प्रक्षेपण के अध्ययन करने में मदद करती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी के बाद गोरखपुर एकमात्र बड़ा शहर हैं, जिसमे थोक/ फुटकर व्यापार, लोजिस्टिक्स हब , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में पर्याप्त सुविधा/अवसर जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हैं

तालिका 44 गोरखपुर की जनसंख्या वृद्धि दर

गोरखपुर की जनसंख्या वृद्धि दर				
जनसंख्या वृद्धि	2001	2011	2021	2031
	32.84	20.73	35.07	38.96

ग्राफ 31 गोरखपुर की जनसंख्या वृद्धि

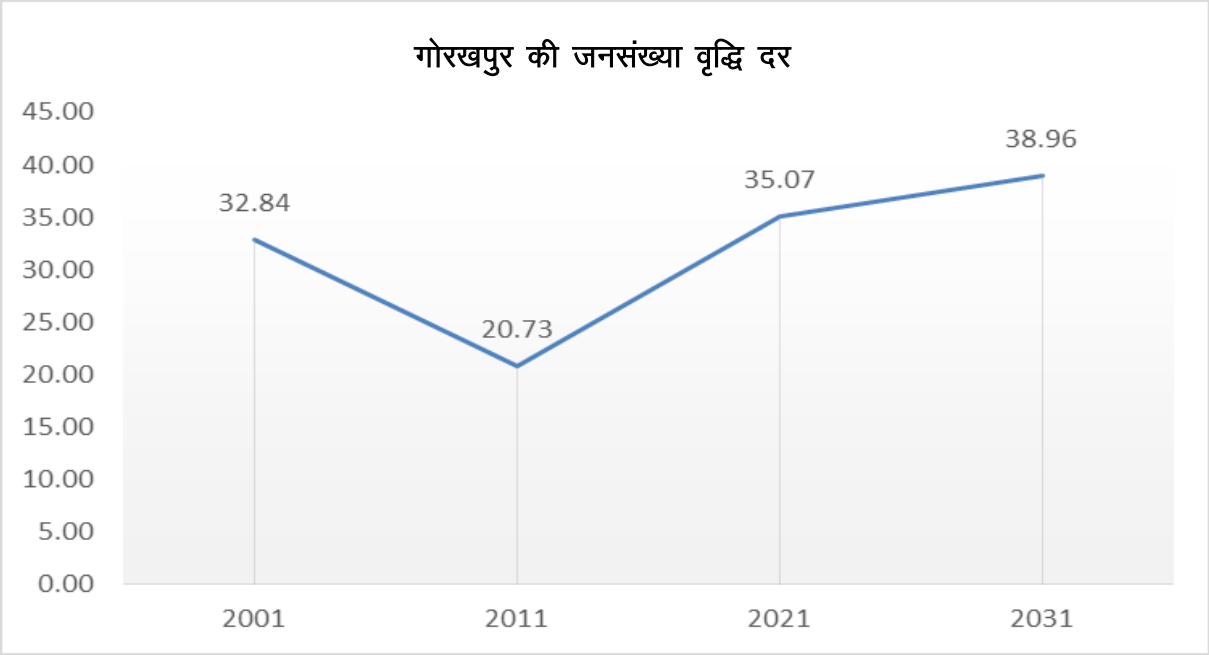

9.4 प्रवासन

जनगणना 2011 के अनुसार गोरखपुर में प्रवासियों की कुल संख्या 243613 है जिसमें से 44.67% (108811) पुरुष और 55.33% (134802) महिलाएं हैं। प्रवास में महिलाओं की अधिक संख्या विवाह से प्रवासन को इंगित करती है।

तालिका 45 गोरखपुर में प्रवासन

शहर का नाम	2001			2011		
गोरखपुर	व्यक्ति	पुरूष	महिला	व्यक्ति	पुरूष	महिला
	125894	59264	66630	243613	108811	134802

स्रोत: भारत की जनगणना 2001 और 2011

ग्राफ 32 प्रवासी नागरिक

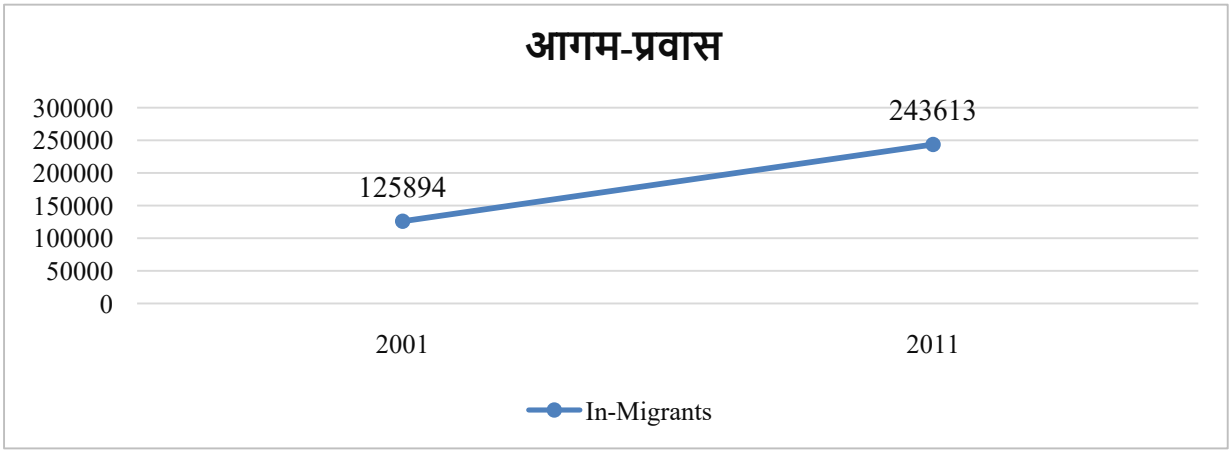

ग्राफ 33 कुल प्रवासियों में पुरुष एवं महिला

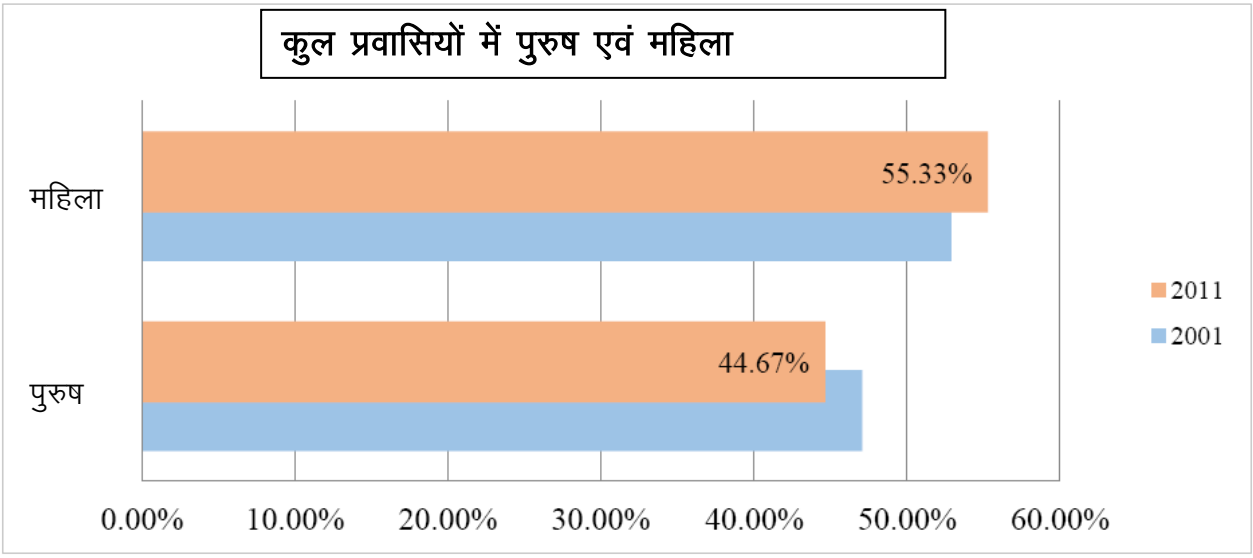

उपरोक्त ग्राफ से, यह देखा जा सकता है कि महिला प्रवासियों की संख्या 2001 में 52.9% से बढ़कर 2011 में 55.3% हो गई है, जबकि पुरुष प्रवासियों की संख्या 2011 में 47% से घटकर 44.67% हो गई है। इसके पीछे के कारणों का विश्लेषण तालिका में दिखाया गया है।

तालिका 46 प्रवासन के लिए कारण

आगमन प्रवास का कारण							
गोरखपुर	कामगार/रोजगार	व्यापार	शिक्षा	विवाह	जन्म के बाद	परिवार सहित	अन्य
जनसंख्या	30093	3205	6837	66411	10945	51791	74331

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

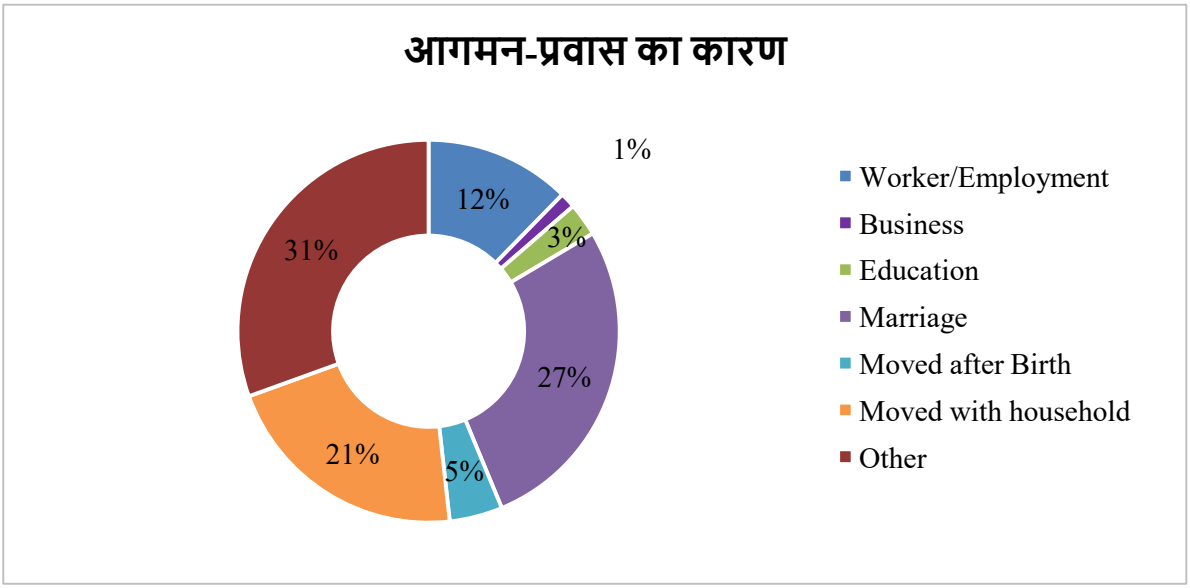

निष्कर्ष

उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि गोरखपुर में 12% लोग रोजगार के कारण आये, शिक्षा के लिए 3% और व्यवसाय के लिए केवल 1% लोग आये जहां कि 27% लोग विवाह के कारण आये।

9.5 आवासीय प्रक्षेपण

गृहहीन आबादी के लिए घरों की मांग का विश्लेषण करने के लिए आवास प्रक्षेपण की आवश्यकता होती है। पांच सदस्यों के औसत घरेलू आकार पर आवास की कमी की गणना की जाती है। इस प्रकार, नीचे दी गई तालिका जनगणना 2011 के अनुसार आवास की कमी को सूचीबद्ध करती है।

तालिका 47 आवास की मांग

गोरखपुर शहरी क्षेत्र के लिए आवासीय की मांग					
	जनसंख्या	परिवार	मकानें	कमी	मांग
शहरी 2011	925566	185113	185113	18511	18511
कुल	925566	185113	185113	18511	18511
शहरी 2031	2500000	.	.	.	.
कुल	2500000	500000	.	.	.
जनसंख्या में वृद्धि	1574434	314887	.	.	314887
मांग	.	.	.	.	333398

उपर्युक्त तालिका से यह गणना की गई है कि वर्ष 2031 में गोरखपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 333398 घरों की कुल की कमी है।

तालिका 48 आवश्यक आवास मांग के लिए क्षेत्र

आय वर्ग	प्रतिशत	आवास मांग	प्रति घर क्षेत्र कुल (वर्ग मीटर)	कुल क्षेत्र कुल (हेक्टेयर)
आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग	30	100019	50	500.097
निम्न आयवर्ग	30	100019	100	1000.19
मध्यम आय वर्ग	30	100019	200	2000.39
उच्च आय वर्ग	10	33339.8	300	1000.19
कुल	**100**	**333398**		**4500.87**

गोरखपुर शहरी क्षेत्र मे 25 लाख की आबादी के लिए आवास की मांग की गणना की गई है। ई.डब्ल्यू.एस, एल.आई.जी, एम.आई.जी और एच.आई.जी को 4 आयवर्ग श्रेणियों में विभाजित कर आवास की मांग की गणना की गई है। मांग को पूरा भूमि करने के लिए अतिरिक्त 4500.87 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

9.6 औद्योगिक मांग

तालिका 49 औद्योगिक मांग

गोरखपुर महायोजना 2031		
औद्योगिक मांग (यूआरडीपीएफ दिशा निर्देशों के अनुसार)		
कुल प्रक्षेपित जनसंख्या 2031		2500000
कार्यबल भागीदारी	कुल जनसंख्या का 33 %	825000
कुल कार्यबल में औद्योगिक श्रमकाकों प्रतिशत	25 %	206250
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	125 व्यक्ति / हेक्टेयर	1650.00 हेक्टेयर

स्रोतरू यू.आर.डी.पी.एफ.आई दिशानिर्देश 2014

शासन के नीतिगत निर्णय अनुसार गोरखपुर शहर में स्थापित तथा प्रस्तावित वृहद उद्योगों को गीडा क्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया है ,जिसके कारण गोरखपुर शहर में लघु एवं सेवा उद्योग इकाईओं को ही स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

9.7 भौतिक आधारभूत संरचना के लिए मानदंड एवं प्रक्षेपण

तालिका 50 शहरी क्षेत्र के लिए अनुमानित भौतिक आधारभूत आवश्यकता

गोरखपुर मास्टर प्लान 2031					
भौतिक आधारभूत संरचना आवश्यकता (यू.आर.डी.पी.एफ.आई दिशा निर्देश 2015 के अनुसार)					
क्रमांक	**सुविधा**	**मानक**	**इकाई**	**कुल संख्या**	**इकाई**
प्रक्षेपित जनसंख्या – 2500000					
1.	जलापूर्ति–घरेलू उद्देश्य	135	**एल.पी.सी.डी**	337.50	**एम.एल.डी**
	जलापूर्ति–घ्गैर घरेलू उद्देश्य	30	**एल.पी.सी.डी**	75	**एम.एल.डी**
2	सीवरेज	108	एम.एल.डी	270	**एम.एल.डी**
3	ठोस अवशेष	0.3	किग्रा / व्यक्ति	750	**मेट्रिक टन**

स्रोतरू यू.आर.डी.पी.एफ.आई दिशानिर्देश 2014

यू.आर.डी.पी.एफ.आई दिशा निर्देश और सी.पी.एच.ई.ई.ओ मैनुअल 1999 के अनुसार शहर के लिए आवश्यक पानी की आपूर्ति की अधिकतम मात्रा नीचे दिखाया गया है।

तालिका 51 पानी की आपूर्ति के लिए URDPFI मानदंड

क्रमांक	शहरों का वर्गीकरण	अधिकतम जल आपूर्ति स्तर
1	पानी की आपूर्ति पाइप से प्रदान किए गए लेकिन सीवरेज तंत्र के बिना	70
2	पाइप से पानी की आपूर्ति वाले ऐसे नगर जहां सीवरेज प्रणाली मौजूद है /विचाराधीन है।	135
3	मेट्रोपॉलिटन और मेगाशहरों में पाइप पानी की आपूर्ति के साथ प्रदान कि गई मौजूदा सीवरेज प्रणाली।	150

स्रोतरू यू.आर.डी.पी.एफ.आई दिशानिर्देश 2014

9.7.1 प्रक्षेपित जल आपूर्ति आवश्यकता

वर्ष 2031 के लिए जल आपूर्ति प्रक्षेपण यू.आर.डी.पी.एफ.आई दिशा निर्देश 2014 द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों के आधार पर किया गया है। जहां शहरी क्षेत्र में जल आपूर्ति की मांग 135 एल.पी.सी.डी है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 70 एल.पी.सी.डी मानी गयी है।

9.7.2 शहरी क्षेत्र

नीचे दिखाए गए 2031 में गोरखपुर विकास क्षेत्र को जल आपूर्ति का प्रावधान, नीचे प्रदर्शित है।

तालिका 52 शहरी क्षेत्र के लिए अनुमानित जल आपूर्ति आवश्यकता

गोरखपुर मास्टर प्लान 2031					
भौतिक आधारभूत संरचना आवश्यकता (यू.आर.डी.पी.एफ.आई दिशा निर्देश 2015 के अनुसार)					
क्रमांक	सुविधा	मानक	इकाई	कुल संख्या	इकाई
प्रक्षेपित जनसंख्या – 2500000					
1.	जलापूर्ति–घरेलू उद्देश्य	135	एल.पी.सी.डी	337.50	एम.एल.डी
	जलापूर्ति–गैर घरेलू उद्देश्य	30	एल.पी.सी.डी	75	एम.एल.डी

स्रोतः यू.आर.डी.पी.एफ.आई दिशानिर्देश 2014

9.7.2 मलजल उपचार संयंत्र

गोरखपुर नगर निगम में 15 एम.एल.डी क्षमता और 30 एम.एल.डी की क्षमता वाले मलजल उपचार संयंत्र उपलब्ध है।

तालिका 53 मौजूदा मलजल उपचार सुविधाएं

उच्चारित मात्रा	मलजल उपचार संयंत्र की संख्या	मौजूदा लंबाई (कि.मी में)	परियोजनाएं
15 एमएलडी	1	57.245	गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोनए–1 ऊपरी भाग (लंबाई 55.77 किमी)
30 एमएलडी	1		गोरखपुर सीवरेज स्कीम जोनए–1 ऊपरीभाग (लंबाई 80.27 किमी)

स्रोतः गोरखपुर नगर निगम

मुख्य कार्य योजनाएं

- गोरखपुर शहर का पृथक सीवरेज तंत्र डिजाईन किया जाना।
- मानसून से पूर्व नालियों की नियमित सफाई किया जाना ।
- जल निकासी और सीवरेज से संबंधित मुद्दों के लिए एक अंतर–विभागीय समिति की स्थापना किया जाना ।

जन जागरण

स्थानीय आबादी को जिले के अभियानों के माध्यम से जल निकायों और हरे क्षेत्रों को संरक्षित करने के सामाजिक–आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में संवेदनशील किया जाना चाहिए। नगर निगम, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवकों आदि की मदद से, ऐसे उपायों को लेना चाहिए।

समन्वय

जोनिंग विनियमों के मॉडल ने प्राकृतिक जल निकायों की सूची तैयार करने के लिए एक अधिकार नहीं सौंपा है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि जीएमसी इन कार्यों को जीडीए (मॉडल अपजोनिंग नियमों के तहत मैपिंग और सीमा के लिए), एसपीसीबी (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्रदूषण छूट के लिए), जीडीए, और ऊपर के समर्थन के साथ इन कार्यों को पूरा कर सकता है जेल निगम (यूपी और डी अधिनियम, 1973 के तहत सीवरेज, ड्रेनेज इत्यादि जैसे पर्यावरण बुनियादी ढांचे के प्रावधान के लिए), आदि।

9.8 गोरखपुर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य योजना

अपशिष्ट का प्राथमिक संग्रह हाथ गाड़ियों द्वारा किया जाता है, कुछ क्षेत्रों में दरवाजे–दरवाजे संग्रह किया जाता है। शहर के भीतर उत्पन्न और एकत्रित कुल अपशिष्ट को तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 54 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

औसत उत्पन्न	घर–घर जाकर कचरा संग्रह के लिए कवर किए गए घरों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	भूमि लैंडफिल के लिए उपयोग की जाने वाली साइटों की संख्या
402.57 टन/दिन	1,33,738	3732	1

गोरखपुर शहर में 11.96 हेक्टेयर भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध है। नगर निगम में स्ट्रीट स्वीपिंग और अपशिष्ट संग्रह के लिए 793 स्थायी और 2636 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (स्वीपर्स) उपलब्ध हैं। नगर निगम में टिपर ट्रक (12 नग 8 वर्गमीटर), ऑटो टिपर्स (77 नग 4 वर्गमीटर), डम्पर प्लेसर (7 नग), ट्रैक्टर ट्रॉली (41 नग) और कॉम्पैक्टर (1 नग) उपलब्ध हैं।

9.8.1 अपशिष्ट भंडारण डिपो:

वर्तमान में शहर में अपशिष्ट एकत्र किये जाने के 47 डिपो हैं ,जिसे निचे तालिका में उल्लेखित किया गया है :–

तालिका 55 अपशिष्ट एकत्र किये जाने की सूची

क्रमांक	वार्ड संख्या	स्थान
1	29	सम्मत पड़ाव हुमायु उत्तरी
2	25	जनप्रिय बिहार कॉलोनी कुड़ा पड़ाव
3	47	चक्षा हुसैन ट्रांसफार्मर के पास
4	65	नाउरंगाबाद बाबुआ कसाई के पास
5	65	गोरखनाथ मंदिर ट्रांसफार्मर के पास
6	65	गोरखनाथ आयुर्वेदिक अस्पताल के पास
7	65	पार्क में गोरखनाथ शौचालय के पास
8	65	गोरखनाथ डेयरी के पास
9	65	गोरखनाथ औद्योगिक एस्टेट के पास
10	10	गंगानगर क्रॉसिंग के पास राप्तिनगर
11	10	राप्तिनगर अम्बेडकर स्कूल के पास
12	10	राप्तिनगर हाईडिल कॉलोनी के पास
13	24	रामजानकी नगर पानी की टंकी के पास
14	19	नकहा रेलवे क्रासिंग के पास
15	19	शास्त्रीनगर क्रासिंग पार के पास
16	19	शास्त्रीपुरम रोड स्टोपेज
17	43	दुर्गापार्क राजेंद्र नगर स्टॉप
18	43	भोती बिहार राजेंद्र नगर पश्चिम
19	04	मोहरी बाजार स्टॉप
20	21	अधियारी पार्क रामलीला मैदान के पास
21	33	हरिहरप्रसाददुबेरोड
22	06	नौसाद काली मंदिर बनारस रोड
23	33	एनएच डेयरी बेतियाहाता
24	23	दुलारी नर्सिंग होम के पास
25	23	के सामने कैंटस्टेशन

क्रमांक	वार्ड संख्या	स्थान
26	34	पंत पार्क के पास
27	40	रुस्तमपुर नहर रोड
28	40	सब्जी बाजार के पास, रुस्तमपुर
29	44	एलआईसी कार्यालय के सामने
30	44	रॉयल दरबार, तारामंडल रोड के सामने
31	44	भगत क्रॉसिंग
32	44	बुद्ध बिहार पार्ट–सी
33	44	माननीय काशीराम आवासीय कॉलोनी
34	33	डा० बग्गा रोड
35	52	पावर हाउस मोहद्दपुर
36	18	इंजीनियरिंग कॉलेज रोड
37	20	जर्ना टोला सब्जी मंडी
38	01	भगता पेन रोड
39	11	गोदघोइया पुलिया के पास
40	52	मोहम्मदीपुर चार फाटक
41	48	झारखंडी मंदीर के पहले गिरधरगंज
42	10	राप्ति काम्प्लेक्स शाहपुर
43	62	तिवारीपुर रेलवे लाइन के पास
44	32	पुर्दिलपुर यूनाइटेड के सामने
45	38	लिटिल फ्लावर स्कूल शांतिनगर के पास
46	07	तरकुल पेड़के नीचे मोगलह
47	09	करीमनगर क्रॉसिंग

(स्रोतः शहरी स्थानीय निकाय, ठोस अपशिष्ट के शहरी संग्रह और परिवहन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट)

9.8.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का क्षेत्रः

गोरखपुर में सुथानी गांव के पास नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट के लिए प्रबंधन नया क्षेत्र चिन्हित किया गया है।

चित्र 5 गोरखपुर में डंपिंग साइट

स्रोतः नगर संग्रह और परिवहन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नगर निगम गोरखपुर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

9.8.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंडः

म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नियम 2000 के अनुसार अधिसूचित म्युनिसिपल क्षेत्र के व्यावसायिक, आवासीय एवं ट्रीटेड जैव चिकित्सा अपशिष्ट ही सम्मिलित हैं, जो ठोस, अर्द्ध ठोस के रूप में हो सकते हैं। म्युनिसिपल

सॉलिड वेस्ट नियम 2000 में औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट को सम्मिलित नहीं किया गया है। निम्न तालिका भूमि उपयोग के अनुसार प्रति व्यक्ति उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा को दर्शाती है:

तलिका 56 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानक

क्रमांक	भूमि उपयोग के प्रकार	उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा
1	आवासीय कचरा	0.3 से 0.6 किलो / व्यक्ति / दिन
2	वाणिज्यिक कचरा	0.1 से 0.2 किलो / व्यक्ति / दिन
3	सड़क सफाई	0.05 से 0.2 किलो / व्यक्ति / दिन
4	संस्थागत कचरा	0.05 से 0.2 किलो / व्यक्ति / दिन

9.8.4 ठोस अपशिष्ट के लिए प्रक्षेपण

शहरी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले अनुमानित ठोस अपशिष्ट

नीचे दी गई तालिका प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुसार उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट मात्रा को दर्शाती है:

तालिका 57 शहरी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट उत्पादन का प्रक्षेपण

अनुक्रमांक	भूमि उपयोग प्रकार	उत्पन्न होने वाला		
		2021	2031	इकाई
1	आवासीय	420 -840	750-1500	मेट्रिक टन / दिन
2	वाणिज्यिक	140-280	250-500	मेट्रिक टन / दिन
3	सड़क सफाई	70-280	125-500	मेट्रिक टन / दिन
4	संस्थागत	70-280	125-500	मेट्रिक टन / दिन
कुल		**700—1680**	**1250-3000**	मेट्रिक टन / दिन

ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले अनुमानित ठोस अपशिष्ट:

नीचे दी गई तालिका प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुसार उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट मात्रा को दर्शाती है:

तालिका 58 ग्रामीण क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट उत्पादन का प्रक्षेपण

क्रमांक	भूमि उपयोग प्रकार	अनुमानित अपशिष्ट पीढ़ी		
		2021	2031	इकाई
1	आवासीय	154.92	193.49	टन / दिन
2	वाणिज्यिक	51.64	64.49	टन / दिन
3	सड़क सफाई	51.64	64.49	टन / दिन
4	संस्थागत	51.64	64.49	टन / दिन
कुल			**386.98**	टन / दिन

9.8.5 विद्युत (विद्युत केन्द्र और नेटवर्क ग्रिड)

विद्युत के लिए मानदंड

2005 में प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार बिजली की आपूर्ति की अनुमानित खपत प्रतिव्यक्ति 2.74 किलोवाट प्रतिदिन है, जिसमें घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य आवश्यकतातायें शामिल हैं।

तालिका 59 विद्युत के मानदंड

वर्ग	विद्युत उप केन्द्र की क्षमता	मानक	क्षेत्रफल
विद्युत उप केन्द्र	11 KVA	15000 आबादी के लिए 1	500 वर्ग मीटर
	33 KVA	–	1 एकड़
	66 KVA	5000 आबादी के लिए 1	1.5 एकड़
	132 KVA	–	5.0 एकड़
	220 KVA	500,000 आबादी के लिए 1	10.0 एकड़

स्रोतःउत्तर प्रदेश भवन उपविधि

विद्युत *के लिए प्रक्षेपण*

तालिका 60 शहरी क्षेत्रों के लिए प्रक्षेपण

वर्ष	विद्युत उप केन्द्र की क्षमता	संख्या	क्षेत्रफल
2031	11 KVA	155	18948.6 व.मी.
	33 KVA	–	
	66 KVA	47	0.61 हेक्टेयर
	132 KVA	–	
	220 KVA	5	4 हेक्टेयर

स्रेतरू उत्तर प्रदेश भवन उपविधि

9.9 सामाजिक मूलभूत संरचना

सामाजिक मूलभूत ढांचा आर्थिक विकास और नागरिक जीवन की गुणवत्ता के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,जिसे निम्नानुसार दर्शाया गया है।

9.9.1 प्री–प्राइमरी से माध्यमिक शिक्षा के लिए मानदंड

तालिका 61 URDPFI–2014 और उत्तर प्रदेश भवन निर्माण

क्रमांक	श्रेणी	छात्र संख्या	जन प्रति इकाई में आने वाली जनसंख्या	क्षेत्रफल
1	पूर्व प्राथमिक नर्सरी स्कूल	–	2500	0.08 हे०
2	ऊपरी प्राथमिक विद्यालय	500	5000	0.40 हे०
3	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	1000	7500	1.80 हे०

स्त्रोतः URDPFI–2014और उ.प्र. भवन उपविधि

9.9.2 उच्च शिक्षा के लिए मानदंड

तालिका 62 उच्च शिक्षा सुविधाओं के लिए मानदंड

क्रमांक	श्रेणी	छात्र संख्या	प्रति इकाई में आने वाली जनसंख्या	क्षेत्रफल
1	महाविद्यालय	1000–1500	1.25 लाख	5.00 हेक्टेयर
2	विश्व विद्यालय परिसर	.	–	10.00–60.00 हेक्टेयर
3	इंजीनियरिंग महाविद्यालय	1500	10 लाख	6.00 हेक्टेयर
4	चिकित्सा महाविद्यालय	.	10 लाख	15 हेक्टेयर
5	अन्य व्यावसायिक महाविद्यालय	250.1500	10 लाख	ए) 250 छात्रों तक स्थान को क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर
6	नर्सिंग और पैरामेडिकल	.	10 लाख इंस्टीट्यूट भूखंड क्षेत्रफल = 2000 वर्गमीटर	बी) छात्रों की कुल 1000 संख्या तक प्रत्येक 100 छात्रों अथवा

क्रमांक	श्रेणी	छात्र संख्या	प्रति इकाई में आने वाली जनसंख्या		क्षेत्रफल
	इंस्टीट्यूट				उसके मंश के लिए स्थल का अतिरिक्त क्षेत्रफल = 0.50 हेक्टेयर
7	पशुचिकित्सा संस्थान	.	–	वेटर नहीं काउंसिल आफ इंडिया मंत्रालय के मानकोंके अनुसार	सी) 1000 से 1500 छात्रों वाले कॉलेज के लिए स्थल का क्षेत्रफल = 6.00 हेक्टेयर

स्त्रोतः URDPFI -2014 और उ.प्र. भवन उपविधि

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आवश्यकता एवं उनका प्रस्तावित विवरण निम्नानुसार है।

9.9.3 प्रस्तावित शैक्षिक सुविधाएं

वर्ष 2031 के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण के आधार पर शैक्षिक सुविधाओं का अनुमान लगाया गया है।

शहरी क्षेत्र

तालिका 63 शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता

क्रमांक	शैक्षिक सुविधाएं	2021	2031	अन्तर	क्षेत्रफल	इकाई
1	नर्सरी स्कूल	705	932	227	113691.6	वर्गमीटर
2	प्राथमिक स्कूल	352	466	114	113691.6	वर्गमीटर
3	जूनियर हाई स्कूल	235	311	76	151588.8	वर्गमीटर
4	इंटर कॉलेज	176	233	57	227383.2	वर्गमीटर
5	डिग्री कॉलेज	22	29	7	35528.625	वर्गमीटर
6	इंजीनियरिंग कालेज	2	2	1	2.273832	हेक्टर
7	चिकित्सा महाविद्यालय	2	2	1	5.68458	हेक्टर
8	डेंटल कॉलेज	2	2	1	1.1369	हेक्टर
9	आंगन वाड़ी	352	466	114	28422.9	वर्गमीटर

स्त्रोतः URDPFI 2014 और उ.प्र. भवन उपविधि

ग्रामीण क्षेत्र

तालिका 64 ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता

क्रमांक	शैक्षिक सुविधाए	2021	2031	गैप	क्षेत्र	इकाई
1	नर्सरी स्कूल	103	129	26	12855.8	वर्गमीटर
2	प्राथमिकस्कूल	52	64	12	12855.8	वर्गमीटर
3	जूनियर हाई स्कूल	34	43	9	17141.06	वर्गमीटर
4	इंटरकॉलेज	26	32	6	25711.6	वर्गमीटर
5	डिग्रीकॉलेज	3	4	1	4017.43	वर्गमीटर
6	इंजीनियरिंग कालेज	–	–	–	–	हेक्टर
7	चिकित्सा महाविद्यालय	–	–	–	–	हेक्टर
8	डेंटलकॉलेज	–	–	–	–	हेक्टर

क्रमांक	शैक्षिक सुविधाए	2021	2031	गैप	क्षेत्र	इकाई
9	आंगनवारी	52	64	13	3213.95	वर्गमीटर

स्त्रोत: URDPFI-2014 और उ.प्र. भवन उपविधि

9.9.4 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के लिए मानदंड और मानक को यू.आर.डी.पी.एफ.आई दिशानिर्देशों में दिए गए दिशा–निर्देशों के आधार पर अनुमानित किया गया है।

तालिका 65 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानदंड

क्रमांक	श्रेणी	बिस्तरों की संख्या	प्रतियूनिट आच्छादित जनसंख्या	क्षेत्रफल
1	औषधालय	–	15000	0.08–0.12हेक्टेयर
2	नर्सिंग होम, बाल कल्याण तथा प्रसूति केन्द्र (23–30 बिस्तर)	25–30 बेड	45000 से 1 लाख	0.20–0.30हेक्टेयर
3	बहु–विशेषसता चिकित्सालय (एन.बी.सी.)	200 बेड	1 लाख	9.00 हेक्टेयर
4	विशेषसता चिकित्सालय (एन.बी.सी.)	200 बेड	1 लाख	3.70 हेक्टेयर
5	सामान्य चिकित्सालय (एन.बी.सी.)	500 बेड	2.5 लाख	6.00 हेक्टेयर
6	परिवार कल्याण केन्द्र	आवश्यकताओं के अनुसार	50000	500 वर्गमीटर –800 वर्गमीटर
7	माध्यमिक चिकित्सालय (श्रेणी–ए)	–	1 लाख	1 हेक्टेयर
8	जाँच केन्द्र	–	50000	500 वर्गमीटर –800 वर्गमीटर
9	पशु चिकित्सालय	–	5 लाख	2000 वर्गमीटर

स्त्रोत: URDPFI-2014 और उ.प्र. भवन उपविधि

9.9.5 स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रक्षेपण

तालिका 66 शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता

क्रमांक	स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ	2021	2031
1	औषधालय	93	167
2	नर्सिंगहोम, बालकल्याण और प्रसूति केंद्र (23–30 बिस्तर)	1	3
3	बहुविशेषज्ञता अस्पताल (एनबीसी)	14	25
4	विशेषज्ञता अस्पताल (एनबीसी)	14	25
5	सामान्य अस्पताल (एनबीसी)	5.6	10
6	परिवार कल्याण केंद्र	28	50
7	माध्यमिक अस्पताल (श्रेणी–ए)	14	25
8	जाँच केन्द्र	28	50
9	पशु चिकित्सालय	3	5

तालिका 67 शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्र की आवश्यकता

स्वास्थ्य सुविधा	मानक	क्षेत्रफल	इकाई
स्वास्थ्य केंद्र	800 वर्गमीटर	30317.76	वर्गमीटर
बाल कल्याण और प्रसूतिकेंद्र	2000 वर्गमीटर	25264.8	वर्गमीटर
सामान्य अस्पताल (बिस्तर –100)	2 हेक्टेयर	11.36	हेक्टेयर

स्त्रोत: URDPFI-2014 और उ.प्र. भवन उपविधि

9.9.6 ग्रामीण क्षेत्र में वांछित स्वास्थ्य सुविधाएं

तालिका 68 ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता

क्रमांक	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा	2021	2031
1	औषधालय	17	21
2	नर्सिंगहोम, बालकल्याण और प्रसूति केंद्र (23–30 बिस्तर)	0	0
3	बहुविशेषज्ञता अस्पताल (एनबीसी)	2.	3.
4	विशेषज्ञता अस्पताल (एनबीसी)	2.	3.
5	सामान्य अस्पताल (एनबीसी)	1.	1.
6	परिवारकल्याणकेंद्र	5.	6.
7	माध्यमिक अस्पताल (श्रेणी–ए)	3	3
8	जाँच केन्द्र	5	6
9	पशुचिकित्साल्य अस्पताल	1	1

तालिका 69 ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की क्षेत्र की आवश्यकता

स्वास्थ्य सुविधा	मानक	क्षेत्र	इकाई
स्वास्थ्य केंद्र	800 वर्गमीटर	3428.21	वर्गमीटर
बाल कल्याण और प्रसूति केंद्र	2000 वर्गमीटर	2856.84	वर्गमीटर
सामान्य अस्पताल (बिस्तर –100)	2 हेक्टेयर	1.28	हेक्टेयर

स्त्रोत: URDPFI-2014 और उ.प्र. भवन उपविधि

9.9.7 पार्क एवं खुले स्थानों का प्रक्षेपण

खुले स्थानों में निम्नलिखित श्रेणी सम्मिलित हैं

a. मनोरंजन हरित
b. पार्क एवं खुले स्थल
c. नगर वन
d. हरित पट्टी

9.9.7.1 शहरी क्षेत्र में पार्क एवं खुले स्थानों का प्रक्षेपण

तालिका 70 शहरी क्षेत्र में पार्क एवं खुले स्थानों का प्रक्षेपण

क्रमांक	पार्क या खुलें स्थान	2021	2031
1.	आवासीय क्रीड़ा केंद्र	280	500
2.	नेबरहुड क्रीड़ा केंद्र	93	167
3.	जोनल क्रीड़ा केंद्र	14	25
4.	नगर क्रीड़ा केंद्र	1	2

स्त्रोत: उ.प्र. भवन उपविधि

9.9.8 सामाजिक–सांस्कृतिक सुविधाएं

9.9.8.1 सामाजिक–सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए मानदंड

मानकों और नगर के बदलते जनसांख्यिकीय ढांचे के अनुसार, सामाजिक–सांस्कृतिक सुविधाएं प्रदान की जानी हैं।

तालिका 71 सामाजिक–सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए मानदंड

क्रमांक	श्रेणी	प्रति इकाई सेवित जनसंख्या	क्षेत्रफल
1	आंगनवाड़ी – आवास क्षेत्र / क्लस्टर	5000	200–300 व.मी.
2	सामुदायिक कक्ष	5000	750 व.मी.
3	सामुदायिक हॉल और पुस्तकालय	15000	2000 व.मी.
4	मनोरंजन क्लब	1 लाख	10000
5	संगीत, नृत्य और नाटक केंद्र	1 लाख	1000 व.मी.
6	ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र	1 लाख	5000 व.मी.
7	वृद्धाश्रम	5 लाख	अधिकतम 1000 व.मी.

स्त्रोतः उ.प्र. भवन उपविधि

9.9.8.2 सामाजिक–आर्थिक सुविधाओं के प्रक्षेपण

शहरी क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक सुविधाएं

तालिका 72 सामाजिक–आर्थिक सुविधाओं के प्रक्षेपण

क्रमांक	श्रेणी	2021	2031
1	आंगनवाड़ी–आवासीय/ क्लस्टर	280	500
2	सामुदायिक कक्ष	280	500
3	सामुदायिक हॉल और पुस्तकालय	93	167
4	मनोरंजन क्लब	14	25
5	संगीत, नृत्य और नाटक केंद्र	14	25
6	ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र	14	25
7	वृद्धाश्रम	3	5

स्त्रोतः उ.प्र. भवन उपविधि

ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक सुविधा

तालिका 73 ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक सुविधाओं की आवश्यकता

क्रमांक	श्रेणी	2021	2031
1	आंगनवाड़ी–आवासीय/ क्लस्टर	52	64
2	सामुदायिक कक्ष	52	64
3	सामुदायिक हॉल और पुस्तकालय	17	21
4	मनोरंजन क्लब	3	3
5	संगीत, नृत्य और नाटक केंद्र	3	3
6	ध्यान और आध्यात्मिक केंद्र	3	3
7	वृद्धाश्रम	1	1

स्त्रोतः उ.प्र. भवन उपविधि

9.10 सार्वजनिक परिवहन सुधार योजना का निर्माण

9.10.1 एल.आर.टी.एस. प्रणाली

प्रस्तावित एल.आर.टी.एस सिस्टम के साथ सार्वजनिक परिवहन परिदृश्य की मांग के आधार पर दो उच्च क्षमता गलियारे की पहचान की गई है और इसे तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 74 एल.आर.टी.एस गलियारे का विवरण

गलियारा	गलियारा विवरण	लंबाई (किमी)
1	श्याम नगर सूबा बाजार के लिए (गोरखनाथ मंदिर, रेलवे स्टेशन, पेडलेगंज, एमएममूट इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से	18
2	गुलयहिहा से नौसाद (बीआरडी मेडिकल कॉलेज, खजंची बाजार, असुरन चौक, धर्मशाला बाजार, गोलघर, परिवहन नगर) के माध्यम से	15

स्रोत: गोरखपुर व्यापक गतिशीलता योजना रिपोर्ट–2018

33 किमी की कुल लंबाई वाले दो LRTS गलियारे प्रथम चरण में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। गोरखपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र (गीडा) से इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि एल.आर.टी.एस गलियारे को गीडा की यात्रा की मांग के आधार पर विकास के चरण II के तहत गीडा तक बढ़ाया जा सकता है। गीडा के विस्तार सहित LRTS गलियारे के चरण 1 के लिए विस्तार की लंबाई लगभग 13 किमी प्रस्तावित है।

चित्र – 6 प्रस्तावित LRTS गलियारा

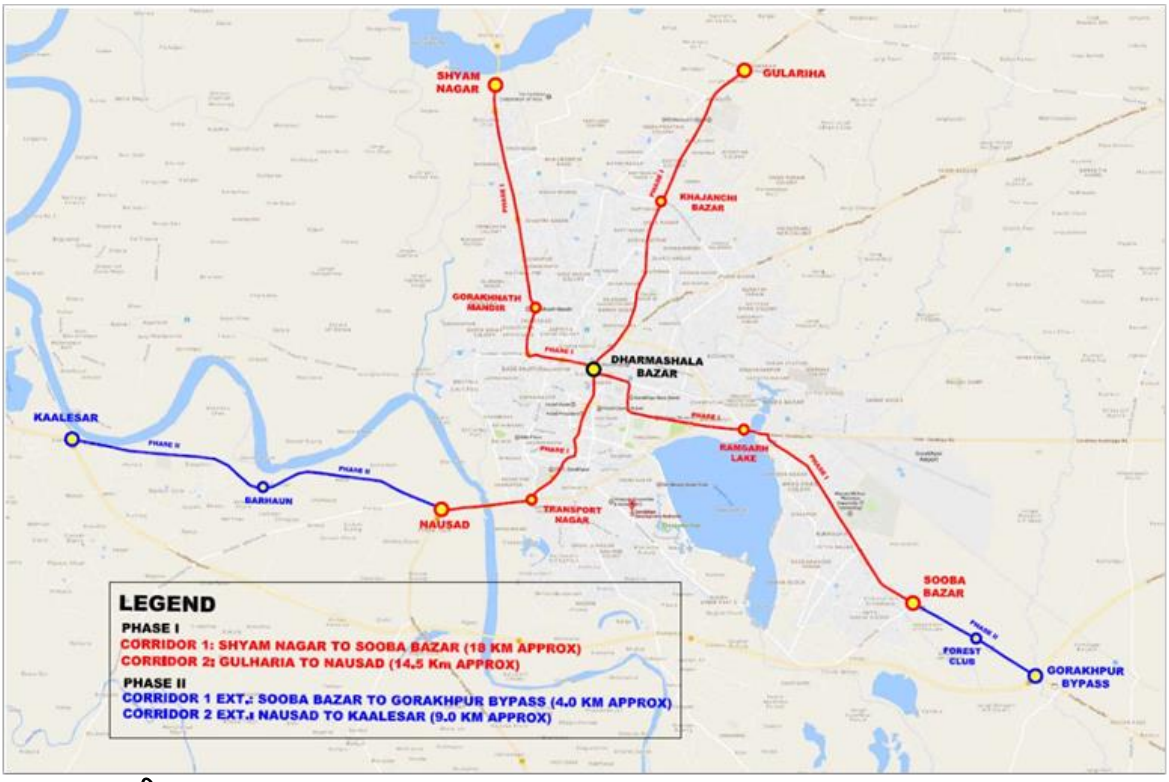

9.10.2 बस प्रणाली

मौजूदा बस प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी प्रमुख सड़कों पर वातानुकूलित बस सेवा चलाने का प्रस्ताव है जो नागरिक को मौजूदा बस प्रणाली से बेहतर सुविधा और आराम प्रदान करेगा । पूरे गोरखपुर क्षेत्र मे कुल 18 मध्यम से निम्न मांग वाले कॉरिडर की पहचान की गई है। जिसपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन किया जाएगा जिसकी कुल लंबाई 372 कीमी है।

प्रस्तावित बस प्रणाली की व्याख्या निमन्वत टेबल में दी गई गई । इस बस प्रणाली में मिनी बस की सेवा लेना का भी प्रस्ताव है । कुल 600 बस की आवश्यकता पड़ने की संभावना है। पूरे बस प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने और अनुरक्षण करने केलिए 6 डेपो की जरूरत पड़ने की प्रस्ताव है । मौजूदा ऑटो / टेम्पो सेवा लास्ट माइल कानेक्टिविटी देने केलिए काम करेगा ।

तालिका 75 बस सिस्टम विवरण

गलियारा संख्या	से	तक	गलियारा विवरण	लंबाई (किमी)
1	मेहारीपुर	बाईपास जंक्शन	गोरखनाथ मंदिर, रेलवे स्टेशन, मोहद्दिपुर, एमएमयूटी, सूबा बाजार	25
2	महारीपुर	नौसाद	गोरखनाथ मंदिर, धर्मशाला, गोलघर, परिवहन नगर	15
3	नौसाद	सराय गुलरिहा	परिवहन नगर, गोलघर, धर्मशाला, असुरान चौक, बीआरडी मेडिकल कालेज	16
4	सराय गुलरिहा	बाईपास जंक्शन	महाविद्यालय	25
5	नौसाद	पिपराईच रोड जंक्शन	बीआरडी मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशन, मोहाद्दिपुर, एमएमयूटी, सूबाबाजार	23
6	डोंगीपार	बाईपास जंक्शन	तारामंडल, रुस्तमपुर, पैडलेगंज,मोहद्दिपुर, एमएमयूटी, सूबाबाजार	20
7	डोंमीनगढ़	दुर्गा पब्लिक स्कूल	धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, मोहद्दिपुर, एयरपोर्ट	16
8	डोंमीनगढ़	बाईपास जंक्शन	धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, विश्वविद्यालय मोहद्दिपुर, एयरपोर्ट एमएमयूटी, सूबा बाजार	18
9	सराय गुलरिहा	सूबा बाजार	बीआरडी मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशन, पैडलेगंज, तारामंडल	25
10	महारीपुर	सोबाबाजार	गोरखनाथ मंजिर रेलवेस्टेशन, पैडलेगंज, तारामंडल	24
11	बरगदवा	दुर्गा पब्लिक स्कूल	एफ.सी.आई. केन्द्रीय विद्यालय झुंगिया, जंगल धूसर, एयरफोर्स एरिया और रेलवेस्टेशन, एयरपोर्ट	26
12	बरगदवा	दुर्गापब्लिकस्कूल	स्पोर्टस, कालेज रोड, वाईपास रोड, पादरी बाजार, मोहद्दिपुर, एयरपोर्ट	21
13	सराय गुलरिहा	डांगिपर	रामजानकी, नगर रोड, हजारीपुर, पार्क रोड, कसया रोड, रूस्तमपुर रोड	22
14	सराय गुलरिहा	डांगिपर	रामजानकीनगररोड, हजारीपुर, मुफ्तीपुर, घंटाघर, परिवहन नगर, रुस्तमपुर रोड	22
15	मेहारीपुर	डांगिपर	गोरखनाथ मंदिर, धर्मशाला, कस्या रोड, परिवहन नगर, चक्रडोम, तरामंडल	23
16	मेहारीपुर	नौसाद	बरगदवा, वृंदावन कॉलोनी, सिद्धारिपुर, इल्लाबाग चौक, बिछिया, हंसूपुर	15
17	डोंमीनगढ़	पिपराइच रोड	जगतबेला रोड, धर्मशाला, असुरानचौक, पदरी बाजार, जंगल	15
18	पिपराइच रोड	बाईपास जंक्शन	जंगल पकरी, जंगल धूसर, जंगल तिर्कोनिया, जंगल हाकिम न.2, , एयरपोर्ट एरिया और रेलवे स्टेशन एमएमयूटी, सूबा बाजार	21

स्रोत: गोरखपुर व्यापक गतिशीलता योजना रिपोर्ट–2018

चित्र 7 गोरखपुर में प्रस्तावित बस गलियारे

9.10.3 सड़क संजाल विकास योजना

9.11.3.1गतिशीलता गलियारे – रिंग रोड

मौजूदा नेटवर्क के अनुभागों को शहर के अंदर यातायात के निर्बाध संचालन की अनुमति देने के लिए एक रिंग रोड सड़क को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। रिंग रोड को निरंतर फुटपाथ के साथ 6 से 8 लेन विभाजित कैरिज तरीके के रूप में विकसित किया गया है। पहचान की गई रिंग रोड की कुल 60 मीटर की एक अनुशंसित पंक्ति चौड़ाई के साथ लगभग 32 किमी लंबाई है। प्रस्तावित रिंग रोड आकृति में इंगित किया गया है।

9.11.3.2 गतिशीलता गलियारे – बाईपास

यह प्रस्तावित किया जाता है कि मौजूदा बाईपास को यातायात के माध्यम से शहर के चारों ओर एक रिंग को पूरा करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। बाईपास को जहां भी संभव हो फुटपाथ और सेवा लेन के साथ 8 लेन विभाजित कैरिज तरीके के रूप में विकसित किया जा सकता है। शहर के अंदर ६ माल यातायात के माध्यम से आंदोलन से बचने के लिए माल और यात्री टर्मिनल की स्थापना के लिए इस गलियारे का प्रस्ताव दिया जाता है। प्रस्तावित बाईपास की लंबाई कालसर से जगदीसपुर से गुराखपुर के उत्तर और पूर्व में 50 किमी दूर है। बाईपास के लिए अनुशंसित पंक्ति 60 मीटर है । शहर बाईपास को आंकड़ा में इंगित किया जाता है।

9.11.3.3 गतिशीलता गलियारे – आर्टीरीअल सड़कें

यह प्रस्तावित किया जाता है कि सभी आर्टीरीअल सड़कों की पूरी पंक्ति को एनएमटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें फुटपाथ / एनएमटी लेन, स्ट्रीट फर्नीचर, लैंडस्केपिंग, पीटी /आईपीटी स्टॉप इत्यादि सहित सड़क डिजाइन के एक आवश्यक तत्व के रूप में विकसित किया जाना चाहिए । इस अध्ययन के तहत पहचाने गए धमनी सड़कों की पंक्ति 6 लेन विभाजित कैरिज तरीके सहित न्यूनतम 30 मीटर पंक्ति के साथ जहां भी संभव हो 45 मीटर पर बनाए रखने की सिफारिश की जाती है। लगभग 143 किमी रोड नेटवर्क को आकृति के रूप में धमनी नेटवर्क के रूप में अपग्रेड करने के लिए पहचाना गया है। इसके अलावा, मास्टर प्लान 2021 के तहत विस्तारित सड़कों को उठाया जाएगा।

चित्र 8 गोरखपुर के लिए प्रस्तावित रिंग रोड और बाईपास

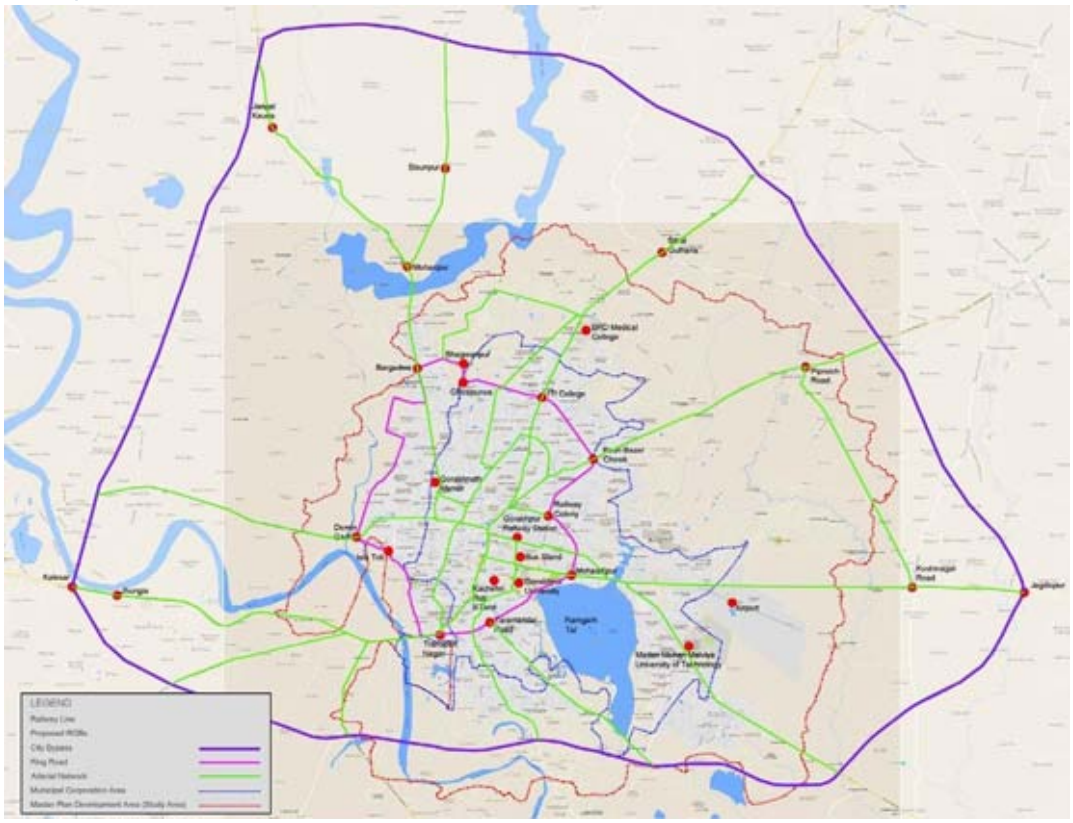

चित्र 9 आर्टीरीअल सड़कें

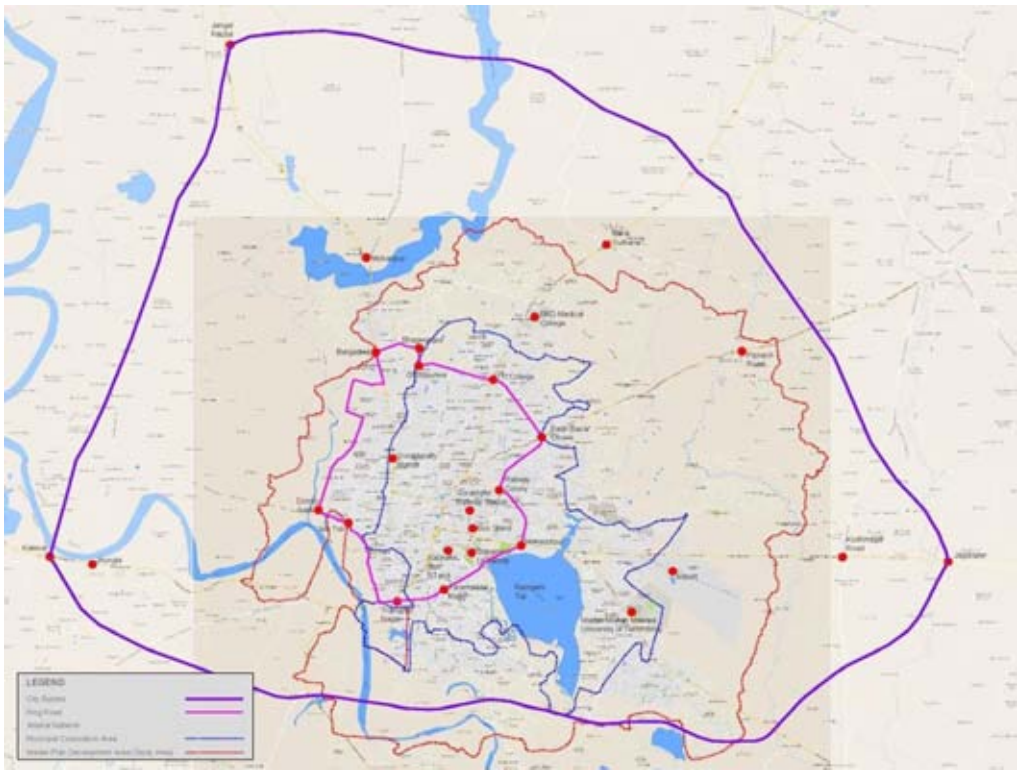

9.11.4 ज्यामितीय सुधार के लिए प्रस्तावित जंक्शन

तालिका 76 सिग्नलिजेशन और ज्यामितीय सुधार के लिए प्रस्तावित जंक्शन

क्रमांक	जंक्शन नाम	क्रमांक	जंक्शन नाम
1	धर्मशाला चौक	10	परिवहन नगर चौराहा
2	यातायात कार्यालय जंक्शन	11	रुस्तमपुर चौक
3	रेलवे स्टेशन जंक्शन	12	पैडलेगंज चौक
4	यूनिवर्सिटी चौराहा	13	मोहद्दिपुर जंक्शन
5	काली मंदिर जंक्शन	14	गुरुंग चौराहा
6	गोलघर	15	असुरान चौक
7	एमपी। कॉलेज रोड जंक्शन	16	खजांचीजंक्शन
8	शास्त्री चौक	17	बरगद्वा जंक्शन
9	बेतियाहाता चौराहा		

स्रोत: गोरखपुर व्यापक गतिशीलता योजना रिपोर्ट–2018

9.11.5 व्यापक गतिशीलता योजना का विकास

9.11.5.1 एकीकृत भूमि उपयोग और शहरी गतिशीलता योजना

परिवहन भूमि उपयोग पर निर्भर एक प्रेरित मांग है। इसके विपरीत, परिवहन की उपलब्धता शहरी संरचना को प्रभावित करती है। एकीकृत भूमि उपयोग और परिवहन टिकाऊ शहरों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारक है। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2014 के अनुसार, परिवहन योजना आंतरिक रूप से भूमि उपयोग योजना से जुड़ी हुई है और दोनों को एक साथ विकसित करने की आवश्यकता है जो पूरी आबादी की सेवा करता है और फिर भी यात्रा आवश्यकताओं को कम करता है। एक एकीकृत मास्टरप्लान को टिकाऊ शहरी परिवहन की विशेषताओं को आंतरिक करने की आवश्यकता है। ऐसी योजनाओं को विकसित करने में, अनियंत्रित फैलाव के बाद शहरी परिवहन के विकास के बजाए पूर्व नियोजित शहरी परिवहन नेटवर्क के आस–पास के शहर के भविष्य के विकास को चौनल करने के लिए ध्यान देना चाहिए । इस अध्ययन के तहत, इस अध्ययन के तहत एक एकीकृत भूमि उपयोग और शहरी गतिशीलता योजना पर विचार किया गया है।

9.11.6 बस बुनियादी ढांचा आवश्यकता

9.11.6.1 बस टर्मिनलों – इंटरसिटी

वर्तमान में, रेलवे स्टेशन के पास और कच्छरी के पास स्थित गोरखपुर में दो इंटरसिटी बस टर्मिनल हैं। दोनों टर्मिनल शहर के मुख्य क्षेत्र में स्थित हैं। दोनों टर्मिनल छोटे टर्मिनल हैं और टर्मिनल क्षेत्र मौजूदा परिचालनों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। नतीजतन आस पास के सड़कों पर टर्मिनल गतिविधियों का स्पिलोवर होता है जिस के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में भीड़ और अराजकता होती है। इस प्रकार, वर्तमान अध्ययन के तहत गोरखपुर दृ पिप्राइच रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 28 (लखनऊ रोड) पर राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा बस टर्मिनलों को कोर क्षेत्र से शहर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित करने की भी आवश्यकता है। यात्रा के दिशा उन्मुख सिद्धांत के आधार पर, गोरखपुर दृ पिप्राइच रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 28 (लखनऊ रोड) पर दो इंटर सिटी बस टर्मिनलों का प्रस्ताव दिया गया है। गोरखपुर के लिए मास्टरप्लान 2021 गोरखपुर दृ पिप्राइच रोड पर एक नया इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी प्रस्तावित करता है।

9.11.6.2 बस टर्मिनलों – इंटरासीटी

रेलवे स्टेशन के पास मौजूदा इंटर सिटी बस टर्मिनल को स्पष्टता बस संचालन के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह बस टर्मिनल विभिन्न तरीकों के बीच यात्रियों के चिकनी इंटर चेंज के लिए रेल ध बस/एमआरटी के मल्टीमोडल एकीकरण का एक अभिन्न अंग होगा।

कचहरी के पास बस टर्मिनल को आईपीटी टर्मिनल के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह कोरसिटी क्षेत्र में भीड़ को राहत देने में मदद करेगा। इसके अलावा, शहर बस प्रणाली के सुचारू काम काज के लिए विभिन्न स्थानों पर पांच स्पष्टता बस टर्मिनल प्रस्तावित किए गए हैं। सभी 6 टर्मिनलों में प्रस्तावित एमआरटीएस गलियारे के साथ आदान–प्रदान की सुविधा होगी। प्रस्तावित अवैध बस टर्मिनलों का विवरण तालिका में दिया गया है। सभी प्रस्तावित बस टर्मिनलों का स्थान आकृति में दिखाया गया है.

तालिका 77 प्रस्तावित इंटर सिटी बस टर्मिनल

टर्मिनल संख्या	स्थान
1	रेलवे स्टेशन के पास मौजूदा इंटरसिटी बस टर्मिनल
2	NH 29 मोहरपुर के पास
3	गुलरिहा के पास महाराजगंज रोड
4	हवाई अड्डे के पास कुशीनगर रोड
5	सूबा बाजार के पास देवरिया रोड
6	परिवहन नगर

स्रोत: गोरखपुर व्यापक गतिशीलता योजना रिपोर्ट–2018

9.11.7 सड़क संजाल विकास योजना की तैयारी

9.11.7.1 रिंग रोड और बाईपास

रिंग रोड को निरंतर फुटपाथ के साथ 6 से 8 लेन विभाजित कैरिज वे के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। जहां भी संभव हो सर्विस लेन और साइकिल पथ का प्रावधान प्रस्तावित है। चिन्हित रिंग रोड की कुल लंबाई लगभग 32 किमी है और अनुशंसित आरओडब्ल्यू चौड़ाई 60 मीटर है। प्रस्तावित रिंग रोड को चित्र में दर्शाया गया है और निम्नलिखित प्रमुख नोड्स को जोड़ने की परिकल्पना की गई है:

1	• बरगदवा	*7*	• मोहद्दीपुर
2	• भगवानपुरा	*8*	• तारामंडल रोड
3	• घोसीपुरवा	*9*	• परिवहन नगर
4	• आईटीआई कॉलेज	*10*	• लाला टोली
5	• पादरी बाजार चौक	*11*	• डोमिन गढ़
6	• रेलवे कॉलोनी		

चित्र 10 मुख्य नगरीय मार्ग

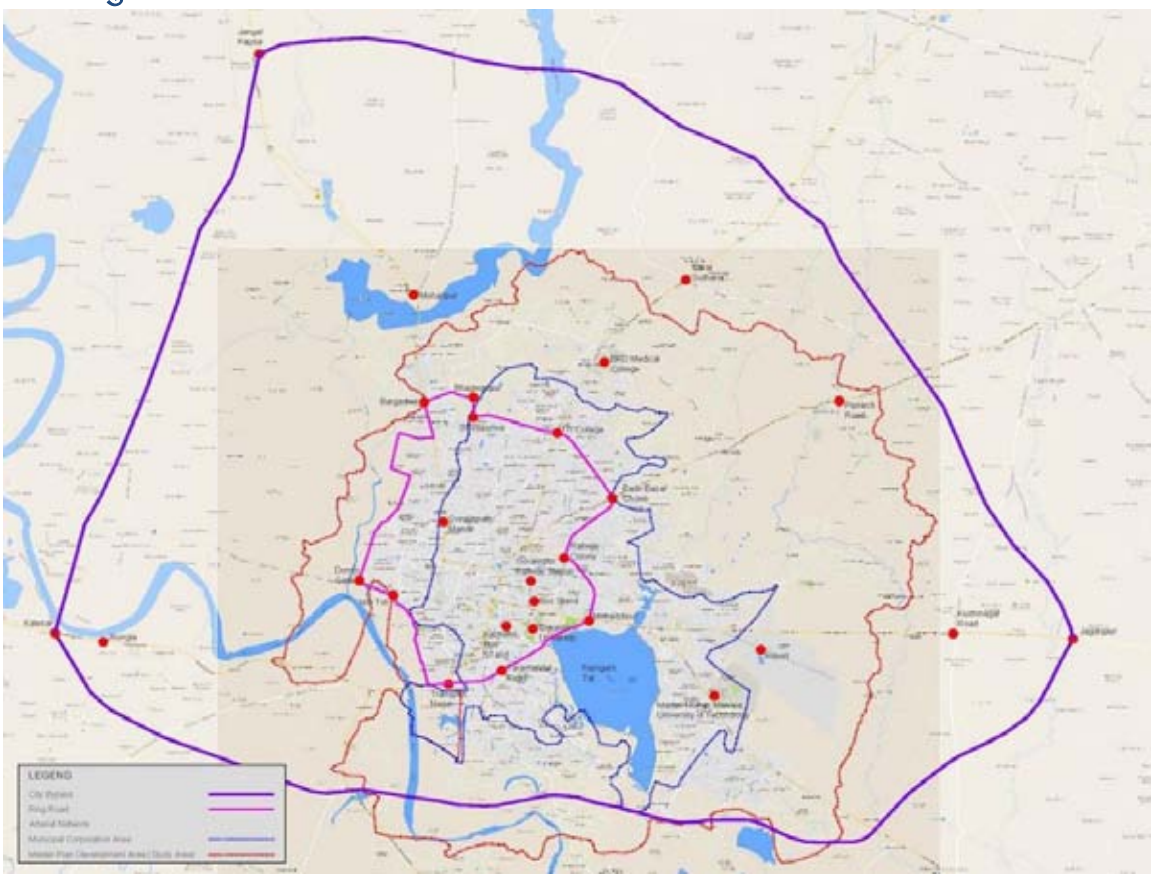

9.11.7.2 आंतरिक मार्गों का विकास

प्रमुख गतिशीलता गलियारों पर यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए, यह आवश्यक है कि सभी मुख्य सड़कों के आरओडब्ल्यू का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। इस अध्ययन के तहत पहचानी गई मुख्य सड़कों की आरओडब्ल्यू को जहां भी संभव हो 45 मीटर पर बनाए रखने की सिफारिश की गई है, जिसमें 6 लेन विभाजित कैरिज वे सहित न्यूनतम 30 मीटर आरओडब्ल्यू शामिल है। शहर में प्रमुख गतिशीलता गलियारों के रूप में विकास के लिए पहचाने जाने वाली मुख्य सड़कों को चित्र में दर्शाया गया है। लगभग 187 किमी सड़क नेटवर्क को धमनी नेटवर्क के रूप में अपग्रेड करने के लिए पहचाना गया है। इसके अलावा मास्टर प्लान 2021 के तहत चौड़ीकरण की प्रस्तावित सड़कों को भी लिया जाएगा.

9.11.7.3 प्रस्तावित क्रॉस सेक्शन

सड़कों के समग्र पदानुक्रम को तालिका में दर्शाया गया है। सड़क नेटवर्क को कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करने की अनुमति देने के लिए, अनुशंसित क्रॉस सेक्शन के अनुसार सड़क के निरंतर खिंचाव को विकसित करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक परिवहन आवाजाही के लिए चिह्नित/आरक्षित दो लेन के साथ 30 मीटर, 45 मीटर और 60 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू के गलियारों के लिए तीन विशिष्ट क्रॉस–सेक्शन प्रस्तावित किए गए हैं। क्रॉस सेक्शन का विवरण नीचे दिया गया है।

सिटी बायपास 60 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू वाले कॉरिडोर के लिए अनुशंसित क्रॉस सेक्शन में डिवाइडर (3–4 मीटर), ट्रैफिक मूवमेंट के लिए 8 लेन डिवाइडेड कैरिज–वे (14 मीटर दोनों तरफ), सर्विस बेल्ट मुख्य कैरिज–वे से सर्विस रोड को अलग करना शामिल है (0–75 मीटर), स्थानीय यातायात के दोतरफा आवागमन के लिए सर्विस लेन (7 मीटर), एन.एम.टी लेन (दोनों तरफ 3–1 मीटर), फुटपाथ (दोनों तरफ 3 मीटर) और स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट फर्नीचर के प्रावधान के लिए सर्विस बेल्ट (0–6 मीटर चौड़ा), पेड़ आदि।

चित्र 11 प्रस्तावित 60 मीटर मार्गाधिकार

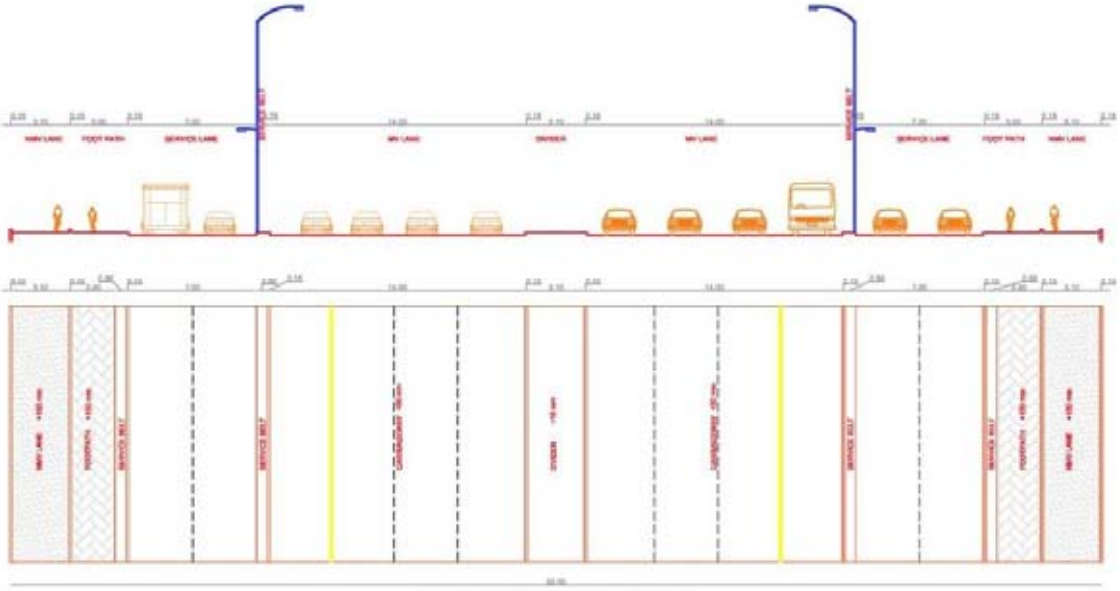

रिंग रोड और मुख्य सड़कें 45 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू में डिवाइडर (3–4मीटर), ट्रैफिक मूवमेंट के लिए 8 लेन विभाजित कैरिज वे (14 मीटर दोनों तरफ), एन.एम.टी लेन (3–1 मीटर दोनों तरफ) जैसी सुविधाओं के साथ प्रस्तावित है। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट फर्नीचर, पेड़ आदि के प्रावधान के लिए फुटपाथ (दोनों तरफ 03 मीटर) और सर्विस बेल्ट (06 मीटर चौड़ा)। 45 मीटर रो के लिए कोई सर्विस रोड प्रस्तावित नहीं है।

चित्र 12 प्रस्तावित 45 मीटर मार्गाधिकार

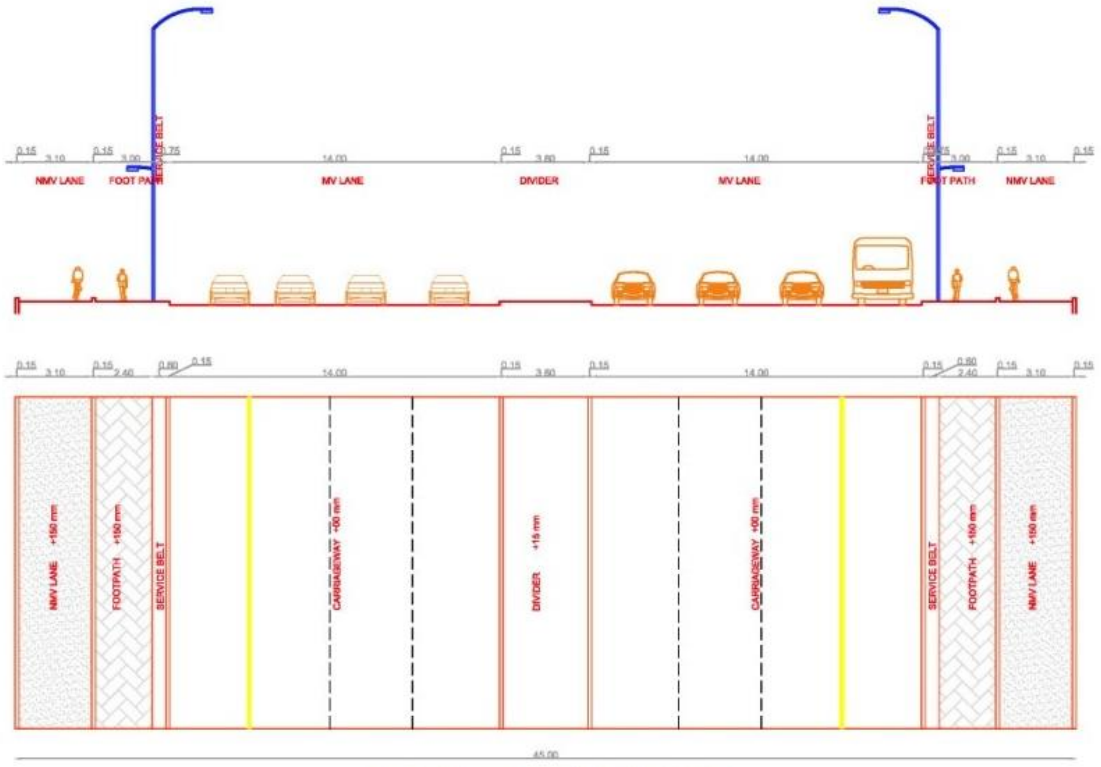

मुख्य सड़कें 30 मीटर आर.ओ.डब्ल्यू के लिए, प्रस्तावित क्रॉस सेक्शन में डिवाइडर (1–5 मीटर), यातायात आवाजाही के लिए 6 लेन विभाजित कैरिज वे (दोनों तरफ 10–5 मीटर), एन.एम.टी लेन/फुटपाथ (03–05 मीटर दोनों तरफ) जैसी विशेषताएं शामिल हैं। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट फर्नीचर, पेड़ आदि के प्रावधान के लिए सर्विस बेल्ट (0–6 मीटर चौड़ा)।

चित्र 13 प्रस्तावित 30 मीटर मार्गाधिकार

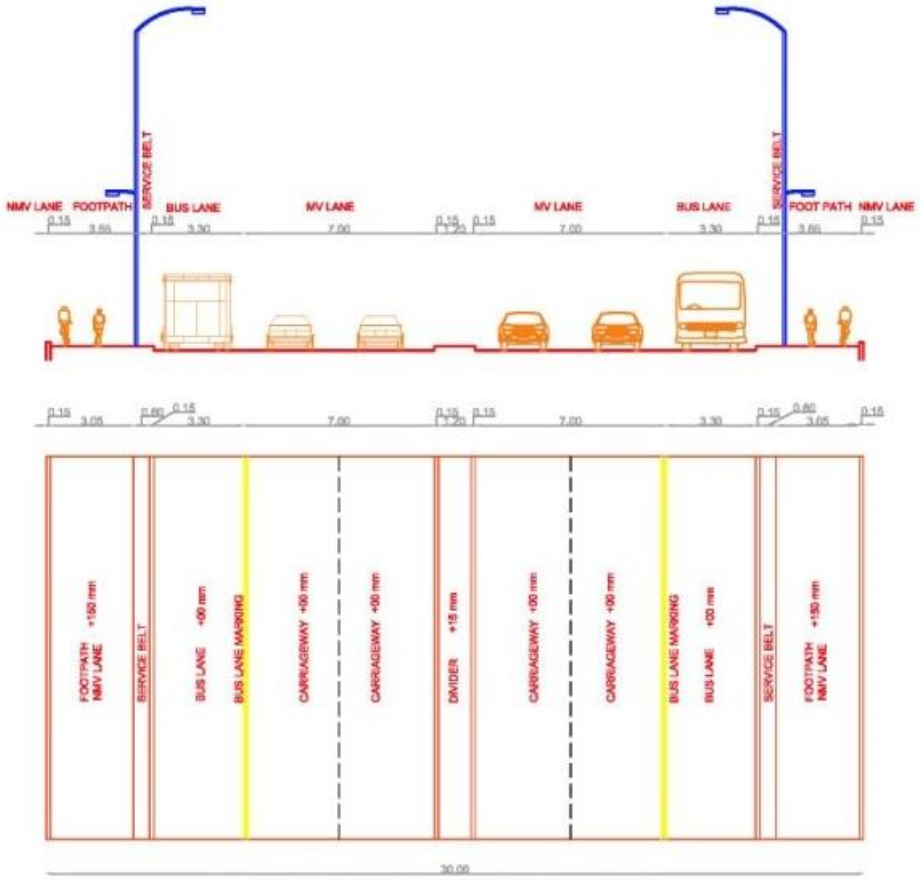

प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज /रोड अंडर ब्रिज (आरओबी/आरयूबी)

तालिका 78 प्रस्तावित आरओबी/आरयूबी

क्रमांक	स्थान	टिप्पणियां
1	नकहा जंगल के पास भगवानपुर	रिंगरोड क्रॉस सेक्शन के हिस्से के रूप आर.ओ.बी/आर.यू.बी विकसित किया जाना है।
2	डोमिंनगढ़ रेलवे स्टेशन के पास	रिंग रोड क्रॉस सेक्शन के हिस्से के रूप में आर.ओ.बी/आर.यू.बी विकसित किया जाना है।
3	जगत बेला के पास टिकरिया	आन्तरिक सड़क क्रास सेक्शन के हिस्से के रूप में आर.ओ.बी/आर.यू.बी विकसित किया जाना है।
4	जगत बेला रेलवे स्टेशन पर	बाईपास रोड क्रॉस सेक्शन के हिस्से के रूप में आर.ओ.बी/आर.य.बी विकसित किया जाना है।
5	उनौला रेलवे स्टेशन के पास	बाईपास रोड क्रॉस सेक्शन के हिस्से के रूप में आर.ओ.बी/आर.य.बी विकसित किया जाना है।
6	शहर के उत्तर में जंगल कौड़िया	बाईपास रोड क्रॉस सेक्शन के हिस्से के रूप में आर.ओ.बी/आर.य.बी विकसित किया जाना है।
7	मणिरम रेलवे स्टेशन के पास	बाईपास रोड क्रॉस सेक्शन के हिस्से के रूप में आर.ओ.बी/आर.य.बी विकसित किया जाना है।
8	मोहरीपुर के पास	बाईपास रोड क्रॉस सेक्शन के हिस्से के रूप में आर.ओ.बी/आर.य.बी विकसित किया जाना है।

चित्र 14 प्रस्तावित आर.ओ.बी/आर.य.बी

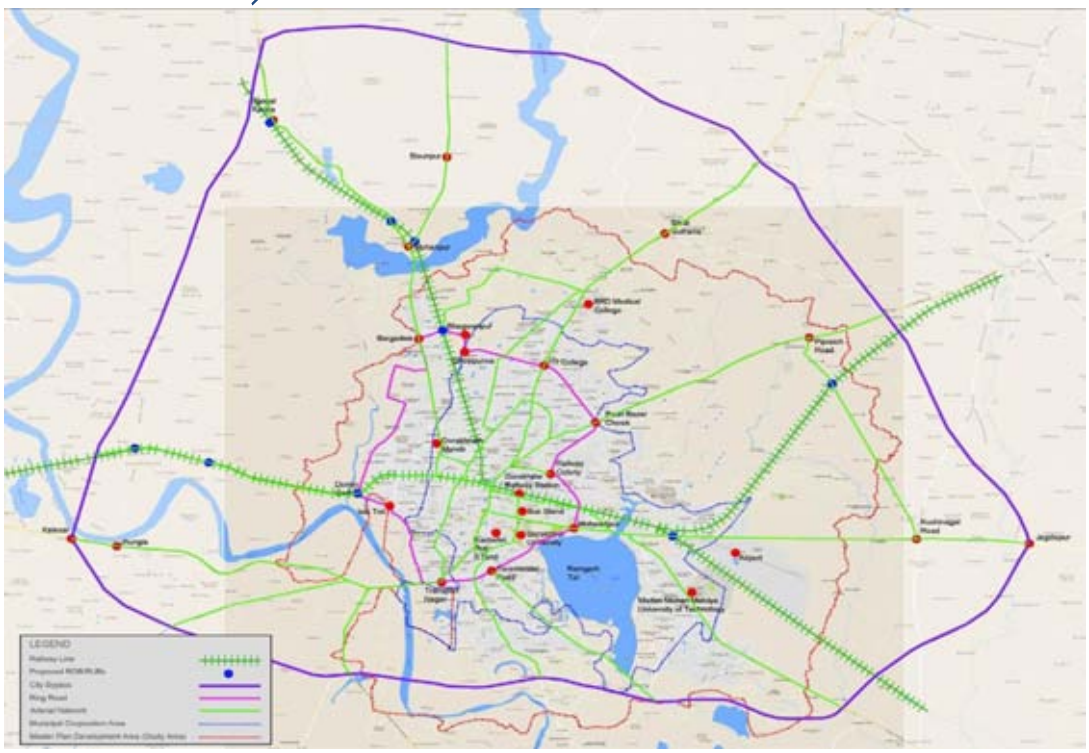

एन.एम.टी (गैर मोटर चालित परिवहन) सुविधा सुधार योजना

- पूरे शहर में सभी मोबिलिटी कॉरिडोर पर फुटपाथ स्थापित किए जाएंगे।
- 10 मीटर से अधिक मार्गाधिकार के मार्गों के किनारे न्यूनतम 2.5 मीटर तथा 10 मीटर तक के मार्गाधिकार के मार्गों के किनारे न्यूनतम 1.5 मीटर के मार्ग के दोनों ओर फुटपाथ की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- मोटर चालित वाहनों को एनएमवी लेन और फुटपाथ में प्रवेश करने से रोकने के लिए सख्त प्रवर्तन और एनएमवी बुनियादी ढांचे के अतिक्रमण और तोड़फोड़ को हतोत्साहित करने के लिए भी।
- पैदल चलने वालों को न्यूनतम आवश्यकता के रूप में एक पैदल यात्री क्रॉसिंग सिग्नल के साथ पार करने की अनुमति देने के लिए हर 1 किमी की दूरी पर खुलने के साथ–साथ रास्ते में चलने को हतोत्साहित करने के लिए रेल गार्ड के साथ सभी सड़कों पर।
- सभी जंक्शनों पर जेब्रा क्रासिंग की व्यवस्था की जाएगी।

चित्र 15 एन.एम.टी /सुविधा योजना

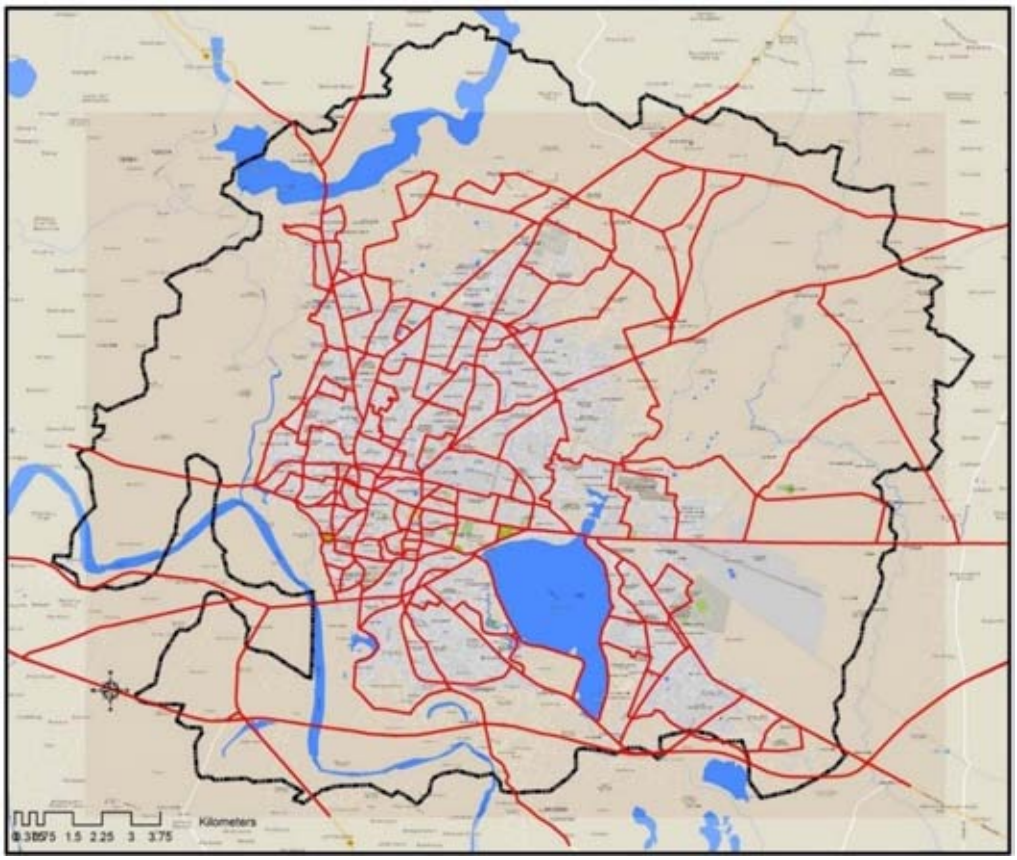

माल ढुलाई योजना

ट्रक टर्मिनल के लिए कोई संगठित स्थान उपलब्ध नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर जंक्शन पर मौजूदा ट्रक टर्मिनल एक सड़क के किनारे का टर्मिनल है जो शहर के यातायात आते जाते है जिसके परिणामस्वरूप यातायात जाम होता है।

गोरखपुर की व्यापक गतिशीलता योजना के पिछले अध्ययनों में एन.एच–29ए महाराजगंज रोड, पिपराइच रोड और देवरिया रोड पर निम्नलिखित स्थानों पर माल ढुलाई टर्मिनलों का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, मौजूदा फ्रेट टर्मिनल को लखनऊ रोड पर शहर की परिधि में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

तालिका 79 अन्तर सुविधा का स्थान

स्थान सं।	अन्तर साधन सुविधा के लिए प्रस्तावित स्थान	क्षेत्र
1	प्रस्तावित बाईपास और लखनऊ रोड का जंक्शन	कालसर
2	प्रस्तावित बाईपास और एनएच –29 का जंक्शन	जंगल कौरिया
3	प्रस्तावित बाईपास और महाराजगंज रोड का जंक्शन	सराय गुलरिया
4	प्रस्तावित बाईपास और पिपराईच रोड का जंक्शन	रतनपुर
5	प्रस्तावित बाईपास और देवरियारोड का जंक्शन	रामनगर करजहा

स्रोत–व्यापक गतिशीलता योजना गोरखपुर 2018

चित्र 16 फ्रेट योजना

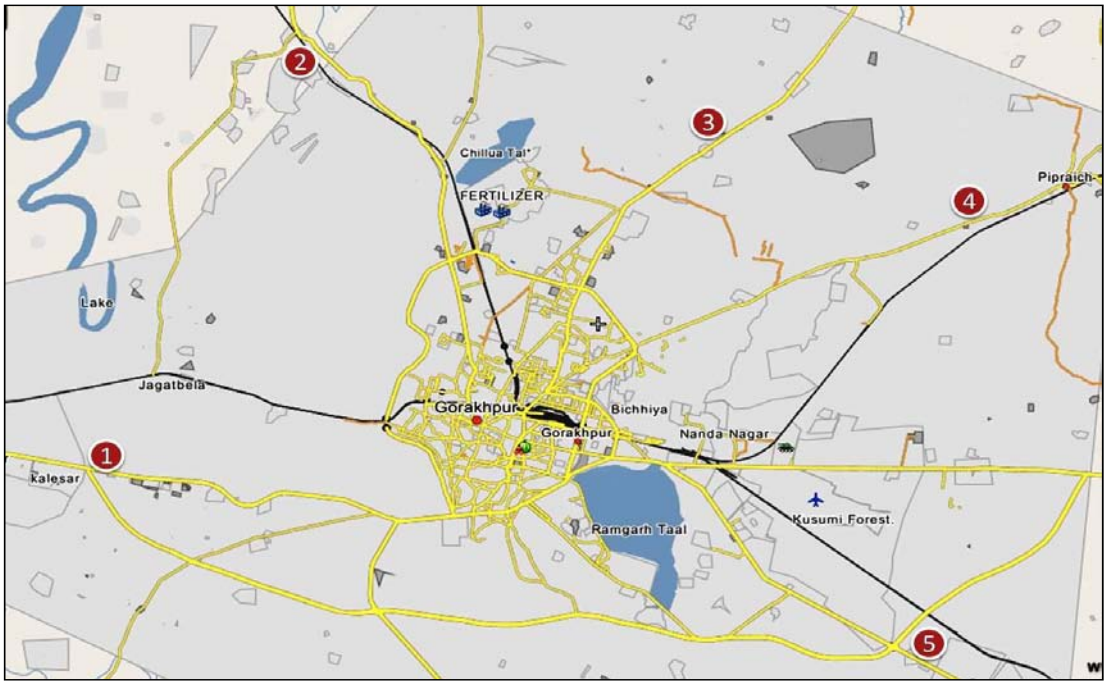

पार्किंग योजना

गोरखपुर में सड़क से ऑफ स्ट्रीट, मल्टी लेवल पार्किंग के विकास के लिए तीन स्थानों को चिन्हित किया गया है। ये स्थान शहर के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र की पार्किंग की जरूरत को पूरा करेंगें।

तालिका 80 पार्किंग सीन

क्रमांक	पार्किंग स्थान
1	रेलवे स्टेशन
2	गोलघर
3	लाल डिग्गी पार्क

स्रोत: गोरखपुर 2018 की व्यापक गतिशीलता योजना

चित्र 17 प्रस्तावित पार्किंग स्थान

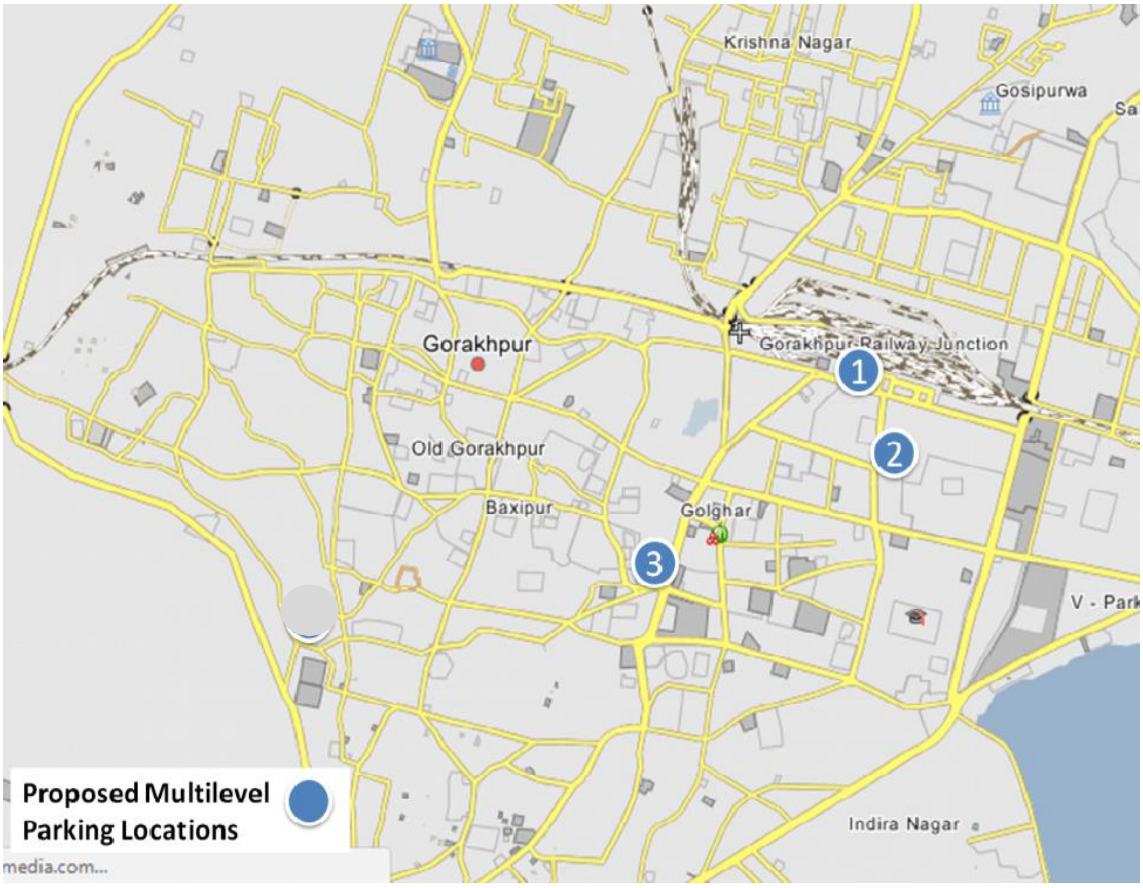

यातायात नियंत्रण उपाय

बहुत कम ऐसे जंक्शन हैं जो मानव द्वारा रूप से संचालित होते हैं और केवल सीमित संख्या में जंक्शनों में सिग्नल लगे और उनमें से अधिकांश काम नहीं कर रहे थे। शहर में खासकर मुख्य क्षेत्र में यातायात जाम का मुख्य कारण अनियंत्रित जंक्शन । कुछ प्रमुख जंक्शन जहां से भारी यातायात गुजरता हैं और जहां दोषपूर्ण ज्यामिति के कारण और यातायात नियंत्रण उपायों के अभाव में जाम लगता है, उन्हे पैदल यात्री चरणबद्धता और जंक्शन ज्यामिति में सुधार के साथ सिग्नल लगाने के लिए चिन्हित किया गया है, जैसा नीचे चित्र में प्रदर्शित है।

चित्र 18 यातायात नियंत्रण स्थान

यातायात सुरक्षा योजना

शहर में दुर्घटना और मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए, ब्लैक स्पॉट अथवा दुर्घटना बहुल क्षेत्रों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। दुर्घटना बहुल क्षेत्रों को संभालने के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की गई है।

- ब्लैक स्पॉट के पास वीडियो कैमरों के साथ गति ट्रैकिंग उपकरणों की स्थापना।
- ब्लैक स्पॉट के पास अचलध्चल पुलिस चौकियों की स्थापना।
- दुर्घटना बहुल चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाना।
- आपात स्थिति में देरी से बचने के लिए केंद्रीकृत आपातकालीन व्यवस्था।
- इंजीनियरिंग खामियों को दूर करने के लिए चौराहों का पुर्न परिकल्पना।

10 भू–उपयोग प्रस्ताव

10.1 प्रस्तावित भू–उपयोग 2031

गोरखपुर पुनरीक्षित महायोजना–2031 25 लाख जनसंख्या के लिए तैयार की गयी है। महायोजना में अधिकारियों द्वारा समय–समय पर हितधारको के साथ आयोजित बैठकों से प्राप्त हुए सुझाव भी शामिल हैं। भू उपयोग का प्रस्ताव यू.आर.डी.पी.एफ.आई. दिशा निर्देशों और उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अनुसार किया गया है। उक्त अनुमानित जनसंख्या को समस्त नागरिक सुविधाओं यथा आवासीय, व्यावसायिक, सार्वजनिक सुविधाएं, उपयोगिता एवं सेवाएं, उद्योग, कार्यालय, मनोरंजन तथा यातायात एवं परिवहन से संबंधित आदि को सुलभ कराने के उद्देश्य से इन सुविधाओं से संबंधित भू–उपयोग का प्रस्ताव संपूर्ण महायोजना क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में सुविधाजनक पहुंच स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थलों पर किए गए हैं। इन समस्त भू–उपयोग हेतु गोरखपुर पुनरीक्षित महायोजना 2031 में कुल 20342.93 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसका पूर्ण विवरण तालिका में दिया गया है।

तालिका 81 गोरखपुर शहरीकरण योग्य क्षेत्र और प्रस्तावित भू–उपयोग वितरण

भू उपयोग	प्रतिशत	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे.)
आवासीय	52.65	10720.02
व्यावसायिक	5.07	1031.46
कार्यालय	1.23	250.41
सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक	7.86	1600.34
औद्योगिक	3.87	788.61
यातायात और परिवहन	13.77	2803.46
पार्क, खुले स्थल और हरित पट्टी	15.55	3166.15
कुल योग	100.00	20360.47

ग्राफ 34 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2031

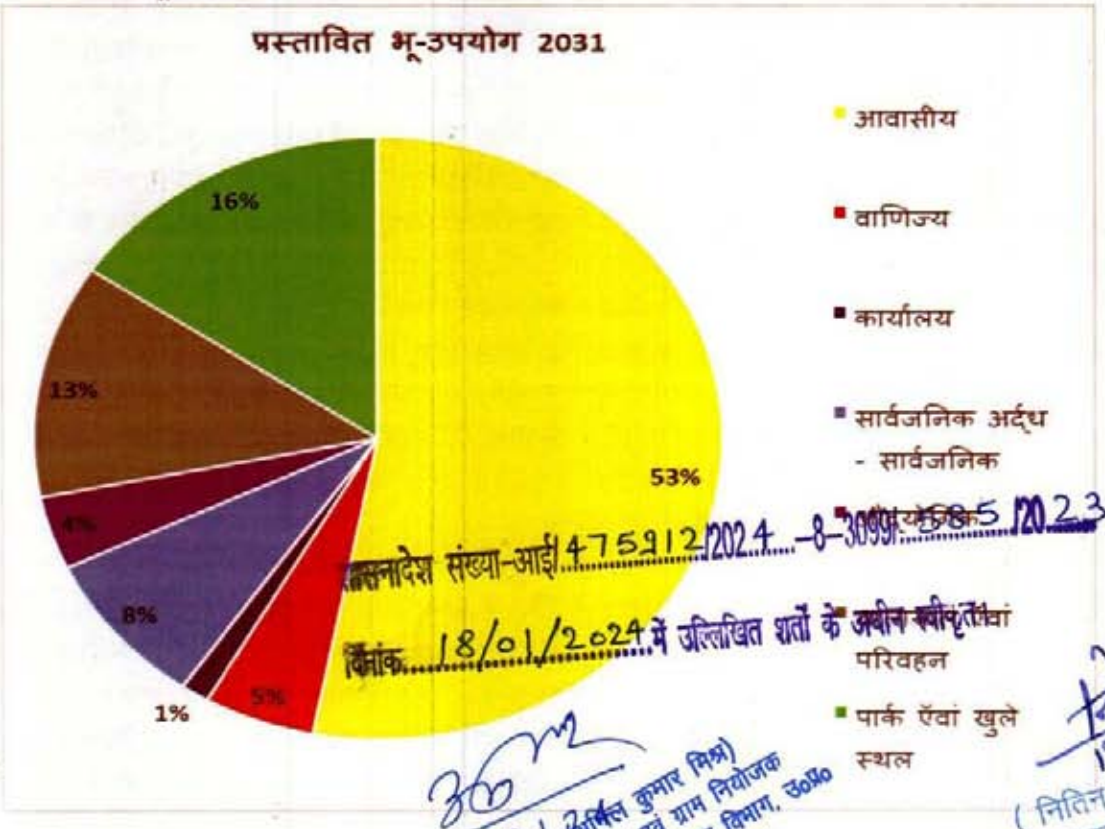

शासनादेश संख्या-आई 4759 12/2024-8-3099/2023
दिनांक 18/01/2024 में उल्लिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत
(अखिल कुमार मिश्र) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 मुख्यालय, लखनऊ 18-1-2024
(नितिन रमेश गोकर्ण) अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन। 18/1/2024

10.1.1 आवासीय

गोरखपुर 2031 का पुनरीक्षित महायोजना, 125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर घनत्व के साथ 25 लाख जनसंख्या के लिए तैयार की गयी है, जिसमें नगरीय निर्मित क्षेत्र, आवासीय एवं नगरीय ग्रामीण आबादी के अंतर्गत 10720.02 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 53 प्रतिशत है।

10.1.2 व्यावसायिक

गोरखपुर नगर मुख्यतः प्रशासनिक नगर के अतिरिक्त एक मुख्य व्यावसायिक नगर भी है। अतः पुनरीक्षित महायोजना में व्यावसायिक उपयोगों के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित समस्त क्रियाएं यथा नगर के फुटकर व्यवसायिक क्षेत्रों को सामान्य व्यवसायिक, नगर के प्रमुख व्यवसायिक प्रखंडों को नगर केंद्र तथा नए क्षेत्रों में उपनगर केंद्र, थोक व्यवसायिक केंद्र एवं वेयर हाउसिंग उपयुक्त स्थान पर प्रस्तावित किए गए हैं इस प्रकार इन समस्त व्यावसायिक क्रियो हेतु व्यावसायिक भू उपयोग के अंतर्गत कुल 1031.46 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कुल क्षेत्र का 05 प्रतिशत है।

10.1.3 औद्योगिक

गोरखपुर नगर को एक औद्योगिक नगर बनाने की परिकल्पना प्रथम महायोजना में की गई थी परंतु नगर में वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गोरखपुर के औद्योगिक विकास हेतु अलग से एक औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित कर दिया गया और निर्णय हुआ कि गोरखपुर नगर में भविष्य में कोई बड़े या मध्यम उद्योग स्थापित नहीं होंगे एवं समस्त प्रस्तावित उद्योग औद्योगिक विकास क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। फलस्वरुप गोरखपुर नगर में औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत लघु एवं सेवा उद्योग प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त गीडा क्षेत्र के सन्निकट कलेसर–जंगल कोडिया बायपास मार्ग के किनारे विस्तृत एवं वृहद उद्योग उपयोग प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित महायोजना में कुल 788.61 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है जो कुल क्षेत्रफल का 3.87 प्रतिशत है। पुनरीक्षित महायोजना में गोरखपुर विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपीसीडा के अधिसूचित क्षेत्र को यथावत दर्शाया गया है जिसका क्षेत्र यूपीसीडा के अभिलेखों के अनुसार मान्य होगा।

10.1.4 कार्यालय

गोरखपुर मुख्य रूप से एक मंडलीय, जनपदीय एवं क्षेत्रीय प्रशासनिक नगर है। इसके अतिरिक्त यहां पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी स्थित है। समस्त प्रशासनिक कार्यों हेतु गोरखपुर पुनरीक्षित महायोजना–2031 में कार्यालय भू–उपयोग हेतु 250.41 हेक्टयर भूमि आरक्षित है जो कुल क्षेत्रफल का 1.23 प्रतिशत है।

10.1.5 सार्वजनिक और अर्ध–सार्वजनिक सुविधायें

इस भू उपयोग के अंतर्गत समस्त विद्यमान एवं प्रस्तावित शैक्षिक, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, विद्युत, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट निस्तारण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, पुलिस, डाक, संचार संबंधी सुविधाएं आती हैं अतः वर्तमान में इनके उपयोग में आ रहे विद्यमान स्थलों के अतिरिक्त नगर के नवीन क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं हेतु स्थान प्रस्तावित किए गए हैं। इस भू उपयोग में कुल 1600.34 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है जो कुल क्षेत्रफल का 7.86 प्रतिशत है।

10.1.6 यातायात और परिवहन

यातायात एवं परिवहन भू–उपयोग के अंतर्गत वर्तमान मार्ग, प्रस्तावित मार्ग, ट्रक अड्डा, परिवहन नगर, बस अड्डा का क्षेत्र सम्मिलित है। इस प्रकार यातायात और परिवहन भू–उपयोग में कुल 2803.46 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है जो कुल क्षेत्रफल का 13.77 प्रतिशत है।

10.1.7 पार्क, खुले स्थल और हरित क्षेत्र

नगरीय जीवन को मनोरंजन की सुविधा प्रदान करने हेतु नगर में उपलब्ध वर्तमान छोटे पार्कों को अनुरक्षित रखते हुए अन्य उपलब्ध खुले स्थलों, जो आकार में छोटे हैं और जिन्हें महायोजना में प्रदर्शित करना संभव नहीं है, को यथावत बनाए रखने के प्रतिबंध के साथ पुनरीक्षित महायोजना–2031 में उपयुक्त स्थलों पर पार्कों का प्रस्ताव किया गया है। नगर में विद्यमान प्राकृतिक नालों, राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रांतीय राजमार्गों, रेलवे लाइन के किनारे तथा एयर फोर्स स्टेशन के प्रतिबंधित जोन में हरित पट्टिका प्रस्तावित है। इस प्रकार इस भू–उपयोग के अंतर्गत कुल 3166.15 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कुल क्षेत्र का 15.55 प्रतिशत है

10.1.8 राजमार्गीय सुविधा जोन

पुनरीक्षित महायोजना के नगरीकरण सीमा के बाहर राजमार्गों के किनारे मार्गीय सुविधाओं की पूर्ति तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्यावसायिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं हेतु राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय राजमार्गों व निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित बाईपास के दानों तरफ 30मी0 की हरित पट्टी के पश्चात 300मी0 की गहराई तक राजमार्गीय सुविधा जोन (Highway Facility Zone) भू–उपयोग का प्रस्ताव किया गया है। हाईवे फैसेलिटी जोन की श्रेणी को कृषि भू–उपयोग का ही भाग माना जायेगा। हाईवे फैसेलिटी जोन में कोई भूखण्ड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपास से सम्बद्ध होने के साथ–साथ यदि चक मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चक मार्ग के मध्य से न्यूनतम 12.00 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नही होगा। जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित किये जाने वाली क्रियाओं हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम भू–आच्छादन, तल क्षेत्रानुपात (FAR), आदि प्राविधान प्रभावी होंगे।

10.2 भू–विकास नीतियां

किसी भी नगरीय क्षेत्र के भावी विकास को महायोजना में परिकल्पित स्वरूप के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए भू–उपयोग नीतियों को समय एवं क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप व्यापक एवं व्यावहारिक बनाया जाना आवश्यक है। गोरखपुर पुनरीक्षित महायोजना क्षेत्र के वर्तमान स्वरूप में सुधार एवं प्रस्तावित भावी विकास की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को विभिन्न भू–उपयोगों की श्रेणियों में विभाजित करते हुए प्रत्येक श्रेणी के लिए आवश्यक भू–उपयोग नीतियाँ प्रस्तावित की गयी हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

10.2.1 निर्मित क्षेत्र

गोरखपुर महायोजना 2021 मे नगर के पुराने सघन निर्मित क्षेत्र को उच्च घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जिसे पुनरीक्षित महायोजना–2031 में भी निर्मित क्षेत्र उच्च घनत्व वाले क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस पुराने भाग के मार्गों के किनारे निर्मित आवासीय भवनों को तोड़कर, पुर्ननिर्मित, पुर्नविकसित करके बड़े–बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान (काम्पलेक्स) का निर्माण करके वाणिज्यिक विकास हुआ है। इससे इस क्षेत्र में उपलब्ध तथा प्रस्तावित समस्त खुले, गड्ढ़े, तालाब का भी अनधिकृत रूप आवासीय भवनों तथा व्यावसायिक भवनों के रूप में विकास हो चुका है। वर्तमान भू–उपयोग सर्वेक्षण–2020 के अनुसार इस क्षेत्र में सघन विकास के कारण निन्न समस्यायें उत्पन्न हो गयी है :–

1. उपलब्ध मार्ग संकरे हो गए है तथा उन पर यातायात का दबाव बढ़ गया है।
2. इन व्यावसायिक क्षेत्रों में भवनों के सेट बैक तथा वाहनों के खड़े होने के स्थान के रूप में समुचित पार्किंग स्थल का प्रावधान न किए जाने के कारण समस्त वाहन इन दुकानों के सामने सड़क के किनारें खड़े हो जाते है, जिनके कारण मार्ग के उपलब्ध वास्तविक न्यूनतम चौड़ाई भी कम हो जाती है, जो यातायात के सुगम संचालन में अवरोध उत्पन्न करते है।
3. नगर के इस घने (निर्मित) क्षेत्र में खुले स्थान का का क्षेत्रफल अपर्याप्त है।

नीति निर्धारण :

- पुनरीक्षित गोरखपुर महायोजना 2031 के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्र में ऐसे मार्ग जहॉ पर वाणिज्यिक क्रियाओं का विकास तीव्र गति से हुआ है, को बाजार स्ट्रीट के रूप में प्रस्तावित है।
- वर्तमान में उपलब्ध खुले क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल 0.25 हे0 से अधिक हो, उसे यथावत खुले क्षेत्र के रूप में आरक्षित कर इस पर खुले क्षेत्र से सम्बन्धित जनोपयोगी सुविधाएं उपलब्ध कराना उचित होगा।
- निर्मित क्षेत्र में विद्यमान सभी थोक मण्डियों को बाह्य क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर रिक्त हुए भूमि को पार्किंग स्थल/सुविधा के रूप में विकसित किया जायेगा।

10.2.2 निर्मित क्षेत्र के बाहर विकासशील क्षेत्र :

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.05.2004 को सम्पन्न 80वीं बोर्ड बैठक में अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि गोरखपुर नगर की पुनरीक्षित महायोजना

में पूर्व की महायोजना–2001 में प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थलो तथा हरित पट्टी को यथावत दर्शा दिया जाए एवं इस भू–उपयोग के क्षेत्र में हुए अनधिकृत निर्माण के संबंध में शासन स्तर से दिशा–निर्देश प्राप्त किये जाएं।

पार्क एवं खुले स्थल तथा हरित पट्टी भू–उपयोग क्षेत्र में हुए निर्माण को छोड़कर अन्य भू–उपयोगों के विपरीत हुए निर्माण का विनियमितीकरण शासन की नीति/आदेश के अनुसार निर्धारित शुल्क एवं एक्ट में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही उस स्थल का परिवर्तित भू–उपयोग प्रस्ताव मान्य होगा।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.05.2004 में लिए गये बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र में निम्नलिखित शर्तें अंकित करते हुए गोरखपुर महायोजना–2021 प्रारूप शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया :–

1. पूर्व स्वीकृत महायोजना में भू–उपयोग के विपरित प्रमुख निर्माण जो शासन की नीति के अनुसार विनियमितीकरण के उपरान्त मान्य होंगे।
2. पूर्व स्वीकृत महायोजना में प्रस्तावित पार्क जो शासनादेश संख्या–3125/9–आ–3–2003–6 महा./2003 टी. सी. दिनांक 20.08.2003 के अनुसार यथावत दर्शाये गये जिनमे हुए अनधिकृत निर्माण शासन की नीति के अनुसार विनियमितीकरण के उपरान्त मान्य होंगे।

उक्त निर्णय के आलोक में महायोजना–2021 (प्रारूप) शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के पत्र संख्या–4008/8–3–2007– 13महा./2003 दिनांक 02.11.2007 के द्वारा गोरखपुर महायोजना–2021 को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि भू–उपयोग परिवर्तन के कतिपय प्रकरणों पर अलग से विचार किया जा रहा है और इस संबंध में शासन के निर्णय से यथा समय अवगत कराया जाऐगा। गोरखपुर महायोजना–2021 में भू–उपयोग परिवर्तन से संबंधित उल्लेखित शर्त संख्या–1 एवं 2 के संबंध में शासन स्तर से निर्णय लिये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन उपरान्त शासन को पत्र प्रेषित किये गये। तत्क्रम में शासन की अधिसूचना संख्या–1578/8–3–15–13 महा. –03 दिनांक 10.12.2015 द्वारा शर्त संख्या–2 से आच्छादित केवल राजकीय/शासकीय अभिकरणो के स्वामित्व/योजनाओं की आवंटित भूमि के भू–उपयोग के विनियमितीकरण हेतु महायोजना में अंकित शर्त के पृथक किये जाने का निर्णय लिया गया है। किन्तु शर्त संख्या–2 से आच्छादित निजी भूमियों के संबंध में तथा शर्त संख्या–1 के संबंध में कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ।

नीति निर्धारण :

1. प्रारूप महायोजना–2031 में इस क्षेत्र को यथावत प्रस्तावित किये जाने के कारण इस सम्बन्ध में विनियमितीकरण की शर्त से मुक्त करते हुए आवासीय भू–उपयोग निर्धारित करने के लिए प्राप्त सैकड़ों आपत्तियों में उल्लेखित तथ्यो, आपत्ति सुनवाई के समय उपलब्ध कराये गये अभिलेखों, वर्तमान भू–उपयोग सर्वेक्षण 2020, स्थलीय सत्यापन, उपलब्ध अवस्थापना सुविधाए, पूर्व महायोजना–2021 में दर्शित आवासीय भू–उपयोग तथा प्राकृतिक न्याय के आलोक में विनियमितीकरण की शर्त संख्या–1 एवं 2 से आच्छादित राजकीय/शासकीय अभिकरणों के स्वामित्व की भूमि के साथ–साथ शेष निजी क्षेत्र की भूमि को महायोजना–2021 में अंकित शर्त से पृथक किये जाने की संस्तुति की गयी है, जिन्हे गोरखपुर विकास प्राधिकरण की दिनांक 28.02.2023 को संपन्न 123वीं बोर्ड बैठक तथा दिनांक 17.10.2023 को संपन्न 125वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के दृष्टिगत पुनरीक्षित महायोजना में आवासीय भू–उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।
2. वर्तमान भू उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार पूर्व महायोजना 2021 में प्रस्तावित मुख्यतः आवासीय भू उपयोग में आवासीय भू–उपयोग की सहायक क्रियायें यथा शैक्षिक, स्वास्थ, व्यावसायिक क्रियाएं तथा समुचित मार्गाधिकार की मार्ग संरचना, पार्क/खुले स्थलों का आभाव है, जिसका मुख्य कारण मानकों के अनुसार तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना ही अनियोजित कॉलोनियों का विकास होना है। उक्त के दृष्टिगत महायोजना में प्रस्तावित नए अविकसित क्षेत्रों में सक्षम स्तर से तल पट मानचित्र अथवा टाउनशिप निति तथा अन्य नियोजित विकास की निति के अंतर्गत सक्षम स्तर से स्वीकृति तथा भूमि विकास होने के उपरांत ही मानचित्र स्वीकृत किये जायेंगे ताकि नियोजित विकास के परिकल्पना साकार हो सके।

3. पुनरीक्षित महायोजना में प्रस्तावित ऐसे भू–भाग जिनका भू–उपयोग पुनरीक्षित महायोजना प्रारूप–2031 तैयार करते समय उच्चीकृत हो गया है एवं ऐसे क्षेत्रों में जो भवन अनधिकृत रूप से निर्मित /निर्माणाधीन हैं तथा प्रारूप महायोजना 2031 में प्रस्तावित भू–उपयोग के अनुरूप हैं, को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (संशोधन) अधिनियम 2023 दिनांक 21.08.2023 के प्रस्तर 8 में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नगरीय उपयोग प्रभार उदग्रहीत किए जाने के उपरांत ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
4. शासनादेश संख्या–2157 दिनांक 22.07.2011 द्वारा शहरीकरण की प्रक्रिया अतर्गत आने वाले ग्रामों के विकास हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण आबादियों के ले–आउट प्लान तैयार करते हुए नियोजन एवं विकास किया जाएगा।
5. उक्त के अतिरिक्त महायोजना नगरीयकरण क्षेत्र के बाहर स्थित ग्रामीण आबादियों के प्राकृतिक विस्तार हेतु राजस्व अभिलेखों में दर्ज ग्रामीण आबादी के चतुर्दिक 100 मीटर का क्षेत्र आबादी विस्तार हेतु प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत तलपट मानचित्र अथवा समूह आवास की स्वीकृति नहीं दी जाएगी बल्कि ग्रामीण आबादी का विस्तार मानते हुए एकल आवास की स्वीकृति दी जाएगी।
6. **बाजार स्ट्रीटः** पुनरीक्षित महायोजना में चिन्हित निर्मित क्षेत्र में विद्यमान ऐसे मार्ग जिनके दोनो ओर वर्तमान भू–उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक गतिविधियां क्रियाशील हैं ऐसे मार्गों पर मार्गाधिकार के उपरांत 15 मीटर गहराई तक बाजार स्ट्रीट के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
   नगर के निर्मित क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रो में 24 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित/विद्यमान मार्गो पर (बंधा मार्गों को छोड़कर) इस प्रतिबन्ध के साथ बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित है कि 30 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्गो के निर्माण/चौड़ीकरण के समय सर्विस लेन अनिवार्य रूप से बनायी जाएगी। महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य की जायेगी कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई या फिर 100 मीटर गहराई तक, जो भी कम हो जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भू–उपयोग अनुमन्य होगा। प्रस्तावित मार्गों के किनारे बाजार स्ट्रीट का लाभ उक्त प्रस्तावित महायोजना मार्गों के विकसित हो जाने के उपरांत ही अनुमन्य होगा। बाजार स्ट्रीट वाले क्षेत्रों में बाजार स्ट्रीट भू–उपयोग के साथ–साथ पृष्ठ भाग में प्रस्तावित भू–उपयोग के अनुसार भी निर्माण/विकास की अनुमति दी जा सकेगी। प्राधिकरण की योजनाओं/स्वीकृत ले–आउट में महायोजना प्रस्तावों के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार ले–आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होगें।
7. **शासन द्वारा निर्गत विकास प्राधिकरण (स्थानांतरण विकास अधिकारों की अनुज्ञा) उपविधि, 2022** द्वारा महायोजना में चिन्हित सुविधा जिसे उपविधि में परिभाषित किया गया हऐ का विकास उपविधि में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किए जाने का प्रस्ताव है। सुविधा के अंतर्गत सड़क, पार्क और खुला स्थान, हरित पट्टी और/या योजना में यथा अभिहित सुविधाओं, सेवाओं, उपयोगिताओं और सुख साधनो सहित कोई अन्य सार्वजनिक कार्य अथवा जिसे सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा इस उपविधि के प्रयोजनार्थ सुविधा निर्दिष्ट किया जाये, सम्मिलित हैं।
   विकास प्राधिकरण (स्थानांतरण विकास अधिकारों की अनुज्ञा) उपविधि, 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत टी.डी.आर. उदभव करने वाले वाले और प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को महायोजना–2031 में सेन्डिंग एवं रिसीविंग जोन्स के रूप में निम्नवत चिह्नित किया गया है।

सेन्डिंग जोन्स	रिसीविंग जोन्स
1. विद्यमान मार्गों का महायोजना–2031 में प्रस्तावित मार्गाधिकार के अनुसार चौड़ीकरण।	महायोजना के अंतर्गत निर्मित क्षेत्र में 12 मीटर विद्यमान चौड़ाई की सड़कों के दोनों तरफ बाजार स्ट्रीट की गहराई तक, अविकसित क्षेत्र में 18 मीटर से अधिक विद्यमान चौड़ाई की सड़कों के दोनों तरफ बाजार स्ट्रीट की गहराई तक तथा प्रस्तावित L.R.T.S रूट्स के दोनों तरफ 500 मीटर की गहराई तक ।
2. महायोजना–2031 में प्रस्तावित मार्गों का विकास।	
3. महायोजना–2031 में प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थलों का विकास।	

8. नगर की मार्ग संरचना एवं यातायात प्रणाली को सक्षम एवं प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों की मार्ग संरचना प्रस्तावित करना होगा, जिसमें आन्तरिक मार्ग, उप नगरीय मार्ग एवं क्षेत्रीय मार्ग होंगे।
9. गोरखपुर शहर में स्थित धार्मिक स्थलो यथा गोरखनाथ मन्दिर, गीता वाटिका तथा विष्णु मन्दिर के आस–पास का क्षेत्र में इन मन्दिरो की प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता को बनाये रखने हेतु बहुमंजिले भवन की स्वीकृति शासन के नीति के अन्तर्गत नहीं दी जाएगी।
10. गोरखपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन केन्दीय संरक्षित स्मारक डोमनगढ़ नामक टीला स्थित है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारक से 100 मीटर तक का क्षेत्र एवं उससे परे 200 मीटर तक का क्षेत्र उत्खनन एवं निर्माण दोनो ही प्रयोजनो के लिए क्रमशः प्रतिनिषिद्व एवं विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है। संरक्षित क्षेत्र में निर्माण पूर्णतः वर्जित है। प्रतिनिषिद्व क्षेत्र में नवीनीकरण/मरम्मत हेतु और विनियमित क्षेत्र में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही नव निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
11. गोरखपुर शहरी में वायुसेना स्टेशन परिक्षेत्र में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा डोमेस्टीक टर्मिनल संचालित है जहां से नियमित घरेलू उड़ाने चलती हैं। भारतीय विमान पत्तन के सुझावानुसार एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के सेक्शन 91 के प्राविधानो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है।
12. शहर में स्थित 04 महत्वपूर्ण नालो (गोड़धईया, तुर्रा, सुर्रा एवं फरेन) के संरक्षण हेतु प्राकृतिक नालों के दोनो ओर 15 मीटर हरित पट्टी तथा प्रस्तावित/विद्यमान बाईपास मार्गो, राष्ट्रीय राजमार्गो के दोनो ओर भी 30 मीटर हरित पट्टी का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त विकास क्षेत्र में विद्यमान आरक्षित वन क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है। आरक्षित वन क्षेत्र के सुरक्षा हेतु नगरीयकरण क्षेत्र के अन्तर्गत 30 मीटर हरित पट्टी तथा प्राकृतिक नालो के किनारे 15 मीटर ग्रीन बेल्ट का प्रस्ताव किया गया है। नगर की वर्ष 2031 तक अनुमानित भावी जनसंख्या 25.00 लाख की मनोरंजन सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति हेतु नगर के वाह्य क्षेत्र में रामगढ़ ताल, चिलुआ ताल एवं राप्ती नदी के किनारे मनोरंजनात्मक क्षेत्र एवं नदी तटीय विकास के रूप में प्रस्तावित किया गया है। राजस्व अभिलेखो में दर्ज तालाब/पोखरे/जलाशय/प्राकृतिक नाले, को यथावत आरक्षित कर इनके चारो ओर 9 मीटर हरित पट्टीका छोड़ने के उपरांत ही निर्माण कार्य अनुमन्य होगा। तालाबों के संरक्षण/सौंदर्यीकरण के समय उक्त हरित पट्टी का विकास किया जायेगा।
13. रोहिणी एवं राप्ती नदी की तटीय नीचली भूमि का बाढ ग्रस्त क्षेत्र को यथावत अनुरक्षित रखते हुए प्रस्तावित किया गया है। रोहिणी एवं राप्ती नदी के दोनों और विद्यमान बंधे एवं सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित बंधे के मध्य क्षेत्र को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।
14. वन विभाग के अधीन आरक्षित वनो एवं संरक्षित वनो को यथा सम्भव महायोजना में चिन्हित किया गया है। ऐसे वन क्षेत्र जिन्हे उनके छोटे आकार के कारण चिन्हित किया जाना सम्भव नहीं है, ऐसे समस्त वन क्षेत्र वन विभाग के नियमो के अनुसार मान्य रहेगें एवं वन अधिनियम के समस्त प्राविधान उन पर प्रभावी रहेगें भले ही महायोजना में इन स्थलो का भू–उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो। पूर्व महायोजना के नगरीकरण क्षेत्र में वन सीमा से सटे आवासीय भू–उपयोग के स्थान पर 5मी. हरित पट्टी रखे जाने तथा नगरीकरण सीमा के बाहर आरक्षित वन के चारो ओर बफर जोन के रूप में 30मी. हरित पट्टी तथा प्राकृतिक नालो के दोनो ओर 15मी. हरित पट्टी प्रस्तावित किये जाने की संस्तुति की जाती हैं। नगरीकरण क्षेत्र/गोरखपुर नगर निगम सीमा के बाहर हरित पट्टी से 100मी. तक कोई भी ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिला निर्माण अनुमन्य नहीं होगें।
15. प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में दर्ज श्मशान/कब्रिस्तान, नदी, नहरो, प्राकृतिक नालो, जलाशयों, तालाबो, पोखरा, पशुचर/गौचर की भूमि, खलिहान की भूमि, चकरोड तथा आरक्षित/संरक्षित वन की भूमि के प्राकृतिक स्वरूप एवं उनके पुनरोद्धार के लिए इन्हे पुनरीक्षित महायोजना में यथावत चिन्हित किया गया है। राजस्व अभिलेख में अंकित एक एकड़ से अधिक

क्षेत्रफल के जलाशयों को भी महायोजना के क्रियान्वयन के समय संरक्षित किया जायेगा। साथ ही साथ उक्त भूमियो का क्षेत्रफल कम होने के कारण महायोजना में दर्शित किया जाना सम्भव नहीं होने की स्थिति में उपरोक्त समस्त भूमियों की सूची राजस्व ग्रामवार आराजी संख्या एवं क्षेत्रफल सहित महायोजना प्रारूप में संलग्न किया गया है। राजस्व अभिलेखो में दर्ज तालाब/पोखरे/जलाशय/प्राकृतिक नाले, खलीहान की भूमि एवं पशुचर की भूमि को यथावत खुले क्षेत्र के रूप में आरक्षित कर इस पर खुले क्षेत्र से सम्बन्धित जनोपयोगी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित तालाब/पोखरे/जलाशय, श्मशान/कब्रिस्तान, खलिहान की भूमि एवं पशुचर/गौचर की भूमि का वास्तवित उपयोग यथावत माना जायेगा भले ही महायोजना में इन स्थलो का भू–उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।

16. गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल के पारिस्थितिकीय एवं जैव विविधता सम्बन्धी विस्तार तथा विशेष महत्व को दृष्टिग्त रखते हुए स्थानीय समाज एवं सुमुदाय, पारिस्थितिकीय स्वरूप और आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकीय महत्व को स्थाई करना और रामगढ़ ताल आर्द्रभूमि तथा उसके प्रभावित परिक्षेत्र में विकासपरक क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबन्ध) नियम 2017 के अधीन अधिसूचना संख्या–1397, दिनांक 07.12.2020 के माध्यम से रामगढ़ ताल आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। आर्द्रभूमि की सीमा के प्रभावी परिक्षेत्र को भी अधिसूचित किया गया है, जिसमें प्रतिषिद्व तथा विनियमित क्रिया कलापे अधिसूचना के अनुसार सक्षम स्तर से अनुज्ञा के उपरान्त ही अनुमन्य हो सकेगी।
17. गोरखपुर में स्थित वायु सेना स्टेशन के चारो ओर भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 13.01.2010 के अनुसार वायुसेना के अधीन क्षेत्र के चारो ओर नो कस्ट्रक्शन जोन अधिसूचित किया गया है जिसमें अधिसूचना के अनुसार किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है। उक्त के अतिरिक्त वायुसेना स्टेशन के चारो ओर स्थित क्षेत्र के संबंध में कलर कोडेड जोनिंग मैप भी बनाया गया है, जिसमें भवनो की ऊॅचाई के अनुसार यथा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।
18. महायोजना में समस्त स्वीकृत तलपट मानचित्रों/अन्य उपयोगों हेतु स्वीकृत मानचित्रों के उपयोग को दर्शाया जाना संभव नहीं है। महायोजना के अंतर्गत स्वीकृत मानचित्रों के उपयोगों को यथासंभव समायोजित करने का प्रयास किया गया है। महायोजना लागू होने के पश्चात महायोजना में दर्शित भू–उपयोग स्वीकृत मानचित्र से भिन्न होने की दशा में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही माना जाएगा।
19. प्राधिकरण द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृत मानचित्रों से सम्बन्धित ऐसे क्षेत्र जिनका भू–उपयोग स्वीकृत मानचित्र के मूल उपयोग के अनुसार नही है, ऐसी क्रिया/उपयोग पुनरीक्षित महायोजना में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार अनुमन्य रहेगी तथा इसका क्षेत्रफल स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही मान्य होगा।
20. ऐसे तलपट मानचित्र/भवन जो पूर्व महायोजना के भू–उपयोगों के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित/स्वीकृत हैं तथा जिनका भू–उपयोग नियोजन/अन्य कारणों से पुनरीक्षित महायोजना में अन्य भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है में, ऐसे तलपट मानचित्र/भवन मानचित्र में दर्शित क्षेत्रफल एवं सीमा के अन्तर्गत यथा–स्थिति में बने रहेगें। भविष्य में पूर्व स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत इनका विस्तार पुनरीक्षित महायोजना में प्रस्तावित मार्गाधिकार को छोड़ते हुये स्वीकृत मानचित्र में दर्शाये गये उपयोग/क्रिया के अनुसार अनुमन्य होगा। इन क्षेत्रों नये विकास की स्थिति में पुनरीक्षित महायोजना के भू–उपयोग प्रभावी होगें। उक्त प्रतिबन्ध पुनरीक्षित महायोजना में प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल एवं अन्य समरूप भू–उपयोग में प्रभावी नहीं होंगे।
21. शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 20.01.2016 के माध्यम से धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु विकास प्राधिकरण उपविधि निर्गत की गयी है, जिसके द्वारा उपविधि में परिभाषित धरोहर भवन के संरक्षण हेतु प्रावधान किये गए हैं। उपविधि के प्रावधानानुसार धरोहर भवनों को सूचीबद्ध कर इनका संरक्षण किया जायेगा।
22. शासन द्वारा निर्गत विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्ग से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि 2021 निर्गत की गयी है, जिसके द्वारा मुख्य मार्गों पर किसी रंग योजना अथवा उसके लिए अन्य विशिष्टियों के अनुसार साम्यता सुनिश्चित करना आवश्यक एवं अपरिहार्य होने के

दृष्टिगत मार्गों को चिन्हांकित करने के उपरांत भवनो के अग्र भाग की रंग योजना एवं नाम पट्टिका, विज्ञापन पट्टिका आदि के आकर एवं रंग रूप में एकरूपता तथा विशिष्टियों के निर्धारण के प्रावधान किये गए हैं। उपविधि के प्रावधानानुसार भवनो के अग्र भाग की रंग योजना एवं नाम पट्टिका, विज्ञापन पट्टिका आदि के आकर एवं रंग रूप में एकरूपता सुनिश्चित की जाएगी।

23. शासन द्वारा निर्गत विकास प्राधिकरण (योजना के उल्लंघन में भूमि और भवनों का उपयोग जारी रखने हेतु) मॉडल उपविधि 2021 निर्गत की गयी है, जिसके द्वारा किसी भूमि अथवा भवन का उपयोग उस प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिए उस सीमा तक जहां तक उसका उपयोग योजना के लागू होने की दिनांक पर किया जा रहा था, उपविधि में विहित शर्तों एवं निर्बन्धनों के अधीन जारी रखने का प्रावधान किया गया है। उपविधि के प्रावधानानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्राधिकरण से प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपरोक्त से आच्छादित भूमि अथवा भवन का उपयोग जारी रखा जा सकेगा।

10.3 शासकीय नीतियों का अनुपालन

गोरखपुर पुनरीक्षित महायोजना–2031 में नीचे दी गई नीतियों को लागू किया जाना है।

10.3.1 आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति

जनसामान्य को आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु इन नीतियों का प्रख्यापन किया गया है। गोरखपुर विकास क्षेत्र की प्रक्षेपित जनसंख्या एवं आवश्यकता के अनुसार URDPFI गाईडलाइंस में दिए गए प्राविधानों के क्रम में गोरखपुर पुनरीक्षित महायोजना–2031 में 10720.02 हेक्टेयर भूमि आवासीय भू उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है ।

10.3.2 एक जिला एक उत्पाद योजना

यह योजना शहर के भीतर एम.एस.एम.ई के विकास को प्रोत्साहित करने पर जोर देती है। यह योजना मौजूदा पारंपरिक उद्योगों को बनाए रखने और उनका पोषण करने में सहायक है, यह एक विशेष उत्पाद में विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम बनाती है। गोरखपुर अपने टेराकोटा (माटी कला) उत्पादन के लिए जाना जाता है, जो औरंगाबाद गांव में (प्रस्तावित बाईपास जंगल कौड़िया से जगदीशपुर और महराजगंज रोड के समीप) स्थित है। अतः इन उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है इसमें शहर के लोगों के लिए और अधिक आर्थिक अवसर विकसित करने में सहायता मिलेगी। इस योजना को लागू करने से शहर के उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिलेगी और अंततः ब्रांडिंग, विपणन में सहायता और आसान ऋण के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहचान बनाने लिए उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले भूमि प्रोत्साहन इस प्रकार हैः

- ग्रामीण क्षेत्रों में 10 एकड़ से अधिक ग्राम सभा भूमि चिन्हित कर उद्योग विभाग के निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू.पी.एस.आई.डी.सी) और अन्य संगठनों द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु क्षेत्र के लिए न्यूनतम 30% क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।
- भू–उपयोग परिवर्तनः विकास प्राधिकरणों की कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करने पर रूपांतरण शुल्क में 100% छूट।
- पूंजीगत ब्याज सब्सिडीः 5 साल के लिए 5% प्रति वर्ष
- संरचना ब्याज सब्सिडीः 5 साल के लिए 5% प्रति वर्ष
- औद्योगिक गुणवत्ता विकास सब्सिडीः 5% प्रति वर्ष 5 वर्षों के लिए
- भूमि परिवर्तन छूटः कृषि भूमि विकास प्राधिकरणों पर स्थापित किए जा रहे कृषि से औद्योगिक तक भूमि उपयोग परिवर्तन पर एम.एस.एम.ई को भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की छूट।

10.3.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

गोरखपुर पुनरीक्षित महायोजना–2031 में ढोस अपशिष्ट प्रबंधन–2016 के प्राविधानो को मानते हुए ही प्रस्ताव दिए गये है . जिसमे पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी जल–निकायध्जलाशय ,निचली ढलान वाले शेत्र में प्रस्ताव नहीं दिए गये है. ढोस अपशिस्ट डिस्पोजल साईट के निर्माण हेतु भौतिक परिक्षण उपरांत कृषि भू–उपयोग में अनुमन्य किया गया है. वर्तमान समय में डिस्पोजल साईट ग्राम शुथ्नी जो की गी.डा शेत्र में स्थित है.

10.3.4 औद्योगिक नीति

शासन द्वारा घोषित औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति के अन्तर्गत निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए गोरखपुर. महायोजना–2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स मैट्रिक्स में औद्योगिक क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी/साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क/प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज को विभिन्न भू–उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्यता प्रदान की गयी है।

10.3.5 आईटी स्टार्ट–अप नीति

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट अप नीति में शामिल है।

1. आईटी मूलभूत संरचना का विकास
2. मानव पूंजीध्कौशल विकास
3. प्रोत्साहन
4. उद्योग सुविधा

यह नीति आईटी से संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है, मानव पूंजी विकास के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है, सर्वोत्तम वित्तीयध्गैर–वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने पर केन्द्रित है और उससे भी बेहतर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बेहतर शासन पर बल देती है।

नीति के अनुसार आईटी/आईटीईएस इकाइयों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन स्वीकार्य हैंः

- 3 साल के भीतर संचालन शुरू करने की शर्त के साथ आईटी/आईटीईएस उपयोग के लिए भूमि/कार्यालय की जगह/भवन की खरीद/पट्टे पर स्टांप शुल्क में 100% छूट।
- अनुसूचित बैंकोंधवित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों पर भुगतान की गई ब्याज दर पर 7 वर्ष की अवधि के लिए 5% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति अधिकतम रु. 1 करोड़ प्रति वर्ष प्रति यूनिट।
- क्षमता परिपक्वता मॉडल (सीएमएम) स्तर 2 ऊपर की ओर, सुरक्षा के लिए आईएसओ 27001] सेवा प्रबंधन शब्दावली के लिए आईएसओ 20000] सीओपीसी, ईएससीएम जैसे गुणवत्ता और आईटी से संबंधित प्रमाणपत्र सफलतापूर्वक हासिल करने पर राज्य में काम कर रही एक आईटी / आईटीईएस कंपनी द्वारा व्यय की गई लागत की प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्रों का अधिकतम प्रतिपूर्ति, २५ लाख प्रति इकाई की कुल सीमा के साथ।
- व्यावसायिक संचालन शुरू होने के बाद लगातार 1 साल तक रोजगार के साथ उत्तर प्रदेश के आईटीध्आईटीईएस पेशेवरों के लिए भुगतान की गई कुल कर्मचारी भविष्य निधि राशि की 100% प्रतिपूर्ति, प्रत्येक इकाई के लिए 5 साल के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 20 लाख रुपये के अधीन।
- आईटी शहरों/आईटी पार्कों में स्वतंत्र फीडर पर स्थापित आईटी इकाइयों को राज्य उपयोगिता से निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। अलग फीडर और अलग ट्रांसमिशन लाइन के प्रावधान की लागत विकासकर्ता द्वारा वहन की सीमा के अधीन।

10.3.6 सौर ऊर्जा नीति

सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय रूप है और इसे गैर–नवीकरणीय स्रोतों के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। गोरखपुर के लोगों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उ.प्र. सौर ऊर्जा नीति का उपयोग किया जा सकता है। प्राधिकरण शहर के भीतर सौर छत परियोजनाओं,सौर स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप सेट, किसी भी अन्य ऑफ ग्रिड सौर उत्पाद के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही प्राधिकरण पीपीपी मोड पर सोलर पार्क स्थापित कर सकता है।

10.3.7 वर्षा जल संचयन

जीवन एवं पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है परन्तु ग्राउण्ड वाटर स्रोत के अनियोजित ढ़ंग से मनमानी मात्रा में अति दोहन के कारण ग्राउण्ड वाटर स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है तथा शहरों की बढ़ती हुई आबादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था प्रदान करना संभव नही हो पा रहा है।

ऐसी स्थिति में यदि पेयजल के उपयोग एवं ग्राउण्ड वाटर स्रोतों के संरक्षण, मितव्ययिता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग में समुचित जल–प्रबन्धन द्वारा संतुलन स्थापित नही किया गया तो निकट भविष्य में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न होने की आशंका है। इसलिए जल संसाधन की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल और कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–3348/आठ–1–10–17विविध/03टी.सी.–1, दिनांक– 05.08.2010 में दिये गये प्राविधानों के अधीन विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित प्राकृतिक जलाशयों, नालों एवं झीलों आदि को चिन्हित कर यथावत् प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त शासनादेश के अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के जलाशयों को भी महायोजना के क्रियान्वयन के समय संरक्षित किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के जलाशयों के चारों ओर 9 मी0 चौड़ी हरित् पट्टिका भी विकसित की जायेगी।

पार्कों में पक्का निर्माण (पक्के पेवमेन्ट सहित) 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाय तथा फुटपाथ एवं ट्रैक्स यथासम्भव पर्मीयेबल अथवा सेमीपर्मीयेबल परफोरेटेड ब्लाक के प्रयोग से ही बनाया जाये।

सड़कों/पार्को तथा खुले स्थानों में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पौधों/वृक्षों की प्रजातियों का चयन किया जाय जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो ताकि ग्रीष्म ऋतु में भी हरे–भरे रह सके। यथा संभव मार्गों के किनारें ब्रिक ओन ऐज/लूज स्टोन/इण्टरलॉकिंग टाईल्स पेवमेन्ट का प्रावधान किया जाय ताकि भू–जल की रिचार्जिंग सम्भव हो सके।

10.3.8 पर्यटन नीति

प्रदेश में शासन द्वारा पर्यटन अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु घोषित उ0प्र0 पर्यटन नीति–1998 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए नगर के प्रमुख मार्गो के चौड़ीकरण का मऊनाथ भंजन महायोजना–2031 में प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित गतिविधियों हेतु मार्गों का विकास/सौन्दर्यीकरण, पार्कों–चौराहों का विकास/सौन्दयीकर्र ण एवं पर्यटन उद्योग के विकास हेतु भूमि आरक्षित किये जाने सम्बन्धी विस्तृत कार्य योजना/प्रस्ताव जोनल डेवलपमेन्ट प्लान में समाहित किया जायेगा।

10.3.9 कपड़ा नीति

नीति का उद्देश्य कपड़ा निर्माण मूल्य श्रृंखला की सभी उप–शाखाओं अर्थात है। रेशम उत्पादन (चाकी और कोया उत्पादन सहित), रीलिंग, हथकरघा, कताई, बुनाई, बुनाई, बनावट, रंगाई, प्रसंस्करण, परिधान (अर्थात परिधान निर्माण, कढ़ाई, कढ़ाई वाले कपड़े, मेड–अप, घरेलू वस्त्र, फैशन के सामान, चमड़े के वस्त्र और सहायक वस्तुएं), और सभी प्रकार के तकनीकी वस्त्र और जूट उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। उद्योग जगत को गुणवत्तापरक एवं उच्च स्तरीय विश्वसनीय आधारभूत संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

यह निम्नलिखित विधियों से किया जाएगा।

1- सरकारी अभिकरणों द्वारा भूमि का आवंटन

2- निजी कपड़ा उद्योग इस्टैट या पार्कों को प्रोत्साहित करना

3- उपयोग करने के लिए तैयार लगाओ और चलाओ आधारभूत संरचना प्रदान करना

4- कर्मचारी क्वार्टरोंध्छात्रावासोंध्डॉरमेट्री के लिए प्रोत्साहन

10.3.10 वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी

चूंकि उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में लगभग 8% का योगदान देने वाली तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 200 मिलियन से अधिक आबादी सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार है, इसलिए लॉजिस्टिक्स उद्योग ने बढ़ने के लिए राज्य में अपने पैर जमा लिये है। उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से हो रहे औद्योगीकरण राज्य में अधिक परिष्कृ त लाजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे की उच्च मांग पैदा कर रहा है। जीएसटी के साथ, भारत एक एकीकृत बाजार

बन गया है, और उत्तर प्रदेश में देश के विनिर्माण और भंडारण केंद्र के रूप में उभरने के लिए अनेक संभावनाएं है। जिससे राज्य में एक मजबूत वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स ढांचे का जरूरत है गया। नीति का उद्देश्य राज्य में पीछे की ओर सम्पर्क के साथ लाजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को बढ़ावा देना है। इसमें राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा राज्य के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और सुधार शामिल है, ताकि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। नीति का उद्देश्य प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों के हितों को बढ़ावा देने के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाना है। प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि गोरखपुर में गोदाम और रसद के विकास की भी संभावना है। अतः इस नीति की सहायता से मौजूदा गोदाम को उन्नत किया जा सकता है और मांग के अनुसार नए लॉजिस्टिक हब की संभावनाशिल स्थापना की जा सकती है।

10.3.11 विकास अधिकार का हस्तांतरण

विकास का हस्तांतरण अधिकार अथवा ट्रांसफर आफ डेवलपमेंट राइट से तात्पर्य ऐसे (टीडीआर) है, जिसे किसी स्थल, या भूखंड का स्वामी महायोजना के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य अथवा सड़क के चौड़ीकरण, मनोरंजन उपयोग क्षेत्र, आदि के लिए अलग रखे जाने के लिए वांछित भूमि शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका निकाय शहरी सुधार न्यास नगर विकास प्राधिकरण को निशुल्क समर्पित कर देने के कारण भूमि से वंचित हो जाने के बदले या तो बेच सकता है अथवा उसी स्थलपर अन्यत्र उपयोग में ला सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया। टीडीआर प्रमाणपत्र में अन्य बातों के साथ–साथ सरेंडर किए गए क्षेत्र और सर्कल रेट के अनुसार उस क्षेत्र की लागत का उल्लेख होना चाहिए। इन प्रमाणपत्रों को समय–समय पर राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए भवन उप–नियमों या टीडीआर दिशानिर्देशों के अनुसार अथवा भवन उप–विधि के तहत विनियमित किया जाता है।

टीडीआर भूमि विकास की एक तकनीक है, जो किसी भूमि विशेष की विकास क्षमता को इससे अलग करती है और शहर के परिभाषित क्षेत्रों के भीतर कहीं और इसके उपयोग की अनुमति देती है। यह मालिक को भूमि के एक विशेष पार्सल के विकास अधिकारों को दूसरे को बेचने की अनुमति देता है। यह पात्रता प्रचलित कानूनों और विनियमों के अनुसार भूखंड प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सामान्य एफएसआई से अधिक है, जो एक जमींदार को अपने मौजूदा भवन या खाली भूमि पर अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का निर्माण करने का अधिकार देता है।

यह आम तौर पर आंतरिक–शहर क्षेत्रों के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण -पुनर्विकास के लिए उपयोग किया जाता है और कई शहरों राज्यों में इसका परीक्षण किया गया है।

शासन द्वारा जारी विकास प्राधिकरण (हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा) उपविधि , 2022 के प्रविधानों के अनुसार ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स देय होगा ।

उक्त के अतिरिक्त आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 06.07.2023 द्वारा भी हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों (टी.डी.आर.) की अनुज्ञा उपविधि, 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत टी.डी.आर. उदभव करने वाले वाले और प्राप्त करने वाले क्षेत्रों के चिन्हांकन के निर्देश दिए गए हैं।

शासन द्वारा दिए गये उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रारूप महायोजना–2031 में सेन्डिंग एवं रिसीविंग जोन्स को चिन्हित किये जाने हेतु गोरखपुर महायोजना –2031 में प्रस्ताव हैं।

10.3.12 फिल्म नीतिः

शासन द्वारा घोषित उ0प्र0 फिल्म नीति में छविगृहों को उद्योग का दर्जा प्रदान करते हुये फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु उच्च श्रेणी की सिनेमा प्रदर्शन सुविधाओं के प्राविधान किये गये है। इन प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए नगर के वर्तमान में स्थित सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्सेज निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स में व्यावसायिक क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत सिनेमा/मल्टीप्लेक्स हेतु विभिन्न भू–उपयोगों में आवश्यकतानुसार निर्माण की अनुमन्यता प्रदान की गई है।

10.3.13 आपदा प्रबन्धन नीतिः

शासन द्वारा घोषित आपदा प्रबन्धन नीति के सन्दर्भ में गोरखपुर नगर को प्राकृतिक आपदाओं एवं भूकम्प जैसी त्रासदी से सुरक्षित रखने की दृष्टि से महायोजना में भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं की

संस्थापना के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक प्राविधान सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश संख्याः 570/9–आ–1–2001(आ0ब0) दिनांक–03 फरवरी, 2001, 772/9–आ–1–2001–भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) दिनांक–13.02.2001 एवं 3751/9–आ–1–2001–भूकम्परोधी 2001 (आ0ब0) दिनांक– 20.07.2001 के अधीन निहित प्राविधानों यथा–भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन से सम्बन्धित प्राविधान तथा अन्य सुसंगत गाइड लाइन्स इत्यादि को अपनाने के उपरान्त ही विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण की अनुज्ञा दी जायेगी।

10.3.14 अन्य विषयों पर नीति निर्धारणः

महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोगों, शासन द्वारा निर्गत नीतियों एवं पर्यावरणीय संरक्षण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण से सम्बन्धित प्रस्ताव महायोजना में दिये गये हैं। जिन नीतिगत विषयों पर वर्तमान में प्राविधान विद्यमान हैं किन्तु जिनका नीति निर्धारण में समावेश/उल्लेख नहीं हो पाया है अथवा नीतिगत विषयों पर शासन द्वारा भविष्य में नीतिगत प्राविधान निर्गत किये जाते हैं तो शासन के निर्देशानुसार सम्बंधित अभिकरण द्वारा नियमानुसार अंगीकार किए जाने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त महायोजना में निर्दिष्ट नीतिगत प्राविधान उस सीमा तक संशोधित माने जाऐंगे।

10.4 नियोजन खण्ड

गोरखपुर विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु सम्पूर्ण विकास क्षेत्र को 9 नियोजन खंडों में विभक्त किया गया है । नियोजन खंडों से संबंधित मानचित्र प्रतिवेदन में संलग्न हैं। इन नियोजन खंडों की विस्तृत क्षेत्रीय योजनाएँ महायोजना प्रस्तावों के अनुरूप तैयार की जानी प्रस्तावित है। प्रस्तावित नियोजन खंड एवं उनका क्षेत्र फल निम्न तालिका में दर्शित है

तालिका 82 गोरखपुर में प्रस्तावित जोनिंग

जोन	क्षेत्रफल(हेक्टेर)
जोन 1	1789
जोन 2	952
जोन 3	770
जोन 4	567
जोन 5	481
जोन 6	382
जोन 7	723
जोन 8	865
जोन 9	1380
जोन 10	1342
जोन 11	1430
जोन 12	633
जोन 13	902
जोन 14	484
जोन 15	1203
जोन 16	1605
जोन 17	973
जोन 18	847
जोन 19	1278
जोन 20	720
जोन 21	525

10.5 चरणबद्ध विकास

गोरखपुर नगर की महायोजना के प्रस्तावों के अनुरूप नियोजित विकास को सुनिश्चित करने हेतु विकास की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाना आवश्यक है । महायोजना पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है । महायोजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न क्षेत्र के जोनल प्लान तैयार किए जाने होंगे । विकास के प्रारम्भिक समय पर ही यदि इन क्षेत्रों के जोनल प्लान तैयार कर विकास को नियोजित दिशा प्रदान की जाए तो वहाँ पर अनाधिकृत निर्माण पर समुचित नियंत्रण हो पाएगा । इसके दृष्टिगत जोनल प्लान निम्नलिखित चरणों में तैयार किए जाने का प्रस्ताव है –

इसके दृष्टिगत जोनल प्लान निम्नलिखित चरणों में तैयार किए जाने का प्रस्ताव है –

प्रथम चरण – जोन संख्या 1,2,9,10,12,14,15,

द्वितीय चरण – जोन संख्या 4,7,8,11,13,15,17

तृतीय चरण – जोन संख्या 3,5,6,16,18,19,20,21

10.6 स्ट्रैटेजिक प्लान एवं वित्त पोषण

वर्तमान में चल रही परियोजनाएं और वित्तीय आवंटन

तालिका 83 गोरखपुर की चल रही परियोजनाएं

क्रमांक ।	परियोजना का नाम	विभाग	वांछित राशि (करोड़ में)	सरकार को प्रेषण का संक्षिप्त विवरण	टिप्पणी
		पार्क और हरित स्थान			
1	सरस्वती विद्या मंदिर, वार्ड –6 राप्तीनगर, चरण –4 के पास मॉडल पार्क का निर्माण	नगर विकास विभाग	0.94	पत्र संख्या 2217ध4– –एस.एन.वी. ध2019–2020 को 19-12-2019 को प्रिंसिपल सचिव, नगर पालिका विकास धारा 7 को संदर्भित किया गया	मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में मॉडल पार्क
2	विन्ध्यवासिनी पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य	नगर विकास विभाग	5.44	पत्र संख्या 2204 / एमबी /4–एस.एन.वी. / 2019–2020 17-12-2019 को राज्य मिशन निदेशक (अमृत), शहरी निकाय निदेशालय को संदर्भित किया गया	अमृत योजना के अन्तर्गत
3	वार्डसंख्या 21 मुंशी प्रेमचंद्र पार्क का सौंदर्यीकरण।	नगर विकास विभाग	0.25		अमृत योजना के अन्तर्गत
4	वार्ड संख्या 69 में गोविंद वल्लभ पंत पार्क का सौंदर्यीकरण।	नगर विकास विभाग	0.57		अमृत योजना के अन्तर्गत
5	वार्ड संख्या 14 डॉ अम्बेडकर उद्यान पार्क।	नगर विकास विभाग	0.44		अमृत योजना के अन्तर्गत

क्रमांक ।	परियोजना का नाम	विभाग	वांछित राशि (करोड़ में)	सरकार को प्रेषण का संक्षिप्त विवरण	टिप्पणी
पार्क और हरित स्थान					
6	वार्ड संख्या 34 में 9 पार्कों का सौंदर्यीकरण।	नगर विकास विभाग	1.43	05.12.2019 को राज्य मिशन निदेशक (अमृत), शहरी निकाय निदेशालय को संदर्भित किया गया	अमृत योजना के अन्तर्गत
	कुलराशि		9.07		
शहरी झील / पोखर / तालाब का सौंदर्यीकरण					
7	वार्डनं. 4 मैन बेला में का सौंदर्यीकरण कार्य	नगर विकास विभाग	2.4	20.01.2020 को पत्र संख्या 23555ध4— —एस. एन.वी. ध2019—2020 प्रिंसिपल सचिव, नगर पालिका विकास को संदर्भित	
8	वार्ड संख्या 6 लल्लन टोला में पुडल का सौंदर्यीकरणकार्य	नगर विकास विभाग	1.24		
9	वार्डनं .6 चरगावा में पुडल का सौंदर्यीकरण कार्य	नगर विकास विभाग	3.4		
10	वार्डनं. 6 पोखर भिंडा में पुडल का सौंदर्यीकरण कार्य	नगर विकास विभाग	3.48		
11	वार्डनं 9 टोला में पुडल का सौंदर्यीकरण कार्य	नगर विकास विभाग	0.95		
	कुलराशि		11.47		
सड़क निर्माण					
14	नगर निगम गोरखपुर द्वारा विभिन्न वार्डों में सड़क का निर्माण	नगर विकास विभाग	167.68	पत्र संख्या 2042ध4—एस.एन. वी. 2019—2020 12.11.2019 को प्रिंसिपल सचिव, नगर विकास खंड 5 को संदर्भित किया गया	30.01.2020 को, मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, संशोधित योजना रु 63.64 करोड़ रुपये भेजी गई थी.
वेंडिंग जोन					

क्रमांक ।	परियोजना का नाम	विभाग	वांछित राशि (करोड़ में)	सरकार को प्रेषण का संक्षिप्त विवरण	टिप्पणी
पार्क और हरित स्थान					
15	जोन सिविल लाइन्स पार्क रीजेंसी के पास नगर निगम के निकट स्थित नजुल की भूमि पर वेडिंग जोन का निर्माण	नगर विकास विभाग	0.80	2019 में सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के शहरी सड़क विक्रेता सहायता योजना घटक के तहत
16	नगर निगम परिसर में स्थित नगर निगम भूमि पर वेंडिंग जोन का निर्माण		0.32		
17	आजाद चौक जनता स्कूल रुस्तमपुर में स्थित नगर निगम भूमि पर वेंडिग जोन का निर्माण		1.04		
18	इंदिरा बाल विहार गोलघर में स्थित नाजुल की भूमि पर वेंडिग जोन का निर्माण		1.26		
		कुल	3.42		
19	मेट्रोरेल परियोजना	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	–	–	–
20	वर्षा जल परियोजना	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	–	–	–

स्रोत: नगर निगम गोरखपुर 2020

नीचे दी गई तालिका गोरखपुर में चल रही सड़क परियोजनाओं को दर्शाती है

तालिका 84 गोरखपुर की चल रही सड़क परियोजनाएं

क्रमांक।	सड़ककानाम	चौड़ाई (मीटरमें)	लंबाई (किमीमें)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
निर्माण विभाग				
1	शहर क्षेत्र में रामगढताल परियोजना (आंतरिक सड़कों)	7.00	6.63	दूसरे वर्ष 2020–21 में नवीकरण स्वीकृति के साथ मरम्मत के काम केउद्देश्य से

क्रमांक।	सड़ककानाम	चौड़ाई (मीटरमें)	लंबाई (किमीमें)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
निर्माण विभाग				
2	विभिन्न स्तरीय आवास के संपर्क मार्ग (शहर क्षेत्र में) की जुड़े सड़क	3.00ध्3.75	1.90	दूसरे वर्ष 2020–21 में नवीकरण स्वीकृति के साथ मरम्मत के काम के उद्देश्य से
3	नेहरू युवा कें द्रसे रोहतक चोक (शहर क्षेत्र में)	3.75	2.00	दूसरे वर्ष 2020–21 में नवीकरण स्वीकृति के साथ मरम्मत के काम के उद्देश्य से
4	एनएच –28 से हवाई बंधा डिग्गी पार्क (शहर क्षेत्र में)	7.00	1.40	दूसरे वर्ष 2020–21 में नवीकरण स्वीकृति के साथ मरम्मत के काम के उद्देश्य से
5	विश्वविद्यालय क्रॉसिंग से एमपी कॉलेज	12.00	0.86	दूसरे वर्ष 2020–21 में नवीकरण स्वीकृति के साथ मरम्मत के काम के उद्देश्य से
6	टी.डी.एम. क्रासिंग से महेवाचुंगी (शहेर क्षेत्र में)	7.00	0.966	दूसरे वर्ष 2020–21 में नवीकरण स्वीकृति के साथ मरम्मत के काम के उद्देश्य से
7	जिला जेल बाई पास रोड (शहर क्षेत्र में)	7.00	8.50	4 लेन रोड का प्रस्ताव
8	एनएच –28 के छात्र गोरखपुर सिटी एरिया (नौसढ़ से जगदीशपुर)	14.00	18.85	परिवर्तन 9.00 से 14.10 तक 6 लेन की सड़क का प्रस्ताव
9	गोरखपुर देवरिया रोड (गुरंग तिराहे की खोराबार)	17.50	6.00	4 लेन रोडपर कार्य प्रगति पर
10	एनएच –29 का छत्ता शहर क्षेत्र	17.50	3.25	4 लेन का काम पूरा हो गया है
11	बरफ खाना से हबार्ट बंध रोड	7.00	0.75	दूसरे वर्ष 2020–21 में नवीकरण स्वीकृति के साथ मरम्मत के काम के उद्देश्य से
12	रेलवे बस स्टेशन टू पुलिस लाइन रोड	14.00	0.80	दूसरे वर्ष 2020–21 में नवीकरण स्वीकृति के साथ मरम्मत के काम के उद्देश्य से
13	रेलवे स्टेशन महाराणा प्रताप मूर्ति से रेलवे कार्यालय रोड	14.00	0.80	दूसरेवर्ष 2020–21 में नवीकरण स्वीकृति के साथ मरम्मत के काम के उद्देश्य

क्रमांक।	सड़ककानाम	चौड़ाई (मीटरमें)	लंबाई (किमीमें)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
निर्माण विभाग				
				से
14	विश्वविद्यालय से विजय क्रॉसिंग (शहरक्षेत्रमें)		1.8	
15	लखनऊ–गोरखपुर रोड (परिवहन नगर के माध्यम से गोलघर बेतियाहाता–ट्रांसपोर्ट नगर से होकर)		3.7	
16	पेडलगंज से सरकिट हाउस रोड		2.0	
17	पुराना अधिकारी छात्रावास पहुंच सड़क (शहर क्षेत्र में)		3.0	
18	गोरखपुर कसिया रोड (शहर क्षेत्र में)		1.8	
19	यूनिवर्सिटी क्रासिंग से छात्रसंघ भवन (शहर क्षेत्र में) को पार किया		1.0	
20	छत्रसंघ भवन से घोष कंपनी क्रॉसिंग (शहर क्षेत्र में)		1.47	
21	मोहम्मदीपुर क्रॉसिंग से असुरान चौक (शहर क्षेत्र में)		3.0	
22	काली मंदिर से मेडिकल कॉलेज		8.0	
23	बरफखाना से हबार्ड बंध रोड		0.75	
निर्माण विभाग –3				
क्रमांक।	**सड़क का नाम**	**चौड़ाई (मीटर में)**	**लंबाई (किमी में)**	**टिप्पणी**
1	राजघाट से जंगल कौड़िया 4 लेनरोड हवाई बंधा, कोलिया बंधा होकर		11.0	
2	देवरीया बाईपास रोड		9.50	
3	महेवा चुंगी से मलौली बंधा रोड		31.80	

स्रोत: पीडब्ल्यूडी, गोरखपुर 2020

चरणबद्धता और वित्त

प्रमुख महायोजना केवल कागजी योजना साबित होते हैं क्योंकि स्थानीय सरकार वित्तिय बाधाओं का सामना करती है। भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया है और जो विकास में बाधक भी है। प्राधिकरण केवल फंड की उपलब्धता और अनुदान की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रह सकता। इसलिए योजना प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए विकास के अन्य तरीकों की आवश्यकता है। फंड आवंटन और विकास के कालक्रम के लिए चरणबद्ध होना आवश्यक है, उदाहरण के लिए– भूमिगत विकास पहले किया जाएगा और फिर सड़कों और अन्य विकास किया जाएगा। यूडीपीएफआई दिशानिर्देशों के साथ मौजूदा सुविधाओं का विश्लेषण और तुलना करके, शहर में अगले बीस वर्षों के लिए आवश्यक सुविधाओं की पहचान की जाती है। जनसंख्या में वृद्धि के लिए आवश्यक सुविधाओंध्सुविधाओं की गणना की जाती है। सुविधाओंध्सुविधाओं के विकास को उसकी प्राथमिकता के अनुसार चार चरणों में बांटा गया है। प्रत्येक चरण लगभग पांच वर्ष का होगा। 10 साल के भीतर सभी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। गतिविधियोंध्सुविधाओं का चरणवार विभाजन निम्नानुसार है।

प्रस्तावित बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास

अनुक्रमांक.	गतिविधि का विवरण
1	जलापूर्ति
2	भूमिगत सीवर लाइन और मलजल उपचार संयंत्र
3	सड़कें और पार्किंग स्थल
4	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5	अनौपचारिक क्षेत्र के लिए फेरीवालों का क्षेत्र
6	सामरिक स्थान पर फायर स्टेशन
7	स्मार्ट स्ट्रीटलाइटिंग
8	परिक्रमा पथ और संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास
9	पर्यटक सहायता केन्द्र और सी.सी.टी.वी. के साथ कमांड और कन्ट्रोल सेंटर का विकास
10	मनोरंजन केंद्र का विकास
11	स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास
12	शैक्षिक सुविधाओं का विकास
13	सितारा होटलें और गृहनिवास की सुविधाओं का विकास
14	पार्किंगनीति और पार्किंग स्थल का विकास।
15	गाइड के लिए प्रशिक्षण केंद्र
16	ई वाहन चार्जिंग स्टेशन।
17	नगर स्तरीय बगीचे का विकास
18	गतिविधियों बाजारों का विकेन्द्रीकरण
19	शहरी गरीबों के लिए वहनीय आवास
20	ई–चार्जिंग स्टेशन
21	रिवर फ्रंट विकास

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वित्तीय निहितार्थ और विभिन्न तरीके

शहरी विकास प्राधिकरण के पास संसाधनों की कमी है क्योंकि भारी निवेश की आवश्यकता है। शहर में बहुत संभावनाएं हैं, एक बार किए गए निवेश को आसानी से बराबर रखा जा शहर में अपार संभावनाएँ है। गोरखपुर राष्ट्रीय महत्व का शहर हैय केंद्र से अनुदान के रूप में बहुत सारा धन प्राप्त हो सकता है। हम भी कुछ परियोजनाओं के विकास के लिए अलग तरह से सोच सकते हैं। विकास के तरीके की चर्चा निम्नवत है।

A: सरकारी अनुदान पर परियोजनाएं

ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके लिए केंद्र और राज्य सरकारें अनुदान आवंटित करती हैं।

- जलापूर्ति
- भूमिगत सीवर लाइन और मलजल उपचार संयंत्र
- सड़कें और पार्किंग स्थल
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- अनौपचारिक क्षेत्र के लिए फेरीवाला क्षेत्र
- रणनीतिक स्थान पर फायर स्टेशन

- स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग
- परिक्रमा पथ और संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास
- रिवर फ्रंट विकास
- परिक्रमा पथ
- कमांड एवं कन्ट्रोल सेन्टर
- पर्यटक सहायता केंद्र

B: बी ओ टी आधार पर परियोजनाएं (पीपीपी मोड)

निम्नलिखित परियोजनाओं को निजी संचालकों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी में निश्चित अवधि के लिए निर्मित संचालित और अनुरक्षण के आधार पर विकसित किया जा सकता है, और बाद में इसे नगर परिषद को हस्तांतरित किया जा सकता है।

- मनोरंजन केंद्र
- ई–वाहन चार्जिंग स्टेशन
- पार्किंग स्थल
- रिंग रोड
- फेरीवाला क्षेत्र
- शौचालय ब्लॉक और पीने के पानी की सुविधा

C: कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के आधार पर परियोजनाएं (सी एस आर मोड)/न्यास)

विकास क्षेत्र के भीतर काम करने वाले विभिन्न ट्रस्टों या गैर सरकारी संगठनों को विशेष परियोजनाओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें परिषद के साथ पारस्परिक रूप से तय किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार काम करना चाहिए।

- प्राथमिक विद्यालय
- कूड़े दान
- स्वास्थ्य सुविधाएं
- कमान और नियंत्रण केंद्र और पर्यटक सूचना केंद्र

D: **कोष सर्जक परियोजनाएं**

परिषद द्वारा अपने स्वयं के धन से निम्नलिखित परियोजनाओं को विकसित किया जाना है। ये परियोजनाएं संपत्ति की बिक्री या पट्टे के आधार पर लंबी अवधि के लिए संपत्ति को किराए पर देकर राजस्व उत्पन्न करती हैं।

- रिवरफ्रंट पर शॉपिंग सेंटर
- आउट सोर्सिंग से आय

E: **परिषद के स्वयं के धन से परियोजना विकास**

संपत्ति का मालिक होने के नाते कुछ सम्पत्तियों के विकास और रखरखाव के लिए परिषद ही पूरी तरह जिम्मेदार है।

- सड़कें
- पार्किंग स्थल
- दमकल केंद्र

F: निजी संस्थानों द्वारा विकास

कुछ ऐसी परियोजनाएं संभव हैं जहां संचालन और रखरखाव निजी विक्रेताओं और ठेकेदारों को आउटसोर्स किया जा सकता है।

- घर में ठहरने की सुविधा
- सितारा होटल
- बाजार का विकास
- प्राथमिक विद्यालय
- अस्पताल

अनुदानित और स्वयं की निधि परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जाता है।

चरण 1: महायोजना के लागू होने के बाद पहले से चौथे वर्ष तक

- सड़कें
- पार्किंग स्थल
- जलापूर्ति
- भूमिगत जल निकासी
- मार्ग प्रकाश
- रिवरफ्रंट विकास
- शहर स्तरीय उद्यान
- दमकल केंद्र
- कमान और नियंत्रण केंद्र और पर्यटक सूचना केंद्र

महायोजना के लागू होने के बाद चौथे वर्ष से आठवें वर्ष तक

- जलापूर्ति
- भूमिगत सीवर लाइनें और मलजल उपचार संयंत्र
- सड़कें और पार्किंग स्थल
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- अनौपचारिक क्षेत्र के लिए फेरीवाला क्षेत्र
- रणनीतिक स्थान पर फायर स्टेशन
- स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग
- परिक्रमा पथ और संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास
- नदी के किनारे का विकास
- परिक्रमा पथ
- सड़कें
- पार्किंग स्थल
- भूमिगत जल निकासी
- मार्ग प्रकाश
- रिवरफ्रंट विकास
- शहर स्तरीय उद्यान

महायोजना के लागू होने के बाद 8वें से 10वें वर्ष तक

- सड़कें
- पार्किंग स्थल
- जलापूर्ति
- भूमिगत जल निकासी

- मार्ग प्रकाश

बीओटी, पीपीपी मोड पर परियोजनाओं को योजना अवधि में पूरा किया जाना चाहिए। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एजेंसियों को खोजना प्राधिकरण पर निर्भर करता है।

11 जोनिंग नियम

परिचय

11.1 जोनिंग के उद्देश्य

महायोजना में सामान्यतः प्रमुख भू–उपयोगों यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क एवं खुले स्थल, कृषि, आदि को ही दर्शाया जाता है। प्रमुख भू–उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य अनुषांगिक क्रियाएं (Activities) जिन्हें महायोजना मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना सम्भव नही है, की अनुज्ञा जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई योजनाओं में भी विविध अनुषांगिक (Ancillary/Incidental) क्रियाओं/उपयोगों का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि जन–स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

11.2 जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं

नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, समाजिक एवं आर्थिक परिवेश में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। प्रस्तुत जोनिंग रेगुलेशन्स में प्रमुख भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता को समय के परीपेक्ष्य में अनुक्रियाशील **(Responsive)** बनाने तथा अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने के उद्देश्य से समुचित प्राविधान किये गये है। आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताए **(Salient features)** निम्न प्रकार हैः–

(i) परम्परागत जोनिंग रेगुलेशन्स में व्याप्त जटिलताओं को समाप्त कर सरल बनाया गया है। इस हेतु प्रमुख भू–उपयोग जोंस में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता को ग्राफिक प्रस्तुतिकरण (Matrix) के माध्यम से सर्वग्राही एवं User-friendly बनाया गया है।

(ii) विद्यमान महायोजनाओं में अपनाई गयी परम्परागत "Regimented" भू–उपयोग पद्धति के स्थान पर "Flexible" एवं "मिश्रित भू–उपयोग" कान्सेप्ट को अपनाया गया है जो नगरो के गतिशील विकास में प्रोत्साहन स्वरूप होगा।

(iii) जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रभाव शुल्क लिए जाने की व्यवस्था की गयी है जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण/परिषद को अवस्थापना विकास कार्यो हेतु अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे।

(iv) जोनिंग रेगुलेशन्स में "फ्लोटिंग" भू–उपयोग कान्सेप्ट अपनाया गया है, जिसके अनुसार ऐसी क्रियाए जो महायोजना/जोनल प्लान में परिकल्पित नही है, को भविष्य मे गुण–अवगुण के आधार पर सम्बन्धित भू–उपयोग जोन में अनुमन्य किया जा सकेगा।

(v) प्रमुख भू–उपयोग जोंस में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने वाले उपयोगो के परीक्षण एवं विकास प्राधिकरण बार्ड की संस्तुति करने के लिए एक समिति के गठन की व्यवस्था की गयी है।

11.3 विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की निम्न अनुज्ञा श्रेणियाँ होंगीः–

(क) अनुमन्य उपयोग
वह क्रियाएं/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू–उपयोगों के अनुषांगिक होंगे तथा सामान्यतः अनुमन्य होंगे।

(ख) सशर्त अनुमन्य उपयोग
वह क्रियाएं/उपयोग जो कार्यपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित प्रमुख भू–उपयोगों में अनिवार्य शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होंगे। अनिवार्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध भाग–3 में दिए गए हैं।

(ग) सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग
वह क्रियाएं/उपयोग जो आवेदन किए जाने पर निर्माण के प्रकार के संदर्भ में अवस्थापनाओं की संरचना तथा आस–पास के क्षेत्र पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव, आदि अर्थात गुण–दोष को दृष्टिगत रखते हुए

सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य होंगे। विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएं भाग–4 में दी गई हैं।

(घ) निषिद्ध उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू–उपयोग जोन में अनुमन्य नही होंगे। निषिद्ध क्रियाओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध क्रियाओं के अतिरिक्त ऐसी सभी क्रियाएं तथा विकास/निर्माण कार्य जो प्रमुख उपयोग के अनुषांगिक नही हैं अथवा उपरोक्त (क), (ख) अथवा (ग) श्रेणी के अनुमन्य क्रियाओं की सूची में शामिल नही हैं, की अनुमति नही दी जाएगी।

11.4 फ्लोटिंग उपयोग

महायोजना लागू होने के उपरान्त प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में कतिपय क्रियाएं/उपयोग नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनैतिक परिवेश में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किए जाते हैं जो समय की माँग के अनुसार व्यवहारिक होते हैं, परन्तु महायोजना अथवा जोनिंग रेगुलेशन्स में परिकल्पित नहीं हैं। इस प्रकार के उपयोगों में बस/ट्रक/रेल/हवाई टरमिनल, थोक मार्केट काम्पलेक्स, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं यथा विद्युत् सब–स्टेशन, ट्रीटमेंट प्लान्ट्स, इत्यादि शामिल हो सकते हैं। ऐसी क्रियाओं को अनुमन्य किए जाने हेतु कई बार अधिनियम के अन्तर्गत भू–प्रयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाया जाना अपरिहार्य हो जाता है जो अन्यथा प्रत्येक मामले में औचित्यपूर्ण न हो। अतः आवश्यकतानुसार ऐसी क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता हेतु **''फ्लोटिंग उपयोग'' (Floating Use)** कान्सेप्ट अपनाया गया है।

''फ्लोटिंग उपयोग''/क्रियाओं की जानकारी विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी और उस उपयोग की प्रकृति तथा उसके कार्यपूर्ति मापदण्ड (Performance Standard) से ही तय हो सकेगा कि उसे किस भू–उपयोग जोन में अनुमन्य किया जाए। ''फ्लोटिंग उपयोग'' कान्सेप्ट अपनाए जाने के फलस्वरूप जोनिंग प्रणाली में Flexibility रहेगी। इसका यह भी लाभ होगा कि किसी एक भू–उपयोग जोन में नॉन–कान्फार्मिंग उपयोगों का केन्द्रीयकरण नही हो सकेगा। इसके अतिरिक्त ''फ्लोटिंग'' उपयोग के फलस्वरूप किसी भू–उपयोग जोन की प्रधान प्रकृति (Dominant Character) पर पड़ने वाले कुप्रभाव अथवा होने वाले ह्रास पर अंकुश लगाने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में अवस्थापनाओं पर अनावश्यक दबाव को नियन्त्रित रखने हेतु यह प्राविधान किया गया है कि फ्लोटिंग उपयोग यदि उस जोन में सामान्यतः अनुमन्य नही है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण–अवगुण के आधार पर अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

11.5 विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज जोन

जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सूचीबद्ध विभिन्न भू–उपयोग जोन्स के अतिरिक्त नगर विशेष की स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज जोन निर्धारित किए जा सकते हैं। इनके अन्तर्गत ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारक एवं वास्तुकलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें शामिल हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक दृष्टि से संरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र (यथा कुम्भ मेला, आदि) अथवा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं जिनके स्वरूप को विकृत होने से बचाया जाना आवश्यक है। ऐसे क्षेत्र चूंकि समस्त नगरों में विद्यमान नही हैं, अतः जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत विशिष्ट क्षेत्रों/हेरिटेज जोन हेतु अलग से उपयोग जोन की श्रेणी निर्धारित नही की गई है। वर्णित स्थिति में यह आवश्यक है कि नगर विशेष की महायोजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक चिन्हित किया जाए और उनके अन्तर्गत अनुमन्य उपयोगों/क्रियाओं की अनुज्ञा हेतु उस भू–उपयोग के स्वरूप तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्राविधान किए जाएं। यदि ऐसे क्षेत्र महायोजना में पहले से ही चिन्हित हैं, तो उनके प्रस्तावों को इन जोनिंग रेगुलेशन्स में यथावत् समायोजित किया जा सकता है।

11.6 रेन वाटर हार्वेस्टिंग

ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु नगरीय क्षेत्रों की महायोजनाओं/जोनल डेवलपमेंट प्लान्स में प्रस्तावित किसी भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत एक एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के प्राकृतिक जलाशय, तालाब व झील, आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग यथावत अथवा उसके अनुषांगिक रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू–उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो। ऐसे समस्त जलाशयों, तालाबों,

झीलों, आदि को उनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल के विवरण सहित सूचीबद्ध कर महायोजना/जोनल प्लान/ले–आउट प्लान में उनके संरक्षण हेतु समुचित प्राविधान किए जाने अनिवार्य होंगे।

11.7 प्रभाव शुल्क (Impact Fee)

विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होंगे। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन ही विचार किया जाएगा। यदि निम्न भू–उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा ''प्रभाव शुल्क'' (Impact Fee) देय होगा, जिसका 90 प्रतिशत अंश विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के अवस्थापना विकास फन्ड में जमा किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में एवं तत्सम्बन्धित प्रभावी अन्य शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार प्रभाव शुल्क वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त नियामावली में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू–उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न भू–उपयोग जोन्स का ''निम्न'' से ''उच्च'' क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–6 में दी गई है।

प्रभाव शुल्क निम्न परिस्थितियों में देय नही होगा :–

(i) निर्मित क्षेत्र में "सामान्यतः अनुमन्य" एवं "सशर्त अनुमन्य" अथवा "विशेष अनुमति से अनुमन्य" क्रियाओं/उपयोगों हेतु,

(ii) आवासीय भू–उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय अभिकरणों तथा चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा विकसित की जाने वाली सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं/क्रियाओं हेतु,

(iii) विभिन्न प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में अस्थायी रूप से (अधिकतम समय सीमा एक सप्ताह) अनुमन्य की जाने वाली क्रियाओं/उपयोगों हेतु,

(iv) राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों–पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति, आदि के अधीन जिन क्रियाओं/उपयोगों को शासकीय आदेशों के अनुसार कतिपय भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य किया गया है, हेतु प्रभाव शुल्क देय नही होगा यथा आवासीय क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स, तीन स्टार के होटल तथा पाँच के.वी.ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क।

11.8 अनुज्ञा की प्रक्रिया

11.8.1. प्रमुख भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यतः अनुमन्य/सशर्त अनुमन्य/विशेष अनुमति से अनुमन्य हो) अनुमन्य किए जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण के उपरांत ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन–पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जाएगा।

11.8.2. विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगे–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि,
2. विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी,
3. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर–सरकारी सदस्य।

11.8.3. जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

11.9 अन्य अपेक्षाएं

11.9.1. महायोजना में चिन्हित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत किसी क्रिया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल पर विकास/निर्माण, उस क्रिया या विशिष्ट उपयोग की अनुषांगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ, सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल उपयोग के अन्तर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी अनुषांगिक क्रियाएं ही अनुमन्य होंगी।

11.9.2. महायोजना में प्रस्तावित किसी भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत वर्तमान वन क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं से सम्बन्धित स्थल, जैसे पार्क, क्रीड़ा–स्थल तथा सड़क आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग वही रहेगा भले ही महायेाजना में उन स्थलों का प्रमुख भू–उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।

11.9.3. यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले–आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू–उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार ही होगा।

11.9.4. प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सभी भू–उपयोग श्रेणियों (अनुमन्य, सशर्त अनुमन्य, विशेष अनुमति से अनुमन्य) में विकास एवं निर्माण कार्य भवन उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

11.10 परिभाषाएं

11.10.1. इन रेगुलेशन्स हेतु **"सक्षम प्राधिकारी"** का तात्पर्य उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत घोषित विकास प्राधिकरण बोर्ड से है।

11.10.2. **"निर्मित क्षेत्र"** का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो महायोजना में इस रूप में परिभाषित किया गया है जिन नगरों की महायोजनाए नही बनी है अथवा "निर्मित क्षेत्र" परिभाषित नही है, विकास प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेकर व्यवस्था की जायेगी। इसके निमित्त विकास क्षेत्र में स्थित ऐसे सघन आबादी क्षेत्र को "निर्मित क्षेत्र" परिभाषित किया जायेगा। जिसके अधिकतर भाग का विकास व्यवसायिक, औद्योगिक, निवास क्षेत्र के रूप में किया गया हो और जिसमें आवश्यक सुविधाओं यथा सड़को, जल सम्भरण, मल प्रवाहण, विद्युत आपूर्ति आदि की व्यवस्था की गयी हो।

11.10.3. **"विकासशील/अविकसित क्षेत्र"** का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो निर्मित क्षेत्र के बाहर, परन्तु विकास क्षेत्र के अन्तर्गत

11.11 भू–उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाये

2.1 आवासीय		
2.1.1	**भूखण्डीय आवास**	वह परिसर, जिसमे स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ (भूखण्डीय आवास) हों।
2.1.2	**समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)**	वह परिसर, जिसमें दो या इससे अधिक मंजिल का भवन होगा एवं प्रत्येक तल पर स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थलों व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह–स्वामित्व होगा।
2.1.3	**आनुषांगिक कर्मचारी आवास**	वह परिसर जिसमें किसी प्रमुख उपयोग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु उसी उपयोग में आवासीय ईकाईयों का प्राविधान स्वतंत्र अथवा समूह आवास के रूप में किया गया हो।
2.1.4	**चौकीदार/ संतरी आवास**	वह परिसर, जिसमें अनुषांगिक उप–उपयोग की सुरक्षा एवं रख–रखाव से सम्बद्ध व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई हो।
2.2 वाणिज्यिक		
2.2.1	**फुटकर दुकानें**	वह परिसर जहां आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ता को की जाती हो।
2.2.2	**डिपार्टमेंटल स्टोर**	वह परिसर जहां विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही छत के नीचे खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं।
2.2.3	**शापिंग सेन्टर/शापिंग कम्पलेक्स**	वह परिसर जहां फुटकर एवं सेवा सम्बन्धी दुकाने सेक्टर/नेबरहूड को सेवित करती है।

2.2.4	**शापिंग मॉल**	वह परिसर जहां एक ही काम्पलेक्स में विविध वाणिज्यिक क्रियाएं यथा शोरूम, रिटेल आउटलेट्स, फैक्टरी आउटलेट्स, होटल, रेस्तरां, फूड कोर्ट, आदि तथा मनोरंजन क्रियाएं आदि अनुमन्य होंगी।
2.2.5	**शो–रूम (मोटर वाहनो के अतिरिक्त)**	वह परिसर जहां वस्तुओं की बिक्री एवं उनका संग्रह, उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था के साथ की जाती है।
2.2.6	**मोटर वाहनों के शो–रूम/कार्यशाला**	वह परिसर जहां मोटर वाहनों का क्रय विक्रय, उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करने हेतु वाहनो का शोरूम एवं उनका संग्रह उनकी सर्विसिंग/मरम्मत की व्यवस्था के साथ की जाती है।
2.2.7	**मोटर वाहनों के स्पेयर पार्ट की बिक्री हेतु दुकानें**	वह परिसर जहां मोटर वाहनों के स्पेयर पार्ट की बिक्री की जाती है।
2.2.8	**थोक मण्डी/थोक व्यापार**	वह परिसर जहां माल और वस्तुएं थोक व्यापारियों को बेची और सुपुर्द की जाती हैं। परिसर में भण्डारण व गोदाम और माल चढ़ाने एवं उतारने की सुविधाएं भी शामिल हैं।
2.2.9	**नीलामी बाजार**	ऐसा परिसर जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नीलामी के माध्यम से केवल खरीदने व बेचने के लिए लायी जाती हैं। ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार का भण्डारण अनुमन्य नहीं होता तथा यह स्थान पूर्णतया खुले रूप में होता है जिसमें केवल एक संचालन कक्ष हो सकता है।
2.2.10	**बेकरी एवं कन्फेक्शनरी**	वह परिसर जहां पर ब्रेड, सूखा मेवा, बिस्कूट आदि की सीधे उपभोक्ता को विक्रय किया जाता है।
2.2.11	**आटा चक्की**	वह परिसर जहां गेहूँ, मसालों, इत्यादि सूखे भोजन पदार्थों को पीस कर दैनिक प्रयोग हेतु तैयार किया जाता हो।
2.2.12	**कोयला तथा लकड़ी के टाल**	वह परिसर जहां पर ईधन के लिए कोयला तथा लकड़ी का विक्रय किया जाता है।
2.2.13	**कृषि उपजो के विक्रय केन्द्र**	वह परिसर जहां पर कृषि उत्पादो का विक्रय किया जाता है।
2.2.14	**शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज)**	वह परिसर जहां आवश्यक तापमान आदि बनाए रखने के लिए यान्त्रिक और विद्युत साधनों का प्रयोग करके आवृत्त स्थान में नाशवान वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।
2.2.15	**रिसार्ट**	नगरी क्षेत्र के बाहर स्थित वह परिसर जहां लोगो के ठहरने, खाने–पीने एवं मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध हो।
2.2.16	**होटल**	वह परिसर, जिसका उपयोग ठहरने के लिए खाने सहित या खाने रहित अदायगी करने पर किया जाता है।
2.2.17	**बैंक्वेट हाल**	वह परिसर जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों, व्यवसायिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए व्यवसायिक आधार पर किया जाता है।
2.2.18	**मोटल, वे साइड रेस्तरां, ढाबा**	वह परिसर जो मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हो और जहां यात्रियों की सुविधाओं के लिए ठहरने सहित खान–पान का प्रबन्ध तथा वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।
2.2.19	**भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कैन्टीन**	वह परिसर जिसे कुकिंग सुविधाओं सहित व्यवसायिक आधार पर खाद्य पदार्थो की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान, आवृत्त या खुला अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है।
2.2.20	**कैन्टीन**	वह परिसर जिसे संस्था के कर्मचारियों के लिए कुकिंग सुविधाओं सहित खाद्य पदार्थो की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान हो सकता है।
2.2.21	**सिनेमा**	वह परिसर जिसमें दर्शकों के बैठने के लिए आवृत्त स्थान सहित चलचित्र के प्रदर्शन सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.2.22	**मल्टीप्लेक्स (बहुसामुच्य)**	वह परिसर जिसमें न्यूनतम दो सिनेमा हॉल के साथ–साथ वाणिज्यिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों की व्यवस्था हो।

2.2.23	**मल्टीप्लेक्स कम होटल**	वह परिसर जिसमें मनोरंजन सुविधाओं तथा अनुषांगिक व्यवसायिक क्रियाओं की व्यवस्था के साथ साथ ठहरने के लिए खाने सहित या खाने रहित व्यवस्था एक ही परिसर में हो।
2.2.24	**ड्राइव–इन सिनेमा/ड्राइव–इन थियेटर**	वह खुला परिसर जहां मोटर वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था के साथ मोटर वाहन में बैठकर चलचित्र प्रदर्शन की व्यवस्था हो।
2.2.25	**पी.सी.ओ./सेल्यूलर मोबाइल सर्विस**	वह परिसर जहां से स्थानीय, अन्तर्राष्ट्रीय, देश–विदेश इत्यादि में दूरभाष अथवा सेल्यूलर पर शुल्क अदा करके बातचीत किये जाने की व्यवस्था हो।
2.2.26	**साइबर कैफे**	वह केन्द्र या स्थान जहां शुल्क अदा करके नागरिकों द्वारा इंटरनेट की सुविधा का उपयोग किया जाता है।
2.2.27	**पेट्रोल/डीजल/सी0एन0जी0/ पी0एन0जी0 फिलिंग/ई–चार्जिंग स्टेशन**	उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने का परिसर जिसमें आटोमोबाइल्स की सर्विसिंग भी शामिल हो सकती है।
2.2.28	**गैस गोदाम/गैस अधिष्ठान**	वह परिसर जहां कुकिंग गैस या गैस सिलिण्डरों का भण्डारण किया जाता है। वह परिसर जहां रसोई गैस की केवल बुकिंग की जाती हो।
2.2.29	**भण्डारण, गोदाम, वेयर हाउसिंग, संग्रहण केन्द्र**	वह परिसर जिसे सम्बन्धित वस्तुओ की आवश्यकता के अनुसार माल और वस्तुओ के केवल भण्डारण के लिए उपयोग किया जाता हो, ऐसे परिसर में सड़क परिवहन या रेल परिवहन जैसी भी स्थिति हो, द्वारा माल चढ़ाने और उतारने की सुविधाए शामिल है।
2.2.30	**जंक यार्ड/कबाड़खाना**	वह परिसर जहां निष्प्रयोज्य माल, वस्तुओं और सामग्री की बिक्री और खरीद सहित आवृत्त अथवा अर्द्धआवृत्त अथवा खुला भण्डारण किया जाता हो।
2.2.31	**ज्वलनशील, नाशकारी एवं आपात वस्तुओं का भण्डार**	वह परिसर जहां ज्वलनशील, नाशकारी एवं आपात वस्तुओं का सावधानीपूर्ण रूप से भण्डारण किया जाता हो।
2.2.32	**सर्विस अपार्टमेंट**	सर्विस अपार्टमेंटस् पूर्णतयः सुसज्जित एवं "सेल्फ कन्टेन्ड अपार्टमेंटस्" होंगे, जिसमें भोजन बनाने की सुविधा (किचन/रसोई घर) होगी तथा जो अल्प एवं दीर्घ अवधि की रिहायश के लिए उपयोग में लाए जायेंगे।
2.3 औद्योगिक		
2.3.1	**प्रदूषण रहित सेवा/कुटीर उद्योग**	वह आवासीय परिसर जहां पर छोटे पैमाने पर परिवार के सदस्यों द्वारा सामान (मोमबत्ती, मिट्टी के बर्तन आदि) तैयार किया जाता है।
2.3.2	**सूचना प्रौद्योगिकी/ साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क**	वह परिसर जहां सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाले कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इस क्षेत्र के अद्यतन प्रौद्योगिकी के अन्य साफ्टवेयर इत्यादि का निर्माण किया जाता हो।
2.3.3	**बायोटेक पार्क**	ऐसा औद्योगिक पार्क जहां पूर्ण रूप से जैव–प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित शोध एवं विकास कार्य तथा उत्पादो का विनिर्माण किया जाता हैं।
2.3.4	**लघु उद्योग**	वह परिसर जहां पर लघु स्तर पर छोटी मशीनों और कम श्रमशक्ति की मदद से सेवाओं का निर्माण एवं उत्पादन किया जाता है।
2.3.5	**वृहद उद्योग, शुगर मिल, राइस मिल, फ्लोर मिल**	वे उद्योग जिनमें बड़ी मशीनों एवं संयन्त्रो तथा अधिक श्रमशक्ति की मदद से वस्तुओं का उत्पादन वृहद स्तर पर होता है
2.3.6	**संकटपूर्ण/खतरनाक/ प्रदूषणकारक उद्योग**	वे उद्योग जिनमें उत्पादित वस्तुओं से जान जाने एवं भयंकर बीमारी की आशंका होती है। जैसे गैस भरने का उद्योग, पटाखा, उर्वरक उद्योग आदि।
2.3.7	**ईट, चूने का भट्ठा, क्रेशर**	वह परिसर जहां ईट, चूने का भट्ठा आदि एवं पत्थर तोड़ने का कार्य किया जाता हो।
2.3.8	**खनन सम्बन्धी उद्योग**	वह परिसर जिसमें पत्थर एवं अन्य भूमिगत सामग्रियों को खोद कर निकालने एवं प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता हो।

2.3.9	**तेल डिपो/एल0पी0जी0 रिफिलिंग प्लांट**	वह परिसर जहाँ सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डार किया जाता हो।
2.3.10	**पाश्चराइजिंग प्लांट/दुग्ध संग्रहण केन्द्र**	वह परिसर जहां पर दुग्ध का परिशोधन एवं भण्डारण किया जाता है।
2.3.11	**विद्युत उत्पादन संयंत्र केन्द्र**	वह स्थान जहां पर विभिन्न तकनीको से विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है।
2.3.12	**लॉजिस्टिक पार्क**	ऐसा औद्योगिक परिसर जिसके अन्तर्गत गोदाम, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैकेजिंग सामग्री का उत्पादन, पैकेजिंग लेवलिंग एवं सार्टिंग, लोडिंग/अनलोडिंग आदि की व्यवस्था हो।
2.4 कार्यालय		
2.4.1	**राजकीय कार्यालय**	वह परिसर, जिसका उपयोग केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
2.4.2	**अर्द्ध–राजकीय कार्यालय**	वह परिसर जिसका उपयोग किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अभिकरण, निकाय, परिषद, आदि के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
2.4.3	**स्थानीय निकाय कार्यालय**	वह परिसर जिसका उपयोग स्थानीय निकायों के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
2.4.4	**निजी कार्यालय**	वह परिसर जिसमें किसी एक या छोटे ग्रुप द्वारा व्यवसायिक कार्यों हेतु कन्सल्टेन्सी/सर्विसिंग प्रदान की जाती हो जैसे चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट, अधिवक्ता, चिकित्सक, वास्तुविद, डिजाईनर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, टूर एवं ट्रेवेल एजेन्ट, इत्यादि।
2.4.5	**बैंक**	वह परिसर जिसमें बैंकों के कार्य और प्रचालन को पूरा करने के लिए व्यवस्था हो।
2.4.6	**वाणिज्यिक/ व्यवसायिक कार्यालय**	वह परिसर जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाता हो।
2.4.7	**श्रमिक कल्याण केन्द्र**	वह परिसर जहां श्रमिकों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.4.8	**बिजनेस पार्क**	वह परिसर जहां व्यवसायिक गतिविधियों/कार्यकलापों हेतु व्यवसायिक कार्यालय भवन स्थित हो।
2.4.9	**डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर**	वह परिसर जहां कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधी सूचना(डाटा) के विश्लेषण इत्यादि की प्रोसेसिंग की जाती है, ऐसे केन्द्रों में कम्प्यूटर्स, सर्वर, इंटरनेट सर्वर स्थापित किये जाते हैं तथा इनका संचालन साफ्टवेयर व हार्डवेयर इन्जीनियर्स द्वारा किया जाता है।
2.4.10	**काल सेन्टर**	वह परिसर जहाँ बड़ी संख्या में लोग ग्राहकों की समस्याओं/प्रश्नों का समाधान/मार्गनिर्देशन ई–कम्न्यूकेशन के माध्यम से किया जाता है।
2.4.11	**मौसम अनुसंन्धान केन्द्र**	वह परिसर जहां मौसम और उससे सम्बन्धित ऑकड़ों के अध्ययन/अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.4.12	**माइक्रोवेव तथा वायरलेस केन्द्र**	वह परिसर जिसका उपयोग संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता हो, जिसमें टावर भी सम्मिलित हैं।
2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं		
2.5.1	**अतिथिगृह/ निरीक्षणगृह**	वह परिसर, जहां सरकारी/अर्द्ध–सरकारी उपक्रम, कम्पनी के स्टाफ तथा अन्य व्यक्तियों को लघु अवधि के लिए ठहराया जाता है।
2.5.2	**पेइंग गेस्ट**	वह परिसर जहां भुगतान के आधार पर अल्प अवधि के लिए खाने पीने एवं ठहरने की व्यवस्था हो।
2.5.3	**धर्मशाला**	वह परिसर, जिसमें लाभरहित आधार पर लघु अवधि के अस्थायी आवास की व्यवस्था होती है।
2.5.4	**रैन–बसेरा/नाईट शेल्टर**	वह परिसर जिसमें बिना शुल्क या नाम मात्र के शुल्क से रात्रि के समय रहने की व्यवस्था होती है।

2.5.5	**बोर्डिंग / लॉजिंग हाऊस**	वह परिसर, जिसके कमरे आवासीय सुविधा हेतु दीर्घावधि हेतु किराए पर दिए जाते हैं।
2.5.6	**छात्रावास**	वह परिसर जिसमें छात्र शिक्षा की अवधि तक के लिए निर्धारित शुल्क अदा करके निवास करते हैं। इसमें छात्रों के रिहायशी कमरों के अतिरिक्त छात्रों हेतु खान–पान, कैन्टीन, शौचालय, इन्डोर गेम्स्, वार्डन हाउस, इत्यादि भी सम्मिलित हो सकते हैं।
2.5.7	**अनाथालय**	वह परिसर, जहां अनाथ बच्चों के रहने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें शैक्षिक सुविधाओं की भी व्यवस्था हो सकती है।
2.5.8	**सुधारालय**	वह परिसर जहां अपराधियों को रखने और उनका सुधार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.9	**कारागार**	वह परिसर जहां विधि के अन्तर्गत अपराधियों को नजरबन्द करने, कैद करने और उन्हें सुधारने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.10	**हैण्डीकैप्ड चिल्ड्रन हाऊस**	वह परिसर जहां अपाहिज तथा मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के सुधार तथा चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसका प्रबन्ध व्यवसायिक अथवा गैर–व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
2.5.11	**शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केंद**	वह परिसर जहां दिन के समय शिशुओं के लिए नर्सरी सुविधाओं की व्यवस्था हो। केन्द्र का प्रबन्ध व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किया जा सकता है।
2.5.12	**वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र**	वह परिसर जहां पर सामान्यतः वृद्ध अवस्था के व्यक्तियों के लिए लघु अथवा दीर्घकालिक रहने की व्यवसायिक अथवा गैर–व्यवसायिक व्यवस्था हो। इसमें वृद्धों के मनोरंजन, सामान्य स्वास्थ्य, खान–पान इत्यादि की भी व्यवस्था हो सकती है जिसका प्रबन्ध किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
2.5.13	**प्राथमिक शैक्षिक संस्थान**	वह परिसर जहां प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाती है।
2.5.14	**माध्यमिक / इण्टर विद्यालय**	वह परिसर जहां 10वीं / 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं खेल–कूद सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.15	**स्नातक / स्नातकोत्तर महाविद्यालय**	वह परिसर जहां किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण एवं खेल–कूद तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.16	**विश्वविद्यालय**	वह परिसर जहां शिक्षण और अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती है और यह उच्च शिक्षण संस्थान, शैक्षिक डिग्री प्रदान करने के लिए भी अधिकृत होता है।
2.5.17	**पॉलीटेक्निक**	वह परिसर जहां तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर तक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें तकनीकी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल होंगे।
2.5.18	**इन्जीनियरिंग / उच्च तकनीकी संस्थान**	वह परिसर जहां तकनीकी क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर तक की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.19	**मेडिकल / डेन्टल कालेज**	वह परिसर जहां मानव विज्ञान के अन्तर्गत रोगों का उपचार हेतु शिक्षण डेण्टल, आपरेशन, इत्यादि तथा उपचार एवं शोध कार्य किया जाता हो।
2.5.20	**प्रबन्धन संस्थान**	वह परिसर जहां प्रबन्धन क्षेत्र में शिक्षण / प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.21	**विशिष्ट शैक्षिक संस्थान**	वह परिसर जहां किसी विशेष क्षेत्र सम्बन्धित शिक्षण की व्यवस्था हो।
2.5.22	**सामान्य शैक्षिक संस्थान**	वह परिसर जहां गैर–तकनीकी शिक्षा दी जाती हो।
2.5.23	**प्रशिक्षण संस्थान**	वह परिसर जहां एक विशेष क्षेत्र या पेशे के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
2.5.24	**कुटीर उद्योग प्रशिक्षण**	वह परिसर जहां घरेलू / लघु / सेवा उद्योग जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेण्टिंग, कम्प्यूटर, टूर एवं ट्रेवेल्स, इत्यादि का प्रशिक्षण दिया

		जाता हो।
2.5.25	**डाकघर**	वह परिसर जहां जनता के उपयोगार्थ डाक प्रेषण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.26	**पुलिस स्टेशन/चौकी**	वह परिसर जहां स्थानीय पुलिस कार्यालय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.27	**अग्निशमन केन्द्र**	वह परिसर जहां उससे सम्बद्ध क्षेत्र के लिए आग बुझाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.28	**पुस्तकालय**	वह परिसर जहां सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए पढ़ने और संदर्भ के लिए पुस्तकों के संग्रहण की व्यवस्था हो।
2.5.29	**वाचनालय**	वह परिसर जहां सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आदि पढ़ने की व्यवस्था हो।
2.5.30	**स्वास्थ्य केन्द्र / परिवार कल्याण केन्द्र/ हेल्थ सेन्टर**	वह परिसर जहां 30 शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबन्ध गैर–व्यवसायिक आधार पर सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र शामिल है।
2.5.31	**डिस्पेन्सरी**	वह परिसर जहां चिकित्सा परामर्श की सुविधाओं और दवाईयों की व्यवस्था हो और जिसका प्रबन्ध सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता हो।
2.5.32	**अस्पताल**	वह परिसर जहां अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सामान्य या विशेषीकृत प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.33	**नर्सिंग होम**	वह परिसर जहां 30 शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा इसका प्रबन्धन व्यवसायिक आधार पर किया जाता हो।
2.5.34	**क्लीनिक/ पॉलीक्लीनिक**	वह परिसर जहां बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था किसी डाक्टर/डाक्टरों के समूह द्वारा की जाती हो।
2.5.35	**नैदानिक (पैथोलॉजिकल) प्रयोगशाला**	वह परिसर जहां बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जॉच करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.36	**पशु चिकित्सालय**	वह परिसर जहां पर पशुओं की बीमारियों का इलाज किया जाता है।
2.5.37	**सभा भवन, सामुदायिक भवन**	वह परिसर जहां सभा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए व्यवस्था हो।
2.5.38	**हेल्थ क्लब/ जिम्नेजियम/फिटनेस सेन्टर**	वह भवन जिसमें प्राकृतिक रूप से अथवा मशीनी उपकरणों के सहयोग से मानव शरीर को सुदृढ़ करने की व्यवस्था होती है।
2.5.39	**विद्युत शवदाह गृह**	वह परिसर जहां शवों को विद्युत दाहक द्वारा जलाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.40	**शमशान**	वह परिसर जहां शवों को जलाकर अन्तिम धार्मिक कृत्य को पूरा करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.41	**कब्रिस्तान**	वह परिसर जहां शवों को दफनाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.42	**संगीत/नृत्य, नाट्य प्रशिक्षण/कला केन्द्र**	वह परिसर जहां संगीत, नृत्य तथा नाट्य कला का प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो।
2.5.43	**सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि**	वह परिसर जहां सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग कंप्यूटर इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता हो।
2.5.44	**ऑडिटोरियम**	वह परिसर जहां संगीत सभा, नाटक, संगीत प्रस्तुतीकरण, समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिए मंच और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।
2.5.45	**खुली नाट्यशाला**	वह परिसर जहां खुले में दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए मंच

		की सुविधाओं, आदि की व्यवस्था हो।
2.5.46	**थिएटर/नाट्यशाला**	वह परिसर जहां दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए सुविधाओं आदि की व्यवस्था हो।
2.5.47	**योग, मनन, अध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचन केन्द्र/ सत्संग भवन**	वह परिसर जहां स्वयं सिद्धि, बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की उपलब्धि, अध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.48	**धार्मिक भवन**	वह परिसर जिसका उपयोग उपासना तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता हो।
2.5.49	**सांस्कृतिक केन्द्र**	वह परिसर जहां किसी संस्था, राज्य और देश के लिए सांस्कृतिक सेवाओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.50	**सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/भवन**	वह परिसर जहां मुख्य रूप से गैर–व्यवसायिक आधार पर जनता या स्वैच्छिक रूप से किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.51	**कन्वेंशन सेंटर**	वह परिसर जहां व्यवसायिक आधार पर सम्मेलनों, औद्योगिक शो, सार्वजनिक बैठकों और प्रदर्शनियों का आयोजन होता है, जिसमें सम्मेलन कक्ष, होटल, रेस्तरां, पार्किंग और अन्य अनुषांगिक सुविधाएं की व्यवस्था हो।
2.5.52	**बारातघर/मैरेज हॉल/उत्सव भवन**	वह परिसर जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए किया जाता है।
2.5.53	**कान्फ्रेन्स/मीटिंग हॉल**	वह परिसर जहां छोटे स्तर सभा के लिए व्यवस्था हो।
2.5.54	**अजायबघर/संग्रहालय (म्यूजियम)**	वह परिसर जहां पुरावशेषों, प्राकृतिक इतिहास, कला, आदि के उदाहरण देने के लिए वस्तुओं का संग्रह एवं प्रदर्शन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.55	**आर्ट गैलरी/ प्रदर्शनी केन्द्र**	वह परिसर जहां चित्रकारी, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, भित्ति चित्रों, हस्तशिल्प या किसी विशेष वर्ग के उत्पादों की प्रदर्शनी और सजावट के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.56	**मेला स्थल**	वह परिसर जहां सहभागियों के समूह के लिए प्रदर्शनी और सजावट तथा अन्य सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.57	**टेलीफोन कार्यालय/केन्द्र**	वह परिसर, जहां सम्बन्धित क्षेत्र के लिए टेलीफोन पद्धति के केन्द्रीय प्रचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.58	**रेडियो व टेलीविजन केन्द्र**	वह परिसर जहां सम्बन्धित माध्यम द्वारा खबरें और अन्य कार्यक्रम रिकार्ड करने तथा प्रसारित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.59	**अनुसंधान एवं विकास केन्द्र /शोध केन्द्र**	वह परिसर जहां सामान्य जनता एवं श्रेणी विशेष के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.60	**सूचना केन्द्र**	वह परिसर जहां राज्य तथा देश की विभिन्न गतिविधियों की सूचनाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.61	**समाज कल्याण केन्द्र**	वह परिसर जहां समाज के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा यह सार्वजनिक या धमार्थ या अन्य संस्था द्वारा चलाया जाता हो।
2.5.62	**जन सुविधा केन्द्र**	वह केन्द्र जहां जनसाधारण को सरकारी एवं गैर–सरकारी सेवाओं हेतु सूचना/आवेदन/परीक्षा आदि की सुविधा ऑनलाइन डिजीटल माध्यम से प्रदान की जाती है।
2.5.63	**ए.टी.एम. कक्ष**	वह स्थान/कक्ष जहां पर बैकों द्वारा नागरिकों की बैंकिंग से सम्बन्धित सुविधा ए.टी.एम. के माध्यम से प्रदान की जाती है। स्थापित किया जाता है।
2.5.64	**सार्वजनिक शौचालय**	वह परिसर/स्थान जहां जनसाधारण को शौचालय की सुविधा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।
2.6 सार्वजनिक उपयोगिताए		

2.6.1	**ठोस अवशिष्ट/कचरा प्रबन्धन**	वह परिसर जहां नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा (सालिड वेस्ट) इकट्ठा करके अन्तिम उपचार होने तक जमा किया जाता हो।
2.6.2	**सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट**	वह परिसर जहां ठोस एवं तरल अपशिष्ठों को तकनीकी रसायनिक क्रिया द्वारा हानि रहित बनाया जाता हो।
2.6.3	**कूड़ा एकत्रीकरण स्थल**	वह स्थल जहां पर घरेलू कूड़ा/कचरा अंतिम निस्तारण स्थल पर पहुचाने के लिए अस्थायी रूप से एकत्र किया जाता है।
2.6.4	**सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित भवन/प्रतिष्ठान**	वह परिसर जहां सार्वजनिक उपयोग के लिए जल भण्डारण तथा उसकी आपूर्ति हेतु ओवरहेड/भूमिगत टैंक, पम्प–हाउस, आदि, सीवरेज से सम्बन्धित आक्सीकरण तालाब, सेप्टिक टैंक, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, आदि हों। इसमें सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय व कूड़ादान भी शामिल हैं।
2.6.5	**वाटर वर्क्स**	वह परिसर जिसमें जलापूर्ति हेतु ट्यूबवेल, ओवर हेड/भूमिगत रिजरवायर, संबंधित कर्मचारियों के आवास, संबंधित उपकरणों के रख रखाव इत्यादि की व्यवस्था होती है।
2.6.6	**विद्युत् केन्द्र/सब–स्टेशन**	वह परिसर जहां बिजली के वितरण के लिए विद्युत संस्थापन, आदि लगे हों।
2.6.7	**कम्पोस्ट प्लाण्ट**	वह परिसर जहां नगर के विभिन्न क्षेत्रों से ठोस कूड़े एवं अपशिष्ठ पदार्थों को मैकेनिकल क्रिया द्वारा उपचार के उपरान्त उर्वरक में परिवर्तित किया जाता हो।
2.6.8	**सेलुलर/मोबाइल टावर**	वह परिसर/स्थान जहां पर संचार (कम्यूनिकेशन) टावर लगाये जाते है।
2.7 यातायात एवं परिवहन		
2.7.1	**पार्किंग स्थल**	वह परिसर जिसका उपयोग गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
2.7.2	**टैक्सी/टैम्पो/रिक्शा स्टैण्ड**	वह परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक आधार पर चलने वाली मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
2.7.3	**ट्रान्सपोर्ट नगर**	वह परिसर जिसका उपयोग ट्रकों के लिए लघु अथवा दीर्घावधि हेतु खड़ी करने के लिए किया जाता हो। इसमें ट्रक एजेन्सी के कार्यालय, गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग, ढाबे, स्पेयर पार्ट शॉपस तथा गोदाम, आदि भी हो सकते हैं।
2.7.4	**बस डिपो**	वह परिसर जिसका उपयोग बसों की पार्किंग, रख–रखाव और मरम्मत के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी या इसी प्रकार किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता हो। इसमें वर्कशाप भी हो सकता है।
2.7.5	**बस टर्मिनल**	वह स्थान जहाँ से सार्वजनिक सेवा की बसे अपने पूर्व निर्धारित मार्ग हेतु प्रारम्भ तथा समाप्त होती है। यहाँ यात्रियों के बस में चढ़ने व उतरने की सुविधा रहती है। यह स्थान मात्र एक बस प्लेटफार्म से लेकर पूर्ण सुविधा सम्पन्न केन्द्र भी हो सकता है जिसमें यात्री विश्राम स्थल, बस सेवा कार्यालय, टिकट काउन्टर, खान पान सेवा, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि सम्मिलित हैं।
2.7.6	**मोटर गैराज, सर्विस गैराज तथा वर्कशाप**	ऐसे स्थान जहाँ मोटर वाहनों की सर्विसिंग, रिपेयर कार्य, डेन्टिंग, पेन्टिंग, इत्यादि कार्य किये जाते हैं। ऐसे स्थानों में उपरोक्त कार्यों हेतु वाहनों को परिसर में ही खड़ा किया जाता है।
2.7.7	**मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र**	वह परिसर जहां आटोमोबाइल्स ड्राइविंग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.7.8	**लोडिंग/अनलोडिंग सम्बन्धित सुविधाए**	वह परिसर जहां पर विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के लोडिंग–अनलोडिंग सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.7.9	**धर्मकॉटा**	वह परिसर जहां भरे हुए अथवा खाली ट्रकों का वजन किया जाता हो।

2.8 पार्क, क्रीड़ा स्थल/खुले स्थल/मनोरंजनात्मक		
2.8.1	**पार्क**	वह परिसर जिसमें मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए लान, खुले स्थल, हरियाली आदि समानार्थी व्यवस्थाएं हों। इसमें भू–दृश्य, पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, फेन्सिंग, आदि सम्बन्धित आवश्यकताओं की व्यवस्था हो सकती है।
2.8.2	**क्रीड़ा–स्थल/खेल का मैदान**	आउटडोर खेलों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर जिसमें पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, आदि की व्यवस्था हो ।
2.8.3	**स्टेडियम**	वह परिसर जिसमें खिलाड़ियों के लिए सम्बन्धित सुविधाओं सहित दर्शकों के बैठने के स्थान के लिए मण्डप भवन और स्टेडियम की व्यवस्था हो।
2.8.4	**खेल कूद प्रशिक्षण केन्द्र, स्पोर्टस कालेज**	वह परिसर जहां खेल कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें आउटडोर/इनडोर खेल क्षेत्र और संबंधित सुविधाएं शामिल हैं, जिसमें व्यायामशाला, उपकरण और प्रशिक्षण कक्ष, कार्यालय, लॉकर रूम इत्यादि शामिल हैं।
2.8.5	**कारवां पार्क**	ऐसा स्थान जहाँ समूह में यात्रा करने वाले लघु अवधि के लिये कैम्पिंग के रूप में विश्राम करते हैं। ऐसा यात्री समूह पैदल यात्रियों का होने के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का समूह भी हो सकता है। कैम्पिंग स्थल में सार्वजनिक शौचालय के अतिरिक्त आवश्यक सुविधाएं जैसे–यात्री टेन्ट, खान–पान स्थल, इत्यादि पूर्णतया अस्थायी होती है।
2.8.6	**पिकनिक स्थल/ शिविर स्थल**	पर्यटक/मनोरंजनात्मक केन्द्र के अन्दर स्थित परिसर जिसका उपयोग मनोरंजनात्मक या अवकाश उद्देश्य के लिए थोड़ी अवधि तक ठहरने के लिया किया जाता हो।
2.8.7	**ट्रैफिक पार्क**	पार्क के रूप में वह परिसर जहां यातायात और संकेतन के सम्बन्ध में बच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.8.8	**मनोरंजन पार्क**	वह परिसर जहां मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के पार्क, तथा मनोरंजन से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं के लिए पार्क या मैदान हों।
2.8.9	**क्लब**	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित वह परिसर जिसका उपयोग सामाजिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों के समूह द्वारा किया जाता हो।
2.8.10	**तरण–ताल (स्वीमिंग पूल)**	वह परिसर जिसमें तैरने, दर्शकों के बैठने तथा अनुषांगिक सुविधाओं जैसे ड्रेसिंग–रूम, शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।
2.8.11	**चिड़ियाघर/ जल–जीवशाला**	वह परिसर जिसका उपयोग सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित प्रदर्शनी तथा अध्ययन के लिए जानवरों, जीव–जन्तुओं और पक्षियों के समूह सहित उद्यान/पार्क/जल–जीवशाला के रूप में किया जाता हो।
2.8.12	**पक्षी शरण स्थल**	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पक्षियों के परीक्षण और पालन पोषण के लिए विस्तृत पार्क या वन के रूप में परिसर।
2.8.13	**फ्लाइंग क्लब**	वह परिसर जिसका उपयोग ग्लाइडरों और अन्य छोटे वायुयानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन–राइडिंग के लिए किया जाता हो।
2.8.14	**हेलीपैड**	वह स्थान जहाँ यात्री हेलीकाप्टर द्वारा लैन्डिंग व टेकआफ किया जाता है। इस स्थान के किनारे उपयुक्त दूरी पर केवल एक कन्ट्रोल/निरीक्षण कक्ष निर्मित किया जा सकता है।
2.8.15	**शूटिंग रेन्ज**	वह परिसर जो विभिन्न प्रकार की पिस्टल्स/बन्दूकों को चलाने, निशाना साधने, इत्यादि के प्रशिक्षण/प्रेक्टिस के प्रयोग में लाया जाता हो।
2.8.16	**स्मारक**	दर्शकों के लिए सभी सुविधाओं सहित वह परिसर जहां भूतकाल से सम्बन्धित संरचनाएं या किसी महत्वूपर्ण व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या स्मारक बना हुआ हो।
2.9 कृषि		

2.9.1	**बागवानी**	वह क्षेत्र जहां पर फलदार पेड़ों क साथ ही साथ सुगन्धित पुष्प वाले पेड़–पौधे लगाकर उनकी देखभाल की जाती है।
2.9.2	**नर्सरी / पौधशाला**	वह परिसर जहां छोटे पौधों को उगाने और बिक्री के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.9.3	**उद्यान**	वह परिसर जिसे फूलों / फलों के प्रयोजनार्थ पेड़–पौधे लगाने हेतु उपयोग किया जाता हो।
2.9.4	**वन**	वह परिसर जिसमें प्राकृतिक अथवा मनुष्य द्वारा लगाए गए, पेड़–पौधे हों। इसमें नगर वन भी शामिल होंगे।
2.9.5	**फार्म हाउस**	वह परिसर जहां फार्म के स्वामी के उपयोग हेतु उसी कृषि भूमि पर आवासीय भवन हो।
2.9.6	**दुग्धशाला / डेयरी फार्म**	वह परिसर जहां डेयरी–उत्पाद बनाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पशुओं के शैडों के लिए अस्थायी ढॉचा हो सकता है।
2.9.7	**कैटल कालोनी**	ऐसा परिसर जहां मवेशियों के पालन पोषण, दुग्ध संग्रहण व ट्रीटमेन्ट इत्यादि किया जाता है। ऐसे स्थान पर मवेशी उपचार केन्द्र, कर्मचारियों के आवास व अन्य अनुषांगिक लघु क्रियायें भी सम्मिलित किये जा सकते हैं।
2.9.8	**धोबी घाट**	वह परिसर जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े धोने और सुखाने हेतु किया जाता हो।
2.9.9	**सूअर पालन**	वह परिसर जहां सूअरों का पालन, देखभाल और उनका प्रबंधन व्यवसायिक दृष्टिकोण से किया जाता है।
2.9.10	**मत्स्य पालन**	वह परिसर या जलाशय जहां मछलियों का पालन, देखभाल और उनका प्रबंधन व्यवसायिक दृष्टिकोण से किया जाता है।
2.9.11	**कुक्कुटशाला (पोल्ट्री फार्म)**	वह परिसर जहां मुर्गी, बत्तख आदि पक्षियों के अण्डे, मांस, आदि उत्पादों के व्यवसाय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पक्षियों के शैड हो सकते हैं।
2.9.12	**मधु मक्खी पालन केन्द्र**	वह परिसर जहां मधुमक्खियों का पालन, देखभाल और उनका प्रबंधन व्यवसायिक दृष्टिकोण से किया जाता है।
2.9.13	**कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं सर्विसिंग**	वह परिसर जहां कृषि में प्रयोग होने वाले मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, हारवेस्टर, इत्यादि की सर्विसिंग की जाती हो।
2.10	**अस्थायी क्रियाए**	
2.10.1	**साप्ताहिक बाजार**	वह स्थान जहां पर मानव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सप्ताह के किसी निश्चित दिन को समान उपलब्ध होता है।
2.10.2	**अस्थायी सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, सभा स्थल**	वह परिसर जहां पर समय–समय पर अस्थायी सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी एवं सभा का आयोजन किया जाता है।
2.10.3	**वेन्डिग जोन**	वह क्षेत्र जहां पर बिना पूर्व निर्धारित व नियमित लघु अवधि के लिए अस्थाई रूप से लघु व फुटकर सामान / पदार्थों के विक्रय सामग्री व्यावसायिक गतिविधियॉ वेन्डर द्वारा की जाती हैं।

3. प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 के अन्तर्गत प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु कोड संख्या अंकित की गई है। विभिन्न भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु कोड संख्या के अनुसार निर्धारित अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार हैं:–

कोड सं0	अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध
1	भूतल पर चौकीदार/संतरी आवास
2	भूतल छोड़कर ऊपरी तलों पर आवास
3	योजना के कुल क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत तक
4	योजना के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 0.4 हेक्टेयर अथवा कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो
5	भूतल को छोड़कर अनुवर्ती तलों के तल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा भू–विन्यास मानचित्र का 10 प्रतिशत केवल सम्बन्धित कर्मचारियों हेतु
6	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर *
7	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर
8	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर
9	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 20 शैय्याओं तक
10	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 50 शैय्याओं तक
11	केवल महायोजना में चिन्हित थोक वाणिज्यिक केन्द्र/स्थलों के अन्तर्गत
12	केवल दुर्लब/अल्प आय वर्ग की योजनाओं में **(अनुलग्नक–2 के अनुसार)**
13	ज्वलनशील, नाशवान एवं आपात् वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का भण्डारण
14	केवल शहर की विकसित आबादी के बाहर
15	5 हार्स पावर तक **(अनुलग्नक–2 के अनुसार)**
16	राईट–ऑफ–वे के बाहर
17	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 5 हार्स पावर तक
18	ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत
19	अनुमन्य एफ.ए.आर का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्ग मीटर दोनों में जो भी कम हो
20	केवल अनुषांगिक उपयोग हेतु
21	केवल खुले रूप में एवं अस्थायी
22	केवल संक्रामक रोगों से सम्बन्धित
23	न्यूनतम 12 मीटर चौडे मार्ग पर, केवल तीन स्टार तक
24	न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर
25	10 हार्स पावर तक **(अनुलग्नक–3 के अनुसार)**
26	द्वितीय तल एवं उसके उपरी तलों पर

** निर्मित क्षेत्र में व्यवसायिक क्रियाओं/उपयोगों की अनुमति आस–पास के विद्यमान प्रधान भू–उपयोग के दृष्टिगत प्रदान की जायेगी।*

4. विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) हेतु अपेक्षाएं

प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) उपयोगों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न परिस्थितियों तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी जाएगीः–

1. **विकास क्षेत्र** के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य क्रियाओं की अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में निम्न समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा जिसकी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही अनुज्ञा प्रदान की जाएगीः–
   - विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी,
   - मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. अथवा उनके प्रतिनिधि,
   - अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर–सरकारी सदस्य।

विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण–अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी –

(i) प्रमुख भू–उपयोग जोन को आधारभूत अवस्थापनाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत–आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ii) प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल–बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो।

(iii) प्रस्तावित क्रिया के कारण प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुंआ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।

(iv) प्रस्तावित क्रिया यथासम्भव मुख्य भू–उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर, मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।

(v) प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि भवन का अधिकतम एफ. ए.आर, एवं ऊँचाई प्रमुख भू–उपयोग के प्राविधानों के अन्तर्गत है।

2. किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में विशेष अनुमति से किसी क्रिया अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/सेट बैक इत्यादि में दर्शायी गई भूमि भविष्य में मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकरण को निशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।
3. महायोजना में अथवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित हैरिटेज जोन में खान–पान से सम्बन्धित दुकानें, रेस्टोरेन्ट्स, फोटोग्राफर. रेल/वायु/टैक्सी, इत्यादि के बुकिंग ऑफिस, गाईड कार्यालय, पर्यटन से सम्बन्धित कार्यालय, तथा अन्य आवश्यक कियाएं यथा अस्थायी मेला/प्रदर्शनी स्थल, इत्यादि की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन उपविधियों के अधीन प्रदान की जायेगी।
4. जोनिंग रेगुलेशन्स में दर्शायी गई क्रियाओं के अतिरिक्त प्रमुख भू–उपयोग के अनुषांगिक (Compatible) अन्य क्रियाएं जिनका उल्लेख नहीं है, भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण–अवगुण के आधार पर अनुमन्य की जा सकेगी।

टिप्पणी:

(i) जोनिंग रेगुलेशन्स में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य किए जाने की दशा में समस्त क्रियाओं/उपयोगों के मानचित्र, प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किये जायेंगे। जिन कियाओं/उपयोगों हेतु भवन उपविधि में भू–आच्छादन, एफ.ए.आर.. सेट–बैक, पार्किंग, आदि के बारे में प्राविधान नहीं हैं, के सम्बन्ध में क्रिया विशेष की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समिति द्वारा प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी।

(ii) विशेष अनुमति से किसी उपयोग/क्रिया की अनुमन्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी बाध्य नहीं होंगे तथा आवेदक अधिकार के रूप में इसकी मांग नहीं कर सकेगा।

5. प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की (Activities) अनुमन्यता

5. प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की (Activities) अनुमन्यता

संकेताक्षर

नि.क्षेत्र	नगरीय निर्मित क्षेत्र	वृ.उ.	मध्यम एवं वृहद उद्योग	पार्क	पार्क, खुले स्थल एवं क्रीड़ागन	अनुमन्य उपयोग
आ.	आवासीय	कार्या.	कार्यालय	ह.प.	हरित पट्टी	सशर्त अनुमन्य उपयोग
व्यव.1	बाजार मार्ग/सामान्य व्यवसायिक केन्द्र	सुवि.	सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक सुविधायें	म.क्षेत्र	मनोरंजन क्षेत्र	विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग
व्यव.2	नगर केन्द्र/उपनगर केन्द्र	धा.सं.	सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं	ग्रा.आ.	ग्रामीण आबादी	निषिद्ध उपयोग
व्यव.3	थोक व्यापारिक केन्द्र/भण्डार/वेयर हाउसिंग	उपयो.	उपयोगिताएं एवं सेवाएं	रा.सु.	हाई–वे फैसेलिटी जोन	
ल.उ.	लघु एवं सेवा उद्योग	या.परि.	परिवहन केंद्र/ट्रक अड्डा/बस अड्डा			

		भू–उपयोग जोन्स																	
	क्रियाएं/उपयोग	नि.क्षेत्र	आ.	व्यव.1	व्यव.2	व्यव.3	ल.उ.	वृ.उ.	कार्या.	सुवि.	धा.सं.	उपयो.	या.परि.	पार्क	ह.प.	म.क्षेत्र	ग्रा.आ.	कृषि	रा.सु.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**आवासीय**																		
1.1	भूखण्डीय आवास						3												
1.2	समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)	6	6	26	2	2	3		5	2							6		
1.3	सम्बन्धित कर्मचारी/चौकीदार/संतरी आवास				1	1	4	4	3	4	4	1	1			20		20	
2	**वाणिज्यिक**																		
2.1	फुटकर दुकानें (अनुलग्नक–1 के अनुसार)	6	6														6		
2.2	डिपार्टमेंटल स्टोर	6	6																
2.3	शापिंग सेन्टर/शापिंग कम्पलेक्स	7	7	7	7	7	7												
2.4	शापिंग मॉल	8		8	8														
2.5	शो–रूम (मोटर वाहनो के अतिरिक्त)	6	6					20											
2.6	मोटर वाहनों के शोरूम	8		8	24			24	24	24			24						
2.7	मोटर वाहनों के स्पे. पार्टस की बिक्री हेतु दुकानें			7	7	7							8						
2.8	थोक मण्डी/थोक व्यापार																		
2.9	नीलामी बाजार					7													
2.10	बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, आटा चक्की (10 हा.पा. तक)	6	6														6		
2.11	कोयला एवं लकडी के टाल	6	7		7	7	7										6		
2.12	कृषि उपजों के थोक विक्रय केन्द्र																		

		भू–उपयोग जोन्स																	
क्रियाएं/उपयोग		नि.क्षेत्र	आ.	व्यव.1	व्यव.2	व्यव.3	ल.उ.	वृ.उ.	कार्या.	सुवि.	धा.सं.	उपयो.	या.परि.	पार्क	ह.प.	म.क्षेत्र	ग्रा.आ.	कृषि	रा.सु.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.13	शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज)																	8	8
2.14	रिसार्ट																		
2.15	होटल	23	23	7	7	7	7		7	7									
2.16	बैंक्वेट हाल			7	7	7													
2.17	मोटल, वे–साईड रेस्तरां (ढाबा)				7	7	8	8		7			8						
2.18	भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कैन्टीन	6	6													c		c	
2.19	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स		8	8	8	8	8			8									c
2.20	मल्टीप्लेक्स कम होटल		8	8	8	8	8			8									c
2.21	ड्राइव–इन सिनेमा/ड्राइव–इन थियेटर		8	8	8	8	8			8									c
2.22	पी.सी.ओ./सैल्यूलर मोबाईल सर्विस		6														6		
2.23	साइबर कैफे	6	6														6		
2.24	पेट्रोल/डीजल/सी0एन0जी0/सी. बी. जी.पी0/एन0जी0 फिलिंग/ई–चार्जिंग स्टेशन	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				7		
2.25	गैस गोदाम/गैस अधिष्ठान																		
2.26	भण्डारण, गोदाम, वेयर हाउसिंग*, संग्रहण केन्द्र, जंकयार्ड/कबाड़खाना				13	13						13	13						
2.27	ज्वलनशील, नाशकारी एवं आपात वस्तुओं का भण्डार																		
2.28	सर्विस अपॉर्टमेण्ट		6																
3	**औद्योगिक**																		
3.1	प्रदूषण रहित सेवा/कुटीर उद्योग	15	12	25	25												15		
3.2	सूचना प्रौद्योगिकी/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	17	17	17	17	17			17	17									
3.3	बायोटेक पार्क																		
3.4	लघु उद्योग				25	25													
3.5	बृहद उद्योग, शुगर मिल, राईस सेलर, फ्लोर मिल																		
3.6	संकटपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषण कारक उद्योग																		
3.7	खनन, ईंट/चूने का भट्ठा, क्रेशर																		

		भू–उपयोग जोन्स																	
क्रियाएं/उपयोग		नि.क्षेत्र	आ.	व्यव.1	व्यव.2	व्यव.3	ल.उ.	वृ.उ.	कार्या.	सुवि.	धा.सं.	उपयो.	या.परि.	पार्क	ह.प.	म.क्षेत्र	ग्रा.आ.	कृषि	रा.सु.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.8	तेल डिपो/एल0पी0जी0 रिफिलिंग प्लांट																		
3.9	पाश्चराईजिंग प्लांट/दुग्ध संग्रहण केन्द्र																		
3.10	विद्युत उत्पादन संयंत्र केन्द्र																		
3.11	लॉजिस्टिक पार्क/वेयरहाउसिंग**																		
4	**कार्यालय**																		
4.1	राजकीय, अर्द्ध–राजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय	6	7				20	20		20	20	20	20						
4.2	निजी कार्यालय, एंजेण्ट कार्यालय	6	19							20	20		20				6		
4.3	बैंक	6															6		
4.4	वाणिज्यिक/व्यवसायिक कार्यालय	6																	
4.5	श्रमिक कल्याण केन्द्र																		
4.6	पी.ए.सी./पुलिस लाईन्स																		
4.7	बिजनेस पार्क																		
4.8	डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर																		
4.9	काल सेन्टर																		
4.10	बी.पी.ओ.																		
4.11	मौसम अनुसंधान केन्द्र/माइक्रोवेव तथा वायरलेस केन्द्र																		
5	**सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं**																		
5.1	अतिथि गृह/निरीक्षण गृह																6		
5.2	पेइंग गेस्ट	6															6		
5.3	धर्मशाला, रैन बसेरा/नाईट सेल्टर, बोर्डिंग/लॉजिंग हाऊस	6	6														6		
5.4	छात्रावास	6	6														6		
5.5	अनाथालय, सुधारालय																6		
5.6	कारागार																		
5.7	हैण्डीकैप्ड चिल्ड्रेन हाउस	6	6														6		

		भू–उपयोग जोन्स																	
क्रियाएं/उपयोग		नि.क्षेत्र	आ.	व्यव.1	व्यव.2	व्यव.3	ल.उ.	वृ.उ.	कार्या.	सुवि.	धा.सं.	उपयो.	या.परि.	पार्क	ह.प.	म.क्षेत्र	ग्रा.आ.	कृषि	रा.सु.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.8	शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र	6	6		19				19								6		
5.9	वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र	6	6														6		
5.10	प्राथमिक शैक्षिक संस्थान	6	6														6		
5.11	माध्यमिक/इण्टर विद्यालय	6	7	8													7		
5.12	स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय																		
5.13	विश्वविद्यालय																		
5.14	पॉलीटेक्निक/इन्जीनियरिंग/मेडिकल/डेण्टल कालेज																		
5.15	प्रबन्ध संस्थान/विशिष्ट शैक्षिक संस्थान																		
5.16	कुटीर उद्योग प्रशिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान																		
5.17	डाकघर	6	6														6		
5.18	पुलिस स्टेशन/चौकी/अग्निशमन केन्द्र	6	6																
5.19	पुस्ताकालय/वाचनालय	6	6														6		
5.20	स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र, हेल्थ सेन्टर, डिस्पेन्सरी	9	9														6		
5.21	अस्पताल/ट्रामा सेंटर	10			7	7	7	7	7	7	7						7	22	
5.22	नर्सिंग होम	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10						9	22	
5.23	क्लीनिक/ पॉलीक्लीनिक	6	6														6		
5.24	नैदानिक प्रयोगशाला	6																22	
5.25	पशु चिकित्सालय																		
5.26	हेल्थ क्लब/जिम्नेजियम/फिटनेस सेन्टर/वैलनेस सेंटर	6	6														6		
5.27	विद्युत शवदाह गृह/शमशान, कब्रिस्तान									14									
5.28	संगीत/नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र	6	6	8													6		
5.29	सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि	6	19	8													6		
5.30	ऑडिटोरियम, खुली नाट्यशाला, थिएटर/नाट्यशाला		7	8			8							21				21	21

		भू–उपयोग जोन्स																	
क्रियाएं/उपयोग		नि.क्षेत्र	आ.	व्यव.1	व्यव.2	व्यव.3	ल.उ.	वृ.उ.	कार्या.	सुवि.	धा.सं.	उपयो.	या.परि.	पार्क	ह.प.	म.क्षेत्र	ग्रा.आ.	कृषि	रा.सु.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.31	योग, मनन, अध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन	6	7	7										21	21		6	21	21
5.32	धार्मिक भवन	6	6														6		
5.33	सभा/सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक केन्द्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/भवन	6	6										7				6		
5.34	कन्वेंशन सेंटर																		
5.35	बारातघर/मैरेज हॉल/उत्सव भवन				7	7													
5.36	कान्फ्रेन्स/मीटिंग हॉल	6	6																
5.37	अजायबघर/म्यूजियम																		
5.38	आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केन्द्र	21	21				21						21	21	21		21	21	
5.39	मेला स्थल																		
5.40	टेलीफोन कार्यालय/केन्द्र, रेडियो व टेलीविजन केन्द्र																		
5.41	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र/शोध केन्द्र						20												
5.42	सूचना केन्द्र																		
5.43	समाज कल्याण केन्द्र																6		
5.44	जन सुविधा केन्द्र	6	6														6		
5.45	ए.टी.एम. कक्ष	6	6														6		
5.46	सार्वजनिक शौचालय	6	6														6		
6	**सार्वजनिक उपयोगिताए**																		
6.1	ठोस अवशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट, कूड़ा एकत्रीकरण स्थल		4				14	14		14	14								
6.2	सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित भवन/प्रतिष्ठान		6																
6.3	ट्यूबवेल, ओवर हेड/रिजरवायर/विद्युत केन्द्र/सब–स्टेशन	6	6														6		
6.4	वाटर वर्क्स																		
6.5	कम्पोस्ट प्लाण्ट																		
6.6	पशुवध शाला									14					14			14	
6.7	सेलुलर/मोबाइल टॉवर																		

		भू–उपयोग जोन्स																	
क्रियाएं/उपयोग		नि.क्षेत्र	आ.	व्यव.1	व्यव.2	व्यव.3	ल.उ.	वृ.उ.	कार्या.	सुवि.	धा.सं.	उपयो.	या.परि.	पार्क	ह.प.	म.क्षेत्र	ग्रा.आ.	कृषि	रा.सु.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	यातायात एवं परिवहन																		
7.1	पार्किंग स्थल	6	6										16	21			6		
7.2	मल्टीलेवल पार्किंग	7	24	24	24	24	24		24	24			24						24
7.3	टैक्सी, टैम्पो, रिक्शा आदि के स्टैण्ड/बस स्टाप	6	6									16	16				6		
7.4	ट्रान्सपोर्ट नगर, बस डिपो																		
7.5	बस स्टैण्ड	7	7	7	7	7	7			7	7		16				7		
7.6	बस टर्मिनल				24	24	24	24	24	24	24		24						24
7.7	मोटर गैराज, सर्विस गैराज तथा वर्कशॉप	7			7		7	7									6		
7.8	मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र																		
7.9	लोडिंग–अनलोडिंग सम्बन्धी सुविधायें														21		6		
7.10	रेलवे गोदाम, रेलवे यार्ड/साइडिंग/टर्मिनल																		
7.11	धर्मकांटा				8		8										6		
7.12	एयरपोर्ट																		
8	पार्क, क्रीड़ा/खुले स्थल/मनोरंजनात्मक																		
8.1	पार्क/क्रीड़ा–स्थल/खेल का मैदान																		
8.2	बहुउद्देश्शीय खुले स्थल	7	7														7		
8.3	गोल्फ/रेसकोर्स																		
8.4	स्टेडियम/खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, स्पोर्टस कालेज/स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स																		
8.5	कारवां पार्क, पिकनिक स्थल, शिविर स्थल													21				21	
8.6	ट्रैफिक पार्क																		
8.7	मनोरंजन पार्क	6												21			6		
8.8	क्लब, तरण–ताल (स्वीमिंग पूल)	6	6														6		
8.9	चिड़ियाघर/अजायबघर/जल–जीवशाला, वन्य जीव/पक्षी शरण स्थल																		
8.10	फ्लाईंग क्लब/हैली पैड																		

		भू–उपयोग जोन्स																	
क्रियाएं/उपयोग		नि.क्षेत्र	आ.	व्यव.1	व्यव.2	व्यव.3	ल.उ.	वृ.उ.	कार्या.	सुवि.	धा.सं.	उपयो.	या.परि.	पार्क	ह.प.	म.क्षेत्र	ग्रा.आ.	कृषि	रा.सु.
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8.11	शूटिंग रेंज																		
8.12	स्मारक																		
8.13	नौका विहार/वाटर स्पोर्टस																		
9	**कृषि**																		
9.1	बागवानी, पौधशाला, उद्यान, वन, बॉटेनिकल गार्डेन																		
9.2	फार्म हाउस																		
9.3	चारागाह, दुग्धशाला (डेरी फार्म), कैटल कॉलोनी																		
9.4	धोबीघाट																		
9.5	सुअर/मत्स्य/कुककुट/मधुमख्खी पालन, पशु सम्वर्धन एव प्रजनन केन्द्र																		
9.6	कृषि उपकरणों की मरम्मत/सर्विसिंग वर्कशॉप																		
10	**फ्लोटिंग उपयोग**																		
10.1	सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगितायें																		
10.2	थोक व्यवसायिक																		
10.3	यातायात एवं परिवहन																		
10.4	सेवा/कुटीर उद्योग		12																
10.5	विशेष उद्योग (संकटपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषण कारक)																		
11	**अस्थायी क्रियाए**																		
11.1	साप्ताहिक बाजार		7														6		
11.2	अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, सभा स्थल	7	8	8	8	8	8	8		8	8								
11.3	वेन्डिंग जोन	7	8												21	21			

नोट 1 विद्यमान सामुदायिक सुविधायें/ उपयोगितायें/सेवायें यथा– सामान्य शैक्षिक संस्थायें, तकनीकी शैक्षिक संस्थायें, चिकित्सालय, जलकल, दूरदर्शन/रेडियो, पशु वधशाला, एस.टी.पी., विद्युत स्टेशन, कब्रिस्तान/श्मशान–घाट के परिसरों में आनुषंगिक उपयोगों को ही अनुमन्य किया जायेगा। प्रस्तावित क्षेत्रों में अनुमन्य विभिन्न क्रियायें इस तालिका के अनुसार होंगी।

2. उपरोक्त तालिका में वर्णित विभिन्न क्रियाओं के लिये मार्गों की चौडाई सम्बन्धी मानक समय–समय पर लागू किये जाने वाले भवन उपविधि के प्राविधानों से भी आच्छादित होंगें।

3. अस्थायी क्रियाएं– ऐसी क्रियाएं जिसमें किसी विशेष प्रयोजन हेतु जनसामान्य एकत्र होते हों तथा जो पूर्णतः अस्थायी रूप से अल्प अवधि के लिए स्थापित होती हैं। ऐसी क्रियाओं की अनुमन्यता सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने–अपने तदसमय प्रचलित नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। अस्थायी क्रियाओं की अनुमन्यता में जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तर–3 ''प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध'' की शर्त कोड–21 भी लागू होंगी।

	भू–उपयोग जोन्स																	
क्रियाएं/उपयोग	नि.क्षेत्र	आ.	व्यव.1	व्यव.2	व्यव.3	ल.उ.	वृ.उ.	कार्या.	सुवि.	धा.सं.	उपयो.	या.परि.	पार्क	ह.प.	म.क्षेत्र	ग्रा.आ.	कृषि	रा.सु.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

* ऐसे वेयर हाउसिंग जो औद्योगिक विकास की नीति से आच्छादित न हों।

** ऐसे वेयर हाउसिंग जो औद्योगिक विकास की नीति से आच्छादित हों।

6. भू उपयोग जोन का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क का निर्धारण

भू–उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क (Impact Fee) का निर्धारण

प्रभाव शुल्क से छूट	
गैर–व्यवसायिक एवं चैरिटबल क्रियायें / उपयोग	1
सेवा एवं कुटीर उद्योग	2
सम्बन्धित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास	3

संकेत	
प्रभाव शुल्क लागू नही	
प्रभाव शुल्क देय नहीं	
प्रभाव शुल्क देय	

क्रियायें (Activities) / उपयोग श्रेणी (निम्न से उच्च क्रम में)	भू–उपयोग जोन्स							
		विकासशील / अविकसित क्षेत्र (निम्न से उच्च क्रम में) →						
	निर्मित क्षेत्र	कृषि, हरपट्टी, पार्क, क्रिडास्थल	सार्वजनिक सुविधायें	यातायात एवं परिवहन	औद्योगिक	आवासीय ग्रामीण आबादी सहित	कार्यालय	व्यवसायिक
		1	2	3	4	5	6	7
1 कृषि, हरित पट्टी(ग्रीन बर्ज), पार्क, क्रिडास्थल								
2 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधायें		0.25 (1)				0.25 (1)		
3 यातायात एवं परिवहन		0.3	0.1					
4 औद्योगिक		0.4 (2)	0.25 (2)	0.25 (2)				
5 आवासीय		0.5	0.4	0.4	0.25 (3)			
6 कार्यालय		1	0.75	0.75	0.75	0.5		
7 व्यवसायिक		1.5	1.25	1.25	1	1	0.5	

टिप्पणी:– 1 विभिन्न भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैल्यू उन प्रकोष्ठों में दी गयी है जहां प्रभाव शुल्क देय है।

2 सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु 50 प्रतिशत देय होगा तथा प्रभाव शुल्क का आकलन सम्बन्धित भू–उपयोग जोन हेतु निर्धारित गंणांक की वैल्यू के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार किया जायेगा:–

2.1 सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु :– भूखण्ड के क्षेत्रफल X सर्किल रेट X गंणांक X 0.25

2.2 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु :– भूखण्ड के क्षेत्रफल X सर्किल रेट X गंणांक X 0.50

3. प्रभाव शुल्क का आकलन विकास प्राधिकरण / आवास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण / परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू–उपयोग के लिये जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा।

प्रभव शुल्क आगणन हेतु उदाहरण

उदाहरण 1
निश्चित आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम की अनुज्ञा हेतु:
भू–खण्ड का क्षेत्रफल= 350 वर्ग मीटर
प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर = रू0 2000 प्रति वर्ग मीटर
देय प्रभाव शुल्क :– भूखण्ड के क्षेत्रफल X सर्किल रेट X गंणांक X 0.25
अर्थात 350 X 2000 X 0.245 X 0.25= रू0 43,750 /–

उदाहरण 2
कृषि भू–उपयोग जोन में विशेष अनुमति से पेट्रोल पम्प की अनुज्ञा हेतु
भू–खण्ड का क्षेत्रफल= 500 वर्ग मीटर
कृषि भूमि का सर्किल रेट = रू0 200 प्रति वर्ग मीटर
देय प्रभाव शुल्क :– 500 X 200 X 1.5 X 0.50= रू0 75000 /–

अनुलग्नक– 1. दैनिक उपयोग के दुकानों की सूची

1. जनरल प्राविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान, बीडी, सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
8. स्टेशनरी
9. टाइपिंग, फोटोस्टेट, फैक्स, आदि
10. किताबें/मैगजीन/अखबार इत्यादि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी. सी. ओ.
13. रेडीमेड गारमेंट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग
18. घड़ी मरम्मत
19. कढ़ाई–बुनाई एवं पेन्टिंग
20. केबल टी0वी0 संचालन, वीडियों पार्लर
21. प्लम्बर शाप
22. विद्युत उपकरण
23. हार्डवेयर
24. टायर पंचर की दुकानें
25. कपडे इस्तरी करना
26. समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें

अनुलग्नक–2 निर्मित/आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची

1. लाण्ड्री, ड्राई–क्लीनिंग
2. टी0वी0, रेडियों, आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
4. मोटर कार, मोटर–साइकिल, स्कूटर, साइकिल आदि की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइडिंग
6. सोना तथा चॉदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
8. जूते का फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी, पेन, चश्में की मरम्मत
12. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो फ्रेमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी, कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग

अनुलग्नक–3 व्यवसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषण मुक्त लघु उद्योगों की सूची (10 हार्स पावर तक)

1. आटा चक्की
2. मूँगफली सुखाना
3. चिलिंग
4. सिलाई
5. सूती एवं ऊनी बुने वस्त्र
6. सिले वस्त्रों का उद्योग
7. हथकरघा
8. जूते का फीता तैयार करना
9. सोना तथा चॉदी/तार एवं जरी का काम
10. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित न हो
11. शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
12. संगीत वाद्य यन्त्र तैयार करना
13. खेलों का सामान
14. बांस एवं बेंत उत्पाद
15. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद
16. इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर
17. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र
18. स्टील एवं लकड़ी के साज –सज्जा सामान
19. घरेलू विद्युत उपकरणों को तैयार करना
20. रेडियों टी0वी0 बनाना
21. पेन, घड़ी, चश्में की मरम्मत
22. सर्जिकल पट्टियॉ
23. सूत कताई व बुनाई
24. रस्सियॉ बनाना
25. दरियॉ बनाना
26. कूलर तैयार करना
27. साइकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग
28. वाहनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत
29. इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण तैयार करना
30. खिलौने बनाना
31. मोमबत्ती बनाना
32. आरा मशीन के अतिरिक्त बढ़ई का कार्य
33. तेल निकालने कार्य (शोधन को छोड़कर)
34. आइसक्रीम बनाना
35. मिनरल वाटर
36. जाबिंग एवं मशीनिंग
37. लोहे के संदूक तथा सूटकेस
38. पेपर पिन तथा यू–क्लिप
39. छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना
40. चश्में के फ्रेम
41. समरूप प्रदूषण रहित उद्योग

अनुलग्नक–4 प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के उपयोग की विधि

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (Activities)/उपयोगों की अनुमन्यता जोनिंग रेगुलेषन्स के माध्यम से निर्धारित की जाती है। यदि आवेदक द्वारा किसी भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत क्रिया विशेष की निर्माण अनुज्ञा से सम्बन्धित मानचित्र विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर ही यह तय किया जा सकेगा कि प्रश्नगत निर्माण उस भू–उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नही। महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित विवरण जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में मैट्रिक्स (Matrix) के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें क्षैतिज रेखा (X-Axis) पर कालम में महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स दर्शाए गए हैं जबकि इन जोन्स के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियाएं/उपयोग ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-Axis) पर दर्शाए गए हैं। किसी प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी क्रिया/उपयोग की अनुमन्यता ज्ञात करने के लिए क्षैतिज रेखा (X-Axis) पर दर्शायी गई उस क्रिया के सम्मुख ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-Axis) पर दर्शाए गए भू–उपयोग जोन्स के कालम में दिए गए संकेत के आधार पर अनुमन्यता ज्ञात की जा सकती है। ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) जो Coloured से दर्शाया गया है, में निम्न चार संकेतों का प्रयोग किया गया हैः–

(i)		**अनुमन्य उपयोगः** जो सामान्यतः अनुमन्य हैं।
(ii)	6	**सशर्त अनुमन्य उपयोगः** जो जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–3 में कोड संख्या–1 से 26 तक निर्दिष्ट शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य हैं।
(iii)		**विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोगः** जो जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–4 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य हैं। ''सक्षम प्राधिकारी'' की परिभाषा जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–1 में क्रमांक–1.10.1 पर दी गई है।
(iv)		**निषिद्ध उपयोगः** जो अनुमन्य नही हैं।

उपरोक्त चारों संकेतों के आधार पर महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित उदाहरण निम्न प्रकार हैं :–

उदाहरण–1 : कोई व्यक्ति यह ज्ञात करना चाहता है कि ''फुटकर दुकानें'' कार्यालय भू–उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नही?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएं के नीचे क्रमांक–2.1 पर फुटकर दुकानें के सम्मुख X-Axis पर कार्यालय भू–उपयोग जोन के कालम–9 में संकेत (अनुमन्य) दिया गया है, जिसका अर्थ है कि कार्यालय भू–उपयोग जोन में फुटकर दुकानें अनुमन्य है।

उदाहरण–2 : निर्मित क्षेत्र में ''शोरूम'' अनुमन्य है अथवा नही ?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएं के नीचे क्रमांक–2.5 पर शोरूम के सम्मुख X-Axis पर ''निर्मित क्षेत्र'' के कालम–2 में संकेत 6 (सशर्त अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात् जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–3 में निर्दिष्ट कोड संख्या–6 के अनुसार निर्मित क्षेत्र में शोरूम न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अनुमन्य है।

उदाहरण–3 : लघु एवं सेवा उद्योग भू–उपयोग जोन में "बारातघर" अनुमन्य है अथवा नहीं ?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएं के नीचे क्रमांक–5.35 पर बारातघर के सम्मुख X-Axis पर लघु एवं सेवा

उद्योग के कालम–7 में संकेत (विशेष अनुमति से अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात् लघु एवं सेवा उद्योग भू–उपयोग जोन में बारातघर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से अनुमन्य है।

उदाहरण–4 : सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं में "शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज)" अनुमन्य है अथवा नहीं ?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएं के नीचे क्रमांक–2.13 पर "शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज)" के सम्मुख X-Axis पर सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के कालम–10 में संकेत (निषिद्ध) दिया गया है, अर्थात् सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं में शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) अनुमन्य नही है।

टिप्पणीः– विभिन्न क्रियाओं/उपयोग परिसरों की परिषाए जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–2 में दी गयी है।

12. नगर योजना सुधार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत आवश्यक घटकों का महायोजना में समायोजन समन्वय।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अमृत अनुभाग द्वारा पत्र संख्या 14011/24/2023– दिनांक 27 सितंबर 2023 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के संबन्ध में अध्याय (स्पेशल असिस्टेंस के तहत चयनित नगरों हेतु)

भारत सरकार की राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश वर्ष 2023–24 के लिए विशेष सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न सुधारो के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिसमें भाग 3 नगर योजना सुधार के अंतर्गत आवश्यक घटकों का महायोजना में सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है ताकि विशेष वित्तीय सहायता का लाभ राज्य सरकारों को मिल सके। पांच विशेष घटकों का विवरण निम्नवत है:–

- कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान ट्रांसपोर्टेशन प्लान
- इकोनामिक प्लान
- ब्लू–ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर
- ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान

उक्त घटकों को नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने तथा उनके क्रियान्वयन के लिए निम्नवत प्रस्ताव है :–

12.1 कम्प्रेहेन्सिव मोबिलिटी प्लान (सी.एम.पी.)/ट्रांसपोर्टेशन प्लान

सार्वजनिक परिवहन साधनों जैसे बस, मेट्रो आदि के साथ एक पारगमन योजना तैयार करना:–

कम्प्रेहेन्सिव मोबिलिटी प्लान (सी.एम.पी.) / ट्रांसपोर्टेशन प्लान घटक को नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने तथा उनके क्रियान्वयन के लिए निम्नवत प्रस्ताव है :–

गोरखपुर शहर में नियोजित परिवहन व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन के लिए सिटी मोबिलिटी प्लान तैयार कराया गया है। जिसके अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली यातायात प्रबंधन पार्किंग व्यवस्था चौराहों के नियोजन एवं सौंदर्यकरण के लिए व्यापक प्रस्ताव दिए गए हैं, जिनका महायोजना में समायोजन किया गया है। सिटी मोबिलिटी प्लान एवं महायोजना–2031 के मुख्य प्रस्ताव निम्नवत हैं :–

शहर के महत्त्वपूर्ण स्थानों को यातायात प्रणाली से जोड़ना:

शहर के महत्त्वपूर्ण स्थानों को यातायात प्रणाली से जोड़ने के लिए दो **एल.आर.टी.एस** गलियारों का प्रस्ताव महायोजना में किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है:–

गलियारा संख्या	गलियारा विवरण	लंबाई (किमी)
1	श्याम नगर से सूबा बाजार के लिए (गोरखनाथ मंदिर, रेलवे स्टेशन, पेडलेगंज, एमएममूट इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से	18
2	गुलहरिया से नौसढ़ (बीआरडी मेडिकल कॉलेज, खजंची बाजार, असुरान चौक, धर्मशाला बाजार, गोलघर, परिवहन नगर) के माध्यम से	15

बस प्रणाली और बसों की संख्या का अनुमान

मौजूदा बस प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी प्रमुख सड़कों पर वातानुकूलित बस सेवा चलाने का प्रस्ताव है जो नागरिक को मौजूदा बस प्रणाली से बेहतर सुविधा और आराम प्रदान करेगा । पूरे गोरखपुर क्षेत्र मे कुल 18 मध्यम से निम्न मांग वाले कॉरिडर की पहचान की गई है। जिसपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन किया जाएगा जिसकी कुल लंबाई 372 कीमी है।

प्रस्तावित बस प्रणाली की व्याख्या निमन्वत टेबल में दी गई गई । इस बस प्रणाली में मिनी बस की सेवा लेना का भी प्रस्ताव है । कुल 1000 बस की आवश्यकता पड़ने की संभावना है। पूरे बस प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने और अनुरक्षण करने केलिए 6 डेपो की जरूरत पड़ने की प्रस्ताव है । मौजूदा ऑटो / टेम्पो सेवा लास्ट माइल कानेक्टिविटी देने केलिए काम करेगा ।

1. Comprehensive Mobility Plan (CMP)/ Transportation Plan		
क्र.सं.	**बिन्दु**	**टिप्पणी**
a.	Identify important destinations of the city.	रामगढ ताल, चिलुआ ताल, हवाई अड्डा, AIIMS, न्यू गोरखपुर, गोलघर नगर केंद्र, गोरखनाथ मंदिर, BRD मेडिकल कॉलेज, रिंग रोड मिलान बिन्दु, गोरखपुर विश्वविद्यालय, रेलवे स्टेशन, प्रस्तावित LRTS Routes
b.	Link these destinations to transit corridors for buses and plan for roots of buses on these corridors.	उक्त प्रमुख गंतव्य स्थलों को प्रस्तावित LRTS कॉरिडोर के TOD जोन्स के माध्यम से विकसितध्पुनर्विकसित किया जाना है अन्य स्थलों को सार्वजानिक बस परिवहन प्रणाली द्वारा सम्बद्ध किया जाना प्रस्तावित है।
c.	Estimate the number of buses required (40 buses per 1 lakh population)	40 X 25 L = 1000 बस
d.	Plan periodicity of bus stops. Identify possible locations of bus depots near important destinations.	वर्तमान में गोरखपुर नगर निगम द्वारा 10 रुट्स यथा महुआतार से सोनबरसा, महुआतार से कौड़ीराम, महुआतार से भीटी रावत, महुआतार से भटहट, महुआतार से पिपराईच, महुआतार से खजनी, महुआतार से मिर्जापुर, महुआतार से पीपीगंज, महुआतार से उनवल, महुआतार से कौड़ीराम, पर कुल 25 इलेक्ट्रिक बसें तथा ई–चार्जिंग के लिए महेसरा में EV चार्जिंग डिपो संचालित है। सिटी मोबिलिटी प्लान में बस रुट्स तथा बस डिपो निर्धारित/प्रस्तावित किये गए है।
e.	Converge the mobility planning of different modes (Multi Model Integration)	क्षेत्रीय यातायात प्रबंधन हेतु आउटर रिंग रोड का प्रस्ताव। शहरी यातायात प्रबंधन हेतु इनर रिंग रोड का प्रस्ताव। सिटी मोबिलिटी प्लान में मल्टी मोडल परिवहन प्रणाली का का प्रस्ताव है, जिसमे 2 LRTS रुट्स तथा 6 बस टर्मिनल (5 बस टर्मिनल स्ट्जै से सम्बद्ध) का प्रस्ताव है उक्त के अतिरिक्त फीडर सेवा के लिए ऑटो तथा ई–रिक्शा से

1. Comprehensive Mobility Plan (CMP)/ Transportation Plan		
क्र.सं.	**बिन्दु**	**टिप्पणी**
		Last Mile Connectivity प्रदान की जाएगी।
f.	Plan for EV charging points for electric mobility.	वर्तमान में गोरखपुर नगर निगम द्वारा 10 रुट्स पर कुल 25 इलेक्ट्रिक बसें तथा ई–चार्जिंग के लिए महेसरा में EV चार्जिंग डिपो संचालित है। प्रक्षेपित जनसँख्या के लिए 18 बस कॉरिडोर तथा 6 बस टर्मिनल (5 बस टर्मिनल LRTS से सम्बद्ध) का प्रस्ताव है।
g.	Plan for seamless access through clean execution of footpath has to be put in place.	व्यापक गतिशीलता के लिए सिटी मोबिलिटी प्लान में समस्त शहरी मार्गो के दोनों ओर निरंतरता में 1.5–2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ का प्रस्ताव है।
h.	Identify dark spots of areas near/on and prepare a proper lightning plan for ensuring safe access, especially focusing on gender sensitivity.	नगर निगम द्वारा यातायात सञ्चालन हेतु ITMS प्रणाली लागू की गयी है। उक्त के अतिरिक्त सिटी मोबिलिटी प्लान में डार्क स्पॉट्स पर स्पीड ट्रैकिंग डिवाइस तथा CCTV कैमरा स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।
i.	Plan for easy access for buses/trains at bus stops/ bus depots/railway station for differently abled	दिव्यांग नागरिकों के लिए सुगम एवं सार्वभौमिक पहुँच की सुविधा प्रदान करने के लिए बस स्टॉप/बस डिपो/रेलवे स्टेशन/पार्किंग स्थलों को मनको के अनुसार विकसित किया जायेगा।
j.	Studying the old city transit patterns and ensuring priority for public transit in old city and segregating streets for public transit only, to avoid congestion.	महायोजना में निर्धारित निर्मित क्षेत्र के सघन क्षेत्र को क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करते समय पुनः नियोजितध्पुनः विकसित किया जायेगा जिसमे LRTS तथा सार्वजानिक परिवहन कोरिडोर्स से सम्बद्धता प्रदान की जाएगी।
k.	Parking to encourage private parties to execute infrastructure for parking through proper pricing, based on level of demand.	शहर में समुचित यातायात प्रबंधन के लि, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में उपयुक्त स्थलों पर पार्किंग क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है जिसे PPP मोड पर विकसित किया जायेगा जिसमे 25 प्रतिशत FAR व्यावसायिक/कार्यालय तथा मनोरजन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।
l.	Identification of where-how-when of parking in the city. Plan step for what will make it financially viable for private participation	शहर में समुचित यातायात प्रबंधन के लि, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में उपयुक्त स्थलों पर पार्किंग क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है जिसे PPP मोड पर विकसित किया जायेगा जिसमे 25 प्रतिशत FAR व्यावसायिक/कार्यालय तथा मनोरजन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

1. Comprehensive Mobility Plan (CMP)/ Transportation Plan		
क्र.सं.	**बिन्दु**	**टिप्पणी**
m.	Integration of paratransit such as bike,auto,taxi for last mile connectivity.	सिटी मोबिलिटी प्लान में मल्टी मोडल परिवहन प्रणाली का का प्रस्ताव है, फीडर सेवा के लिए ऑटो तथा ई–रिक्शा से Last Mile Connectivity प्रदान की जाएगी जिसे महायोजना प्रस्तावों में सम्मिलित किया गया है।
n.	Identification important road crossing and marking of road junctions with appropriate	समुचित यातायात प्रबंधन हेतु मुख्य जंक्शन पर फ्लाईओवर का प्रस्ताव ।
o.	identifying vulnerable subways and elevated roads/over bridges, and makingstrategies to activatethem	समुचित यातायात प्रबंधन हेतु मुख्य जंक्शन पर फ्लाईओवर का प्रस्ताव ।
p.	अन्य प्रस्ताव	क्षेत्रीय यातायात को शहर में प्रतिबंध करने के लिए रिंग रोड के किनारे प्रमुख जंक्शंस पर इंटरसिटी बस स्टेशन, यातायात नगर, वेयर हाउसिंग कंपलेक्स आदि का प्रस्ताव।

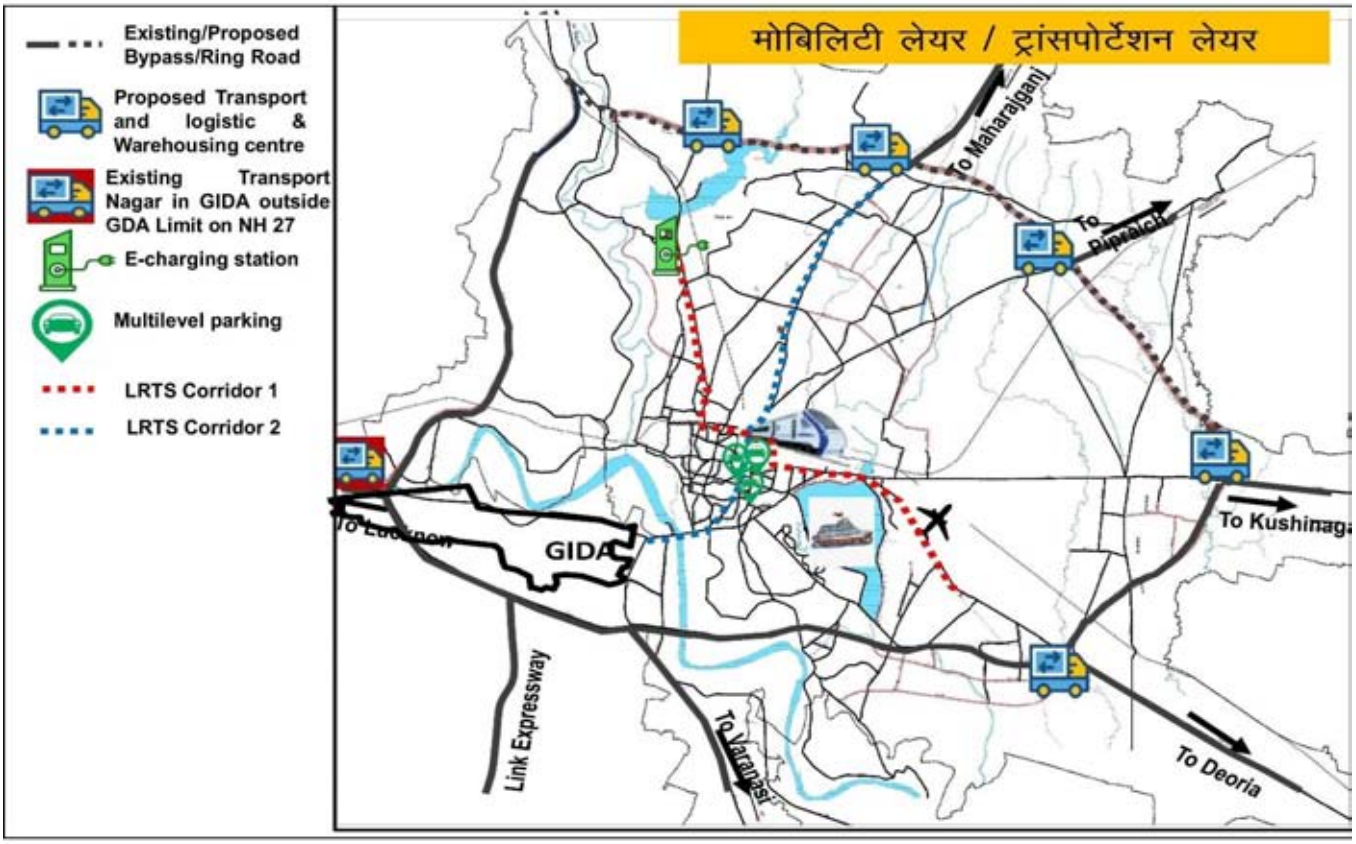
मोबिलिटी लेयर / ट्रांसपोर्टेशन लेयर
Existing/Proposed Bypass/Ring Road
Proposed Transport and logistic & Warehousing centre
Existing Transport Nagar in GIDA outside GDA Limit on NH 27
E-charging station
Multilevel parking
LRTS Corridor 1
LRTS Corridor 2
To Maharajganj
To Pipraich
To Kushinaga
GIDA
Link Expressway
To Varanasi
To Deoria

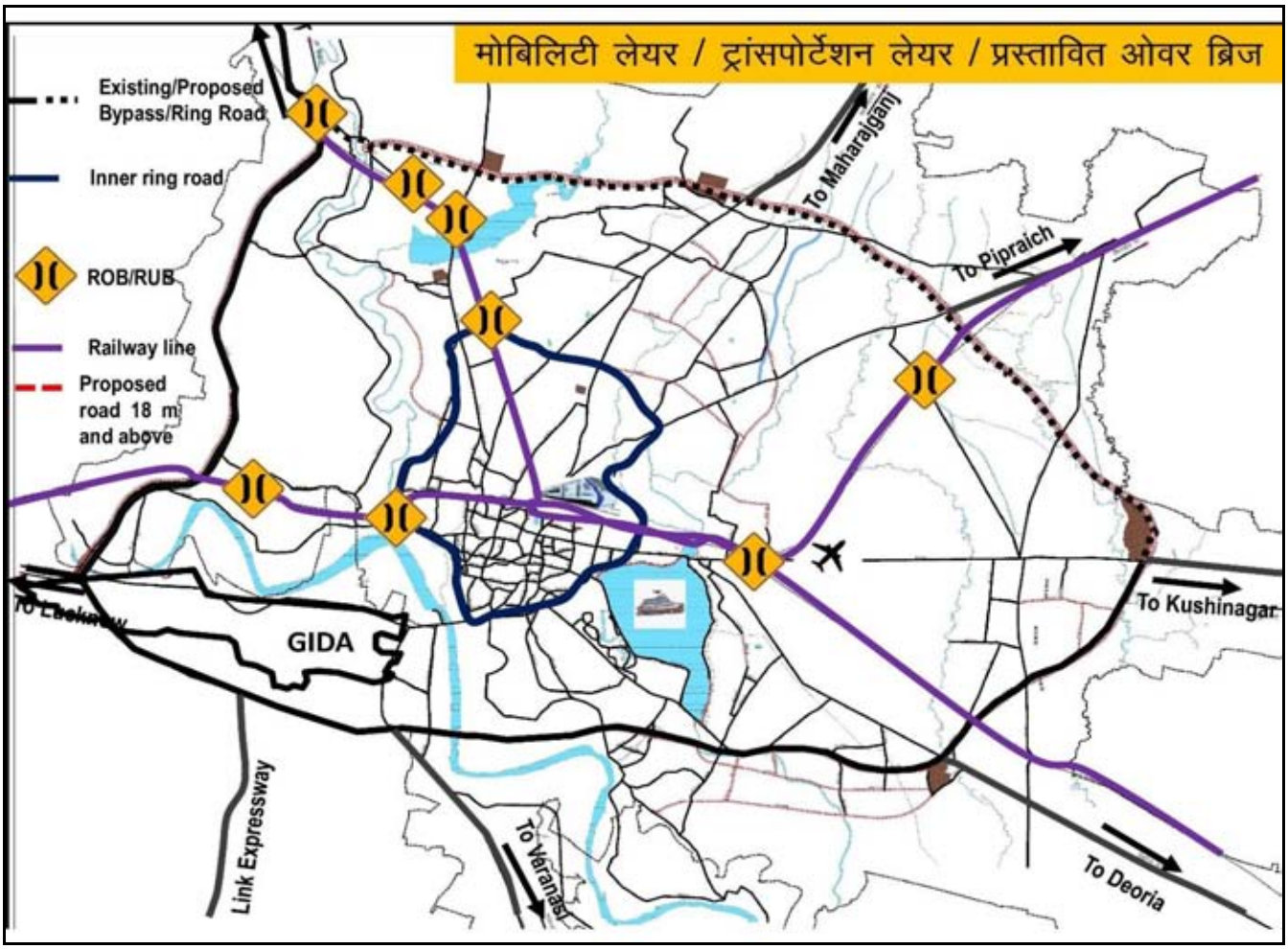
मोबिलिटी लेयर / ट्रांसपोर्टेशन लेयर / प्रस्तावित ओवर ब्रिज
Existing/Proposed Bypass/Ring Road
Inner ring road
ROB/RUB
Railway line
Proposed road 18 m and above
To Maharajganj
To Pipraich
To Kushinagar
GIDA
Link Expressway
To Varanasi
To Deoria

12.2 इकोनामिक प्लान

2. Economic Plan		
क्र.सं.	**बिन्दु**	**टिप्पणी**
a.	Cities are labour markets. Identifying the economic nodes on the cities commercial areas such as market, vending spaces, industrial estates, goods transport nodes and wholesale markets (logistic hubs), intercity transport nodes etc.	**कमर्शियल ट्रैडिंग सेंटर /वाणिज्यिक केंद्र** गोरखपुर शहर वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए थोक/ फुटकर व्यापार एवं सर्विसेज का मुख्य केंद्र है, जिससे शहर के ट्रैफिक एवं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता जा रहा है, जिसे विकेन्द्रीकरण करने का नई महयोजन–2031 मे प्रावधान किया गया है । शहर के अन्य क्षेत्र जहां निकट भविष्य में विकसित होने की सम्भावना है, को महायोजना में कामर्शियल एरिया के लिए आरक्षित की गई है। **उद्योग** गोरखपुर शहर के समीप ही गोरखपुर इन्डस्ट्रीअल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है, जिसमें तेजी से विकास हो रहे है और आगे भी होने के संभावना है इसलिए महयोजना – 2031 में GIDA के समीप लखनऊ –सनौली बाइपास पास इन्डस्ट्रीअल कॉरिडर विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है । गोरखपुर शहर मे हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की एक इकाई मजूद है जिसे हमने मेट्रो कानेक्टिविटी और शहर के भीतर मौजूद रिंग रोड से कानेक्टिविटी दी गयी है, जिससे यातायात सुगम होगा ।
b.	Regular market to be planned for pedestrianization and non-vehicular mobility.	महायोजना में निर्धारित निर्मित क्षेत्र के सघन क्षेत्र को क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करते समय पुनः नियोजित/पुनः विकसित किया जायेगा जिसमे LRTS तथा सार्वजानिक परिवहन कोरिडोर्स से सम्बद्धता प्रदान की जाएगी।
c.	Logistic hubs to be clearly demarcated and byelaw provisions for creating storage infrastructure such as godowns, cold storage etc.	**लोजिस्टिक एण्ड वैरहाउसिंग** ट्रांसपोर्टेशन, माल ढुलाई और उनके स्टोरेज के लिए गोरखपुर महायोजना–2031 मे बाइपास और अरटीरियाल रोड के इंटरसेक्शन पर प्रस्ताव दिये है।
d.	Plan for connecting various economic nodes for affordable mobility to be put in place.	सिटी मोबिलिटी प्लान में मल्टी मोडल परिवहन प्रणाली का का प्रस्ताव है, जिसमे 2 LRTS रुट्स तथा 6 बस टर्मिनल (5 बस टर्मिनल स्ट्जै से सम्बद्ध) का प्रस्ताव है उक्त के अतिरिक्त फीडर सेवा के लिए ऑटो तथा ई–रिक्शा से Last Mile Connectivity प्रदान की जाएगी।
e.	Plan for workers housing near manufacturing hubs with compelete social and health infrastructure such as schools, college, universities, hospitals etc.	महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख विनिर्माण गतिविधियों में HURL तथा UPSIDA का क्षेत्र आता है, जिसके आस दृपास आवासीय एवं सार्वजनिक सुविधायें के प्रस्ताव दिए गये है।

2. Economic Plan		
क्र.सं.	**बिन्दु**	**टिप्पणी**
f.	widening of carriage ways and strengthning of them, to catter to heavy vehicular movement near the logistics and manufacturing hubs	शहर से गुजरने वाले राजमार्गों का मार्गाधिकार रिंग रोड के निकट बिन्दु पर क्षेत्रीय भारी यातायात के दृष्टिगत 60 मीटर प्रस्तावित है, जिनके किनारे वेयर हाउसिंग, परिवहन केंद्र, औद्योगिक, ट्रक अड्डा, बस अड्डा का प्रस्ताव किया गया है।
g.	Clear delineation of cycle and pedestrian paths to provide for safe mobility of workers	व्यापक गतिशीलता के लिए सिटी मोबिलिटी प्लान में समस्त शहरी मार्गो के दोनों ओर निरंतरता में 1.5–2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ का प्रस्ताव है।
h.	Plan for removing in efficiencies	समुचित यातायात प्रबंधन हेतु मुख्य जंक्शंस पर फ्लाईओवर का प्रस्ताव।
i.	Identification of food streets, hawker space, vending zones, and shifting of old market-retro fitting to improve them	महायोजना में निर्धारित निर्मित क्षेत्र के सघन क्षेत्र को क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करते समय पुनः नियोजितध्पुनः विकसित किया जायेगा जिसमे LRTS तथा सार्वजानिक परिवहन कोरिडोर्स से सम्बद्धता प्रदान की जाएगी।
j.	customised plan for solid waste management for each for these.	महायोजना में निर्धारित निर्मित क्षेत्र के सघन क्षेत्र को क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करते समय विस्तृत प्रस्ताव किया जायेगा।

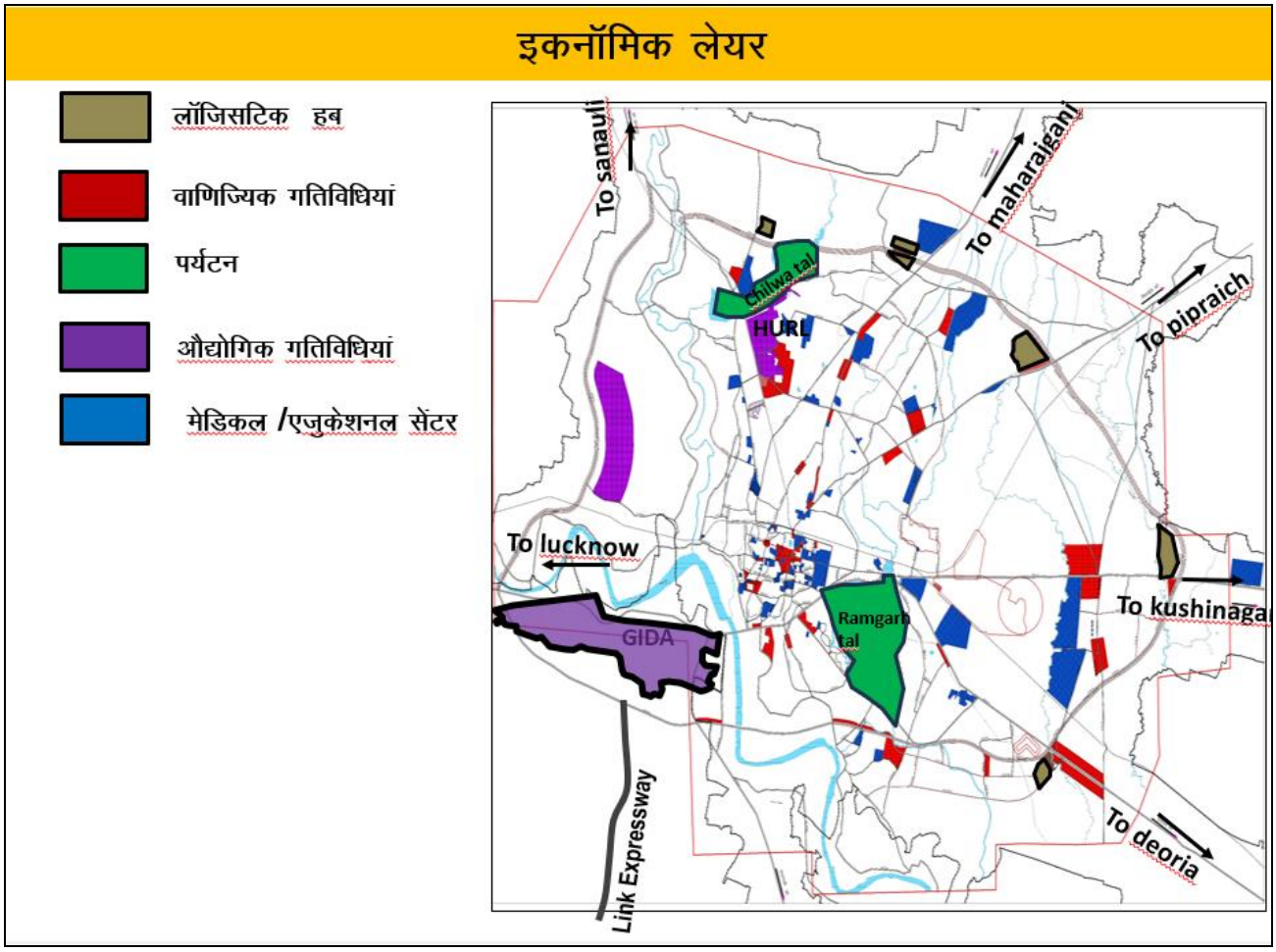

गोरखपुर शहर पूर्वांचल क्षेत्र मे एक विशेष स्थान रखता है। गोरखपुर शहर के आस–पास के सभी शहर जैसे की महराजगंज, देवरिया ,कुशीनगर ,पिपराईच और इन क्षेत्र मे आने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्र गोरखपुर शहर पर अपने वस्तु और सेवा के लिए निर्भर है। इसलिए हमे गोरखपुर शहर को पूरे क्षेत्र के गटेवे शहर के रूप मे विकसीत करने की आवश्यकता है।

लोजिस्टिक एण्ड वैरहाउसिंग

ट्रान्स्पोर्टेशन, माल ढुलाई और उनेके स्टॉरिज लघु ओर माध्यम स्तर के तकनिकी उद्योग को स्थापित करने के लिए एक नीव की तरह काम करता है। गोरखपुर पुनरीक्षित महायोजना–2031 मे बाइपास और अरटीरियाल रोड के इनर्सेक्शन पर इसके लिए प्रस्ताव दिए गये है ।

कामर्शियल ट्रैडिंग सेंटर /वाणिज्यिक केंद्र

गोरखपुर शहर वर्तमान समय मे पूरे क्षेत्र के लिए होल्सैल/थोक व्यापार और सर्विसेज का एक केंद्र है, जो वर्तमान समय मे काफी केंद्रित है। जिससे ट्रेफिक और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसे विकेन्द्रीकरण करने का पुनरीक्षित महायोजना–2031 मे प्रावधान किया गया है। शहर के कई और क्षेत्र जो आने वाले समय मे विकसीत होने वाले है उन्मे कमर्शियल एरिया के लिए भूमि आरक्षित की गई है।

पर्यटन

गोरखपुर शहर मे प्राकृतिक रूप से कई जलाशय विद्यमान हैं। इसे एक टुरिस्ट स्पॉट के रूप मे विकसीत करने के लिए पुनरीक्षित महायोजना–2031 मे उन जलाशय के संरक्षित करने के लिए बफर जोन का प्रावधान किया है और फिर उसके उपरान्त रेक्रीऐशनल ग्रीन भू–उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है।

उद्योग

गोरखपुर शहर के समीप ही गोरखपुर इन्डस्ट्रीअल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है और उसमे तेजी से विकास हो रहे है और आगे भी होने के संभावना है इसलिए पुनरीक्षित महायोजना–2031 मे गिडा के समीप लखनऊ–सनौली बाइपास पास इन्डस्ट्रीअल कॉरिडर विकशीत करने का प्रस्ताव दिया गया है । गोरखपुर शहर मे हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिट की एक इकाई मजूद है जिसे हमने मेट्रो कानेक्टिविटी और शहर के भीतर मौजूद रिंग रोड से कानेक्टिविटी दी है। जिससे यातायात सुगम और अर्चन रहित हो।

मेडीसीटी /एजुकेशनल सेंटर

गोरखपुर शहर मे वर्तमान समय मे कई मेडिकल अस्पताल जैसे की एम्स, बी.आर.डी मेडिकल कालेज और कई निजी अस्पताल मौजूद है, जिस पर क्षेत्र निर्भर करता है और दूसरे राज्यों से भी लोग यहां आते है। गोरखपुर मेडिकल टुरिजम का एक केंद्र है जिसको और मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए पुनरीक्षित महायोजना–2031 मे मेडीसीटी / एजुकेशनल हब के लिए शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर भूमि आरक्षित की गई है।

12.3 ब्लू –ग्रीन इन्फ्रस्ट्रक्चर

3. Plan for Blue-Green Infrastructure		
क्र.सं.	**बिन्दु**	**टिप्पणी**
a.	Map all water bodies of the city.	महायोजना में सभी जल निकायों का पृथक मानचित्र तैयार किया गया है।
b.	Map the areas prone for flooding based on past experiences.	महायोजना मानचित्र में बाढ़ संभावित क्षेत्रों को दर्शाया गया है।
c.	Contour survey of the city drainage pattern to be done.	ड्रेनेज मास्टर प्लान के कंटूर सर्वे के आधार पर सम्पूर्ण AoI क्षेत्र को 05 कैचमेंट जोन्स में विभाजित किया गया हैं ओर उन जोन्स में विद्यमान जलाशयों को राजस्व अभिलेखों के अनुसार तथा प्राकृतिक नालों को आधार मानचित्र के अनुसार चिन्हित किया गया है।
d.	Areas below the level of river bed near the river to be clearly demarcated and plan for pumping out water through and independent energy source pump infrastructure to be put in place.	ड्रेनेज मास्टर प्लान के कंटूर सर्वे के आधार पर सम्पूर्ण AoI क्षेत्र को 05 कैचमेंट जोन्स में विभाजित कर चिन्हित किया गया हैं। उक्त के दृष्टिगत नदी तल से निचले शहरी क्षेत्रों में जल निकासी हेतु उपयुक्त स्थलों पर पम्पिंग स्टेशनों का प्रस्ताव किया गया है।
Urban Flood Mitigation plan to be made based on drainage plan		
a.	Map the existing storm water drain channel and sewerage infrastructure.	ड्रेनेज मास्टर प्लान के कंटूर सर्वे के आधार पर सम्पूर्ण AoI क्षेत्र को 05 कैचमेंट जोन्स में विभाजित किया गया हैं ओर उन जोन्स में विद्यमान जलाशयों को राजस्व अभिलेखों के अनुसार तथा प्राकृतिक नालों को आधार मानचित्र के अनुसार चिन्हित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त शहर में विद्यमान/प्रस्तावित सीवरेज प्रणाली को जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार महायोजना प्रतिवेदन के अध्याय 03 के बिन्दु संख्या 3.12 में उल्लेख किया गया है।
b.	Evacuation points to receive water to be identified and prepared- Plan for evacuation points to be prepared.	गोरखपुर विकास प्राधिकरण एवं गोरखपुर नगर निगम द्वारा शहर की समुचित वर्षा जल निकासी के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार कराया गया है, जिसके प्रासंगिक प्रावधानों को महायोजना में समायोजित किया गया है।
c.	Plan for interlinking of water bodies to be part of the master plan.	
d.	Rivers bores for harvesting stormwater with in the channel and on side of the road.	रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भवन उपविधि के प्रावधानों अनुसार भवन/तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

3. Plan for Blue-Green Infrastructure		
क्र.सं.	**बिन्दु**	**टिप्पणी**
e.	Demarcation of high flood level around the water bodies to be done for awareness and action.	महायोजना मानचित्र में बाढ़ संभावित क्षेत्रों को दर्शाया गया है।
f.	Under bridges/under passes in a city function as water channels during heavy rains- An intelligent system enabled through CCTV surveillance linked to operation of pumps to bail-out water, to be planned.	गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार कराए गये सिटी डेवलपमेंट प्लान में चिन्हित परियोजनाओं के क्प्ट में उक्त से सम्बंधित कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
g.	Plant for lightning of all the manholes in the vulnerable flood-prone areas to be mapped and clean before monsoon.	तदैव
h.	Plan for increasing the capacity of water bodies through desilting and cleaning of water inlet and outlet channels to be put in place.	रामगढ ताल आद्र भूमि की कमेपसजपदह एवं सफाई हेतु महायोजना में समायोजित किया गया है।
i.	Creation of low-cost least space wells (2x2 ft) for harvesting rainwater to recharge shallow aquifers.	रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भवन उपविधि के प्रावधानों अनुसार भवनध् तलपट मानचित्र स्वीकृति के समय कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
j.	Plan for comprehensive pre-monsoon preparation plan.	सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड द्वारा मानसून से पूर्व तैयारी हेतु कार्ययोजना को महायोजना में समायोजित किया गया है।

ब्लू लैअर

पूर्वाचल में स्थित शहर गोरखपुर में अर्बन फ्लड को ले कर कई समस्याएं हैं। शहर नदी के स्तर से नीचे है, मानसून के दौरान बाढ़ आती है और साल में तीन चार महीने पानी भरा रहता है। इसके लिए बार–बार स्टॉर्म पानी को नदी में पंप करने की आवश्यकता होती है और मानसून में संपत्ति का बहुत नुकसान होता है। शहर को अपनी सीमा के भीतर वन क्षेत्र से लाभ होता है और शहर में बड़ी आर्द्रभूमियाँ भी मौजूद हैं।

शहर में किए गए मौजूदा भूमि उपयोग सर्वे के अनुसार शहर में निम्नलिखित ब्लूज पाए जाते गये ।

Blue	Area (Ha)
Ramgarh Taal	741.73
River	677.06

Blue	Area (Ha)
Chilua Taal	312.81
Turra Nala	52.14
Gurdhaiya Nala	112.58
Faren Nala	79.93
Ramgarh Taal Nala	42
Ponds filled (874)	249.56
Ponds dry (285)	75.35
Lakes (3)	147.35
Total	**2490.51**

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के कुल क्षेत्रफल 520 वर्ग किमी में से ब्लूज 24.90 वर्ग किमी है। (कुल क्षेत्रफल का 4.785%)

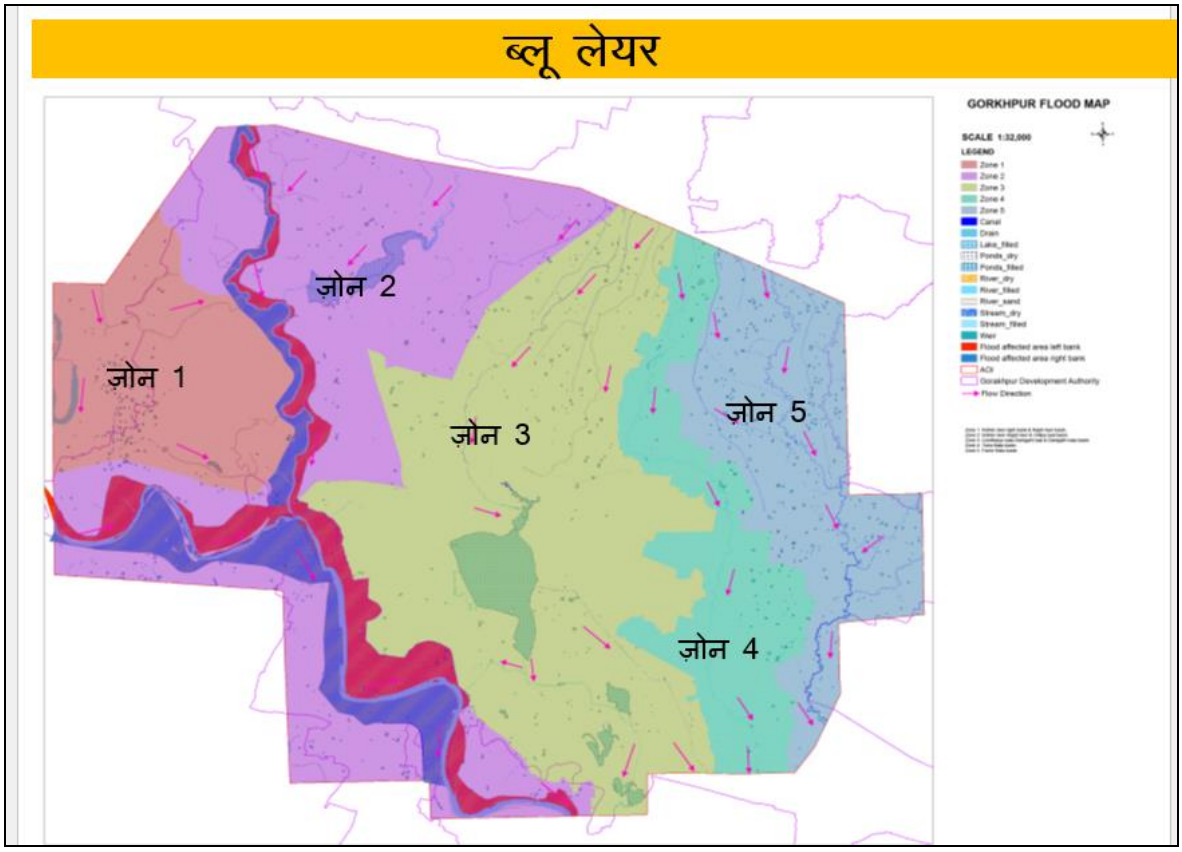

गोरखपुर का ढलान जल निकासी पैटर्न उत्तर से दक्षिण की ओर है अर्थात उत्तरी क्षेत्र की ऊंचाई दक्षिणी क्षेत्र से अधिक है। गोरखपुर को नदी और नालों के जल निकासी बेसिन के आधार पर 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सभी नाले शहर से 50 किमी दूर राप्ती नदी में मिल जाते हैं।

Zones	Area_Ha	Zones	Area_Ha
जोन 1	**5457.31**	**जोन 4**	**5206.51**
जोन 2	**18356.00**	**जोन 5**	**6746.64**
जोन 3	**16171.18**		

जोन 1: रोहिणी नदी का दायां किनारा और राप्ती नदी बेसिनः रोहिणी नदी की मौसमी धारा और राप्ती नदी का छोटा हिस्सा जो शहर एओआई के अंतर्गत आता है, इस बेसिन में गिरता है। यह अत्यधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है।

जोन 2: रोहिणी नदी–राप्ती नदी और चिलुआ ताल बेसिन सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, गोरखपुर चिलुआ ताल रोहिणी नदी के बायें तट से भरता है इस बेसिन में रोहिणी और राप्ती नदी का संगम होता है।

जोन 3: गुरदहिया नाला–रामगढ़ ताल और रामगढ़ नाला बेसिनः गुरदहिया नाला रामगढ़ ताल के पानी का मुख्य स्रोत है। इसका अपवाहन हिमालय से निकलने वाली कई छोटी–छोटी नदियों द्वारा होता है। रामगढ नाला का जल स्रोत रामगढ ताल से है।

जोन 4: तुर्रा नाला बेसिनः क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बेसिन। तुर्रा नाला भी हिमालय से निकलने वाली जलधारा से प्रवाहित होता है।

जोन 5: फरेन नाला बेसिनः फरेन नाला में बहुत सारी मौसमी और प्राकृतिक धाराएँ बहती हैं।

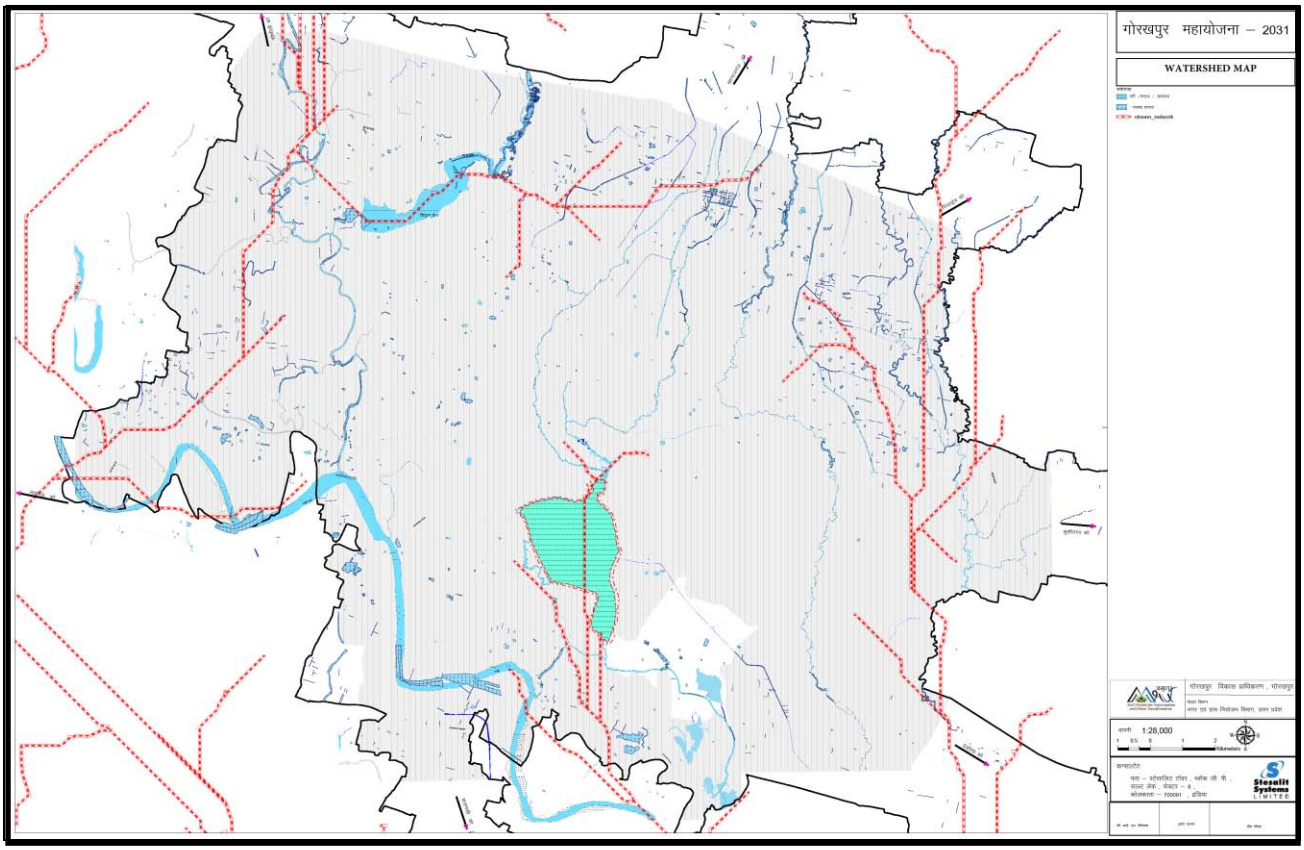

- राजस्व जल निकाय, मौजूदा जल निकायों को जल शेड मानचित्र में दिखाया गया है।
- मास्टर प्लान में ऐसे सभी जल निकायों पर 9 मीटर ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित है।
- चार प्रमुख नालों के किनारे 15 मीटर ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित।
- मास्टर प्लान में रामगढ़ ताल पर एनजीटी द्वारा अनिवार्य प्रभाव क्षेत्र संयोजित किया गया है।

ग्रीन लैअर

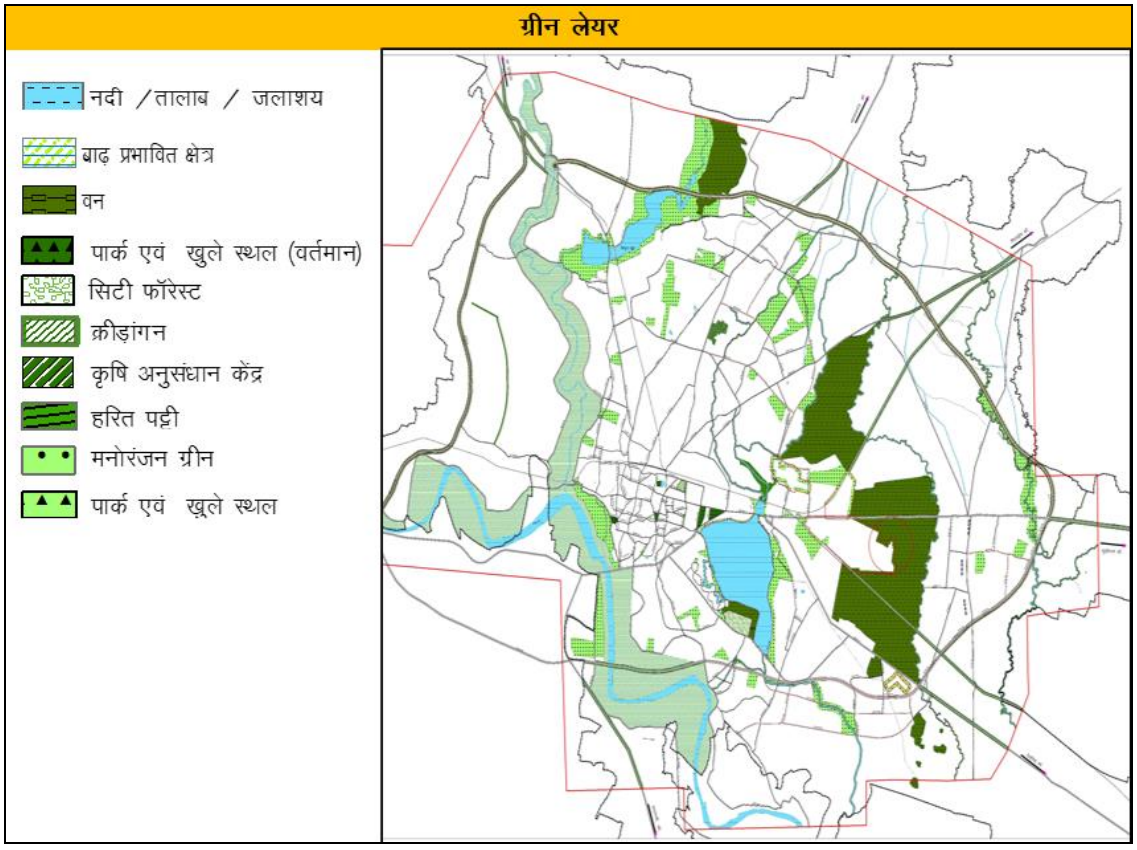

प्राकृतिक रूप से गोरखपुर मे कई हरित क्षेत्र स्थित है जिनमे से आरक्षित वन (रिजर्व फॉरेस्ट), नगर वन (सिटी फॉरेस्ट), प्राणी उद्यान मौजूद हैं। शहर के भीतर नियोजित रूप विकसित पार्क/खुले क्षेत्र 1% से भी काम है जिसका निराकरण भावी महायोजना मे करने का प्रयास किया गया है। महायोजना में इस हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव दिए गये है

1- नगर वन (सिटी फॉरेस्ट) – रामगढ़ ताल (झील) के समीप स्थित 150 एकड़ भूमि जिसमे विभिन्न प्रकार के पेड़–पौधे स्थित हैं को संरक्षित करने तथा पर्यावरण संतुलित रखने हेतु महायोजना में आरक्षित किया गया है।

2- मनोरंजन ग्रीन – गोरखपुर शहर, राप्ती नदी एवं रोहीन नदी के तट पर स्थित है। राप्ती नदी के पूरब एवं पश्चिम तट पर तथा रोहीन नदी से जुड़ने वाले एक बड़े जलाशय जो चिलुआताल के चतुर्थीदिक महायोजना में मनोराजन ग्रीन का प्रस्ताव दिया गया है ।

3- पार्क/खुले स्थल – शहर के भीतर पार्क/खुले स्थलो को विकसित करने हेतु तथा भविष्य में विकास की संभावनाओं के दृष्टिगत मजूद है वह पर यथा संभव प्रस्ताव दिए गये है।

4- हरित पट्टी – गोरखपुर शहर से 4 प्राकृतिक नाले मजूद है के दोनों तरफ 15 मीटर हरित पट्टी का प्रस्ताव दिया गया है और रिंग रोड , नैशनल हाइवै और स्टेट हाइवै पर भी 30 हरित पट्टी का प्रस्ताव दिया गया है।

5- रिजर्व फॉरेस्ट – शहर मे मौजूद रेसर्वे फॉरेस्ट के सुरक्षा हेतु 30 मीटर हरित पट्टी का प्रस्ताव दिया गयाहै

12.4 ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान

1. Transit Oriented Development	
Transit Oriented Development	भारत सरकार की संस्था RITES लिमिटेड के माध्यम से सिटी मोबिलिटी प्लान एवं लाइट रेल ट्रांसिट सिस्टम का डी.पी.आर तैयार कराया गया है। जिसमें L.R.T.S के दो कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। उक्त परियोजना के अनुसार कॉरिडोर का संरेखण तथा प्रस्तावित स्टेशन को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत परियोजना अनुसार TOD Zones का चिन्हकन किया जाएगा।

महत्वपूर्ण/ई–मेल

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2024

विषयः– गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 आधारित गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) का प्रतिवेदन व मानचित्र अनुमोदन हेतु शासन को उपलब्ध कराये जाने संबंधी अपने पत्र संख्या–636/नियो.अनु./गो.वि.प्रा./2023–24 दिनांक 09.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–113/स.नि.(के)/अमृत महा परीक्षण–गोरखपुर/2023–24 दिनांक 11.12.2023 के माध्यम से गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) का प्रतिवेदन मानचित्रों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2– गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) के प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) की धारा–8(4) एवं 10(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) को निम्नलिखित 03 शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) पॉलीगन संख्या–5ए को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में रखा जाए।

(2) ऐसे विनियमितीकरण जोन, जोकि गोरखपुर महायोजना–2001 में ग्रीन बेल्ट के रूप में प्रस्तावित थे, में वर्तमान में स्थित खाली भूमि को पार्क/हरित पट्टी के रूप में संरक्षित किया जाए तथा इसमें मियावाकी इत्यादि पद्धति से वृक्षारोपण की कार्यवाही की जाए। यदि उक्त वृक्षारोपण से समस्त क्षेत्र हेतु हरित पट्टी की प्रतिपूर्ति नहीं होती है, तो इस सम्बन्ध में क्षेत्र से संलग्न किसी अन्य हरित पट्टी में वृक्षारोपण की कार्यवाही की जाए। प्रश्नगत विनियमितीकरण जोन में निर्धारित नीति के अनुसार निर्मित भवनों के विनियमितीकरण के समय सम्बन्धित भवन स्वामियों से हरित पट्टी के रूप में संरक्षित भूमि तथा इसके विकास में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए।

12/2024

(3) ऐसे विनियमितीकरण जोन, जोकि गोरखपुर महायोजना–2001 में ग्रीन बेल्ट से अन्यत्र भू–उपयोग में प्रस्तावित थे, में निर्धारित नीति के अनुसार निर्मित भवनों के विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाए।

3– उपर्युक्त प्रस्तर–2 में अंकित शर्तो के अधीन अनुमोदित गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) को जनसामान्य की जानकारी हेतु न्यूनतम 02 दैनिक समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशित कराते हुए महायोजना के मानचित्रों को जनसामान्य हेतु प्राधिकरण के डिसप्ले बोर्ड/वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक : अनुमोदित गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) (मूल रूप में)।</u>

भवदीय,

Digitally Signed by नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 18-01-2024 17:39:5(नितिन रमेश गोकर्ण)
Reason: Approved
अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) आयुक्त, गोरखपुर मण्डल/अध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

(2) जिलाधिकारी, गोरखपुर।

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को अनुमोदित गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(4) निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव।

महत्वपूर्ण / ई–मेल

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक :28 फरवरी, 2024**

विषयः– गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) के संबंध में।

महोदय,

गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) को स्वीकृति प्रदान किए जाने संबंधी शासनादेश संख्या–आई / 475912 / 2024 / 8–3099 / 585 / 2023 दिनांक 18.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) को निम्नलिखित 03 शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) पॉलीगन संख्या–5ए को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में रखा जाए।

(2) ऐसे विनियमितीकरण जोन, जोकि गोरखपुर महायोजना–2001 में ग्रीन बेल्ट के रूप में प्रस्तावित थे, में वर्तमान में स्थित खाली भूमि को पार्क / हरित पट्टी के रूप में संरक्षित किया जाए तथा इसमें मियावाकी इत्यादि पद्धति से वृक्षारोपण की कार्यवाही की जाए। यदि उक्त वृक्षारोपण से समस्त क्षेत्र हेतु हरित पट्टी की प्रतिपूर्ति नहीं होती है, तो इस सम्बन्ध में क्षेत्र से संलग्न किसी अन्य हरित पट्टी में वृक्षारोपण की कार्यवाही की जाए। प्रश्नगत विनियमितीकरण जोन में निर्धारित नीति के अनुसार निर्मित भवनों के विनियमितीकरण के समय सम्बन्धित भवन स्वामियों से हरित पट्टी के रूप में संरक्षित भूमि तथा इसके विकास में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए।

(3) ऐसे विनियमितीकरण जोन, जोकि गोरखपुर महायोजना–2001 में ग्रीन बेल्ट से अन्यत्र भू–उपयोग में प्रस्तावित थे, में निर्धारित नीति के अनुसार निर्मित भवनों के विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाए।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 18.01.2024 के क्रम में उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–706 / नियो0अनु0 / गो0वि0प्रा0 / 2023–24 दिनांक 19.01.2024 द्वारा गोरखपुर महायोजना–2031 (पुनरीक्षित) को उपर्युक्त 03 शर्तों से अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–703 / नियो0अनु0 / गो0वि0प्रा0 / 2023–24 दिनांक 16.01.2024 द्वारा गोरखपुर महायोजना–2021 में मेडिकल कालेज के दक्षिण में प्रस्तावित 30.00 मीटर महायोजना मार्ग को गोरखपुर महायोजना–2031 में विलोपित किए जाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किए जाने का भी अनुरोध किया गया है।

3– उक्त पत्रों दिनांक 16.01.2024 एवं दिनांक 19.01.2024 द्वारा किए गए अनुरोधों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है:–

(1) पॉलीगन संख्या–5ए के संदर्भ में सिंचाई विभाग से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के संबंध में आख्या प्राप्त करते हुए इस क्षेत्र को मानचित्र पर डिमोर्केट करने के उपरान्त अवशेष क्षेत्र को मनोरंजनात्मक के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जाए।

(2) ऐसे विनियमितीकरण जोन, जोकि गोरखपुर महायोजना–2001 में ग्रीन बेल्ट के रूप में प्रस्तावित थे, के विनियमितीकरण के संबंध में व्यवहारिक नीति बनाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत किया जाता है।

(3) ऐसे विनियमितीकरण जोन, जोकि गोरखपुर महायोजना–2001 में ग्रीन बेल्ट से अन्यत्र भू–उपयोग में प्रस्तावित थे, के विनियमितीकरण के संबंध में व्यवहारिक नीति बनाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत किया जाता है।

(4) मेडिकल कालेज के दक्षिण में प्रस्तावित 30.00 मी0 महायोजना मार्ग के संबंध में स्थलीय परिस्थितियों के दृष्टिगत निर्णय लिये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत किया जाता है।

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्णय का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

5– शासनादेश संख्या–आई / 475912 / 2024 / 8–3099 / 585 / 2023 दिनांक 18.01.2024 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

Digitally Signed by डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 27-02-2024 1[illegible] (नितिन रमेश गोकर्ण)
Reason: Approved
अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) आयुक्त, गोरखपुर मण्डल / अध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
(2) जिलाधिकारी, गोरखपुर।
(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत जी०आई०एस० आधारित तैयार करायी गयी गोरखपुर महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) के प्रतिवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 (यथा संशोधित) की धारा-8(4) एवं 10(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत गोरखपुर महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश-आई/475912/2024/8-3099/585/2023, दिनांक 18-01-2024 एवं तत्क्रम में निर्गत संशोधित शासनादेश संख्या-आई/506467/2024/8-3099/585/2023, दिनांक 28-02-2024 में प्रस्तर-3 के बिन्दु सं.-1,2,3 व 4 उल्लिखित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके दृष्टिगत गोरखपुर विकास प्राधिकरण की परिचालन पद्धति से आहूत बैठक में लिये गये निर्णय निम्नवत लिये गये हैं:-

बिन्दु सं.	शासनादेश में उल्लिखित निर्णय	प्राधिकरण बोर्ड का निर्णय
1	प्लॉटीगन संख्या-5 ए के सन्दर्भ में सिंचाई विभाग से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के संबंध में आख्या प्राप्त करते हुए इस क्षेत्र को मानचित्र पर डिमोर्केट करने के उपरान्त अवशेष क्षेत्र को मनोरंजनात्मक के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जाए।	शासन के निर्णय के अनुपालन हेतु प्राधिकरण द्वारा पत्र सं.-747, दिनांक 28-02-2024, सिंचाई विभाग, गोरखपुर को प्रेषित किया गया है। तत्क्रम में सिंचाई विभाग के पत्र सं.-407/ड्रे०ख०गो०/विभिन्न, दिनांक 01-03-2024 के माध्यम से प्राप्त आख्या/अभिमत से प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सिंचाई विभाग के उक्त आख्या/अभिमत पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी तथा निर्देशित किया गया कि गोरखपुर महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) के प्रतिवेदन में उक्त का अलग से उल्लेख किया जाय।
2	ऐसे विनियमितीकरण जोन, जोकि गोरखपुर महायोजना-2001 में ग्रीन बेल्ट के रूप में प्रस्तावित थे, के विनियमितीकरण के संबंध में व्यवहारिक नीति बनाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत किया जाता है।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से शासनादेश दिनांक 28-02-2024 के प्रस्तर-3 के बिन्दु सं.-2 व 3 के सम्बन्ध में व्यवहारिक नीति तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में जिलाधिकारी, गोरखपुर अथवा नामित प्रतिनिधि, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रतिनिधि, नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ०प्र० अथवा नामित प्रतिनिधि, प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् के नामित प्रतिनिधि, मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर, अधिक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर, मुख्य अभियन्ता नगर निगम, गोरखपुर तथा प्राधिकरण बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों की समिति गठित करते हुये प्रकरण के सम्बन्ध में समिति की संस्तुति यथाशीघ्र बोर्ड के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया। तत्समय तक प्राधिकरण द्वारा विनियमितीकरण क्षेत्र में प्रचलित समस्त कार्यवाही को स्थगित रखा जाये। आवास एवं शहरी नियोजन के किसी अधिकारी को नामित करने हेतु अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से अनुरोध कर लिया जाय।
3	ऐसे विनियमितीकरण जोन, जोकि गोरखपुर महायोजना-2001 में ग्रीन बेल्ट से अन्यत्र भू-उपयोग में प्रस्तावित थे, के विनियमितीकरण के संबंध में व्यवहारिक नीति बनाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत किया जाता है।	
4	मेडिकल कालेज के दक्षिण में प्रस्तावित 30.00 मी. महायोजना मार्ग के संबंध में स्थलीय परिस्थितियों के दृष्टिगत निर्णय लिये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत किया जाता है।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से शासनादेश दिनांक 28-02-2024 के प्रस्तर-3 के बिन्दु सं.-4 के सम्बन्ध में सचिव, गोरखपुर-विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, तहसीलदार (अर्जन), गोरखपुर विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता गोरखपुर विकास प्राधिकरण एवं क्षेत्रीय अवर अभियन्ता गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार प्रश्नगत मेडिकल कालेज के दक्षिण में प्रस्तावित 30.00 मी. महायोजना मार्ग को, प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 18.00 मीटर चौड़ा रखे जाने का निर्णय लिया गया तथा निर्देशित किया गया कि गोरखपुर महयोजना-2031 (पुनरीक्षित) के प्रतिवेदन में उक्त का अलग से उल्लेख किया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार शासन द्वारा अनुमोदित गोरखपुर महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) समाचार पत्रों में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी। स्वीकृत गोरखपुर महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) का, गोरखपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में अवलोकन किया जा सकता है।

महायोजना 2031 का मानचित्र गोरखपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट *www.gdagkp.in* पर उपलब्ध है एवं इसे किसी भी कार्य दिवस में प्राधिकरण कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

(आनन्द वर्द्धन)
उपाध्यक्ष

Dainik Jagran 7-3-2024